

मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

2012-2013

वित्त वर्ष 2012-13 की दूसरी तिमाही
के अंत में बजट के संदर्भ में प्राप्तियों और व्यय की
प्रवृत्तियों की समीक्षा का परिणाम

तथा

राजकोषीय उत्तरदायित्व और
बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अधीन
(उक्त अधिनियम की धारा 7(1) और 7(3)(ख) के तहत)
सरकार के दायित्वों को पूरा करने में हुए फेर-बदल
को स्पष्ट करने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग

मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

विषय-सूची

1	1	अर्थव्यवस्था पर एक नजर
	1	विकास और निवेश
	5	कृषि
	12	उद्योग और अवसंरचना
	16	कीमते
	19	मुद्रा और बैंकिंग
	26	पूंजी बाजार
	30	व्यापार
	37	भुगतान शेष
	43	सामाजिक क्षेत्र: विकास और कार्यक्रमों का निष्पादन
2	47	केन्द्र सरकार के वित्त-साधन
	47	अप्रैल-सितंबर, 2012 के दौरान प्राप्तियों और व्यय में व्याप्त रूझानों की समीक्षा
	48	प्राप्तियां
	53	व्यय
	56	घाटा
	56	घाटे का वित्तपोषण
	57	नकदी प्रबंधन
	57	एफआरबीएम के मध्य-वर्षीय बेंचमार्कों के संदर्भ में मूल्यांकन
3	61	विश्लेषण और संभावनाएं
	61	विकास और निवेश
	64	मुद्रास्फीति
	69	चालू खाता घाटा
	72	राजकोषीय चिंताएं
	75	अर्थव्यवस्था की संभावनाएं

77	अनुबंध I
77	बजट की मुख्य घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति
101	अनुबंध II - सारणियां
101	मुख्य आर्थिक संकेतक
102	भुगतान शेष: सारांश
103	मौद्रिक समीक्षा
104	अवसंरचना क्षेत्र की वृद्धि दरों की प्रवृत्तियां
105	कर-राजस्व
106	कर-भिन्न राजस्व
107	पूंजी प्राप्तियां
108	आयोजना व्यय
113	आयोजना-भिन्न व्यय
120	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरित संसाधन

अध्याय 1

अर्थव्यवस्था पर एक नज़र

विकास और निवेश

भारतीय अर्थव्यवस्था 2005-08 के दौरान 9 प्रतिशत से अधिक जबरदस्त विकास दर हासिल करने के बाद वैश्विक वित्तीय संकट के कारण कम होकर 2008-09 में 6.7 प्रतिशत रह गई। राजकोषीय तथा मौद्रिक अन्तराल होने के कारण 2009-10 और 2010-11 के अगले दो वर्षों में सामयिक अभिप्रेरण से अर्थव्यवस्था अति शीघ्र सुधरकर 8.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। तथापि, उसके पश्चात नाजुक वैश्विक आर्थिक सुधार तथा अनेक घरेलू कारकों के कारण पुनः मंदी आरम्भ हो गई।

1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी जो 2011-12 की दूसरी तिमाही में आरंभ हो गई थी जब विकास दर पहली तिमाही में 8 प्रतिशत के स्तर से गिरकर 6.7 प्रतिशत रह गई थी, बाद की तिमाहियों में भी छाई रही और पिछली तीन तिमाहियों में (2011-12 की चौथी तिमाही से 2012-13 की दूसरी तिमाही) में यह 5.3-5.5 प्रतिशत के दायरे में बनी रही है। यह मंदी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सामान्यतः मंदी व्याप्त थी जो अनिश्चितता के लम्बे चरण से गुजर रही है। 2008-09 के वैश्विक संकट से सुधार विकसित अर्थव्यवस्थाओं में असमान रही है जिनमें यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण की समस्या के लिए निर्णायक समाधान अभी ढूंढा जाना शेष है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अक्टूबर, 2012 में जारी वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउट-लुक के अनुसार, 2010 में 5.1 प्रतिशत की स.घ.उ. संवृद्धि हासिल करने के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2011 में कम होकर 3.8 प्रतिशत रह गई और 2012 में इसके और कम होकर 3.3 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की

विकास दर 2010 में 3.0 प्रतिशत से कम होकर 2011 में 1.6 प्रतिशत रह गई और 2012 में इसके और कम होकर 1.3 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। यहां तक कि इस अवधि के दौरान उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी मंदी छाई हुई है, जिसका आंशिक कारण उनके निर्यात बाजारों में आई मंदी है। चीन की विकास दर 2010 में 10.4 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 9.2 प्रतिशत रह गई है और 2012 में इसके 7.8 प्रतिशत पर आ जाने की संभावना है। ब्राजील की विकास दर 2010 में 7.5 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 2.7 प्रतिशत रह गई है और 2012 में इसके 1.5 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

1.3 भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर (2004-05 के मूल्यों पर, उत्पादन लागत पर स.घ.उ. के सन्दर्भ में मापित) वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध में 5.4 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में यह 7.3 प्रतिशत थी। 2011-12 में पूरे वर्ष के लिए विकास दर पिछले दो वर्षों अर्थात् 2009-10 और 2010-11 के प्रत्येक वर्ष में हासिल की गई 8.4 प्रतिशत विकास दर के मुकाबले 6.5 प्रतिशत थी। यह मंदी सभी जगह व्याप्त थी और लगभग सभी क्षेत्र इससे प्रभावित हुए। 2012-13 के प्रथमार्ध में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए विकास दर 2.1 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3.2 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के लिए 7.0 प्रतिशत रही। 2011-12 के पूर्वार्ध में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दरें क्रमशः 3.4 प्रतिशत, 4.7 और 9.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2012-13 की पहली और दूसरी तिमाहियों में स.घ.उ. की संवृद्धि दर क्रमशः 5.5 प्रतिशत तथा 5.3 प्रतिशत थी। (सारणी 1.1)

2 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

सारणी 1.1 : सकल घरेलू उत्पाद में त्रैमासिक वृद्धि (प्रतिशत)									
		2011-12				2012-13		2011-12	2012-13
		ति. 1	ति. 2	ति. 3	ति. 4	ति. 1	ति. 2	पूर्वार्ध	पूर्वार्ध
1	कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी	3.7	3.1	2.8	1.7	2.9	1.2	3.4	2.1
2	उद्योग	5.6	3.7	2.5	1.9	3.6	2.8	4.7	3.2
क	खनन एवं उत्खनन	-0.2	-5.4	-2.8	4.3	0.1	1.9	-2.8	0.9
ख	विनिर्माण	7.3	2.9	0.6	-0.3	0.2	0.8	5.1	0.5
ग	बिजली, गैस एवं जलापूर्ति	8.0	9.8	9	4.9	6.3	3.4	8.9	4.8
घ	निर्माण	3.5	6.3	6.6	4.8	10.9	6.7	4.9	8.8
3	सेवाएं	10.2	8.8	8.9	7.9	6.9	7.2	9.5	7.0
क	व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार	13.8	9.5	10	7	4	5.5	11.6	4.7
ख	वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	9.4	9.9	9.1	10	10.8	9.4	9.6	10.1
ग	सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	3.2	6.1	6.4	7.1	7.9	7.5	4.7	7.7
	उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	8.0	6.7	6.1	5.3	5.5	5.3	7.3	5.4

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1.4 वर्ष 2012-13 के पूर्वार्द्ध में भारत की विकास दर में आई गिरावट को घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जा सकता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं मंदी तथा यूरोप में विद्यमान लगभग अवमन्दनकारी स्थितियों से न केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपेक्षाकृत कम वृद्धि रही बल्कि इससे पूंजीगत प्रवाह भी कम हुए। भारत के निर्यातों की वृद्धि दर में भी गिरावट आई। साथ ही अपरिष्कृत तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमते अधिक रही। भारत का व्यापार और चालू खाता घाटा बढ़ गया। 2012-13 की पहली तिमाही में रुपए का उल्लेखनीय रूप से अवमूल्यन हुआ। तथापि, दूसरी तिमाही में इसमें थोड़ा सुधार हुआ। घरेलू कारकों के संदर्भ में, वर्ष 2012-13 के मानसून मौसम में वर्षा सामान्य से भी कम हुई, विशेष रूप से जून-जुलाई के प्रमुख माहों में। इससे बुआई प्रक्रिया प्रभावित हुई और कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की अपेक्षाकृत कम विकास दर रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सापेक्षतया कठोर मौद्रिक नीति को अपनाए रखा, हालांकि हाल के कुछ महीनों में सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) और प्रारक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) को कम करने के

लिए कुछ राहत रखी गई है। उधार लागते पूर्णतया ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और इसका अर्थव्यवस्था में विकास व निवेश स्तरों पर प्रभाव पड़ा खासतौर से औद्योगिक क्षेत्र पर। अंततः परियोजना क्रियान्वयन में अवरोधों ने वित्तपोषण को अधिक कठिन और निवेशकों को अधिक सतर्क बना दिया है।

1.5 वर्ष 2011-12 के पूर्वार्द्ध के मुकाबले चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में सेवा क्षेत्र की विकास दर में गिरावट प्रमुखतः व्यापार, होटल परिवहन और संचार क्षेत्र की विकास दर में आई गिरावट के कारण थी जो 2011-12 के पूर्वार्द्ध में 11.6 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 के पूर्वार्द्ध में 4.7 प्रतिशत रह गई थी। सेवा क्षेत्रों में यह उप-क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह मूल्यवर्धित सेवा क्षेत्रों का 45 से 50 प्रतिशत के आस-पास बैठता है। व्यापार होटल और परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों के क्रियाकलापों में वृद्धि कृषि और उद्योग क्षेत्रों की वृद्धि से जुड़ी है और इन क्रियाकलापों में मंदी का व्यापार और परिवहन क्षेत्र की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके विपरीत चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में वित्तीय, कारोबार और समुदाय तथा सामाजिक क्षेत्रों का विकास 2011-12 की तदनरूपी अवधि में इन क्षेत्रों की विकास दर के मुकाबले अधिक था।

सारणी 1.2 : कारक लागत पर स.घ.उ. का क्षेत्रवार अंशदान									
		2011-12				2012-13		2011-12	2012-13
		ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2	पूर्वार्ध	पूर्वार्ध
1	कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी	13.5	11.1	17.2	13.9	13.2	10.7	12.3	12.0
2	उद्योग	27.7	27.5	26.1	26.7	27.2	26.9	27.6	27.1
क	खनन एवं उत्खनन	2.1	2.0	2.0	2.2	2.0	1.9	2.0	2.0
ख	विनिर्माण	15.8	15.7	14.6	15.0	15.0	15.0	15.8	15.0
ग	बिजली, गैस एवं जलापूर्ति	2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0
घ	निर्माण	7.8	7.9	7.6	7.8	8.2	8.0	7.9	8.1
3	सेवाएं	58.8	61.3	56.7	59.4	59.6	62.4	60.0	61.0
क	ब्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार	28.9	28.5	27.1	28.1	28.5	28.6	28.7	28.5
ख	वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा एवं कारोबारी सेवाएं	18.2	18.7	17.4	17.4	19.1	19.4	18.4	19.3
ग	सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	11.7	14.1	12.1	13.9	12.0	14.4	12.9	13.2
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय									

1.6 सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रक संरचना (इसके सापेक्ष हिस्से के सन्दर्भ में) में विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष कार्य-निष्पादन पर निर्भर करते हुए परिवर्तन होता है। स.घ.उ. की क्षेत्रक संरचना सारणी 1.2 में दर्शाई गई है। त्रैमासिक हिस्से मौसमी पहलुओं को भी प्रतिबिम्बित करते हैं और अल्पावधिक में उल्लेखनीय रूप से नहीं बदलते। तथापि, दीर्घावधिक रुझान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम हो रहा है। यह प्रत्याशित ही है कृषि क्षेत्र में देशों के विकास के साथ-साथ स.घ.उ. के हिस्से के रूप में इसमें गिरावट आती है। तथापि, भारत में, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के बिना एक प्रबल क्षेत्र बन गया। सच तो यह है कि 1960 के दशक के बाद के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 25-29 प्रतिशत के दायरे में रहा। तबसे कृषि क्षेत्र के हिस्से में गिरावट को सेवा क्षेत्र में वृद्धि से लगभग प्रतिसंतुलित किया गया है।


1.7 वर्धनात्मक विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान विगत समय से उल्लेखनीय रूप से बढ़ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60 प्रतिशत वृद्धि विगत दो दशकों में सेवा क्षेत्र के कारण है। वस्तुतः 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 73 प्रतिशत रहा है। (चित्र 1.1)

1.8 बाजार कीमतों पर स.घ.उ. के अनुसार विकास दर में 2012-13 के प्रथमार्ध में और भी तीव्र गिरावट आई। वर्ष 2011-12 के प्रथमार्ध में वृद्धि 7.9 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2012-13 में प्रथमार्ध में 3.4 प्रतिशत रह गई। बाजार कीमतों पर स.घ.उ. के लगभग सभी प्रमुख संघटकों अर्थात् निजी अंतिम उपभोग व्यय, सकल नियत पूंजी निर्माण, निर्यात तथा आयात में महत्वपूर्ण गिरावट आई। अपवाद केवल सरकारी अंतिम खपत व्यय रहा जिसने वृद्धि दर्ज की। स.घ.उ. के व्यय पक्ष का क्षेत्रक संघटन-सारणी 1.3 में दर्शाया गया है।

1.9 घटक लागत पर तथा बाजार कीमतों पर स.घ.उ. की वृद्धि की दर में हालिया तिमाहियों में पर्याप्त अंतर रहा है। वर्ष 2008-09 में तथा वर्ष 2009-10 की प्रथम दो तिमाहियों में बाजार कीमतों पर स.घ.उ. की वृद्धि घटक लागत पर स.घ.उ. की वृद्धि से निम्नतर थी। ऐसा अधिकांशतः प्रेरण पैकेज के कारण तथा स.घ.उ. के प्रति करों के अनुपात में गिरावट आने के कारण था (अप्रत्यक्ष करों को बाजार कीमतों पर स.घ.उ. से घटा दिया जाता है तथा आर्थिक सहायता को घटक लागत पर स.घ.उ. प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है) अगली सात तिमाहियों में, बाजार कीमतों पर स.घ.उ. की वृद्धि घटक लागत पर स.घ.उ. की वृद्धि से अधिक थी। पिछली दो तिमाहियों में (2012-13 की तिमाही

4 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

चित्र 1.1 : स.घ.उ. की वृद्धि में तीन क्षेत्रों का विंदु अंशदान



सारणी 1.3 : चालू बाजार कीमतों पर स.घ.उ. का क्षेत्रक संघटन

मद	2011-12				2012-13		2011-12	2012-13
	ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2	पूर्वार्ध	पूर्वार्ध
1. कुल अंतिम खपत व्यय	66.7	68.8	71.3	64.3	67.6	70.1	67.8	68.8
1.1 निजी अंतिम खपत व्यय	55.8	57.8	58.5	52.5	56.0	58.3	56.8	57.1
1.2 सरकारी अंतिम खपत व्यय	11.0	11.0	12.8	11.8	11.7	11.8	11.0	11.7
2. सकल पूंजी निर्माण	37.9	37.6	33.6	33.7	34.8	36.5	37.7	35.7
2.1 सकल नियत पूंजी निर्माण	31.2	30.9	27.8	28.6	29.9	30.6	31.0	30.3
2.2 स्टॉकों में परिवर्तन	3.4	3.3	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.2
2.3 मूल्यवान वस्तुएं	3.3	3.4	2.7	1.9	1.7	2.6	3.4	2.2
3. निर्यात	23.0	24.2	23.1	27.8	24.4	24.5	23.6	24.5
4. घटाएं आयात	29.5	32.9	31.8	25.8	30.8	34.3	31.2	32.5
2004-05 की बाजार कीमतों पर	100	100	100	100	100	100	100	100
स.घ.उ.								

स्रोत: के.सा.का. के आंकड़ों से संकलित

हो सकता है कि विसंगतियों के कारण जोड़ 100 के साथ मेल न खाएं।

1 तथा तिमाही 2) बाजार कीमतों पर स.घ.उ. की वृद्धि घटक लागतों पर स.घ.उ. की वृद्धि से निम्नतर रही है जिसका मुख्य कारण आर्थिक सहायता में वृद्धि का होना है (चित्र 1.2)। घटक लागत पर स.घ.उ. की वृद्धि के सापेक्ष बाजार कीमतों पर स.घ.उ. की उच्चतर वृद्धि तिमाहियों में हुई है जिसका निवल अप्रत्यक्ष करों पर तथा विपर्ययेन सकारात्मक वृद्धि रही है।


1.10 निजी अंतिम खपत व्यय का हिस्सा सामान्यतः 55 से 60 प्रतिशत के बीच रहा है। सकल नियत पूंजी निर्माण का हिस्सा वर्ष 2011-12 में इसके हिस्से की तुलना में वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध में निम्नतर रहा है। स.घ.उ. के विभिन्न संघटकों की वृद्धि में अंशदान (चित्र

1.3) की विस्तृत जांच 2011-12 की तिमाही 2 से निवेश (सकल नियत पूंजी निर्माण, वस्तुसूची तथा बहुमूल्य वस्तुएं) के अंशदान में गिरावट का संकेत देती है।


कृषि

1.11 वर्ष 2012 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि (पहली जून-30 सितम्बर) में वर्षापात अनियमित तथा असमान, दोनों रहा है। यह संबंधित मासिक दीर्घावधिक औसत (एलपीए) की तुलना में जून 2012 में 28 प्रतिशत तथा जुलाई 2012 में 13 प्रतिशत अल्प था। अगस्त तथा सितम्बर में वर्षापात बेहतर होने से, इस अल्पता में कमी आई। मानसून ऋतु के दौरान, देश में 887.5 मि.मी. के सामान्य वर्षापात की तुलना में समग्र

चित्र 1.2 : घटक लागत पर तथा बाजार कीमतों पर स.घ.उ. की वृद्धि की दर



चित्र 1.3 : बाजार कीमतों पर स.घ.उ. का बिंदु अंशदान



6 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

रूप से 819.8 मि.मी. का वर्षापात हुआ जो एलपीए से 8 प्रतिशत के विपथन का घोटक है। (सारणी 1.4)। मौसम विज्ञानी उप-मंडल स्तर पर, 36 मौसम विज्ञानी उप-मंडलों में से 23 मौसम विज्ञानी उप-मंडलों में अधिक या सामान्य वर्षापात हुआ तथा 13 मौसम विज्ञानी उप-मंडलों में अल्प वर्षापात हुआ। 628 जिलों में से, जिनके संबंध में वर्षापात संबंधी आंकड़े उपलब्ध थे, 62 जिलों (10 प्रतिशत) में अधिक वर्षापात हुआ, 303 (48 प्रतिशत) में सामान्य वर्षापात हुआ, 235 (37 प्रतिशत) में अल्प वर्षापात हुआ तथा 28 जिलों (5 प्रतिशत) में बहुत ही कम वर्षापात हुआ।

कृषि वृद्धि

1.12 राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र ने वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो वर्ष 2011-12 के प्रथमार्ध में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में निम्न है।

खरीफ की बुआई

1.13 अनियमित तथा अल्प वर्षापात के कारण, विगत वर्ष की तुलना में खरीफ फसलों के तहत शामिल क्षेत्र में कमी आई (सारणी 1.5)। मोटे अनाज तथा दालों, जिन्हें अधिकांशतः वर्षापोषित दशाओं में उगाया जाता है, के खेती अधीन उनके क्षेत्र में भारी गिरावट आई। खाद्य

प्रदेश	वास्तविक वर्षापात (मि.मी.)	एलपीए (मि.मी.)	एलपीए से प्रतिशत विपथन
मध्य भारत	935.5	975.5	4
उत्तर पश्चिमी भारत	569.3	615.0	7
दक्षिणी पठार	643.9	715.5	10
पूर्वोत्तर भारत	1275.3	1438.3	11
अखिल भारत	819.8	887.5	8

स्रोत: 2012 साऊथ वेस्ट मानसून एंड ऑफ सीज़न रिपोर्ट

फसलें	बुआई किया गया क्षेत्र (खरीफ)		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (+/-)
	2012	2011	
प्रमुख अनाज फसले			
धान	391.62	400.68	-9.06
मोटा अनाज	178.17	206.73	-28.56
जोवार	24.12	25.96	-1.84
बाजरा	65.11	86.95	-21.84
मक्का	71.92	73.88	-1.96
दालें	95.24	113.45	-18.21
अरहर	36.86	40.4	-3.54
उड़द	22.86	24.15	-1.29
मूंग	19.63	26.78	-7.15
कुल खाद्यान	665.03	720.86	-55.83
तिलहन	175.09	184.91	-9.82
मूंगफली	37.81	42.97	-5.16
सोयाबीन	105.88	101.79	4.09
सेसामम	17.12	19.17	-2.05
अन्य फसलें			
कपास	116.14	121.78	-5.64
गन्ना	51.00	50.87	0.13
जूट	7.76	8.09	-0.33

स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग

फसलों के तहत क्षेत्र में कुल गिरावट में इनका हिस्सा लगभग 83 प्रतिशत था। तथापि, गन्ने, अधिकांशतः क्योंकि यह एक सिंचित फसल है तथा सोयाबीन के एकड़ विस्तार में वृद्धि परिलक्षित हुई।

कृषि उत्पादन

1.14 वर्ष 2011-12 में 257.4 मिलियन टन (चौथे अग्रिम अनुमान) पर खाद्यानों का रिकार्ड उत्पादन परिलक्षित हुआ जिसका मुख्य कारण अच्छे मानसून का होना तथा समर्थक सरकारी नीतियां थी। उत्पादन का यह स्तर वर्ष 2010-11 के दौरान हासिल 244.8 मिलियन टन (अंतिम अनुमान) के पूर्ववर्ती रिकार्ड खाद्यान उत्पादन की तुलना में 12.7 मिलियन टन उच्चतर था। इसमें 129.9 मिलियन टन के खरीफ खाद्यान तथा 127.5 मिलियन टन के रबी खाद्यान शामिल थे। तिलहन उत्पादन 30.0 मिलियन टन, गन्ने का उत्पादन 357.7 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था जो अबतक का उच्चतम रिकार्ड है। कपास का उत्पादन 2011-12 में 170 कि. ग्राम प्रत्येक की 35.2 मिलियन गांठे होने का अनुमान था। वस्तुतः 2011-12 में रिकार्ड उत्पादन में अधिकांशतः चावल तथा गेहू के क्रमशः 104.3 मिलियन टन तथा 93.9 मिलियन टन के रिकार्ड उत्पादन ने काफी योगदान दिया। प्रथम अग्रिम अनुमान (जिनमें खरीफ फसलें

शामिल हैं) सभी प्रमुख फसल समूहों में उत्पादन में गिरावट निर्दिष्ट करते हैं। (सारणी 1.6)

1.15 क्षेत्र को बढ़ाने की सीमित संभावना को देखते हुए मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने का केवल मात्र दीर्घावधिक समाधान प्रमुख कृषि फसलों की उत्पादकता में सुधार लाना है। वस्तुतः, देश ने प्रमुख कृषिय फसलों के पैदावार स्तरों में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किए हैं। (सारणी 1.7)। खाद्य फसलों में पैदावार के स्तरों में वृद्धि के बावजूद, वर्तमान प्रौद्योगिकी वाले उच्च उत्पादकता सिंचित क्षेत्रों में संभावी तथा वास्तविक पैदावार के बीच अभी भी पर्याप्त अंतर विद्यमान है (सारणी 1.8)। इन क्षेत्रों के लिए, उर्वरकों तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों जल तथा मृदा बचत प्रौद्योगिकी के संतुलित प्रयोग, पर विचार किया जाना आवश्यक होगा। गेहू के मामले में, राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक औसत पैदावार (2.79 टन/हेक्टेयर) कृषकों के खेतों में प्रदर्शित पैदावार (3.32 टन/हेक्टेयर) तथा अनुसंधान दशाओं के तहत पैदावार (4.2 टन/हेक्टेयर) से महत्वपूर्ण रूप से कम है। बिहार तथा मध्यप्रदेश के मामले में कहीं अधिक अंतर विद्यमान है। प्रमुख पैदावार अंतर फसल प्रबंधन पद्धतियों में कमियों के कारण सूचित किए गए हैं।

सारणी 1.6: 2011-12 तथा 2012-13 में खरीफ उत्पादन (मिलियन टन)				
फसल	2011-12 (चौथे अग्रिम अनुमान)	2012-13 (प्रथम अग्रिम अनुमान)	सम्पूर्ण अंतर (कॉलम 3-2)	प्रतिशतता
खाद्यान	129.94	117.18	-12.76	-9.82
तिलहन	20.79	18.78	-2.01	-9.67
गन्ना	357.67	335.33	-22.34	-6.25
कपास@	35.20	33.40	-1.80	-5.11
@ उत्पादन 170 कि.ग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठों में				
स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग				

सारणी 1.7: प्रमुख फसलों का क्षेत्र, उत्पादन तथा पैदावार									
फसलें	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)			उत्पादन (मिलियन टन)			पैदावार (कि.ग्रा./हेक्टेयर)		
	2009-10	2010-11	2011-12*	2009-10	2010-11	2011-12*	2009-10	2010-11	2011-12*
खाद्यान	1213.3	1267.7	1250.3	218.1	244.8	257.4	1798	1931	2059
तिलहन	259.6	272.2	264.4	24.9	32.5	30.0	958	1193	1135
गन्ना	41.8	48.9	50.9	292.3	342.4	357.7	70020	70091	70317
कपास@	101.3	112.4	121.8	24.0	33.0	35.2	403	499	491
* चौथे अग्रिम अनुमान @ उत्पादन 170 कि.ग्रा. प्रत्येक की मिलियन गांठों में									
स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग									

8 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

सारणी 1.8: प्रमुख राज्यों में अनाज फसलों में पैदावार अंतर						
राज्य	अनाज फसलें	अभिप्रेरित संभावी पैदावार (टन/हेक्टेयर)	अधिकतम प्राप्य पैदावार (टन/हेक्टेयर)	औसत पैदावार (टन/हेक्टेयर)	कुल पैदावार अंतर I (%)	प्रबंधन पैदावार अंतर II (%)
		क	ख	ग	{100 (क-ग)/क}	{100 (ख-ग)/ख}
पंजाब	चावल	8.8	7.0	4.0	54.5	43.1
	गेंहू	6.5	5.2	4.3	33.8	17.3
हरियाणा	चावल	8.7	7.0	2.8	67.8	59.9
	गेंहू	5.6	4.5	3.8	32.1	14.2
उत्तर प्रदेश	चावल	7.2	5.2	3.8	47.2	26.9
	गेंहू	5.4	4.6	2.4	55.6	47.4
बिहार	चावल	8.7	7.0	2.1	75.9	70.5
	गेंहू	5.5	4.4	2.3	58.2	47.7
तमिल नाडू	चावल	8.4	6.7	2.1	75.0	69.0

स्रोत : बारहवीं पंचवर्षीय योजना


रबी की संभावनाएं

1.16 यद्यपि वर्ष 2012-13 में प्रमुख कृषिय फसलों के लिए खरीफ उत्पादन के निम्नतर होने का अनुमान है, यह आशा है कि इस कमी की पूर्ति अंशतः रबी फसलों के तहत अतिरिक्त भूमि सम्मिलन के जरिए उच्चतर रबी उत्पादन द्वारा तथा भूमि की आर्द्रता का लाभ उठाकर एवं साथ ही निविष्टियों (उर्वरक तथा बीज) की पर्याप्त तथा सामयिक आपूर्ति एवं बेहतर विस्तार सेवाओं के जरिए हो जाएगी। वर्ष 2000-01 से वर्ष 2011-12 के दौरान रबी मौसम में खाद्यान उत्पादन में 2.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि भी खरीफ मौसम के दौरान उत्पादन की संवृद्धि, जो औसतन केवल 1.2 प्रतिशत है, से पर्याप्त उच्च रही है (चित्र 1.4)। यह रबी फसलों में सिंचित गेंहू तथा चावल की प्रबलता तथा मोटे अनाज के तहत क्षेत्र का अपेक्षाकृत कम हिस्सा होने के कारण है।

कृषि उत्पादन की मूल्य नीति

1.17 देश में कृषिय उत्पादन पर कीमत निर्धारण, अधिप्राप्ति, भंडारण इत्यादि के अर्थ में नीतियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। कृषकों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा इस क्षेत्र में उच्चतर निवेश तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2012 में सरकार द्वारा प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में पर्याप्त वृद्धि की गई है (सारणी 1.9)। यह नीति भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा राज्य अभिकरणों द्वारा खाद्यानों की उच्चतर अधिप्राप्ति में भी परिणामी हुई है। अधिप्राप्त खाद्यान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (सीआईपी) पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो अधिप्राप्तकर्ता अभिकरणों की आर्थिक लागतों से काफी

चित्र 1.4: खरीफ तथा रबी मौसमों के दौरान खाद्यानों का उत्पादन (मिलियन टन)



सारणी 1.9: न्यूनतम समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल तथा प्रतिशत वृद्धि)							
खारीफ फसलें	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	औसत वार्षिक वृद्धि 2012-13/ 2008-09	2012-13/ 2011-12 में वृद्धि
धान (साधारण)	900	1000	1000	1080	1250	8.6	15.7
धान (ग्रेड क)	930	1030	1030	1110	1280	8.3	15.3
जोवार (सम्मिश्र)	840	840	880	980	1500	15.6	53.1
जोवार (मालडंडी)	860	860	900	1000	1520	15.3	52.0
बाजरा	840	840	880	980	1175	8.8	19.9
मक्का	840	840	880	980	1175	8.8	19.9
रागी	915	915	965	1050	1500	13.2	42.9
अरहर (तूअर)	2000	2300	3500	3700	3850	17.8	4.1
मूंग	2520	2760	3670	4000	4400	15.0	10.0
उड़द	2520	2520	3400	3800	4300	14.3	13.2
छिलकायुक्त मुंगफली	2100	2100	2300	2700	3700	15.2	37.0
सूरजमुखी	2215	2215	2350	2800	3700	13.7	32.1
सोयाबीन (काली)	1350	1350	1400	1650	2200	13.0	33.3
सोयाबीन (पीली)	1390	1390	1440	1690	2240	12.7	32.5
सेसामम	2750	2850	2900	3400	4200	11.2	23.5
नाइजरसीड	2405	2405	2450	2900	3500	9.8	20.7
कपास (मध्यम स्टेपल)	2500	2500	2500	2800	3600	9.5	28.6

कम होते हैं। यह कहना अनावश्यक है कि यह नीति अधिप्राप्तकर्ता अभिकरणों को प्रदत्त खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के रूप में राजकोष पर पर्याप्त बोझ डालती है।

अधिप्राप्ति, भंडारण तथा वितरण

1.18 खाद्यानों के विपणनेय अधिशेष का एक महत्वपूर्ण भाग सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अधिप्राप्त किया जाता है। उच्चतर अधिप्राप्ति मूल्य चावल तथा गेहू के भारी स्टॉक निर्माण में परिणामी हुए हैं तथा इससे उनके सुरक्षित भंडारण की चिंताएं बढ़ी है। खाद्य आर्थिक सहायता के बहिर्वाह (व्यय) में कमी के रूप में बचतें करने, अधिप्राप्ति तथा वितरण की दक्षता में

वर्धन करने तथा स्थानीय किसानों को एमएसपी के लाभ प्रदान करने में परिणामी स्थानीय अधिप्राप्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 1997-98 में खाद्यानों की विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति की योजना की शुरुआत की थी। वर्तमान में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति कर रही राज्य सरकारें हैं - पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीस गढ़, उत्तराखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, तमिल नाडू, गुजरात, कर्नाटक तथा केरल। आंध्र प्रदेश खरीफ विपणन मौसम 2012-13 से डीसीपी योजना को अपनाने के लिए सहमत हो गया है। विभिन्न राज्यों में चावल तथा गेहू की अधिप्राप्ति सारणी 1.10 तथा 1.11 में निर्दिष्ट की गई है।

सारणी 1.10: केन्द्रीय पूरा के लिए चावल की राज्यवार अधिप्राप्ति (खरीफ विपणन मौसम: अक्टूबर-सितम्बर) (लाखा टन)					
राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आंध्र प्रदेश	90.58	75.55	96.09	75.40	0.40
छत्तीस गढ़	28.48	33.57	37.46	41.15	0.49
हरियाणा	14.25	18.19	16.87	20.07	24.99
ओडिशा	28.01	24.96	24.65	28.64	0.00
पंजाब	85.54	92.75	86.34	77.31	80.54
तामिल नाडू	12.01	12.41	15.43	15.96	0.01
उत्तर प्रदेश	40.07	29.01	25.54	33.55	0.21
पश्चिम बंगाल	17.44	12.40	13.10	20.36	0.00
अन्य	24.66	21.50	26.50	37.87	0.20
अखिला भारत जोड़	341.04	320.34	341.98	350.31	106.84

* अधिप्राप्ति आंकड़े 14.11.2012 की स्थिति के अनुसार

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

10 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

सारणी 1.11: केन्द्रीय पूल के लिए गेहू की राज्य-वार अधिप्राप्ति (लाख टन)					
राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
हरियाणा	52.37	69.24	63.47	69.28	86.65
मध्य प्रदेश	24.10	19.68	35.39	49.65	84.93
पंजाब	99.40	107.25	102.09	109.58	128.34
राजस्थान	9.35	11.52	4.76	13.03	19.64
उत्तर प्रदेश	31.37	38.82	16.45	34.61	50.63
अन्य	10.30	7.31	2.98	7.20	11.29
अखिल भारत	226.89	253.82	225.14	283.35	381.48
स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग					

1.19 गेहू तथा चावल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय पूल से टीपीडीएस के तहत वितरण हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (सीआईपी) पर जारी किए जाते हैं। टीपीडीएस के तहत निर्गत खाद्यानों के सीआईपी उनकी आर्थिक लागत से कहीं कम नियत किए जाते हैं। केन्द्र सरकार इस संबंध में आर्थिक सहायता का भार वहन करती है, विशेष तौर पर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) तथा अंतोदय अन्य योजना (एएवाई) श्रेणी के तहत अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान उपलब्ध कराने के लिए (सारणी 1.12)। सीआईपी में वर्ष 2002 से वृद्धि नहीं की गई है यद्यपि एमएसपी तथा आर्थिक लागत में सदृश रूप से काफी अधिक वृद्धि हुई है।

1.20 टीपीडीएस तथा कल्याण योजनाओं के तहत

खाद्यानों की वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त, खाद्य स्टॉकों के केन्द्रीय पूल से यह अपेक्षित है कि उसके पास सूखा/फसल न होने जैसे आपातस्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से तथा कीमत वृद्धि के मामले में मुक्त बाजार हस्तक्षेप समर्थकारी बनाने के लिए चावल तथा गेहू की पर्याप्त मात्रा हो। केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम भंडार (बफर) मानदंडों को अनाज के आगमन की ऋतुपरकता तथा वितरण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियत किया गया है। खाद्य स्टॉक बफर मानदंडों से महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर रहे हैं (सारणी 1.13)। सुखद स्टॉक स्थिति के मद्देनजर, विभिन्न योजनाओं तथा निर्यातों के तहत अतिरिक्त खाद्यानों के आवंटन हेतु एक उदारीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

सारणी 1.12: गेहू तथा चावल की आर्थिक लागत तथा निर्गम मूल्य								
वर्ष	चावल (\$)	गेहू	चावल			गेहू		
			एपीएल	बीपीएल	एएवाई	एपीएल	बीपीएल	एएवाई
			830	565	300	610	415	200
			निर्गम मूल्य एफसीआई की आर्थिक लागत के प्रतिशत के रूप में					
2010-11 (अनंतिम)	2002.4	1526.4	41.5	28.2	15.0	40.0	27.2	13.1
2011-12 (सं.अ.)	2184.2	1651.9	38.0	25.9	13.7	36.9	25.1	12.1
2012-13 (ब.अ.)	2418.7	1822.5	34.3	23.4	12.4	33.5	22.8	11.0
(\$) साधारण तथा ग्रेड ए चावल का इक्वेटे मिलाकर भारत औसत								

सारणी 1.13: बफर मानदंडों तथा वास्तविक स्टॉक स्थिति के ब्यौरे							
(लाख टन में)							
तिथि	चावल		गेंहू		कुल		बफर मानदंडों के प्रतिशत के रूप में वास्तविक स्टॉक
	वास्तविक स्टॉक	बफर मानदंड	वास्तविक स्टॉक	बफर मानदंड	वास्तविक स्टॉक	बफर मानदंड	
1.01.2010	243.5	138.0	230.9	112.0	474.5	250.0	189.8
1.04.2010	267.1	142.0	161.3	70.0	428.4	212.0	202.1
1.07.2010	243.0	118.0	335.8	201.0	578.5	319.0	181.3
1.10.2010	184.4	72.0	277.8	140.0	462.2	212.0	218.0
1.01.2011	255.8	138.0	215.4	112.0	471.2	250.0	188.5
1.04.2011	288.2	142.0	153.6	70.0	441.8	212.0	208.4
1.07.2011	268.6	118.0	371.5	201.0	640.1	319.0	200.6
1.10.2011	203.6	72.0	314.3	140.0	517.9	212.0	244.3
1.01.2012	297.2	138.0	256.8	112.0	553.9	250.0	221.6
1.04.2012	333.5	142.0	199.5	70.0	533.0	212.0	251.4
1.07.2012	307.1	118.0	498.1	201.0	805.2	319.0	252.4
1.10.2012	233.7	72.0	431.5	140.0	665.3	212.0	313.8

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि ऋण - कृषकों को उच्चतर उत्पादन प्राप्त करने में समर्थ बनाना

1.21 कृषकों को वहनीय लागत पर पर्याप्त परिमाण में कृषिय ऋण की सामयिक उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का प्रयास रहा है। वर्ष 2012-13 के लिए 5,75,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य का 32 प्रतिशत हासिल करते हुए जुलाई, 2012 के अंत में कृषिय ऋण प्रवाह की राशि 1,86,243 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्ति की राशि 5,11,029 करोड़ रुपए (108 प्रतिशत) थी जबकि लक्ष्य

4,75,000 करोड़ रुपए का था (सारणी 1.14)।

1.22 अगस्त 1998 में आरम्भ की गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की योजना अब सुस्थिर हो गई है जिसके माध्यम से फसल ऋणों का वृहत अंश दिया जा रहा है। जून 2012 के अंत तक, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी सक्रिय केसीसी की संख्या 9.08 करोड़ हो गई थी जबकि मार्च 2012 में कुल बकाया ऋण की राशि 444,421 करोड़ रुपए है।

सारणी 1.14: वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान (जुलाई 2012 तक)						
कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह का लक्ष्य तथा प्राप्ति						
(करोड़ रुपए)						
अभिकरण	2011-12			2012-13		
	लक्ष्य	प्राप्ति (अंतिम)	प्रतिशत प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति (अंतिम)	प्रतिशत प्राप्ति
वाणिज्यिक बैंक	3,55,000	3,68,616	103.84	4,20,000	1,11,543	26.56
सहकारी बैंक	69,500	87,963	126.57	84,000	52,630	62.65
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	50,500	54,450	107.82	71,000	22,070	31.08
कुल	4,75,000	5,11,029	107.59	5,75,000	1,86,243	32.39

स्रोत: वाणिज्यिक बैंकों के आंकड़े आईबीए से; सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आंकड़े नाबार्ड आरओ से

12 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

उद्योग और अवसंरचना

औद्योगिक उत्पादन - दीर्घित अवरुद्धीकरण

1.23 औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट वर्तमान वित्त वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अपेक्षाकृत तीव्र थी। वर्ष 2011-12 के दौरान औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का संयोजन चालू वित्त वर्ष के दौरान भी औद्योगिक उत्पादन पर भारी बना रहा। तथापि, इस वित्त वर्ष में विनिर्माणकारी धीमेपन का एक प्रमुख कारण निवेश में गिरावट रहा है जैसाकि बैंक ऋण के संवितरण में वृद्धि की अपेक्षाकृत धीमी दर तथा नवीन परियोजनाओं में निम्नतर निवेश द्वारा प्रतिबिम्बित होता है। निम्नतर निवेश तथा सकल मांग के धीमेपन में परिणामी प्रतिकूल व्यवसाय मनोभाव चक्र से औद्योगिक सुधार विलम्बित हो गया है। कारपोरेट क्षेत्र का क्षमता उपयोग तथा बिक्री की संवृद्धि भी निम्न बनी रही है। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना की कमियों/बाधाओं ने भी खनन तथा विद्युत क्षेत्रों के निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। अप्रैल-सितम्बर 2012-13 के दौरान, आईआईपी वृद्धि 0.1 प्रतिशत थी जबकि अप्रैल-सितम्बर 2011-12 में यह 5.1 प्रतिशत थी (सारणी 1.15)।

1.24 व्यापक औद्योगिक समूहों की आईआईपी आधारित तुलनात्मक वृद्धि दरें सारणी 1.15 में दी गई हैं। आईआईपी ने 2010-11 की तृतीय तिमाही से 2012-13 की प्रथम तिमाही तक एक हसकारी रुझान का अनुसरण किया। इस रुझान में प्रतिवर्तन का अवलोकन द्वितीय तिमाही में


ही हुआ है। समग्र आईआईपी के समनुरूप, विनिर्माणकारी क्षेत्र में वृद्धि ने भी समरूप रुझान प्रदर्शित किया। विगत 15 माह में, वृद्धि औसतन 1 प्रतिशत से भी कम रही है। चालू वित्त वर्ष के प्रथम छः महीनों में, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि (-) 0.4 प्रतिशत रही है जबकि इसकी तुलना में विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 5.5 प्रतिशत थी। खनन क्षेत्र का निष्पादन प्राकृतिक गैस के उत्पादन में तीव्र अपचयन तथा कच्चे तेल के लगभग अवरुद्ध उत्पादन के कारण कम हो गया। विद्युत उत्पादन की वृद्धि पिछले वर्ष के प्रथमार्ध में दर्ज 9.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि की तुलना में धीमी होकर वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 4.6 प्रतिशत रह गई। कोयले की कमी प्रथमार्ध के दौरान, ताप विद्युत आधारित विद्युत उत्पादन में क्षमता के अल्प उपयोग में परिणामी हुई।

1.25 प्रयोगधारित वर्गीकरण के अनुसार, धीमापन व्याप्त रहा (चित्र 1.5)। बुनियादी वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की वृद्धि वर्तमान वित्त वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान तुलनात्मक रूप से निम्नतर रही। उधार की उच्चतर लागतों तथा निवेश में गिरावट ने पूंजीगत वस्तुओं को सर्वाधिक प्रभावित किया।

1.26 पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के उत्पादन में वर्ष 2011-12 में 4 प्रतिशत की गिरावट आई थी। वर्ष 2012-13 में इस क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि में 20.1 प्रतिशत की और गिरावट तथा चालू वित्त वर्ष की प्रथम तथा द्वितीय तिमाहियों में 6.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ यह रुझान जारी रहा। चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल-सितम्बर के दौरान पूंजीगत

सारणी 1.15: आईआईपी पर आधारित व्यापक औद्योगिक समूहों में वृद्धि (आधार वर्ष 2004-05 = 100) (प्रतिशत)					
		खनन	विनिर्माण	विद्युत	सामान्य
	भार	141.57	755.27	103.16	1000
2010-11	तिमाही 1	8	10.4	5.4	9.6
	तिमाही 2	6.3	7.4	2.1	6.8
	तिमाही 3	6.3	9.2	6.5	8.6
	तिमाही 4	1.1	8.9	8.1	7.9
2011-12	तिमाही 1	0.7	7.7	8.3	7.0
	तिमाही 2	-4.1	3.4	10.5	3.2
	तिमाही 3	-4.2	1.1	9.6	1.2
	तिमाही 4	-0.4	0.3	4.5	0.6
2012-12	तिमाही 1	-1.5	-0.8	6.4	-0.3
	तिमाही 2	1.8	0.2	2.8	0.5
अप्रैल-सितम्बर					
	2011-12	-1.6	5.5	9.4	5.1
	2012-13	0	-0.4	4.6	0.1
स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय					


चित्र 1.5: औद्योगिक वृद्धि: प्रयोगाधारित औद्योगिक वर्गीकरण (प्रतिशत)



वस्तु क्षेत्र में समग्र रूप से 13.7 प्रतिशत की गिरावट हुई जबकि इसकी तुलना में 2011-12 की तदनुसूची अवधि के दौरान 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। चालू वित्त वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान, उत्पादन में गिरावट मशीनरी तथा उपकरण, विद्युत मशीनरी तथा परिवहन खंडों की श्रेणियों में हुई थी। परिवहन खंड में गिरावट मुख्यतः वाणिज्यिक वाहनों तथा तिपहिया वाहनों के उत्पादन में गिरावट के कारण थी। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र नामतः कम्प्यूटर, यूपीएस, ट्रांसफार्मर, केबल इन्सुलेटेड टर्बाईन तथा निर्माण मशीनरी के तहत आने वाले प्रमुख व्यक्ति उत्पादों के उत्पादन में गिरावट आई। हालांकि पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वर्ष

2010-11 तथा 2011-12 के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी, वर्तमान वित्त वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के दौरान यह रुझान प्रतिवर्तित हो गया क्योंकि विनिर्माणकारी तथा पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के समग्र निष्पादन के समनुरूप आयात भी संकुचित हो गए। पूंजीगत वस्तुओं के आयातों की वृद्धि के बीच एक अनुपूरकता प्रतीत होती है जैसाकि चित्र 1.6 से 2011-12 की तिमाही I से पूर्व की अवधि में देखा जा सकता है, संभवतः इसलिए क्योंकि कि दोनों का संचालन निवेश है। तथापि अभी हाल ही में, अधिक प्रतिस्थापन हुआ प्रतीत होता है यद्यपि हालिया रुझानों के बहिर्वेशन में कुछ सतर्कता आवश्यक है।

चित्र 1.6: आयातित तथा घरेलू रूप से उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि



14 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

1.27 द्विअंकीय स्तर पर, विनिर्माण क्रियाकलापों के तहत 22 उप-क्षेत्रों में से 12 उपक्षेत्रों ने वर्ष 2012-13 की द्वितीय तिमाही के दौरान ऋणात्मक वृद्धि परिलक्षित की जबकि वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान 8 उप-क्षेत्रों ने ऋणात्मक वृद्धि परिलक्षित की थी। संचयी आधार पर, अप्रैल-सितम्बर 2012-13 के दौरान 8 उप-क्षेत्रों ने ऋणात्मक वृद्धि परिलक्षित की। तथापि, द्वितीय तिमाही के दौरान कुछ खंडों के निष्पादन में सुधार हुआ है। खाद्य उप-समूह ने 2011-12 की प्रथम तिमाही के दौरान 0.9 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में द्वितीय तिमाही में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। कपड़ा उप-समूह में भी प्रतिवर्तन हुआ। समग्र रूप से, इस समूह ने 2011-12 की अप्रैल-सितम्बर की अवधि के दौरान 1.2 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 2012-13 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 6.8 प्रतिशत की संचयी वृद्धि प्रदर्शित की। परिधानी वस्त्र (मुख्यतः तैयार निर्मित वस्त्र) खंड तिमाही 2 के दौरान पुनः संवर्धित हुआ क्योंकि इसने 2012-13 की प्रथम तिमाही के दौरान 6.4 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में द्वितीय तिमाही के दौरान 5.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की, द्वितीय तिमाही के दौरान रसायन तथा रसायन उत्पाद के मामले में भी सुधार हुआ है। इस उप-समूह ने 2012-13 की प्रथम तिमाही के दौरान 1.2 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में द्वितीय तिमाही के दौरान 5.8 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। समग्र रूप से इस समूह ने 2011-12 के अप्रैल-सितम्बर 2011-12 के दौरान 0.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2012-13 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 2.3 प्रतिशत की संचयी वृद्धि प्रदर्शित की।

औद्योगिक क्षेत्र में मंदी के कारण

1.28 औद्योगिक उत्पादन में प्रवृत्त मंदी का कारण घरेलू तथा बाह्य कारकों का संयोजन है। जबकि वैश्विक आर्थिक मंदी ने निर्यात पर निर्भर क्षेत्रों को प्रभावित किया, अवमंदित मनोभावों उच्च ब्याज दरों, ऋण वृद्धि में कमी तथा साथ ही निवेश की वृद्धि में ह्रास ने संवृद्धि के

अपचयन में योगदान दिया। मौद्रिक कमी तथा उच्च उधार लागत ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उद्योग तथा अवसंरचना में समग्र निवेश अंतर्वाह को अवरुद्ध किया है, निकृष्ट व्यवसाय मनोभावों, सकल नियत पूंजी निर्माण में गिरावट, नई परियोजनाओं की शुरुआत में कमी तथा निम्नतर निर्यातों ने औद्योगिक संवृद्धि पर मांग पक्ष दबाव डालने जारी रखे। आपूर्ति पक्ष पर मुख्यतः अवसंरचना की कमियों के कारण दबाव अनेक उप-क्षेत्रों के उत्पादन की कमी में परिणामित हुए हैं, खनन क्षेत्रक वृद्धि भी विनियामक तथा पर्यावरण समाशोधनों में विलम्बों के कारण प्रभावित हुई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान खाद्य-भिन्न ऋण का उठान भी विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न रहा है। उद्योग में समग्र रूप से नियोजित सकल ऋण की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 10 प्रतिशत निम्नतर रही है।

प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रक तथा सार्वभौम मध्यवर्ती

1.29 आई आई पी में 37.9 प्रतिशत के समग्र भारांश वाले आठ मुख्य अवसंरचना समर्थक उद्योगों ने वर्ष 2012-13 की प्रथम तथा द्वितीय तिमाहियों में क्रमशः 3.6 प्रतिशत तथा 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-सितम्बर के दौरान समग्र वृद्धि वगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 3.2 प्रतिशत थी (सारणी 1.16)। कोयला, परिशोधनशाला उत्पादों तथा सीमेंट क्षेत्रकों ने चालू वित्त वर्ष में तुलनात्मक रूप से उच्चतर संवृद्धि हासिल की। इस्पात क्षेत्र तथा वैद्युत उत्पादन की संवृद्धि दरें तुलनात्मक रूप से कम रही, चालू वित्त वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान अपरिष्कृत तेल, प्राकृतिक गैस तथा उर्वरक का उत्पादन वर्ष 2011-12 के प्रथमार्ध के उत्पादन की तुलना में संकुचित हो गया। इस मंदी ने रेलवे, नागर विमानन तथा पत्तन क्षेत्रों द्वारा अपचित कारगो, माल ढुलाई प्रहस्तन के कारण राजस्व अर्जन को प्रभावित किया है।

सारणी 1.16 अवसररचना तथा सार्वभौम मध्यवर्तियों की संवृद्धि के रूझान (प्रतिशत)					
उद्योग	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल-सितम्बर	
				2011-12	2012-13
i) विद्युत्	6.2	5.5	8.1	9.3	4.7
ii) कोयला	8.1	-0.3	1.2	-4.8	8.3
iii) इस्पात	6.0	8.9	7.0	9.5	2.6
iv) अपरिष्कृत तेल	0.5	11.9	1.0	5.1	-0.8
v) परिशोधनशाला उत्पाद	-0.4	3.0	3.2	4.6	5.4
vi) सीमेंट	10.5	4.5	6.7	3.8	7.4
vii) प्राकृतिक गैस	44.6	10.0	-8.9	-8.5	-12.5
viii) उर्वरक	12.7	0.0	0.4	0.6	-5.6
समग्र सूचकांक	6.6	5.7	4.4	5.0	3.2
स्रोत: आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक उत्पादन एवं संवर्धन विभाग का कार्यालय					

कारपोरेट क्षेत्र का निष्पादन

1.30 गैर सरकार गैर वित्तीय सूचीबद्ध कम्पनियों के संरक्षित परिणामों के आधार पर बिक्री संवृद्धि (वर्षानुवर्ष) में ह्रास, जो 2011-12 की चौथी तिमाही में आरम्भ हुआ था, वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध में जारी रहा जैसा कि सारणी 1.17 में दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 की द्वितीय तिमाही में बिक्री की संवृद्धि 11.6 प्रतिशत के पिछली ग्यारह तिमाहियों

के निम्न स्तर पर हासिल हो गई, इसके अतिरिक्त बिक्री की तुलना में व्यय की वृद्धि की उच्चतम दर के कारण, निवल लाभ वर्ष 2012-13 की प्रथम तिमाही तक चार निरंतर तिमाहियों में गिरते रहे, तथापि वर्ष 2012-13 की द्वितीय तिमाही के दौरे "अन्य आय" में उच्चतर संवृद्धि तथा ब्याज व्ययों में निम्नतर संवृद्धि के कारण निवल लाभों की संवृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सारणी 1.17: गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सूचीबद्ध कम्पनियों का निष्पादन						
मद	संवृद्धि दरें (प्रतिशत)					
	2011-12				2012-13	
	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1	तिमाही 2 (अन्तिम)
कम्पनियों की संख्या	2,615	2,627	2,637	2,597	2,790	1,435
बिक्री	22.5	19.0	19.2	15.0	13.4	11.6
व्यय जिनमें से निम्न पर हुआ व्यय	23.0	22.4	24.7	16.1	15.8	11.9
कच्ची सामग्री	27.6	23.1	25.1	16.4	13.4	11.6
कर्मचारी लागत	19.6	17.6	18.9	14.2	17.3	16.0
प्रचालनात्मक लाभ (ईबीआईटीडीए)	12.1	-1.0	-5.9	-1.8	-3.7	13.8
अन्य आय*	39.4	25.8	66.1	47.2	29.5	54.8
मूल्य ह्रास	9.5	9.7	10.5	11.1	10.3	8.6
सकल लाभ (ईबीआईटी)	15.7	-0.3	-2.8	2.1	-2.5	23.8
ब्याज	21.6	47.1	42.6	34.8	37.9	7.4
कर प्रावधान	21.0	3.3	-2.4	1.9	-3.6	19.8
निवल लाभ	5.7	-14.8	-31.3	-7.2	-10.7	31.2
बिक्री की तुलना में निवल लाभ	7.4	6.1	4.8	6.8	5.9	8.4
* अन्य आय में असाधारण आय/व्यय शामिल नहीं है यदि उसे सुस्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।						
1. संवृद्धि दरें कम्पनियों के समान समूह के लिए संदर्भाधीन अवधि के दौरान विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में स्तर में हुए प्रतिशत परिवर्तन हैं।						

16 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

उद्योग तथा अवसंरचना वित्तपोषण

1.31 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण का क्षेत्रक नियोजन विनिर्माण कमी तथा अवसंरचना क्षेत्र (दूरसंचार तथा अन्य अवसंरचना क्षेत्र) के लिए चालू वर्ष में ऋण संवृद्धि में कमी को निर्दिष्ट करता है (सारणी 1.18) विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण तथा कपड़े में ऋण वृद्धि में अपचयन परिलक्षित हुआ।

कीमतें

मुद्रास्फीति कम हो रही है

1.32 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) के अर्थ में मापित वर्ष 2010-11 में 9.6 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति घटकर वर्ष 2011-12 में 8.9 प्रतिशत हो गई तथा वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध (अप्रैल-सितम्बर) में यह और घटकर 4.7 प्रतिशत रह गई है। सितम्बर 2012 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अगस्त 2012 में 8.01 प्रतिशत से

घटकर 7.81 प्रतिशत हो गई थी। अक्टूबर 2012 में यह कम होकर 7.45 प्रतिशत रह गई। मुद्रास्फीति में यह हालिया गिरावट मुख्यतः विनिर्मित उत्पादों (गैर-धात्विक खनिज उत्पाद, चमड़ा, बुनियादी धातुएं, रसायन तथा रसायन उत्पाद), प्राथमिक वस्तुओं (मसालें, फल तथा सब्जियां) तथा ईंधन एवं विद्युत (विटुमैन, पेट्रोल तथा विद्युत) की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण था। तथापि, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, गैर खाद्य वस्तुओं, अनाज, प्रोटीन खाद्य पदार्थों, खनिज तेलों, खाद्य तेलों, पेय पदार्थों, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों में मुद्रास्फीति में तेजी आई।

1.33 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अर्थ में मापित वर्ष 2010-11 की 10.0 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति घटकर वर्ष 2011-12 में 8.2 प्रतिशत से 8.4 प्रतिशत रह गई, तथापि, इसमें पुनः तेजी आई है तथा यह वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान 8.5 प्रतिशत से 10.00 प्रतिशत की सीमा में है, (सारणी 1.19)

सारणी 1.18: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण की संवृद्धि (प्रतिशत)

	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
	अप्रै-सित.	अक्तू.-मार्च	अप्रै-सित.	अक्तू.-मार्च	अप्रै-सित.	अक्तू.-मार्च	
उद्योग	19.7	18.3	26.3	26.6	23.7	20.7	17.8
विनिर्माण	12.3	10.0	18.2	20.5	21.4	20.8	19.2
खानन	19.6	14.8	28.7	27.2	41.9	43.0	34.7
विद्युत	45.1	51.7	51.5	45.5	37.6	25.1	16.7
निर्माण	28.0	10.1	16.8	15.8	12.8	17.9	17.5
अन्य अवसंरचना	39.0	38.3	44.4	38.4	19.6	14.4	11.8
विनिर्माणी उप-क्षेत्र							
खाद्य प्रसंस्करण	6.1	11.5	26.3	32.4	26.3	20.8	18.2
कपड़ा	7.9	10.8	16.9	19.5	19.3	13.1	8.0
पेट्रोलियम तथा नाभिकीय ईंधन	11.0	-11.3	3.9	-11.5	-1.6	3.7	7.9
रसायन एवं रसायन उत्पाद	6.5	5.0	15.1	16.8	11.7	12.4	19.9
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	43.8	20.1	29.0	33.8	14.9	18.5	20.0
बुनियादी धातु तथा धात्विक उत्पाद	23.1	20.7	24.6	27.4	29.9	25.0	19.6
समस्त इंजीनियरी	15.1	6.3	20.0	29.8	25.8	20.9	25.2
परिवहन उपकरण	7.1	3.9	11.4	14.2	23.3	21.3	22.5
अन्य उद्योग	9.8	14.1	17.3	20.9	23.7	29.2	24.7

सारणी 1.19: थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए खाद्य तथा भिन्न मुद्रास्फीति (आईडब्ल्यूएलआरएल) तथा नई श्रृंखला (एनएस)

	2010-11			2011-12			2012-13 (अप्रै.-सित.)		
	सामान्य	खाद्य	खाद्य-भिन्न	सामान्य	खाद्य	खाद्य-भिन्न	सामान्य	खाद्य	खाद्य-भिन्न
डब्ल्यूपीआई	9.6	11.1	9.0	8.9	7.2	9.6	7.7	9.0	7.1
सी पी आई आई डब्ल्यू	10.5	9.9	11.3	8.4	6.3	11.6	10.0	11.0	8.9
सी पी आई ए एल	10.0	9.4	11.4	8.2	5.2	15.1	8.5	7.0	11.8
सी पी आई आर एल	10.0	9.6	11.0	8.4	5.3	14.9	8.8	7.2	12.0
सी पी आई एन एस	-	-	-	-	-	-	10.0	11.1	9.0

खाद्य और खाद्य-भिन्न मुद्रास्फीति

1.34 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अर्थ के वर्ष 2010-11 में 11.0 प्रतिशत में 11.4 प्रतिशत की औसत खाद्य-भिन्न मुद्रास्फीति वर्ष 2011-12 में त्वरित होकर 11.6 प्रतिशत में 15.1 प्रतिशत पर पहुंच गई तथा यह ह्रासित होकर वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध में 8.9 प्रतिशत से 12.0 प्रतिशत की सीमा में आ गई है।

1.35 खाद्य मदों में मुद्रास्फीति उच्च शीर्ष रेखा सीपीआई मुद्रास्फीति का मुख्य स्रोत रही है। सी पी आई पर आधारित मुद्रास्फीति (भारांश 46.20 प्रतिशत से 69.15 प्रतिशत), जो 2009-10 में आपूर्ति आघातों के कारण औसतन 15.2-15.7 प्रतिशत थी, घटकर वर्ष 2010-11 में 9.4-9.9 प्रतिशत रह गई तथा और घट कर वर्ष 2011.12 में 5.2-6.3 प्रतिशत हो गई। वर्तमान वर्ष के अप्रैल-सितम्बर के दौरान सी पी आई खाद्य मुद्रास्फीति 7.0 प्रतिशत से 11.1 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न रही (सारणी 1.19)।

1.36 डब्ल्यू पी आई तथा सी पी आई - आई डब्ल्यू तथा सी पी आई नई श्रृंखला के मामले में मुद्रास्फीति के प्राथमिक स्रोत अप्रैल 2012 खाद्य में अंतरित हो गए हैं। अनेक प्रोटीन युक्त खाद्य उत्पादों में निरंतर आपूर्ति बाधाओं ने इन वस्तुओं में मूल्य दबाव सृजित किए हैं। तथापि, सी पी आई - ए एल तथा सी पी आई - आर एल के मामले में मुद्रास्फीति के स्रोत अगस्त 2010 में खाद्य भिन्न वस्तुओं का होना जारी है।


प्रमुख समूहों की मुद्रास्फीति में योगदान

1.37 अगस्त 2012 में वर्षानुवर्ष शीर्षरेखा डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति 8.0 प्रतिशत थी जो 8 माह के पूर्ववर्ती

स्तर से थोड़ी सी अधिक है। सितम्बर तथा अक्टूबर 2012 में इसमें कुछ कुछ गिरावट आई। चालू वित्त वर्ष के दौरान, शीर्षरेखा मुद्रास्फीति में प्राथमिक मदों तथा ईंधन का भारित अंशदान उनके संबंधित भारांश से सापेक्षतया उच्चतर था जबकि विनिर्मित उत्पादों का भारांशित योगदान इसके भारांश से सापेक्षतया निम्नतर रहा है। प्रमुख समूहों की शीर्ष रेखा मुद्रास्फीति का पिछले तीन वर्षों के लिए बिंदु योगदान का उतार चढ़ाव चित्र 1.7 में प्रस्तुत किया गया है।

1.38 निरंतर मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण अन्वयों के अलावा हैं :- (क) अपरिष्कृत, कीमती धातुओं, खाद्य तेल इत्यादि की उच्चतर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें (ख) आहार पैटर्न में परिवर्तन जो प्रोटीन समृद्ध मदों के लिए संरचनात्मक मांग-आपूर्ति अमेलता में परिणामी हुआ है (ग) कुछ अनिवार्य वस्तुओं के लिए एमएसपी कीमतों में संशोधन (घ) सितम्बर 2012 में पैट्रोलियम की कीमतों में संशोधन। मुद्रास्फीति सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण रही है जो इसे नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं जैसाकि नीचे बाक्स 1.1 में निर्दिष्ट किया गया है। तथापि, अंततः अल्पावधि उपायों के केवल अल्पावधि प्रभाव ही होंगे तथा वे सदैव वांछित दिशा में नहीं होंगे। तथापि, अंततः अल्पावधि उपायों के केवल अल्पावधि प्रभाव ही होंगे तथा वे सदैव वांछित दिशा में नहीं होंगे। निर्यातों का आवधिक प्रतिबंध, प्रशुल्क लगाना तथा हटाना तथा वायदा बाजारों की आवर्ती बंदी से उत्पादकों के लिए योजना बनाना कठिन हो जाता है, उनके प्रोत्साहन विकृत हो जाते हैं तथा उत्पादन वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। जो कीमतों को अधिक स्थायी नियंत्रणाधीन लाने के लिए आवश्यक है।

चित्र 1.7 शीर्षरेखा डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति में प्रमुख समूहों का बिंदु योगदान



बाक्स 1.1 मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित उपाय

1. राजकोषीय एवं प्रशासनिक उपाय

- गेहूं, प्याज, दालों, अपरिष्कृत पामोलिन के लिए आयात शुल्क घटाकर शून्य किया गया और परिष्कृत व उद्जनित तेलों तथा वनस्पति तेलों के लिए आयात शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया।
- सफेद तथा कच्ची शक्कर का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति 30.6.2012 तक की गई; तथापि, 10 प्रतिशत आयात शुल्क जून 2012 में लगाया गया।
- खाद्य तेलों (नारियल तेल तथा वन आधारित तेल के सिवाय) के 20,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता तक 5 किलों की क्षमता वाले मिश्रित उपभोक्ता पैकेटों में खाद्य तेलों और दालों (काबुली चना तथा जैविक दालें तथा मसूर की दाल प्रतिवर्ष 10000 टन की अधिकतम सीमा के सिवाय) के निर्यात पर रोक।
- चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं जैसे दालें, खाद्य तेल तथा खाद्य तिहलनों के मामलों में समय-समय पर तथा सात विशिष्ट राज्यों के लिए धान व चावल के मामले में 30.11.2012 तक भण्डारण सीमा अधिरोपित की गई।
- आवश्यकतानुसार प्याज के निर्यात पर अल्पावधि के लिए रोक लगाई गई। प्याज की न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी.) तंत्र के जरिए प्याज के निर्यात अंशांकित किया गया।
- वर्ष 2002 से चावल (₹ 5.65 प्रति किलो ग्राम बी.पी.एल. के लिए और ₹ 3 प्रति किलो ग्राम ए.ए.वाई. के लिए) तथा गेहूं (₹ 4.15 प्रति किलो ग्राम बी.पी.एल. और ₹ 2 प्रति किलो ग्राम ए.ए.वाई. के लिए) के केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) को बनाए रखा गया।
- चावल, उड़द, तूर, ग्वार, गोंद तथा ग्वार बीज के वायदा व्यापार पर रोक लगाई गई।
- सुव्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए पर्याप्त शक्कर की उपलब्धता सुनिश्चित करना, 2011-12 के शक्कर मौसम के लिए चीनी कारखानों पर 10 प्रतिशत की लेवी बहाल की गई।
- सरकार ने ओएमएसएस योजना के अंतर्गत चावल तथा गेहूं आबंटित किया।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडीकृत दरों पर आयातित दाल आपूर्ति योजना के नाम के साथ बीपीएल कार्ड धारकों को पी डी एस के तहत वितरण के लिए भिन्न रूप से पी डी एस के जरिए आर्थिक सहायता प्राप्त आयातित दालों की योजना पुनः शुरु करना जिसमें ₹ 20 प्रति. कि. ग्राम की सब्सिडी का भुगतान अंश आयात करने वाली निर्दिष्ट एजेंसियों को किया जाएगा ताकि वर्तमान वर्ष के शेष भाग हेतु अधिक से अधिक बीपीएल कार्डधारकों को इसके अंतर्गत लाया जा सके तथा इस योजना का विस्तार 1.10.2012 से 30.9.2013 की अवधि के दौरान सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के लिए भी किया गया है जिसमें इस अवधि के दौरान किए जाने वाले खाद्य तेलों के 10 लाख टन तक के लिए आयात 15 प्रति किलो ग्राम के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी।

2. बजटीय तथा अन्य उपाय

पूर्ति बढ़ाने तथा भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, केंद्रीय बजट 2012-13 में कई उपायों की घोषणा की गई है। सरकार ने 2011-12 में ₹ 300 करोड़ के आबंटन से प्रोटीन अनुपूरकों हेतु एक राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है। स्वच्छ जल मत्स्यपालन के अतिरिक्त तटीय मत्स्यपालन द्वारा मत्स्य उत्पादन का दायरा बढ़ाने हेतु 2012-13 में परिव्यय बढ़ाकर ₹ 500 करोड़ किया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में, कई-ब्राण्ड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इससे विक्रय तथा क्रय सुविधाओं में सुधार करके उपभोक्ताओं तथा किसानों को मदद मिलेगी।

3. मौद्रिक उपाय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मार्च, 2012 से अक्टूबर, 2011 तक नीतिगत दरों में लगातार 13 बार 375 बी.पी.एस की वृद्धि कर उचित कदम उठाए।

मुद्रा और बैंकिंग

मौद्रिक नीति की स्थिति

1.39 जनवरी 2010-अक्टूबर 2011 की अवधि के दौरान बढ़ते मुद्रास्फीतिकारी दबावों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक कठोर मौद्रिक नीति को अपनाना आवश्यक हो गया। इस अवधि के दौरान नीतिगत दरों में 375 आधार अंकों की वृद्धि (रिपो दर को 4.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत किया गया) ने मुद्रास्फीति को अप्रैल 2010 में 10.9 प्रतिशत के चरम स्तर से घटाकर अप्रैल-सितम्बर 2012 में 7.7 प्रतिशत के औसत स्तर पर लाने में सहायता की, तथापि, अर्थव्यवस्था में पूर्व में प्रत्याशित मंदी की तुलना में अधिक मंदी आई। अप्रैल 2012 से, मौद्रिक नीति में संवृद्धि मुद्रास्फीति गत्यात्मकताओं को संतुलित करने के प्रयास किया है जो नीतिगत दरों के अंशांकित उदारीकरण में परिलक्षित होता है। रिपो दर को अप्रैल-2012 में 50 आधार बिंदु घटाकर 8 प्रतिशत किया गया। नकद प्रारक्षित अनुपात (सी आर आर) अक्टूबर 2011 में 6 प्रतिशत से घटकर अक्टूबर 2012 में 4.25 प्रतिशत हो गया तथा सांविधिक नकदी अनुपात (एस एल आर) मई 2012 में 24 प्रतिशत से कम होकर अगस्त 2012 में 23 प्रतिशत रह गया है। प्रमुख नीतिगत दरों का उतार चढ़ाव नीचे निर्दिष्टानुसार रहा है (सारणी 1.20)

1.40 वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों में इस अवधि के दौरान ह्रास जारी रहा तथा घरेलू संवृद्धि में

अपेक्षाकृत तीव्र गिरावट के चलते, संवृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी। देश में मुद्रास्फीति के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन में इस समय नीतिगत दरों में और अपचयन करने से संवृद्धि को समर्थित करने के बजाए मुद्रास्फीतिकारी दबाव तीव्र हो सकते थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि मुद्रास्फीति के लिए जोखिम उच्च राजकोषीय घाटे, अपरिष्कृत तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अनिश्चितता तथा खाद्य पदार्थों (विशेषकर प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ) की मांग-आपूर्ति में संरचनात्मक असंतुलों से प्रतिउत्पन्न हो रहे थे, एक सतर्क मौद्रिक नीतिगत तर्क को अपनाना अधिमानी था। तथापि, सितम्बर से सरकार द्वारा किए गए विशेष रूप में डीजल के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि के संबन्ध में किए गए उपाय, निवेशक अवधारणा को सुधारने के लिए स्पष्ट मध्यमावधि राजकोषीय घाटा लक्ष्यों तथा प्रोत्साहनों के साथ एक राजकोषीय कार्ययोजना की घोषणा में अनुकूल माहौल का सृजन किया है तथा निवेश और क्षमता वर्धन की दिशा में अंतरण की ओर संकेत किया है। चूंकि भा.रि. बैंक को प्रत्याशा है कि आधिक्य मांग से कुछ मुद्रास्फीतिकारी दबाव कम हो जाएंगे, इसके पास अधिक सहज मौद्रिक नीति की गुंजाइश होनी चाहिए।

1.41 आर्थिक क्रियाकलाप की मंदी मौद्रिक आपूर्ति तथा बैंक ऋण की वृद्धि में कमी के जरिए भी प्रतिबिंबित हो रही थी। हालांकि नकदी स्थिति प्रबंधकीय बनी रही, ऋण की मांग में मौसमी बढ़ोतरी के साथ संयोजित जमाराशि तथा ऋण की संवृद्धि में बढ़ते अंतर से नकदी पर दबाव का बना रहना संभावित है। हालिया महीनों में

सारणी 1.20: नीतिगत दरों में संशोधन

प्रभावी तिथि	बैंक दर	रिपो	रिपो प्रतिवर्ती	सीआरआर	एसएलआर
01.01.2011	6.00	6.25	5.25	6.00	24.00
25.01.2011		6.50	5.50		
17.03.2011		6.75	5.75		
03.05.2011		7.25	6.25		
16.6.2011		7.50	6.50		
26.7.2011		8.00	7.00		
16.09.2011		8.25	7.25		
25.10.2011		8.50	7.50		
28.01.2012				5.50	
13.02.2012	9.50				
10.03.2012				4.75	
17.4.2012	9.00	8.00	7.00		
11.08.2012					23.00
22.9.2012				4.50	
03.11.2012				4.25	

- प्रवृत्त दरें पहली जनवरी 2011 की स्थिति के अनुसार

20 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

सी आर आर तथा एस एल आर में अपचयन के अर्थ में नीतिगत कार्रवाई का आशय नकदी दशाओं की संभावी कठोरताओं को रोकना तथा संवृद्धि प्रोत्साहन को प्रतिबलित करना है।

वृहद पैरामीटर तथा लक्षित धन तथा ऋण विकास

1.42 आर बी आई की मौद्रिक नीति वर्ष 2012-13 हेतु वृहद आर्थिक पैरामीटरों के सांकेतिक अनुमानों पर आधारित थी। 17 अप्रैल, 2012 को अपनी नीति समीक्षा में आर बी आई को आशा थी कि मार्च, 2013 तक स घ उ विकास 7.3 प्रतिशत पर होगा तथा मुद्रास्फीति घटकर 6.5 प्रतिशत रह जाएगी। इस विकास तथा मुद्रास्फीति के अनुरूप उसने एम3 विकास तथा गैर-खाद्य ऋण विकास का सांकेतिक लक्ष्य क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत रखा। (सारणी 1.21)।

1.43 तथापि, आर्थिक स्थिति के अपने नवीनतम आकलन के आधार पर उसने सघउ विकास हेतु अनुमान को, घटाकर 5.8 प्रतिशत तथा सम्भावित औसत मुद्रास्फीति को 7.5 प्रतिशत कर दिया। वृहद पैरामीटरों के अनुरूप धन


आपूर्ति तथा ऋण विकास के लक्ष्यों को घटा दिया गया (तालिका 1.21)। 2012-13 की दूसरी तिमाही में 13.6 प्रतिशत पर वास्तविक एम 3 विकास आरबीआई द्वारा निर्धारित 14 प्रतिशत के सांकेतिक लक्ष्य की ओर अभिमुख होता हुआ प्रतीत होता है। पिछली तीन तिमाहियों में गैर-खाद्य ऋण विकास भी 16 से 17 प्रतिशत के आस पास मंडरा रहा है तथा सांकेतिक लक्ष्यों से केवल मामूली रूप से अधिक है। वर्तमान में एम 3 का सघउ पर अनुपात उसकी 3.1 की मध्यम अवधि औसत से मामूली अधिक है जिसका मुख्य कारण विकास में कमी है।

नकदी स्थितियां

1.44 वर्ष 2011-12 के दौरान नकदी स्थितियां मामूली रही लेकिन वर्ष के अगले भाग में दबाव बढ़े तथा मार्च, 2012 में नकदी समायोजन सुविधा के अंतर्गत औसत निवल उधार 1,570 बिलियन तक पहुंच गए जो कि 30 मार्च, 2012 को 2,028 बिलियन पर सर्वाधिक थे। संरचनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक दोनों ही कारकों- जैसे आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप, ऋण तथा

सारणी 1.21. 2012-13 को आरबीआई द्वारा दर्शाई जाने वाली वृहद मानदण्डों की निर्देशात्मक अनुमान			
	वृद्धि दरों की निर्देशात्मक अनुमान(प्रतिशत) अक्टू.		
	वार्षिक नीति 2012-13 (17 अप्रैल, 2012)	पहली तिमाही समीक्षा (31 जुलाई, 2012)	दूसरी तिमाही समीक्षा (30 अक्टू. 2012)
सघउ वृद्धि	7.3	6.5	5.8
थोक मूल्य सूचकांक	6.5	7.0	7.5
मुद्रा आपूर्ति वृद्धि (एम3)	15.0	15.0	14.0
खाद्य-भिन्न ऋण	17.0	17.0	16.0

तालिका 1.8: गैर खाद्य ऋण एम 3 सघउ और , एम 3/सघउ



जमा विकास में विचलन, आरबीआई में सरकार का नकद शेष एकत्रित होना तथा परिचालन में मुद्रा की वृद्धि ने नकदी दबावों में भूमिका निभाई। कड़ी नकदी स्थितियों पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए आरबीआई ने नवम्बर, 2011 तथा मार्च 2012 के बीच 1.3 ट्रिलियन के कुल खुले बाजार कार्यकलाप (ओएमओ) किए साथ ही क्रमिक रूप से सीआरआर घटाते हुए बैंकिंग प्रणाली में लगभग 0.8 ट्रिलियन नकदी पहुंचायी।


1.45 वर्ष 2012-13 के पहले पूर्वार्ध में नकदी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। सरकार के नकदी शेष में कमी, बैंकों द्वारा एमओएम के माध्यम से प्रतिभूतियों के क्रय तथा निर्यात ऋण पुनर्वित्तीयन सुविधा के बढ़े हुए प्रयोग से लगभग 860 बिलियन के अंतःक्षेपण के कारण नकदी स्थितियों में प्रतिवर्तन हुआ। एसएलआर में एक प्रतिशत बिन्दु की कमी से भी बैंकों की सम्भावित नकदी हेतु पहंच

में सुधार किया। सितम्बर तथा अक्टूबर 2012 में नकदी स्थितियां कड़ी हो गयी, जिसमें 15 अक्टूबर, 2012 से औसत निवल एलएएफ ऋण 904 बिलियन हो गए जो कि नकदी हेतु निवल मांग तथा समय देनदारियां (एनडीटीएल)के आरामदायक स्तर के (+/-) एक प्रतिशत से काफी अधिक था। आरबीआई द्वारा 30 अक्टूबर, 2012 को सीआरआर में 25 आधार बिन्दुओं की कटौती (4.5 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत) ने बैंकिंग प्रणाली में 0.20 ट्रिलियन मूलभूत नकदी का अंतःक्षेपण किया (चित्र 1.9)


ऋण का अविनियोजन

1.46 सकल बैंक ऋण के सितम्बर, 2012 तक उपलब्ध क्षेत्रीय अविनियोजन के भिन्न-भिन्न आंकड़े इंगित करते हैं कि कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की ऋण प्रवाह की बढ़ोतरी की दर में कमी आयी है। गैर-खाद्य ऋण के क्षेत्रीय अंश इंगित करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में व्यक्तिगत ऋणों तथा प्राथमिकता क्षेत्र उधार में गिरावट हुई है (चित्र 1.10 और सारणी 1.22)

चित्र 1.9: नकदी का निवल अंतःक्षेपण



चित्र 1.10: गैर-खाद्य ऋण का क्षेत्रीय नियोजन



22 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

सारणी-1.22 बैंक ऋण का क्षेत्रीय नियोजन							
	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
	अप्रै.सित.	अक्तु.-मार्च	अप्रै.सित.	अक्तु.-मार्च	अप्रै.सित.	अक्तु.-मार्च	अप्रै.सित.
गैर-खाद्य ऋण	26,067	28,204	31,010	34,615	37,258	40,300	43,450
कृषि	3,316	3,627	4,000	4,319	4,456	4,667	5,242
उद्योग	10,774	12,092	13,610	15,311	16,831	18,479	19,831
सेवाएं	6,369	6,779	7,409	8,419	8,985	9,753	10,394
वैयक्तिक ऋण	5,608	5,706	5,992	6,566	6,986	7,401	7,984
प्राथमिकता क्षेत्र	9,263	9,859	10,779	11,859	12,414	12,887	14,060
क्षेत्रीय अंश (प्रतिशत)							
कृषि	12.7	12.9	12.9	12.5	12.0	11.6	12.1
उद्योग	41.3	42.9	43.9	44.2	45.2	45.9	45.6
सेवाएं	24.4	24.0	23.9	24.3	24.1	24.2	23.9
वैयक्तिक ऋण	21.5	20.2	19.3	19.0	18.7	18.4	18.4
प्राथमिकता क्षेत्र	35.5	35.0	34.8	34.3	33.3	32.0	32.4
वर्षानुवर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत)							
गैर-खाद्य ऋण	15.6	13.3	19.0	22.7	20.1	16.4	16.6
कृषि	25.1	22.0	20.6	19.1	11.4	8.1	17.6
उद्योग	19.7	18.3	26.3	26.6	23.7	20.7	17.8
सेवाएं	15.7	11.5	16.3	24.2	21.3	15.8	15.7
वैयक्तिक ऋण	4.0	1.5	6.8	15.1	16.6	12.7	14.3
प्राथमिकता क्षेत्र	18.7	16.0	16.4	20.3	15.2	8.7	13.3

1.47 व्यक्तिगत ऋणों की वृद्धि में गिरावट 2009-2010 तथा 2010-11 के पूर्वार्ध में कम तीव्र थी। हालांकि ऋण में वृद्धि 2011-12 तथा 2012-13 के पूर्वार्ध में व्यापक रूप से बहाल हुई, यह समग्र गैर-खाद्य ऋण वृद्धि में लगातार नीचे/कम रही/व्यक्तिगत ऋणों के भीतर, मकानों हेतु ऋण और अत्यधिक प्रभावित हुए। 2011-12 के उत्तरार्ध में कृषि ऋण की वृद्धि की गिरावट से इस क्षेत्र हेतु नीतिगत पहलों की आवश्यकता हुई। कृषि क्षेत्र में ऋण के सुधार हेतु कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार थी:-

- * वर्ष 2012-13 कृषि हेतु ऋण प्रवाह का लक्ष्य वर्ष 2011-12 के ₹ 475,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 575,000 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष के पूर्वार्ध में, लक्ष्य का 42% हासिल हुआ था तथा लक्ष्य हासिल करने हेतु बैंकों को कृषि उधार बढ़ाने हेतु कहा गया है।
- * वर्ष 2012-13 हेतु ₹ 3 लाख तक के फसल ऋणों के समय से पुनर्भुगतान हेतु ब्याज परिदान 3 प्रतिशत रखा गया था, इससे तत्परता से

भुगतान करने वाले किसानों हेतु प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष हो जाती है।

- * चरणबद्ध रूप से नाबार्ड के पूंजी आधार के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष ₹2012-13 में 2,000 करोड़ रु. जारी करने का प्रस्ताव है।
- * वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु भारत सरकार ने ग्रामीण भण्डारों हेतु ₹5,000 करोड़ का आबंटन किया है। नाबार्ड को प्रचलनात्मक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

1.48 सरकार द्वारा चल रही ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु 1995-96 में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की गयी थी। इस निधि का रख-रखाव नाबार्ड द्वारा किया जाता है। आरआईडीएफ में अंशदान निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों द्वारा किया जाता है जो कि प्राथमिकता क्षेत्र तथा/अथवा कृषि उधार हेतु लक्ष्य को पूरा करने में असफल होते हैं। इस निधि का उपयोग सड़कों, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, जलनिकासी, वन,

वाटिका इत्यादि जैसी ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को ऋण देकर किया जाता है। 30 अक्टूबर, 2012 तक आरआईडीएफ (xvii) के अंतर्गत कुल संचयी स्वीकृतियां ₹1,69,757 करोड़ थी जबकि संवितरण ₹1,18,828 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, निर्माण भारत के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी (एनआरआरडीए) को पिछले चार वर्षों के दौरान ₹18,500 करोड़ स्वीकृत तथा संवितरित किए गए थे। 2012-13 के दौरान आरआईडीएफ के अंतर्गत ₹20,000 करोड़ आबंटित किए गए हैं जिनमें से ₹5,000 करोड़

केवल ग्रामीण भण्डारण हेतु आबंटित किए गए हैं।

वित्तीय समावेशन

1.49. वित्तीय समावेशन सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में ऊपर रहा तथा जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में उन सभी बसावटों जिनकी आबादी 1000 है तथा अन्य बसावटों जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक हो गयी है को बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने हेतु कदम उठाए गए। वित्तीय समावेशन हेतु की गयी पहलें बाक्स 1.2 में दी गयी हैं।

बाक्स: 1.2 - वित्तीय समावेशन

बैंक शाखाएं खोलना: बढ़ी हुई बैंकिंग पैठ बनाने तथा वित्तीय समावेशन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की सतत आवश्यकता के मद्देनजर सरकार ने अक्टूबर 2011 में वित्तीय समावेशन पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इनमें बैंकों को कम बैंकों वाले जिलों में 5,000 तथा अधिक जनसंख्या वाली बसावटों एवं अन्य जिलों में जिनमें 10,000 अथवा उससे अधिक जनसंख्या हो में शाखाएं खोलने का परामर्श दिया गया था। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अक्टूबर, 2012 के अंत तक चिन्हित किए गए 3,955 गांवों/बसावटों में 2163 बैंक शाखाएं खोली गयी है (1,437 अत्यधिक छोटी शाखाओं सहित)।

"स्वाभिमान" - वित्तीय समावेशन अभियान: सरकार ने फरवरी, 2011 में "स्वाभिमान" - वित्तीय समावेशन अभियान प्रारम्भ किया था जिसके अंतर्गत 2000 से अधिक आबादी वाली 74,000 से अधिक बसावटों में शाखाओं, बिजनेस कारस्पोंडेन्ट एजेन्टों, मोबाइल बैंक इत्यादि द्वारा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं तथा मार्च 2012 तक लगभग 3.16 करोड़ वित्तीय समावेशन खाते खोले गए हैं। वित्त मंत्री के बजट भाषण 2012-13 के अनुसरण में "स्वाभिमान" अभियान को जनगणना, 2011 के आधार पर पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाली बसावटों तथा अन्य ऐसी बसावटों जिनकी आबादी 2000 से अधिक है तक बढ़ाया गया है। तदनुसार, बढ़े हुए "स्वाभिमान" अभियान के अंतर्गत कवर की जाने वाली लगभग 45,000 ऐसी बसावटों की पहचान की जा चुकी है।

सब्सिडियों का सीधे नकद अंतरण

सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद अंतरण प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। जनवरी, 2013 से प्रभावी होने वाले पहले उदाहरण के रूप में 18 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं जैसे मनरेगा, छात्रवृत्ति/अध्येतवृत्ति, जननी सुरक्षा योजना, इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इत्यादि में सीधे नकद अंतरण प्रारम्भ किया जा रहा है। जबकि संबंधित विभाग/एजेन्सियां जमा की जाने वाली राशि के साथ लाभार्थियों का ब्यौरा उपलब्ध कराएगी, बैंकोंको परामर्श दिया गया है कि -

- (i) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खाते खोलने हेतु तैयार रहें।
- (ii) यह सुनिश्चित करें कि वे आधार नम्बर ग्रहण कर सकें क्योंकि आधार नम्बर लाभ अंतरित करने का आधार होंगे।
- (iii) लाभार्थी को आसानी और अपनी सहूलियत के अनुसार धन की निकासी हेतु विभिन्न पहुंच मार्गों (शाखा, एटीएम तथा अन्य) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराना।

प्रत्येक परिवार हेतु एक बैंक खाता खोलना: भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नकद सब्सिडियों के लाभार्थियों के खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक अंतरण को सुनिश्चित करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि लाभार्थियों का कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाले बैंक में एक खाता हो। तदनुसार, बैंकों को परामर्श दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र बैंक तथा शहरी क्षेत्र में विशिष्ट वार्डों में नियत बैंक यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंक खाता हो।

24 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

ब्याज दरें

1.50. अप्रैल 2012 में पालिसी (रेपो) दर में 50 बीपीएस की गिरावट के साथ जनवरी - सितम्बर 2012 के दौरान सीआरआर में 150 बिन्दुओं एवं अगस्त 2012 में एसएलआर में 100 बीपीएस की कमी के कारण 2012-13 (अक्तूबर तक) के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी)

की जमा तथा उधार दोनों दरों में गिरावट हुई है। इस अवधि के दौरान एससीबी की क्रियाभाव द्योतक जमा दर तथा आधार दर में क्रमशः सात आधार बिन्दुओं एवं 25 आधार बिन्दुओं की गिरावट दिखाई दी।

सारणी 1.23: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा तथा उधार दरें (प्रतिशत)						
मदें	सित.-11	दिस.-11	मार्च-12	जून-12	सित.-12	अक्टू.-12 (अ.)
(क) धरेलू जमा दरें						
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (एससीबी)						
1 वर्ष तक	1.00-9.55	1.00-9.55	1.00-9.75	4.00-9.25	4.00-9.25	4.00-9.25
1 - 3 वर्ष	8.55-9.75	8.55-9.75	9.00-9.75	8.75-9.50	8.50-9.30	8.50-9.25
3 वर्षों से अधिक	8.00-9.50	8.00-9.50	8.50-9.50	8.00-9.50	8.50-9.30	8.50-9.25
(ii) निजी क्षेत्र के बैंक						
1 वर्ष तक	3.00-9.40	3.00-9.25	3.00-9.50	3.00-9.25	3.00-9.25	3.00-9.00
1 - 3 वर्ष	8.00-10.50	8.00-10.50	8.00-10.50	8.00-10.00	8.00-9.75	8.00-9.75
3 वर्षों से अधिक	8.00-10.00	8.00-10.10	8.00-10.10	8.00-10.00	8.00-9.50	8.00-9.50
(iii) विदेशी बैंक						
1 वर्ष तक	3.00-10.00	3.50-10.00	3.50-11.80	3.50-9.25	2.43-9.25	2.43-9.25
1 - 3 वर्ष	3.50-9.75	3.50-9.75	3.50-9.75	3.50-9.75	3.50-9.75	3.50-9.75
3 वर्षों से अधिक	4.25-9.50	4.25-9.50	4.25-9.50	3.75-9.50	3.75-9.50	3.75-9.50
एससीबी मोडल जमा दर						
(सभी टेनोर)	7.44	7.46	7.42	7.40	7.29	7.35
(ख) मूल दर						
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	10.00-10.75	10.00-10.75	10.00-10.75	10.00-10.50	9.75-10.50	9.75-10.50
निजी क्षेत्र बैंक	9.70-11.00	10.00-11.25	10.00-11.25	9.75-11.25	9.75-11.25	9.75-11.25
विदेशी बैंक	6.25-10.75	6.25-10.75	7.38-11.85	7.38-11.85	7.25-11.75	7.25-11.75
एससीबी						
मोडल मूल दर	10.75	10.75	10.75	10.50	10.50	10.50
(ग) मीडियम उधार दर						
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	10.50-15.25	10.25-15.25	10.60-15.35	10.50-15.50	10.50-15.38	-
निजी क्षेत्र बैंक	9.00-15.25	10.00-15.50	10.50-15.50	10.63-15.38	10.20-15.63	-
विदेशी	9.13-14.75	9.50-14.38	10.00-14.50	10.00-14.50	9.83-14.50	-

(उन अग्रिमों जिनपर ब्याज दर की मीडियम रेंज में कम से कम 60 प्रतिशत व्यवसाय संविदित हुआ और सितंबर, 2012 के आंकड़ें अनंतिम हैं)

1.51. बचतों की वृद्धि की दर न केवल अस्थिर थी अपितु यह 2010-12 के अधिकांश भाग में गैर-खाद्य ऋण की वृद्धि से सतत कम रही। इसलिए कुल जमा से गैर-खाद्य ऋण का अनुपात जून 2009 में लगभग 67 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी, 2012 में 73-75 प्रतिशत हो गया।

सरकारी प्रतिभूति बाजार केन्द्र


1.52 सरकार ने अप्रैल-नवम्बर, 2012 (8 नवम्बर, तक) के दौरान बजटीय सकल बाजार उधार कार्यक्रम का एक बड़ा भाग (74.1 प्रतिशत) पूरा कर लिया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 73.4 प्रतिशत था। 2012-13 के दौरान अधिकतर पुनर्भुगतान वर्ष के पूर्वार्ध में अनुसूचित थे जिसके कारण वर्ष हेतु बजटीय सकल उधारों की फ्रंटलोडिंग की आवश्यकता पड़ी। वर्ष के दौरान कई कारकों के पारस्परिक प्रभाव ने सरकारी प्रतिभूतियों की आमदनियों को प्रभावित किया जिसके द्वारा राजकोषीय वर्ष के प्रारम्भ में आरबीआई द्वारा नीति दर में कटौती, आरबीआई द्वारा ओएमओ खरीददारियों सघट विकास दर तथा वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में सुस्ती के कारण आमदनियों में गिरती हुई गति आयी

जबकि मुद्रास्फीतिक दबाव, नकदी स्थितियां तथा आपूर्ति की चिन्ताओं ने ऊपर की ओर दबाव डाला। अपेक्षाकृत सपाट आमदनी वक्र तथा दीर्घावधिक ऋण हेतु बेहतर प्रवृत्ति को देखते हुए वर्ष के दौरान प्रचालन की परिपक्वता को बढ़ा दिया गया था। 2012-13 के दौरान जारी प्रतिभूतियों (8 नवम्बर, 2012 तक) की भारत औसत परिपक्वता 13.54 वर्ष थी जबकि इसके मुकाबले पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान यह 12.19 वर्ष थी। उसी अवधि के दौरान भारत औसत आमदनी 8.43 प्रतिशत थी जबकि इसके मुकाबले पिछले वर्ष की उसी अवधि में यह 8.48 प्रतिशत थी।

राजकोषीय हुण्डियां

1.53. वर्ष 2012-13 में पिछले वर्षों के कारण 91-दिन, 182-दिन तथा 364-दिन की राजकोषीय हुण्डियों में अधिकतम आय कम हुई क्योंकि वर्ष के शुरू में रेपो तथा रिर्स रेपो दरों में 50बीपीएस की कटौती हुई थी। आय में गिरावट दीर्घ अवधि में और अधिक थे जिसके परिणाम स्वरूप आय वक्र उल्टा हो गया, हालांकि वर्ष के दौरान यह धीरे-धीरे सुधरा (सारणी 1.24)।

चित्र 1.11: गैर-खाद्य ऋण और कुल जमा



सारणी 1.24: प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिलों पर औसत अंतर्निहित आमदनी (प्रतिशत)

मासान्त	91-दिन	182- दिन	364- दिन
2010-11	6.14	6.47	6.66
2011-12	8.45	8.43	8.38
2012-13	8.40	8.25	8.11
अप्रैल -12	8.55	8.48	8.25
मई -12	8.41	8.42	8.30
जून -12	8.28	8.24	8.07
जुलाई -12	8.20	8.19	8.02
अगस्त -12	8.24	8.25	8.09
सित. -12	8.13	8.14	8.07
अक्टू. -12	8.09	8.08	7.98
नव. -12 (नव. 08 तक)	8.14	8.16	8.11

पूंजी बाजार

1.54. भारत जैसा उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के सम्पोषणीय विकास हेतु एक दक्ष तथा अथाह पूंजी बाजार का विकास अनिवार्य है। पूंजी बाजार वास्तविक बचतों को पूंजी सृजन हेतु मार्ग का संवर्धन करते हुए आर्थिक विकास का पोषक बनकर निवेश योग्य निधियों के आवंटन में सुधार करके निवेश की उत्पादकता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह उन लोगों को जोकि जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं को जोखिम मुहैया कराता है। तथापि, बाजार की गुणवत्ता उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उसकी प्रभाविकता को निर्धारित करती है। तदनुसार, बाजार दक्षता, पारदर्शिता, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, अनुचित व्यापार दस्तूरो की शोकथाम इत्यादि के अनुरूप बाजार की गुणवत्ता में सुधार करने तथा उसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष लाने हेतु 1990 के दशक के प्रारम्भ से ही भारतीय पूंजी बाजार को उदार, विनियमित तथा विकसित करने हेतु उपायों वाले सुधारों के पैकेज को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, भारत में पूंजी बाजार भारतीय कम्पनियों हेतु निधियों का प्रमुख स्रोत तथा साथ ही छोटे तथा फुटकर निवेशकों को अपनी बचतों हेतु उत्पादकता पूर्ण मार्ग देने का विकल्प बनकर उभरा है।

1.55. इस पृष्ठभूमि के आलोक में तथा वृहद आर्थिक स्थिति तैयार करने के पूरे परिपेक्ष्य में सरकार ने आरबीआई तथा भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) के करीबी सहयोग से भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कई कदम उठाए हैं। उठाए गए कदमों में कुछ निम्नानुसार हैं -

प्राथमिक बाजार

1.56. विद्यमान नियामक ढांचे की सम्पूर्ण समीक्षा: केन्द्रीय बजट 2012-13 में की गयी घोषणा के अनुरूप सेबी ने प्राथमिक बाजार में विद्यमान नियामक ढांचे की सम्पूर्ण समीक्षा की है तथा कई प्रगामी उपायों को अनुमोदित किया है जिनमें शामिल हैं :

- * इलैक्ट्रॉनिक फार्म में आईपीओ के वितरण हेतु 1000 से अधिक लोकेशनों पर देशभर में स्टाफ एक्सचेंज के ब्रोकरों के नेटवर्क को शामिल करना।
- * सभी एप्लीकेशन सर्पोटिड बाय ब्लाकड एमाऊन्ट (एएसबीए) बैंकों को उनकी सभी शाखाओं में चरणबद्ध रूप से यह सुविधा उपलब्ध कराकर एएसबीए के सूचीयन और पहुँच बढ़ाने के लिए निर्गम के प्रकटन का समय घटाना।
- * शेयर आवंटन प्रणाली में इस तरह संशोधन करते हुए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक फुटकर आवेदक, को उसके आवेदन के आकार को नजर अन्दाज करते हुए कुल मिलाकर शेयरों की उपलब्धता के अध्यधीन न्यूनतम बोली समूह का आबंटन हो
- * फास्ट ट्रेक रूट द्वारा फॉलोआन पब्लिक आफरिंग (एपीओ) तथा राइट्स इश्यू हेतु एवरेज फ्री फ्लोर मार्केट कैपिटलाइजेशन के आवश्यकता को 5000 करोड़ रुपए से घटाकर 3000 करोड़ रुपए तक करते हुए पूंजी एकत्रित करने को सुविधा जनक बनाना।

- * तथा सभी निवेशकों हेतु न्यूनतम आवेदन आकार को 10,000-15,000 रुपए तक बढ़ाते हुए आईपीओ में फुटकर निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाना तथा आवेदकों की बड़ी संख्या को न्यूनतम आबंटन सुकर बनाना।
 - * पेशेवरों तथा तकनीकी अर्हक उद्यमियों को प्रमोटरों के रूप में अपेक्षित 20 प्रतिशत के पचास प्रतिशत तक को सेबी के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों जैसे एसएमई निधियां, अवसंरचना निधियां, पीई निधियां, वीसीएफ आदि के माध्यम से पूरा करेंगे।
 - * सिक्कॉटिस कान्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स के अंतर्गत अपेक्षित सूचीबद्ध कम्पनियां तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु राइट्स तथा बोनस इश्यू द्वारा क्रमशः कम से कम 25 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत शेयर होल्डिंग हासिल कर सकते हैं।
 - * बाजार की गुणवत्ता सुधारने तथा निवेशकों की सुरक्षा हेतु "लाभकारी रूट" के अंतर्गत केवल उन्हीं इश्यूकर्ता को पूंजी बाजार में पहुंच की अनुमति दी जाए जिनका टैक्स पूर्व न्यूनतम औसत आपरेटिंग लाभ 15 करोड़ रुपए हो अथवा एसएमई प्लेटफार्म अथवा अनिवार्य बुक बिल्डिंग रूट के माध्यम से जिसके क्यूआईबी की बढ़ी हुई भागीदारी वर्तमान 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत तक हो के माध्यम से बाजार में पहुँच की अनुमति दी जाएगी।
 - * घटिया गुणवत्ता वाले ड्राफ्ट ऑफर दस्तावेजों को अस्वीकार करने हेतु एक ढांचा बनाना, आईपीओ प्रक्रिया की किसी भी अवस्था पर गैर-फुटकर निवेशकों को कोई वापसी अथवा बोली के आकार को कम करने की अनुमति न देना,
 - * पूंजी एकत्रित करने में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु इश्यू के आकार में "जनरल कारपोरेट पर्पसिस" को 25 प्रतिशत तक सीमित करके तथा गौण बाजार से शेयरों के अधिग्रहण पर कर्मचारी लाभ योजनाओं को रोककर बाजार की ईमानदारी तथा निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना।
- 1.57. **म्यूचुअल फंड उद्योग में पुनर्जीवन हेतु कदम**
- * टोटल एक्सपेन्स रेशो (टीईआर) को व्यापक व्याख्यान की अनुमति देकर जो कि ऐसेट मेनेजमेंट कम्पनियों (एएमसी) को वितरकों को अधिक सीधी कमीशनों के भुगतान में सक्षम करेगी के द्वारा म्यूचुअल फंड उत्पादों की पैठ बढ़ाना तथा वितरण नेटवर्क को पुनर्जीवित करना।
 - * एमएफ उत्पादों की विभिन्न किस्मों हेतु वितरकों के सत्यापन तथा पंजीकरण हेतु कई स्तर प्रारम्भ करते हुए तथा पंजीकरण / सत्यापन हेतु शुल्क को कम करते हुए वितरक पंजीकरण प्रणाली का सरलीकरण।
 - * छोटे शहरों (15 शीर्ष नगरों के अलावा) में एमएफ उत्पादों की पहुंच बढ़ाने हेतु आस्ति प्रबंधन कम्पनियों (एएमसी) को टीईआर (30 बीपीएस तक) प्रभारित करने की अनुमति दी गई है। निवेशकों, वितरकों तथा एएमसी के हितों को ध्यान में रखते हुए एएमसी द्वारा प्रभारित की गई वार्षिक आस्ति प्रबंधन फीस के एक भाग को निवेशक शिक्षा अभियानों हेतु रखाना।
 - * कम खर्च अनुपात वाले सीधे निवेशों की अनुमति देना; निवेशकों के बीच में भेदभाव को खत्म करने के लिए योजना के अन्तर्गत एकल व्यय ढांचा सुनिश्चित करना।
 - * जब पैन/बैंक खाते उपलब्ध न हो तो निवेश में नकद की अनुमति देना।
 - * देते हुए निवेशकों, वितरकों तथा एएमसी के हितों का एक समान ख्याल रखना।
 - * म्यूचुअल फंड उद्योग को अन्य उद्योगों के समान बनाने हेतु जिनमें सेवा कर का वहन अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा किया जाता है, यह निर्णय लिया गया है कि निवेश प्रबंधन शुल्क पर देय सेवाकर को योजना पर प्रभारित किया जाएगा।
 - * गलत-विक्रय तथा मंथन को रोकते हुए निवेशक की रक्षा करने हेतु एक ऐसी प्रणाली का सृजन जिसमें अभिकर्ताओं की शिनाख्त हो तथा उत्पादों को नाम दिया जाए तथा साथ ही मुआवजा देने हेतु 20 आधार बिन्दु तक अतिरिक्त टीईआर की अनुमति दी जाए तथा स्कीम में एक्जिट लोड क्रेडिट किया जाए।
 - * म्यूचुअल फंडों द्वारा पोर्टफोलियो, निष्पादन तथा व्ययों के खुलासों को युक्तियुक्त बनाने तथा एमएफ वितरकों के नियंत्रण हेतु स्व-नियंत्रण संगठन (एसआरओ) के गठन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करके म्यूचुअल फंडों हेतु विनियामक ढांचे का सुदृढीकरण।

28 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

द्वितीयक बाजार

1.58. बाजार में घट-बढ़ : भारतीय स्टॉक बाजार 2011 में सबसे घटिया निष्पादन वाली बाजारों में से एक बाजार से उबरते हुए वर्ष 2012 में विश्व की सर्वोत्तम निष्पादन वाली बाजारों में से एक है। वर्ष 2011 के अंतिम व्यापार दिन के स्तर के सापेक्ष में 31 अक्टूबर, 2012 को सेनसेक्स ने 3050 प्वाइंट अथवा 19.7 प्रतिशत की बढ़त ली तथा निफ्टी ने 995.4 प्वाइंट अथवा 21.5 प्रति बढ़त हासिल की। तथापि, वर्तमान वित्त वर्ष में सेनसेक्स ने 1101 प्वाइंट (अथवा 6.3 प्रतिशत) की बढ़त ली जबकि निफ्टी ने 324.2 प्वाइंट (अथवा 6.1 प्रतिशत) की बढ़त ली। बाजार पूंजीकरण 2011-12 के सघउ का लगभग 0.73 गुणा है।

1.59 भारतीय बाजार हाल ही में बेहतर निष्पादन करने

वाले बाजारों में से एक है जैसा कि भारतीय बाजार की हाल ही की प्राप्ति से साबित होता है जो कि नीचे सारणी 1.25 में दर्शाया गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए सुधारात्मक उपायों का बाजार मनोभावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

एफआईआई निवेश

1.60 वर्ष 2009 में भारत में कुल निवल एफआईआई अंतर्वाह 18.51 बिलियन अमरीकी डालर था (सारणी 1.26)। यह प्रवाह 2010 में आश्चर्यजनक ढंग से बढ़े तथा 2010 में भारत ने 39.47 बिलियन अमरीकी डालर के निवल एफआईआई के एफआईआई निवेश प्राप्त किए जो कि पिछले दशक के दौरान सर्वाधिक थे। यह प्रवाह मुख्यतया इक्विटी प्रवाह थे। इसी प्रकार, 2012 में निवल एफआईआई अंतर्वाह का लगभग तीन-चौथाई इक्विटी है।

सारणी 1.25: स्टॉक एक्सचेंज स्तर तथा विकास की तुलनात्मक छवि							
	31- अक्टू. -11	31- दिस. - 11	30 मार्च 12	31 अक्टू. 12	मार्च 12 की तुलना में अक्टू. 2012	अक्टू. 2011 की तुलना में अक्टू. 12	दिस. 2011 की तुलना में अक्टू. 2011
	स्तर				प्रतिशत परिवर्तन		
बीएसई, भारत	17705.0	15454.9	17404.2	18505.4	6.33	4.5	19.7
एनएसई, भारत	5326.6	4624.3	5295.6	5619.7	6.12	5.5	21.5
एस एण्ड पी 500, अमरीका	1253.3	1257.6	1408.5	1412.2	0.26	12.7	12.3
डीएएक्स, जर्मनी	6141.3	5898.4	6946.8	7260.6	4.52	18.2	23.1
एफटीएसई, 100, इंग्लैंड	5544.2	5572.3	5768.5	5782.7	0.25	4.3	3.8
निक्की 225, जापान	8988.4	8455.4	10083.6	8928.3	-11.46	-0.7	5.6
हेंग सेंग, हांग कांग	19864.9	18434.4	20555.6	21641.8	5.28	8.9	17.4
कोसपी, कोरिया	1909.0	1825.7	2014.0	1912.1	-5.06	0.2	4.7
डी.जेआईए, अमरीका	11955.0	12217.6	13212.0	13096.5	-0.87	9.5	7.2
स्ट्रेटस टाइम्स, सिंगापुर	2855.8	2646.4	3010.5	3038.4	0.93	6.4	14.8
ताइवान टाइम्स, ताइवान	7587.7	7072.1	7933.0	7166.1	-9.67	-5.6	1.3
शंघाई, चीन	2468.3	2199.4	2262.8	2068.9	-8.57	-16.2	-5.9
सीएसी 40, फ्रांस	3242.8	3159.8	3423.8	3429.3	0.16	5.7	8.5
स्रोत: ब्लूमबर्ग							

सारणी 1.26: वर्ष 2007-2012 के दौरान भारत में निवल एफआईआई निवेश (मिलियन अमरीकी डालर में)						
हिस्से	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
इक्विटी	17655.8	-11974.3	17457.50	29361.83	-357.8	18034.2
ऋण	2340.1	2636.4	1050.00	10112.16	8654.6	6270.5
कुल	19995.9	-9337.9	18507.50	39473.99	8296.8	24304.7

*31 अक्टूबर, 2012 तक के निवेश

स्रोत: सेबी

विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु की गयी पहलें मार्च 2012 से विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति सुधार

1.61 एफआईआई निवेश आकर्षित करने हेतु पहलें

- * जून, 2012 में जी-सेक में निवेश हेतु एफआईआई सीमा 5 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ाकर निम्नलिखित उप-सीमाओं सहित 20 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गयी;
 - * 10 बिलियन अमरीकी डालर बिना कसी अवशिष्ट परिपक्वता मापदंड के जी-सेक. में निवेश;
 - * 10 बिलियन अमरीकी डालर कम से कम तीन वर्षों की अवशिष्ट परिपक्वता की शर्त पर निवेश
- * एफआईआई निवेश हेतु दीर्घावधिक अवसंरचना बाण्डों की योजना को आकर्षक बनाने हेतु योजना को निम्नानुसार तर्कसंगत बनाया गया है;
 - * अवसंरचना ऋण निधि में 10 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश (क) 1 वर्ष की लॉक इन अवधि (ख) कम से कम 15 महीनों की अवशिष्ट परिपक्वता।
 - * दीर्घावधिक अवसंरचना बाण्डों में 12 बिलियन अमरीकी डालर एफआईआई निवेश (क) एक वर्ष की लाक इन अवधि (ख) एक वर्ष की लाक इन अवधि
 - * उन एमएफ ऋण योजनाओं ने जो कि अपनी आस्तियों का कम से कम 25 प्रतिशत अवसंरचना क्षेत्र में (ऋण अथवा इक्विटी अथवा दोनों) रखते हो; में अर्हक विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) के 3 बिलियन अमरीकी डालर तक।

वर्तमान में विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई निवेश हेतु कुल विनिर्धारित सीमा 65 बिलियन अमरीकी डालर है।

1.62 भारतीय कारपोरेट बाण्ड बाजार में अर्हक विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को पहुंच की अनुमति देना।

- * बजट घोषणा 2012-13 के अनुसरण में क्यूएफआई को भारतीय कारपोरेट बाण्ड बाजार में पहुंच की अनुमति दी गयी है। क्यूएफआई कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में (बिना किसी लॉक इन अथवा

अवशिष्ट परिपक्वता बाध्यता के) तथा म्युचुअल फण्ड ऋण योजनाओं में 1 बिलियन तक निवेश कर सकते हैं।

1.63 क्यूएफआई योजना को युक्तियुक्त बनाना

- * क्यूएफआई की परिभाषा की परिधि बढ़ाना : क्यूएफआई की परिभाषा में विस्तार किया गया है ताकि गल्फ को-आपरेशन काउन्सिल (जीसीसी) तथा यूरोपियन कमीशन के सदस्य देशों के नागरिकों को भी शामिल किया जा सके क्योंकि जीसीसी तथा ईसीएफए टीएफ के सदस्य हैं।
- * क्यूएफआई को अलग बैंक खाते खोलने की अनुमति देना: निधियां प्राप्त करने तथा उन प्रतिभूतियों, जिनके हेतु वह पात्र हैं, के सौदों के भुगतान हेतु भारत में प्राधिकृत डीलर बैंकों में गैर-ब्याज रूपए बैंक खाते खोलने हेतु क्यूएफआई को अनुमति दी गयी है।

1.64 वर्ष 2012-13 के दौरान ईसीबी नीति का उदारीकरण

अवसंरचना विकास हेतु संसाधनों में वृद्धि करने को ध्यान में रखते हुए बजट 2012-13 में विदेशी वाणिज्यिक उधार पर पांच पहलों की घोषणा की गयी थी। इनमें शामिल हैं : (1) बिजली क्षेत्र हेतु रुपया ऋणों के पुनः वित्तपोषण की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना (2) सड़कों तथा राजमार्गों पर टोल प्रणालियों के रखरखाव तथा प्रचालनों हेतु पूंजीगत व्यय हेतु ईसीबी की अनुमति देना (3) कम लागत/सुलभ आवासीय परियोजनाओं हेतु ईसीबी की अनुमति देना (4) एयरलाइन उद्योग हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं हेतु ईसीबी की अनुमति देना (5) विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज भुगतान पर विदहोल्डिंग कर की दर में तीन वर्षों हेतु (जुलाई 2012-जून, 2015) 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।

1.65 ईसीबी के अंतर्गत नई योजना :

दिनांक 25 जून, 2012 को ईसीबी हेतु एक नई योजना जोड़ने का निर्णय लिया गया था। विनिर्माण तथा अवसंरचना क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों अब अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रुपया ऋण के पुनर्भुगतान तथा/अथवा ताजा रुपया पूंजीगत व्यय हेतु 10 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक ईसीबी प्राप्त कर सकते हैं। कम्पनियों को ईसीबी की अनुमति विदेशी मुद्रा अर्जनों

30 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

तथा ईसीबी की चुकौती हेतु उसकी क्षमता के आधार पर दी जाएगी।

1.66 ईसीबी पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीईसीबी) की 22 अगस्त, 2012 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय

- * कुछ परिस्थितियों की शर्त पर एमएसएमई क्षेत्र को आगे उधार लेने हेतु सिडबी को पात्र उधारकर्ता के रूप में ईसीबी तक पहुंच की अनुमति दी है।
- * कम लागत/वाजिब कीमत वाले हाउसिंग यूनितों के सम्भावित खरीददारों के वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक /आवास वित्त पोषण कम्पनियों को ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति दी गयी है।
- * बजट घोषणा 2012-13 के अनुसरण में कम लागत वाली आवासीय परियोजनाओं को ईसीबी की अनुमति दी गयी है।
- * ढांचागत बाध्यता योजना के अंतर्गत सभी कम्पनियों के न्यूनतम औसत परिपक्वता मापदण्ड को 7 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करके ऋण बढ़ोत्तरी की सुविधा दी गयी है। 45 बिलियन अमरीकी डालर की समग्र कारपोरेट बाण्ड सीमा के अंतर्गत 5 बिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष तक एफआईआई को भी इन बाण्डों में निवेश की अनुमति दी गयी है।
- * अवसंरचना क्षेत्र में पूंजीगत सामान के आयात हेतु क्रेता के ऋण के पुर्नभुगतान को कुछ शर्तों पर स्वचलित मार्ग के अंतर्गत रखा गया है। यह निर्णय भी लिया गया है कि ऐसे क्रेता के ऋण की परिपक्वता अवधि को अधिकतम पांच वर्षों हेतु बढ़ा दिया जाए।

1.67 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी के वित्तपोषण हेतु ईसीबी नीति में ढील

- * वर्तमान ईसीबी नीति की समीक्षा करने तथा सीमित समयावधि के भीतर सरकार को सीधे भुगतान करने हेतु निधियों के बड़े परिव्यय को ध्यान में रखते हुए हाल ही में हुई 2जी स्पेक्ट्रम


नीलामी हेतु निम्नलिखित ढील दी गयी हैं :

- * 2जी नीलामी में सफल बोलीदाता अग्रिम भुगतान हेतु घरेलू ऋणदाताओं से प्राप्त रुपया ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु कुछ शर्तों पर "स्वचालित मार्ग" के अंतर्गत दीर्घावधिक ईसीबी हेतु पात्र होंगे।
- * ऐसे बोलीदाता 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन हेतु अग्रिम भुगतान के उद्देश्य से (स्वचालित मार्ग) के अंतर्गत ब्रिज फाइनेन्स के रूप में अल्पावधिक विदेशी मुद्रा ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं तथा कुछ शर्तों एवं निबन्धनों को पूरा करने पर स्वचालित मार्ग के अंतर्गत उसे दीर्घावधिक ईसीबी से बदल सकते हैं।
- * कुछ शर्तों को पूरा करने पर सफल बोलीदाताओं को "स्वचालित मार्ग" के अंतर्गत बिना किसी अधिकतम ईसीबी देनदारी-इक्विटी अनुपात के अपनी अंततः मूल कम्पनी से ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति भी दी जाएगी।

व्यापार

1.68 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार 2011 में विश्व में भारत उत्पादकों का 19वां सबसे बड़ा निर्यातक तथा 12वां सबसे बड़ा आयातक है तथा वैश्विक निर्यातों एवं आयातों में उसका भाग क्रमशः 1.7 प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत था। वाणिज्यिक सेवाओं में भारत 8वां सबसे बड़ा निर्यातक तथा 7वां सबसे बड़ा आयातक है तथा वैश्विक आयातों तथा निर्यातों में इसका भाग क्रमशः 3.3 प्रतिशत तथा 3.1 प्रतिशत था। 2011-12 में अमरीकी डालरों के अनुसार भारत का वस्तु व्यापार 21.3 प्रतिशत बढ़कर 304.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि आयात 32.3 प्रतिशत बढ़कर 489.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। व्यापार घाटा बढ़कर 184.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो कि 2010-11 के 118.6 बिलियन अमरीकी डालर से 55.6 प्रतिशत अधिक था। तथापि, वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप 2012-13 की पहली दो तिमाहियों में निर्यातों की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गयी (चित्र 1.12)।

चित्र 1.12: निर्यातों की कीमत (बिलियन अमरीकी डालर) तथा वृद्धि दर (प्रतिशत)



1.69 वर्ष 2011-12 में पेट्रोलियम पदार्थों (34.1 प्रतिशत) रसायन तथा संबंधित उत्पादों (28 प्रतिशत), कृषि तथा सम्बद्ध उत्पादों (57.8 प्रतिशत), समुद्री उत्पाद (31.3 प्रतिशत) तथा चमड़ा व विनिर्माण (22.7 प्रतिशत) में उच्च निर्यात वृद्धि हुई। इंजीनियरिंग सामान (16.9 प्रतिशत), कीमती पत्थर तथा आभूषण (15.9 प्रतिशत), वस्त्र (17.1 प्रतिशत) तथा बिजली का सामान (8.8 प्रतिशत) में मध्यम वृद्धि दर्ज हुई। कच्चे तेल के बढ़ते हुए दामों के साथ सोने तथा चांदी के दामों में बढ़ोतरी ने 2011-12 के आयात बिल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पेट्रोलियम, तेल तथा स्नेहक (पीओएल) आयात भारत के कुल आयात का लगभग 32 प्रतिशत था। सोने तथा चांदी के आयात का मूल्य 2009-10 में 29.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2011-12 में 61.5 अमरीकी बिलियन डालर हो गया। कुल आयात में सोने तथा चांदी का अंश 2005-06 के 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 12.6 प्रतिशत हो गया।

वैश्विक परिदृश्य

1.70 आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक के अक्टूबर, 2012 के संस्करण के मुताबिक 2012 में विश्व व्यापार की मात्रा (सामान तथा सेवाएं) में 3.2 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है जबकि 2010 में यह 12.6 प्रतिशत तथा 2011 में 5.8 प्रतिशत थी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के आयात में 2011 में हुई 4.4 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 2012 में 1.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के आयात में 2011 में हुई 8.8 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 2012 में 7.0 प्रतिशत वृद्धि की सम्भावना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं

में 2011 में हुई 5.3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2012 में 2.2 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है जबकि उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2011 में हुई 6.5 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 2012 में अनुमानित वृद्धि 4.0 प्रतिशत है।

वर्ष 2012-13 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान व्यापार निष्पादन:

1.71 वर्ष 2012-13 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान 167 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर निर्यातों ने पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में 6.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। 277.1 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर आयातों ने भी 2.7 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है। 95.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पीओएल पिछली तदनु रूप अवधि के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक थे। अप्रैल-अक्टूबर 2012 में पीओएल भिन्न आयात 181.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के मुकाबले 8.2 प्रतिशत कम हो गए। अप्रैल-अक्टूबर 2012 के दौरान व्यापार घाटा 110 बिलियन अमरीकी डालर था।

1.72 वर्ष 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) के पूर्वार्द्ध में कृषि और सम्बद्ध निर्यातों और रसायनों तथा संवर्धित उत्पाद निर्यातों ने क्रमशः 47.9 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वे क्षेत्र जिनमें निर्यातों में वृद्धि में गिरावट देखी गयी उनमें शामिल हैं: पेट्रोलियम एवं तेल उत्पाद (-14.8 प्रतिशत), इंजीनियरिंग वस्तुएं (-9.2 प्रतिशत), रत्न एवं जवाहरात (-9.1 प्रतिशत), वस्त्र (-8.9 प्रतिशत), इलक्ट्रॉनिक वस्तुएं (-7.0 प्रतिशत) और चमड़ा और विनिर्माण (-4.3 प्रतिशत)। आयातों में पीओएल आयातों

32 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

की वृद्धि में 6.1 प्रतिशत की कमी आई। आपूर्ति पक्ष में उल्लेखनीय बात थी 32.5 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के साथ सोने और चांदी में गिरावट की प्रवृत्ति दिखी। मोती, कीमती एवं अर्द्ध कीमती पत्थरों की आयात वृद्धि भी 39.8 प्रतिशत पर ऋणात्मक थी। अन्य कुछ प्रमुख वस्तुएं जिन्होंने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की, में शामिल हैं: मशीनरी (-7.6 प्रतिशत), कोयला, कोक और ब्रिकेट (-9.7 प्रतिशत) और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (-8.8 प्रतिशत)।

1.73 निर्यातों और आयातों का त्रैमासिक वृद्धि निष्पादन सारणी 1.27 में दर्शाया गया है कि पीओएल और पीओएल भिन्न निर्यातों, कुल निर्यातों की वृद्धि में 2011-12 की तीसरी तिमाही से गिरावट आनी शुरू हो गई थी और यह निर्यात वृद्धि 2012-13 की पहली और दूसरी तिमाही में ऋणात्मक हो गयी थी। पीओएल आयातों की वृद्धि में दोनो तरफ उतार-चढ़ाव देखा गया जो 2011-12 की पहली तिमाही में 52.5 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 की पहली तिमाही में (-)0.1 प्रतिशत रह गई और बाद में 2012-13 की दूसरी तिमाही में इसमें 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पीओएल भिन्न आयात वृद्धि जो 2011-12 की दूसरी तिमाही में 35.7 प्रतिशत के स्तर पर थी, कम होनी शुरू हो गई और इसने 2012-13 की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः (-)9.2 प्रतिशत और (-)6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

1.74 पीओएल भिन्न, स्वर्ण भिन्न और चांदी आयातों (जो पूंजीगत वस्तुओं के आयात और निर्यातों के लिए आवश्यक निवेशों और औद्योगिक गतिविधियों को प्रतिबिम्बित करते हैं) की वृद्धि में 2011-12 की पहली तिमाही से गिरावट आनी शुरू हो गई और यह 2012-13 की पहली तिमाही में (-)47.3 प्रतिशत पर ऋणात्मक हो गई। 2012-13 की दूसरी तिमाही में (-)12.5 प्रतिशत पर ऋणात्मक वृद्धि बनी रही। पूंजीगत वस्तुओं के आयातों (जिसमें मशीन

औजार, मशीनरी इलेक्ट्रीकल और गैर-इलेक्ट्रीकल दोनो यातायात उपस्कर, परियोजना वस्तुएं और धातु विनिर्माण शामिल हैं) जिन्होंने 2011-12 में 30.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी, कम होकर 2012-13 की दूसरी तिमाही में (-)11 प्रतिशत रह गई।

निर्यातों की संरचना एवं दिशा

1.75 वर्ष 2009-10 से 2012-13 के पूर्वार्द्ध में प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की प्रमुख वस्तुओं के गन्तव्य-वार निर्यात संयुक्त राज्य अमरीका और चीन को किए गए निर्यातों की संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन दर्शाते हैं। भारत से अमरीका को किए गए निर्यात के मामले में प्राथमिक उत्पादों के निर्यात का हिस्सा 2009-10 में 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 (अप्रैल-सितंबर) में 23.8 प्रतिशत हो गया। भारत से अमरीका को किए गए निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा उसी अवधि में 89.1 प्रतिशत से घटकर 71.4 प्रतिशत रह गया। इसमें आई यह गिरावट मुख्यतः वस्त्र तथा रत्न एवं जवाहरातों के निर्यातों में आई गिरावट के कारण थी। भारत से चीन को किए गए निर्यात के मामले में प्राथमिक उत्पादों का हिस्सा 65.7 प्रतिशत से कम होकर 41.0 प्रतिशत रह गया। इसका कारण उपस्कर एवं खनिजों की वृद्धि दर में आई गिरावट थी। भारत से चीन को किए गए निर्यात में विनिर्माण का हिस्सा इस अवधि के दौरान 32.2 प्रतिशत से बढ़कर 55.8 प्रतिशत हो गया, जो मुख्यतः इंजीनियरिंग वस्तुओं, वस्त्रों और रसायनों और संबंधित उत्पादों के हिस्से में वृद्धि और वस्त्रों की वृद्धि दरों में बढ़ोतरी के कारण था। भारत से यूरोपीय संघ को किए गए निर्यात के मामले में, प्राथमिक उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई और पेट्रोलियम उत्पादों के हिस्से में गिरावट आई जो अधिक वृद्धि दर से ऋणात्मक वृद्धि दर की ओर खिसक गई (सारणी 1.28)।

सारणी 1.27 : निर्यातों और आयातों की वर्षानुवर्ष वृद्धि

	2010-11				2011-12				2012-13	
	ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2
निर्यात	46.1	26.2	40.6	48.1	36.4	44.7	10.8	2.7	-4.3	-11.7
पीओएल निर्यात	95.6	42.0	21.5	52.1	76.2	53.5	21.5	3.2	-20.4	-8.7
पीओएल भिन्न निर्यात	39.6	23.4	45.1	47.3	29.1	42.9	8.8	2.5	-0.3	-12.3
आयात	44.3	31.3	17.2	24.1	36.3	40.0	29.5	24.7	-6.2	-0.9
पीओएल आयात	55.3	15.1	4.9	20.7	52.5	51.1	39.3	42.8	-0.1	12.7
पीओएल भिन्न आयात	40.3	38.9	22.6	25.7	29.7	35.7	25.8	16.8	-9.2	-6.7
पीओएल भिन्न और स्वर्ण और चांदी भिन्न आयात	36.0	77.5	49.4	23.9	123.1	34.2	26.1	19.4	-47.3	-12.5
निवल पीओएल आयात	40.9	33.3	18.3	26.1	16.2	35.9	25.8	16.2	1.5	-5.6

सारणी 1.28: प्रमुख बाजारों के निर्यातों की संरचना									
		प्रतिशत शेयर				वृद्धि दर			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
		अप्रैल-मार्च			(अप्रै.-सित.)	अप्रैल-मार्च			(अप्रै.-सित.)
I	प्राथमिक उत्पाद								
	विश्व	14.9	13.2	15.2	16.4	3.8	23.9	39.8	24.4
	स.रा.अमरीका	6.8	8.0	14.6	23.8	-13.5	52.8	149.4	147.1
	यूरोप	8.6	8.2	9.7	10.0	-5.7	22.2	33.8	-3.4
	चीन	65.7	51.5	55.7	41.0	26.9	4.7	24.8	-23.6
	अन्य	13.1	11.7	13.1	14.7	-1.7	31.7	35.7	24.2
II	विनिर्मित वस्तुएँ								
	विश्व	67.2	69.0	66.1	65.1	-5.9	44.2	16.1	-12.1
	स.रा.अमरीका	89.1	87.4	82.3	71.4	-8.7	27.0	27.9	-1.9
	यूरोप	73.2	72.1	74.9	75.6	-15.4	25.8	18.6	-14.7
	चीन	32.2	42.3	39.5	55.8	29.5	75.4	7.8	0.0
	अन्य	65.1	67.8	63.3	61.8	-2.5	53.4	13.6	-14.2
III	पेट्रोलियम, कूड एवं उत्पाद								
	विश्व	16.1	16.8	18.7	17.8	4.6	46.8	34.9	-15.5
	स.रा.अमरीका	2.3	3.7	3.6	3.8	180.3	110.9	30.1	-24.5
	यूरोप	16.9	18.8	15.0	13.9	45.4	42.7	-9.4	-7.2
	चीन	0.8	5.3	6.3	3.0	-8.4	745.2	38.1	-80.3
	अन्य	19.9	19.4	23.4	22.7	-3.9	43.6	47.0	-13.6
	कुल निर्यात								
	विश्व	100	100	100	100	-3.5	40.5	21.3	-8.0
	स.रा.अमरीका	100	100	100	100	-7.6	29.5	35.8	14.2
	यूरोप	100	100	100	100	-8.4	27.9	14.1	-12.7
	चीन	100	100	100	100	24.2	33.6	15.3	-19.7
	अन्य	100	100	100	100	-3.4	47.2	21.6	-9.6

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कर्माश्रियल इंटेलिजेन्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स (डीजीसीआईएण्डएस) आंकड़ों से गणना की गयी है।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14:

1.76 प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा निर्यात बाजारों के विविधीकरण की सहायता करके भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु सरकार ने 5.6.2012 को

विदेश व्यापार नीति के वार्षिक अनुपूरकों की घोषणा की है। श्रम प्रधान क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण एफटी उपाय बाक्स 1.3 में दिए गए हैं।

बाक्स 1.3: विदेश व्यापार नीति (2009-14) के वार्षिक अनुपूरक: कुछ महत्वपूर्ण उपाय

- एसएमई ने हथकरघा, हस्तशिल्प, गलीचे के लिए उपलब्ध दो प्रतिशत ब्याज सहायता योजना को 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दिया है और साथ ही इसे श्रम प्रधान क्षेत्रों नामशः खिलौने, खेल के सामान, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद और तैयार कपड़ों के लिए भी विस्तारित कर दिया।
- शुन्य शुल्क इपीसीजी योजना को 31 मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया गया है। किसी आवेदक को किसी अन्य कारोबार के लिए प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के लाभ दिलाने के बावजूद उन्हें यह योजना मुहैया करा कर इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया है।
- निर्यात बाधताओं के अनुरूप लेन-देन की लागतों को घटाते हुए नई पश्च-निर्यात इपीसीजी योजना आरंभ करना। निर्यातक यदि वे नकदी में शुल्क का भुगतान करके पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना चाहते हैं और बाद में निर्यात बाधताओं को पूरा करने के बाद ऋण शुल्क की पावती पाना चाहता है।
- इपीसीजी योजना के अन्तर्गत गलीचे, नारियल की जटा और जूट के निर्यातों के औसत स्तर को कायम करने की शर्तों को लागू नहीं किया गया है।
- देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, इपीसीजी योजना के अन्तर्गत निर्यात बाधता के 25 प्रतिशत की सामान्य निर्यात बाधता निर्धारित की गई है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिसूचित भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के जरिए विशिष्ट उत्पादों का निर्यातों में 1 प्रतिशत तक एफओबी कीमत तक के निर्यातों का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह लाभ इन निर्यातों के संबंध में विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत मुहैया कराए गए अन्य लाभों से अलग होंगे।
- 16 अभिज्ञात हरित प्रोद्योगिकी उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए, इपीसीजी योजना के तहत, इन उत्पादों के विनिर्माण के लिए निर्यात बाधताओं में 75 प्रतिशत सामान्य निर्यात बाधता घटाई गई है।
- अध्याय 1 से अध्याय 24 (दोनों शामिल) आईटीसी (एचएस) के तहत प्रतिष्ठा धारकके निर्यात उत्पादों को अब तक निर्यातित कृषि उत्पादों की 10 प्रतिशत एफओबी के समतुल्य शुल्क ऋण की प्राप्ति उपलब्ध कराई गई है ये पावतियां पूंजीगत वस्तुओं और कोल्डस्टोरेज इकाइयों, पैक हाउसों आदि के लिए उपकरणों हेतु जारी की जाती है। ये पावतियां पैक हाउसों को स्थापित करने के लिए 14 विनिर्दिष्ट उपकरणों के आयात के लिए पात्र होंगी।
- प्रतिष्ठा धारकों को कुछ विशिष्ट श्रम प्रधान क्षेत्रों में प्रोद्योगिकी उन्नयन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत वस्तुओं को आयात करने के लिए प्रतिष्ठा धारक प्रोत्साहन पावती (एसएचआरएस) जारी की जाती है। इन पावतियों की 10 प्रतिशत की मूल्य राशि पूर्व में आयातित पूंजीगत वस्तुओं के हिस्सों और घटकों का आयात करने के लिए उपयोग में लाने की अनुमति होगी।
- विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 की विभिन्न योजनाओं के तहत पावतियां अब घरेलू सामान के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रयोग में लाए जाने की अनुमति है।
- अल्जीरिया, अरूबा, आस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, मंगमार, नीदरलैंड, एन्टीलेस और यूक्रेन को फोक्स मार्केट स्कीम (एफएमएस) में शामिल किया गया है। यह योजना अब कुल 119 बाजारों को कवर करती है। बेलिज, चिली, इआई, साल्वेडर, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, मोरक्को और उरूग्वे को विशेष फोकस मार्केट स्कीम (स्पेशल एफएमएस) से जोड़ा गया है।
- 46 नई मर्केट लिंकड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एमएलएफपीएस) में लाई जा रही हैं, इससे पहली बार 12 नए बाजार शामिल किए जाने का प्रभाव दिखेगा। अध्याय 61 और अध्याय 62 में आने वाली मर्केटों के संबंध में सं.रा.अमरीका और यूरोप को किए जाने वाले निर्यात के लिए एमएलएफपीएस 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दी गई है।
- फोक्स प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस) सूची में 100 नई मर्केट जोड़ी गई हैं।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में व्यापार संबंधी वार्ता का दोहा दौर

1.77 दोहा दौर में 2008 के बाद बहुत कम प्रगति हुई। वर्तमान में व्यापार सुगमता के अतिरिक्त अन्य समितियों में कोई वार्ताएं नहीं हो रही हैं। व्यापार सुगमता के संबंध में विकसित देश दिसम्बर 2013 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किए जाने वाले डब्ल्यूटीओ के 9वें मंत्रालयीय सम्मेलन के लिए समय पर निर्णय लेने पर जोर दे रहे हैं। यद्यपि व्यापार सुगमता में निर्यात सुगमता भी शामिल है जो खासकर विकासशील देशों के हित में है। व्यापार सुगमता के क्षेत्र में आज वार्ता में शामिल अधिकांश प्रस्ताव आयात सुगमता के संबंध में है। चूंकि अधिकांश विकासशील देश संसाधन में अवरोध के कारण बड़े सुधार (खासतौर से निर्यात अवसंरचना से संबंधित) लाने की स्थिति में नहीं हैं, मुश्किल से ही उन्हें कोई लाभ होने की उम्मीद है। विकासशील देशों द्वारा प्रभावशाली अतिरिक्त बाजार पहुंच के जरिए प्राथमिक तौर पर उपलब्ध कराए गए लाभ मुख्यतः विकसित देशों और निर्यात करने वाले बहुत कम विकासशील देशों को ही मिलेंगे और कई विकासशील देशों के पहले से ही खराब व्यापार संतुलन को बिगाड़ देंगे। विकसित देशों द्वारा ध्यान में लाए जा रहे अन्य क्षेत्रों में सेवा के बहुपक्षीय करार और दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी करार है। वे डब्ल्यूटीओ की कार्यसूची में नई 21वीं शताब्दी के मसलों को भी आगे बढ़ा रहे हैं जिनमें शामिल हैं: निवेश, प्रतिस्पर्द्धा, सरकारी प्रबन्ध, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा वातारण आदि। भारत डब्ल्यूटीओ के 9वें मंत्रालयीय सम्मेलन के लिए सदस्यों के साथ कार्य कर रहा है जिससे कि दोहा दौरे के घटनाक्रम की कार्यसूची व्यर्थ न जाए।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

1.78 फरवरी 2006 में सेज (एसईजेड) अधिनियम और नियमावली अधिसूचित किए जाने से लेकर लगभग 6 वर्ष की छोटी सी अवधि में 585 सेज स्थापित किए जाने हेतु औपचारिक अनुमोदन किया जा चुका है और इनमें से 385 सेज अधिसूचित किए गए हैं। कुल सेज में 9,45,990 व्यक्तियों को मुहैया कराए गए कुल रोजगार में से फरवरी 2006 जब सेज अधिनियम लागू हुआ था, के बाद 8,111,286 व्यक्ति सृजित किए गए इन्फ्रीमेंटल रोजगार में है। ये अवसंरचना क्रियाकलापों हेतु डेवलपर्स द्वारा सृजित किए गए रोजगार से अलग हैं। कुल मिलाकर

160 सेज इस समय निर्यात क्रियाकलापों में लगे हुए हैं जिनमें से 93 आईटी/आईटीइएस हैं, 17 बहु-उत्पाद और 50 अन्य क्षेत्र विशिष्ट सेज हैं। इन सेजों में कुल मिलाकर 3622 ईकाइयां स्थापित है। सेज से किए गए निर्यात 2010-11 में ₹ 315,868 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 364,478 करोड़ रुपए के हो गए हैं और इन्होंने 15.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 30 सितम्बर 2012 को अर्थात् चालू वित्त वर्ष की 2012-13 की पहली दो तिमाही में सेज से किए गए कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,35,629 करोड़ रुपए के स्तर पर बने हुए हैं। 30 सितम्बर 2012 तक सेज में किया गया कुल निवेश लगभग ₹ 2,18,795 करोड़ रुपए है जिसके सेज अधिनियम 2005 के बाद नए गठित अधिसूचित सेज में ₹ 1,99,333 करोड़ रुपए शामिल हैं।

भारत के मुक्त व्यापार करार (एफटीए) की वर्तमान स्थिति

1.79 अभी तक भारत 10 मुक्त व्यापार करार, 5 सीमित अधिमानी व्यापार करार (आरटीए) सम्पन्न कर चुका है और 17 करारों को सम्पन्न कराने/वार्ता करने की प्रक्रिया में है। भारत के 2012 के महत्वपूर्ण व्यापार करार इस प्रकार है:

- भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश करार (बीटीआईए): वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, स्वच्छता और फिटो-स्वच्छता उपायों (एसपीएस) व्यापार में प्रौद्योगिकी अवरोध (टीबीटी), व्यापार सुगमता और सीमा सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा, आईपीआर एवं जीआईएस आदि के क्षेत्रों में 28 जून 2007 में वार्तालाप प्रारम्भ किया गया। अप्रैल 2012 में नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले 14वें दौर तक व्यापार संबंधी वार्ताओं के 14 दौरे आयोजित हुए।
- भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीइसीए)-सेवा और निवेश करार: आसियान-भारत व्यापार वार्ता समिति- सेवा संबंधी कार्य समूह के वार्ता के 14 दौर 19-21 सितम्बर को नई दिल्ली में आयोजित अंतिम बैठक में चले आसियान-भारत व्यापार वार्ता समिति-निवेश संबंधी कार्य समूह (एआईटीएनसी-डब्ल्यूजीआई) के वार्ता के 16 दौर आयोजित हुए। अंतिम बैठक 17-19 अक्टूबर 2012 को जकार्ता, इण्डोनेशिया में आयोजित की गई।

- भारत-थाइलैंड सीका: शीघ्र फसल योजना के (इएचएस) के अन्तर्गत दोनो पक्षों ने अनुक्रमिक शुल्क निष्कासन हेतु 82 सामान्य वस्तुओं की सूची मंजूर की। दोनो पक्षों द्वारा सितम्बर 2004 और 31 अगस्त 2006 के मध्य एक साथ इन वस्तुओं पर शुल्क हटाया गया। भारत-थाइलैंड व्यापार वार्ता समिति (आईटीटीएनसी) की 26वीं वार्ता का दौर 26-27 नवम्बर 2012 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
- भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (इएफटीए) भारत-यूरोपीय व्यापक व्यापार और निवेश करार (बीटीआईए) (आइलैंड, नार्वे, नियोन्से और स्विटजरलैण्ड): वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, निवेश, एसपीएस, टीबीटी, व्यापार उपाय, सरकारी प्राप्ति, सीमा सहयोग, और व्यापार सुगमता, विवाद निपटान प्रतिस्पर्द्धा और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के विषयों पर वार्ताएं हुईं। नई दिल्ली में 5-7 मार्च 2012 के दौरान वार्ता के 11 दौर आयोजित किए गए। वस्तुओं, सेवाओं और आईपीआर मसलों पर अन्तर-आवधिक बैठकें 27-29 अगस्त 2012 के दौरान दिल्ली में आयोजित की गईं।
- भारत-न्यूजीलैण्ड एफटीए/सीडीसीए: जून 2012 में न्यूजीलैण्ड में वार्ता का आठवां दौर आयोजित किया गया।
- भारत इजराइल एफटीए: वार्ता का पांचवां दौर नई दिल्ली में 14-16 अगस्त 2012 को सम्पन्न किया गया था।
- भारत-सिंगापुर सीका (सीडीसीए): भारत सिंगापुर सीका की दूसरी समीक्षा बैठक प्रमुख वार्ता स्तर पर नई दिल्ली में 1-2 नवम्बर 2012 को सम्पन्न हुई।
- भारत-चिली पीटीए: उत्पाद कवरेज बढ़ाने और अधिक वरियता देकर पीटीए का विस्तार किया गया। भारत-चिली पीटीए के विस्तार संबंधी पांचवी बैठक 3-4 अगस्त 2012 के दौरान आयोजित की गई।
- भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीपा): वार्ता का छठा दौर नवम्बर 2012 में आयोजित किया गया।
- भारत-आस्ट्रेलिया: वार्ताओं का पहला दौर जुलाई 2011 में सम्पन्न हुआ था। वार्ता का तीसरा दौर आस्ट्रेलिया में 24-25 मई 2012 को और चौथा दौर नई दिल्ली में 8-9 नवम्बर 2012 को आयोजित किया गया।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.80 वैश्विक अर्थव्यवस्था का माहौल अनिश्चितताओं से घिरे यूरो क्षेत्र और अमरीका में छाए वित्तीय संकट से चिन्ताजनक बना हुआ है। गहराते ग्रीक ऋण संकट, स्पेन में बड़ी राजकोषीय और बैंकिंग समस्या पश्चिमी देशों में सामाजिक अशान्ति, बैंकिंग सुविधा लेने में धीमी प्रगति और महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक भतैक्य बनाने में कठिनाइयों के कारण यूरो क्षेत्र खासतौर से बड़े जोखिम पर है।

1.81 जहां यूरोपीय केन्द्रीय बैंक द्वारा घोषित आउटराइट मौद्रिक लेनदेन ने क्षणिक राहत दी है, निवेशकों का जोखिमपूर्ण/ जोखिम रहित रुख बाजार पर हावी बना हुआ है और मौद्रिक कठोरता तथा स्टाक बाजार में अस्थिरता को बढ़ा रहा है। उसी अवधि में विकसित देशों में दर्ज कम ब्याज दरें और प्रमात्रात्मक सुगमता ने प्राप्तियों के रास्ते खोजने में योगदान किया है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि 2008 के संकट से एक दम पहले चल रहा था। चीन, ब्राजील और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मंदी, जो 2008 के संकट के बाद तेजी से बढ़ी थी, ने वैश्विक आर्थिक परेशानियां बढ़ा रखी हैं। अनिश्चित वैश्विक माहौल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को निर्यातों में आई गिरावट, रुपए के अवमूल्यन और निवेश में आई कमी के माध्यम से प्रभावित किया है और व्यापार और चालू खाता घाटे को बढ़ाया तथा अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट हुई है।

1.82 आईएमएफ ने अपने नवीनतम आर्थिक मूल्यांकन (वैश्विक इकॉनॉमिक आउटलुक अक्टूबर, 2012) में वैश्विक आर्थिक माहौल में बदतर स्थिति और जोखिम बढ़ने के संकेतों को इंगित किया है जिसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2012 में 3.3 प्रतिशत तथा 2013 में 3.6 प्रतिशत बढ़ने का पूर्वानुमान है जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2012 में विकास दर 1.3 प्रतिशत बढ़ने का पूर्वानुमान है। आईएमएफ के अनुसार 2012 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकास औद्योगिक दिशा में हुआ है। चीन और भारत जैसी तेजी से बढ़ रही बाजार अर्थव्यवस्था में 2012 में अपेक्षाकृत कम विकास दर रहने का पूर्वानुमान है। बाजार मूल्यों (2004-05 के मूल्यों) पर भारत का सरल घरेलू उत्पाद 2012 में 4.9 प्रतिशत और 2013 में 6.0 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान है। चीन में विकास दर 2012 में 7.8 प्रतिशत तथा 2013 में 8.2 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान है। विश्व व्यापार की प्रमात्रा में वृद्धि 2010 में 12.6 प्रतिशत से कम होकर 2011 में 5.8 प्रतिशत तथा और कम होकर इस वर्ष 3.2 प्रतिशत तक रहने का पूर्वानुमान है। (सारणी 1.29)

सारणी 1.29: वैश्विक आर्थिक संभावनाएं

क्रम सं.	मद	2010	2011	2012 अ.	2013 अ.
I	विश्व का उत्पादन (प्रतिशत परिवर्तन)	5.1	3.8	3.3	3.6
क	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	3.0	1.6	1.3	1.5
ख	उभरते हुए बाजार और विकासशील देश	7.4	6.2	5.3	5.6
	चीन	10.4	9.2	7.8	8.2
	भारत	10.1	6.8	4.9	6.0
II	उभरते बाजारों और विकासशील देशों को निवल पूंजी प्रवाह (बिलियन अमरीकी डालर)				
i	निवल निजी पूंजी प्रवाह (क+ख+ग)	604.7	503.0	268.3	399.6
	क) निवल निजी प्रत्यक्ष निवेश	392.0	462.4	393.8	409.0
	ख) निवल निजी पोर्टफोलियो निवेश	240.8	129.7	133.0	150.9
	ग) निवल अन्य निजी पूंजी प्रवाह	-28.1	-89.1	-258.6	-1 60.2
ii	निवल सरकारी प्रवाह	62.8	-108.3	-51.8	-89.2
III	वस्तुओं और सेवाओं में विश्व व्यापार				
i	व्यापार की मात्रा	12.6	5.8	3.2	4.5
ii	निर्यात की मात्रा				
	क) उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	12.0	5.3	2.2	3.6
	ख) उभरते बाजार और विकासशील देश	13.7	6.5	4.0	5.7
IV	चालू खाता शेष (सघट का प्रतिशत)				
i	अमरीका	-3.2	-3.1	-3.1	-3.1
ii	चीन	5.2	2.8	2.3	2.5
iii	भारत	-2.6	-3.4	-3.8	-3.3
iv	मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीका	7.7	14.2	12.2	10.6

स्रोत: वर्ल्ड इकनामिक आउटलुक, अक्टूबर 2012, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

टिप्पणी : अ.अमुमान, # क्रय शक्ति समानताओं पर विनिमय दरों पर आधारित वृद्धि दरें @ वस्तुओं और सेवाओं के विश्व के निर्यातों और आयातों हेतु वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन का औसत।

भुगतान शेष

वर्ष 2011-12 के दौरान भुगतान शेष संबंधी घटनाक्रम

1.83 वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान भारत का भुगतान शेष दबाव में था क्योंकि व्यापार और चालू खाता घाटा बढ़ गया था। यद्यपि पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी हुई थी लेकिन चालू खाता घाटों को वित्तपोषित करने में कम पड़ गए और जिसके परिणामस्वरूप भंडार से आहरण में कमी आई। 2011-12 में निर्यातों ने पहली बार 300 बिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा पार किया और इसमें 23.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वर्ष 2010-11 में 250.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2011-12 में 309.8 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया। यह सुधार निर्यात वस्तु समूह की संरचना में हुए अवसंरचनागत बदलाव से आया जो श्रम प्रधान विनिर्माण से उच्चतर मूल्यवर्धित इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम उत्पादों साथ ही निर्यात गन्तव्यों के विविधीकरण तथा हाल के वर्षों में विकासशील देशों में, भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार

बनने से आया। आयातों ने भी 2010-11 में 381.1 बिलियन अमरीकी डालर से 2011-12 में 499.5 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचकर इसी तरह की 31.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक मंदी और उस पर इसके समग्र प्रभाव ने कच्चे तेल व सोने की कीमत बढ़ाकर इसे दोहरा कर दिया वे व्यापार घाटे को तेजी से बढ़ाने के लिए उत्तरदायी थे। सही मायने में व्यापार घाटा 2010-11 के दौरान 130.6 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 7.8 प्रतिशत) के मुकाबले 2011-12 में 189.8 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 10.3 प्रतिशत) बढ़ गया।

1.84 निवल अदृश्य प्राप्ति शेष में उल्लेखनीय सुधार देखा गया जो 2010-11 के दौरान 84.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2011-12 के दौरान 111.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया और इसने 31.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि के कारण, अदृश्य भुगतानों में कमी आई। सरल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के

रूप में निवल अदृश्य प्राप्ति शेष में सुधार हुआ और यह 2010-11 में 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 6.0 प्रतिशत हो गया। चालू खाता घाटा 2011-12 में सघउ अनुपात के साथ-साथ वास्तविक सन्दर्भ दोनों में व्यापक हो गया, यह पेट्रोलियम तेल और लूब्रिकेंट (पीओएल) के मूल्य निरपेक्ष आयातों और स्वर्ण एवं चांदी के अपेक्षाकृत अधिक आयात, कम हुई विदेशी मांग के कारण व्यापार घाटा व्यापक हुआ, प्रतिबिम्बित हुआ। 2011-12 में चालू खाता घाटा 78.2 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर सघउ का 4.2 प्रतिशत था जबकि 2010-11 में यह 45.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर सघउ का 2.7 प्रतिशत था। निवल पूंजी प्रवाह मुख्यता अपेक्षाकृत अधिक एफ डी आई अन्तर्वाहों और एनआरआई जमाराशियों के कारण 2010-11 में 62.0 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 2011-12 में 67.8 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर अधिक थे।

1.85 निवल एफडीआई (आवक एफडीआई घटा जावक एफडीआई) 2010-11 में 9.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2011-12 में 22.1 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक थी जिसकी वजह 2010-11 में 25.9 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 2011-12 में 33.0 बिलियन अमरीकी डालर की उच्चतर आवक एफडीआई थी। इसके विपरीत जावक एफडीआई 2010-11 में 16.5 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले घटकर 2011-12 में 10.9 बिलियन अमरीकी डालर रह गई। पोर्टफोलियो निवेश, में निवल अंतर्वाह में उल्लेखनीय कमी देखी गई और ये 2010-11 में 30.3 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 2011-12 में 17.2 बिलियन अमरीकी डालर के थे। यह एफआईआई अन्तर्वाह में आई कमी के कारण था जो 2010-11 में 29.4 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 2011-12 में 16.8 बिलियन अमरीकी डालर के रह गये थे। निवल विदेशी वाणिज्यिक उधार (इसीबी) अन्तर्वाह 2010-11 में 12.5 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 2011-12 में 10.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गए थे। इसी तरह, अल्पाधिक व्यापार ऋण 2010-11 में 11.0 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 2011-12 में 6.7 बिलियन अमरीकी डालर रह गए थे। बाद में विदेशी सहायता 2010-11 में 4.9 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 2011-12 में 2.3 बिलियन अमरीकी डालर रह गई थी। बैंकिंग पूंजी जिसमें एनआरआई जमाराशियां शामिल हैं, में तथापि 2010-11 में (3.2 बिलियन अमरीकी डालर की एनआरआई जमाराशियों सहित) 5.0 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 2011-12 में 16.2 बिलियन अमरीकी डालर 11.9 बिलियन अमरीकी डालर की एनआरआई जमाराशियों सहित के स्तर पर तीन गुणा से भी अधिक वृद्धि देखी गई।

1.86 पूंजी खाता शेष 2010-11 में 62.0 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से बढ़कर 2011-12 में 67.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया इसमें 9.4 प्रतिशत का मामूली सुधार देखा गया। तथापि सघउ के प्रतिशत के रूप में यह वर्ष 2011-12 में यह 3.7 प्रतिशत के समान स्तर पर बना रहा जिस स्तर पर वह 2010-11 में कायम

था। जैसे ही पूंजी खाता अधिशेष चालू खाता घाटा को वित्तपोषित करने के लिए कम पड़ेगा वैसे ही 2010-11 में 13.1 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त के मुकाबले 2011-12 के दौरान 12.8 बिलियन अमरीकी डालर की राशि तक (भुगतान शेष के आधार पर) शेषों से आहरण में कमी आएगी।

2012-13 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2012) के दौरान भुगतान शेष संबंधी घटना क्रम

1.87 निर्यातों में 2011-12 की पहली तिमाही के दौरान 78.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर की तुलना में 2012-13 की पहली तिमाही (1 अप्रैल-जून 2012) में 76.7 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर 2.4 प्रतिशत की अनुत्पणात्मक वृद्धि दर्ज हुई जिस पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में छाई मंदी को व्यापक प्रभाव दिखा। आयातों में 2011-12 की पहली तिमाही के दौरान 123.7 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 119.2 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर 3.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। यह संभवतः घरेलू आर्थिक क्रियाकलापों में आई कमी और निर्यातों में आई कमी के कारण था। पीओएल आयातों, स्वर्ण और चांदी के आयातों में भी गिरावट आई जो पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में 123.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में तेजी से कम होकर 48.6 प्रतिशत रह गए। इसी तरह तेल भिन्न, स्वर्ण भिन्न आयातों में भी पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट आई। निर्यात में वृद्धि की तुलना में आयातों में आई तीव्र गिरावट के साथ व्यापार घाटा 2011-12 की पहली तिमाही में 45.0 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले कम होकर 2012-13 की पहली तिमाही में 42.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गया।

1.88 निवल अदृश्य प्राप्ति शेषों में मामूली कमी देखी। इन्होंने 2011-12 की पहली तिमाही में 27.5 बिलियन अमरीकी डालर से कम होते हुए 2012-13 की पहली तिमाही में 25.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर 5.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। निवल अदृश्य शेषों में आई गिरावट का मुख्य कारण सेवा अन्तर्वाहों में आई कमी थी। जो 2011-12 की पहली तिमाही में 16.4 बिलियन अमरीकी डालर से मुकाबले 2012-13 की पहली तिमाही में 14.2 बिलियन अमरीकी डालर रह गए थे। तथापि, 2012-13 की पहली तिमाही के दौरान 15.2 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर निवल सॉफ्टवेयर सेवाएं (2011-12 की पहली तिमाही में 14.6 बिलियन अमरीकी डालर) और 2012-13 की पहली तिमाही 16.8 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर निजी अन्तरणों में (2011-12 की पहली तिमाही में 14.8 बिलियन अमरीकी डालर) उछाल रहे। चालू खाता घाटा (कैड) 2012-13 की पहली तिमाही में 16.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर मामूली सा कम था जबकि 2011-12 की तदनु रूप अवधि में यह 17.5 बिलियन अमरीकी डालर का था।

1.89 वैश्विक वित्तीय बाजारों में उच्चतर स्तर की भेद्यता यूरो क्षेत्र के संकट के कारण की और 2012-13 की पहली तिमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधियों में आई कमी का भारत के पूंजी प्रवाह पर प्रभाव बना रहा।

1.90 निवल पूंजी प्रवाह 2012-13 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2012) में 17.0 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर अपेक्षाकृत कम रहे जबकि विगत वर्ष में इसी तदनुरूप अवधि में ये 23.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर थे। निवल एफडीआई अप्रैल-जून 2011 में 9.3 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले पहली तिमाही अप्रैल-जून 2012 में 4.2 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर (आवक एफडीआई घटा जावक एफडीआई) अपेक्षाकृत कम थे। निवल एफडीआई में आई यह गिरावट 2012-13 में अपेक्षाकृत कम आवक एफडीआई के कारण थी। पोर्टफोलियो निवेशों में 2011-12 की पहली तिमाही में 2.5 बिलियन अमरीकी डालर के अन्तर्वाहों की तुलना में 2012-13 की पहली तिमाही में 1.9 बिलियन अमरीकी डालर के ऋणात्मक प्रवाह देखे गए। निवल विदेशी वाणिज्यिक उधारों में अप्रैल-जून 2011 में 3.1 बिलियन

अमरीकी डालर के मुकाबले अप्रैल-जून 2012 में 1.0 बिलियन अमरीकी डालर की उल्लेखनीय कमी आई। इसी तरह बैंकिंग पूंजी अन्तर्वाह 2011-12 की पहली तिमाही में 12.7 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 2012-13 की पहली तिमाही के 9.4 बिलियन अमरीकी डालर के रह गए। हालांकि अल्पावधिक व्यापार ऋण अप्रैल-जून 2011 में 3.1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-जून 2012 के 5.4 बिलियन अमरीकी डालर के हो गए।

1.91 परिणामस्वरूप पूंजी खाता शेष 2011-12 की पहली तिमाही में 23.9 बिलियन अमरीकी डालर से घट कर 2012-13 में 17.0 बिलियन अमरीकी डालर का रह गया। 2010-11 से 2012-13 (2012 की पहली तिमाही तक) के दौरान भारत के भुगतान शेषों का घटनाक्रम नीचे सारणी 1.30 में दर्शाया गया है:

सारणी 1.30: 2011-12 और 2012-13 की पहली तिमाही के दौरान भारत के भुगतान शेषों की प्रमुख मदे
(बिलियन अमरीकी डालर)

क्रम सं.	मद	2010-11	2011-12 (अंस.)	2011-12 (अं.सं.)	2012-13 (आ)
		पूरे वर्ष	पूरे वर्ष	पहली तिमाही अप्रैल-जून	पहली तिमाही अप्रैल-जून
1	निर्यात	250.5	309.8	78.6	76.7
2	आयात	380.9	499.5	123.7	119.2
3	व्यापार शेष	(-)130.5	- 189.8	- 45.0	- 42.5
4	निवल अदृश्य प्राप्तियां	86.2	64.1	27.5	25.9
5	वस्तुएं एवं सेवाएं शेष	(-) 82.8	- 125.7	- 28.6	- 28.3
6	चालू खाता शेष	(-) 44.3	- 78.2	- 17.5	-16.6
7	विदेशी सहायता (निवल)	4.9	2.3	0.3	- 0.2
8	वाणिज्यिक उधार (निवल)	11.9	10.3	3.1	1.0
9	एफडीआई (निवल)	7.1	22.1	9.3	4.2
10	पोर्टफोलियो	30.3	17.2	2.5	- 1.9
11	पूंजी खाता शेष	59.7	67.8	23.9	17.0
12	भूल चूक	-2.4	- 2.4	- 0.9	0.1
13	समग्र शेष	13.1	- 12.8	5.4	0.5
14	आरक्षित निधि में परिवर्तन (-वृद्धि के लिए; +कमी के लिए) (बीओपी आधार पर)	(-) 13.1	12.8	- 5.4	- 0.5
	ज्ञापन मर्दे/पूर्वानुमान				
1	व्यापार शेष/स.घ.उ (%)	(-) 7.8	- 10.3		
2	वस्तुएं एवं सेवाएं शेष/स.घ.उ (%)	(-) 4.9	- 6.8		
3	अदृश्य शेष/स.घ.उ (%)	4.9	6.0		
4	चालू खाता शेष/ स.घ.उ (%)	(-) 2.7	- 4.2		
5	निवल पूंजी प्रवाह/स.घ.उ (%)	3.7	3.7		

टिप्पणी: अं.सं: अंशतः संशोधित, आ: आरंभिक आकड़ों का पूर्णकित के कारक मिलान नहीं हो सकता

40 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

1.92 पूंजी अन्तर्वाहो के संबंध में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, निवल एफडीआई अन्तर्वाह अप्रैल-सितम्बर 2012 के दौरान 12.8 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर थे जबकि 2011-12 की इसी तदनु रूप अवधि में थे 15.4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर थे। एफआईआई अन्तर्वाह अप्रैल-सित. 2011 में 0.9 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-सितम्बर 2012 के दौरान 6.2 बिलियन अमरीकी डालर के हो गए थे। इसीबी स्वीकृत राशियां एक वर्ष पहले के 18.2 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले अप्रैल-सितम्बर 2012 के दौरान 14.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर थी अनिवासी भारतीय जमाराशिया अप्रैल-सितम्बर 2012 में 8.9 बिलियन अमरीकी डालर बनी जबकि 2011-12 की इसी अवधि में 3.9 बिलियन अमरीकी डालर की थी।

विदेशी मुद्रा भंडार

1.93 विदेशी मुद्रा भंडार मार्चन्त 2011 में 304.8 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था। वित्त वर्ष 2011-12 में विदेशी मुद्रा भंडार अगस्त अन्त 2011 में 322.0 बिलियन अमरीकी डालर के शिखर पर पहुंच गया। हालांकि, बाद में इसमें गिरावट आई और मार्चन्त 2012 में यह 294.4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था। चालू वित्त वर्ष 2012-13 में विदेशी मुद्रा भंडार पहली तिमाही में 289.7 बिलियन अमरीकी डालर से 4.7 बिलियन अमरीकी डालर कम हो गया। सितम्बर 2012 को समाप्त दूसरी तिमाही के अंत (सित. अंत 2012) में यह 294.8 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था। अक्टूबर अन्त 2012 में यह 295.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था। विदेशी मुद्रा भंडार का देश वार ब्यौरा दर्शाता है कि भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले सबसे बड़े देशों में से एक बना हुआ है सितम्बर अन्त 2012 की स्थिति अनुसार चीन, जापान, रूस, स्विटजरलैण्ड, ब्राजील, हांगकांग के

बाद 7 वां सबसे बड़ा भारत सर्वाधिक विदेशी भंडार रखने वाला देश है। (सारणी 1.31)

विनियम दर

1.94 2011-12 में विनियम दर में घट-बढ़ दर्शाती है कि अमरीकी डालर के मुकाबले रुपए की मासिक औसत विनियम दर का अवमूल्यन हुआ यह मार्च 2011 में 44.97 रुपए प्रति अमरीकी डालर से घटकर मार्च 2012 में 50.32 रुपए प्रति अमरीकी डालर रह गई। इसी तरह बिन्दु पर बिन्दु आधार पर रुपए की औसत विनियम दर (एफईडीएआई की औसत क्रय और विक्रय दर) का 12.7 प्रतिशत तक अवमूल्यन हुआ। यह 31 मार्च 2011 में 44.65 रुपए प्रति अमरीकी डालर से गिरकर 30 मार्च 2012 को 51.16 रुपए प्रति अमरीकी डालर रह गई।

1.95 रुपए की विनियम दर में अस्थिरता को कम करने के लिए आरबीआई ने 2011-12 में 20.1 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के अमरीकी डालरों की बिक्री के जरिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। बाद में, 2011 के उत्तरार्ध में रुपए के तेजी से हुए अवमूल्यन को देखते हुए, आरबीआई ने कई नितिगत उपायों की घोषणा की थी जो विदेशी मुद्रा बाजार में बैंको और कारपोरेटों के अटकलबाजी वाली प्रतिक्रियाओं पर रोक लगाने पर लक्षित थे। पूंजी प्रवाह को सूसाध्य बनाने और विदेशी मुद्रा भंडार की आपूर्ति बढ़ाने के लिए निर्माताओं को प्रोत्साहन देने हेतु कई उपाय किए गए हैं।

1.96 चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रुपए की मासिक औसत विनियम दर में फिर से गिरावट की प्रवृत्ति दिखी। इसमें अप्रैल 2012 में 2.9 प्रतिशत, मई में 4.9 प्रतिशत और पिछले माह की तुलना में जून 2012 में 2.8 प्रतिशत की कमी आई। जून माह 2012 में रुपए ने 30 मार्च 2012 को 51.16 रुपए प्रति अमरीकी डालर के स्तर पर 10.6 प्रतिशत के अवमूल्यन को प्रतिबिम्बित करते हुए 27 जून 2012 को 57.22 रुपए प्रति अमरीकी डालर के न्यूनतम आकड़े को छू लिया।

सारणी 1.31 : कुछ प्रमुख देशों का विदेशी मुद्रा भंडार

(बिलियन अमरीकी डालर)

क्रम. सं.	देश	विदेशी मुद्रा भंडार सितम्बर 2012 के अंत में,
1	चीन	3285.0
2	जापान	1277.0
3	रूस	529.9
4	स्विटजरलैंड	525.0
5	ब्राजील	378.7
6	चीन पी आर हांगकांग (अगस्त 2012)	298.2
7	भारत	294.8
8	जर्मनी	263.9
9	फ्रांस	190.3
10	थाइलैण्ड	183.6

स्रोत: आईएमएफ, चीन को छोड़कर, 1 नवम्बर 2012 की द इकॉनामिस्ट के अनुसार ताइवान का अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडार दूसरी तिमाही में 391.2 बिलियन के स्तर पर दर्शाया गया है।

सारणी 1.32: विदेशी मुद्रा बाजार में प्रति विदेशी मुद्रा रुपए की विनिमय दरें और आरबीआई द्वारा अमरीकी डालर की बिक्री/खरीद*

महीना	अमरीकी डालर	पौंड स्टर्लिंग	यूरो	जापानी येन **	आरबीआई निवल बिक्री (-) / खरीद (+) (मिलियन अमरीकी डालर)
2011-12 (वार्षिक औसत)	47.9229	76.3912	65.8939	60.7484	- 20,138
	(-4.9)	(-7.2)	(-8.6)	(-12.3)	
मार्च 2012	50.3213	79.6549	66.5307	61.0259	-
	(-2.3)	(-2.5)	(-2.1)	(2.8)	
2012-13 (मासिक औसत)					
अप्रैल 2012	51.8029	82.9414	68.1617	63.8139	-275
	(-2.9)	(-4.0)	(-2.4)	(-4.4)	
मई 2012	54.4735	86.7202	69.6991	68.3286	-485
	(-4.9)	(-4.4)	(-2.2)	(-6.6)	
जून 2012	56.0302	87.1349	70.3087	70.6743	-50
	(-2.8)	(-0.5)	(-0.9)	(-3.3)	
जुलाई 2012	55.4948	86.5173	68.2520	70.2809	-785
	(1.0)	(0.7)	(3.0)	(0.6)	
अगस्त 2012	55.5598	87.2492	68.8750	70.6814	-452
	(-0.1)	(-0.8)	(-0.9)	(-0.6)	
सितम्बर 2012	54.6055	87.8663	70.1263	69.9084	-10
	(1.7)	(-0.7)	(-1.8)	(1.1)	

* अप्रैल 2012 तक के आंकड़े एफईडीएआई सांकेतिक बाजार दरों पर आधारित हैं। मई 2012 से आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दरों पर आधारित हैं। ** प्रति 100 येन
टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले माह/वर्ष की तुलना में मूल्य वृद्धि(+) और मूल्य ह्रास (-) दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई। कुछ प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन के कारण संभवतः मिलान नहीं हैं।

1.97 रुपए के मूल्य में आई गिरावट ने एफआईआई अन्तर्वाह में आई गिरावट और व्यापार और चालू खाता बढ़ने के कारण, घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में मांगू आपूर्ति में आए अंसतुलन का भी संकेत दिया। रुपए के इस अवमूल्यन को अन्तराष्ट्रीय बाजार में अमरीकी डालर के मजबूत होने और यूरो क्षेत्र में उभरे संकट के कारण यूरो के अवमूल्यन से आंशिक तौर पर स्पष्ट किया जा सकता है। वैश्विक कारको के अतिरिक्त कई घरेलू कारक भी हैं जिन्होंने रुपए के मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति को बढ़ाया, इसमें शामिल है निरंतर बनी उच्च मुद्रास्फाति। 2012-13 की दूसरी तिमाही में रुपए की मासिक औसत विनिमय दर जुलाई 2012 में एक प्रतिशत और पिछले माह की तुलना में सितम्बर में 1.7% बढ़ी। जबकि अगस्त के महीने में यह मामूली सी 0.1 प्रतिशत कम हो गई। (सारणी 1.32)

1.98 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को लुभाने के लिए किए गए घरेलू नीतिगत उपायों के साथ साथ सितम्बर 2012 में यूएस फेडरल रिजर्व व जापान के बैंक दोनों द्वारा की गई मात्रात्मक सुलभता की घोषणा ने रुपए को मजबूत करते हुए भारत के पूंजी अन्तर्वाह को बढ़ाने में योगदान दिया। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने 2012-13 (अप्रैल-अगस्त 2012) में लगभग 2.0 बिलियन अमरीकी डालर का विक्रय किया। जिसके परिणामस्वरूप 5 अक्टूबर

2012 को रुपए के मूल्य में सुधार हुआ और यह 51.66 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गया। रुपया हालांकि व्यापार खाते पर दबाव पड़ने और तेल आयातित फर्मों से डालर की मांग होने के कारण 8 अक्टूबर 2012 को फिर से कमजोर पड़ गया।

1.99 यह नोट किया जाए कि 2012-13 में विनिमय दर का मूल्यह्रास सिर्फ भारत में ही नहीं है। अधिकांश उभरती बाजारों की मुद्राओं का अनिश्चित वैश्विक आर्थिक माहौल के कारण अवमूल्यन हुआ है। मार्च 2012 से अक्टूबर 2012 के मध्य रुपए के मूल्य में गिरावट (5.6 प्रतिशत) बड़े ईएमई की मुद्राओं की अपेक्षा कम है जैसे अफ्रीका रेंड (11.1 प्रतिशत) ब्राजील के रील (9.8 प्रतिशत) रूसी रुबल (6.5 प्रतिशत) जिन्होंने पूंजी अन्तर्वाहों के संबंध में किए गए हालिया नीतिगत उपायों के अनुकूल प्रभाव प्रतिबिम्बित किए हैं। रुपए का 6- मुद्रा व्यापार आधारित रीर (आधार: 2004-05=100) का 5.5 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ यह मार्च 2011 से मार्च 2012 की मध्य 115.97 से 109.59 रह गया। 2012-13 के दौरान अभी तक (सितम्बर 2012 तक) 104.24 के स्तर पर 6 मुद्रा सूचकांकों ने मामूली सन्दर्भ में रुपए के अवमूल्यन को दर्शाते हुए 109.59 के सूचकांक के साथ मार्च 2012 में 5.6 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। (सारणी 1.33)

सारणी 1.33: भारतीय रूपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) तथा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) के सूचकांक (6—मुद्रा कारोबार आधारित भार)

आधार वर्ष 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100

मासिक	एनईईआर	पूर्ववर्ती अवधि / माह की तुलना में एनईईआर में वर्धन(+) / मूल्यहास (-)	आरईईआर (प्रतीशत)	पूर्ववर्ती अवधि/माह की तुलना में आरईईआर में वर्धन(+)/मूल्यहास (-)
मार्च 2011	90.29		115.97	
मार्च 2012	81.60	-9.6	109.59	-5.5
2012-13				
अप्रैल 2012	79.24	-2.9	107.57	-1.8
मई 2012	76.10	-4.0	104.12	-3.2
जून 2012	74.67	-1.9	102.10	-1.8
जुलाई 2012	75.95	1.7	103.85	1.6
अगस्त 2012	75.53	-0.6	103.27	0.5
सितम्बर 2012	75.67	0.2	103.45	-0.1

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक.

विदेशी ऋण

1.100 भारत का विदेशी ऋण नियंत्रणीय सीमा में बना रहना जारी है जैसाकि वर्ष 2011-12 के दौरान स.घ.उ के प्रति विदेशी ऋण के 20.0 प्रतिशत और ऋण शोधन के 6.0 प्रतिशत के अनुपात से दिखाई देता है। नवीनतम उपलब्ध आकड़ों के अनुसार, भारत का विदेशी ऋण जून अन्त 2012 में 349.5 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था जो मार्चान्त 2012 में 345.6 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमान की तुलना में 3.9 बिलियन अमरीकी डालर (1.1) प्रतिशत की वृद्धि को दर्ज करता है। इस तिमाही के दौरान कुल विदेशी ऋण में वृद्धि को दर्ज करता है। इस तिमाही के दौरान कुल विदेशी ऋण में वृद्धि मुख्यतः अनिवासी भारतीय जमाराशियों और अल्पावधिक व्यापार ऋण में वृद्धि के कारण थी। दीर्घावधिक ऋण 1.6 बिलियन अमरीकी डालर (0.6 प्रतिशत) से बढ़कर 269.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि अल्पावधिक ऋण ने 2.3 बिलियन अमरीकी डालर (2.9 प्रतिशत) वृद्धि दर्शाई और यह 80.4 बिलियन अमरीकी डालर था। जून अन्त 2012 में दीर्घावधिक ऋण कुल विदेशी ऋण का 77.0 प्रतिशत बनता था जबकि शेष ऋण अल्पावधिक ऋण था। जून अंत 2012 में कुल विदेशी ऋण में सरकारी (सॉवरेन) ऋण का हिस्सा 23.0 प्रतिशत था, जबकि गैर-सरकारी ऋण का हिस्सा 77.0 प्रतिशत था कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का हिस्सा मार्चान्त 2012 में 13.8 प्रतिशत के मुकाबले जून अन्त 2012 में 13.5 प्रतिशत के स्तर पर था। जून अन्त 2012 में 27.8 प्रतिशत पर विदेशी मुद्रा भंडार के प्रति अल्पावधिक ऋण का अनुपात मार्चान्त 2012 के 26.6 प्रतिशत के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक था।

1.101 भारत के प्रमुख ऋण सूचकांक अन्य ऋणग्रस्त विकासशील देशों से बेहतर हैं। विश्व बैंक की नवीनतम "ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस, 2012" जिसमें वर्ष 2010 हेतु विदेशी ऋणों की स्थिति दी गई है के अनुसार विदेशी ऋण की अंतरराष्ट्रीय तुलना यह दर्शाती है कि विदेशी ऋण के स्टॉक के संदर्भ में, भारत वर्ष 2010 में चीन, रूसी परिसंघ, ब्राजील तथा तुर्की के पश्चात् शीर्षस्थ बीस विकासशील ऋणग्रस्त देशों में पांचवें स्थान पर था। सकल राष्ट्रीय आय के प्रति विदेशी ऋण के अनुपात के संदर्भ में, भारत का स्थान नीचे से पांचवां था। भारत के विदेशी ऋण पोर्टफोलियो में रियायती ऋण का हिस्सा पाकिस्तान, इंडोनेशिया तथा फिलिपीन्स के पश्चात् चौथा सबसे अधिक था, ऋण पर विदेशी मुद्रा भंडारों द्वारा उपलब्ध कवर के अनुसार भारत, चीन, थाइलैंड, मलेशिया, तथा रूसी परिसंघ के बाद शीर्षस्थ बीस विकासशील ऋणग्रस्त देशों में पांचवें स्थान पर था।

1.102 भारत सरकार की सक्रिय विदेशी ऋण प्रबंधन नीति ने विदेशी ऋण के संचयन में संवृद्धि को नियंत्रित करने तथा विदेशी ऋण की सन्तोषजनक स्थिति को बनाए रखने में सहायता की है। इसने दीर्घावधि तथा अल्पावधि ऋण के अनुवीक्षण, अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि कि परिपक्वताओं के रियायती शर्तों वाले सरकारी ऋण जुटाने, अंतिम प्रयोग तथा ऑल-इन-कॉस्ट प्रतिबंधों के जरिए विदेशी वाणिज्यिक उधारों को विनियमित करने तथा अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरों की युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान देना जारी रखा है। इसके परिणामस्वरूप, प्रमुख विदेशी ऋण की वहनीयता के प्रमुख संकेतक सन्तोषजनक स्तरों पर बने रहे (सारणी 1.34)।

सारणी 1.34 : प्रमुख विदेशी ऋण संकेतक (प्रतिशत)

मार्चान्त में	विदेशी ऋण (बिलियन अमरीकी डालर)	स.घ.उ. के प्रति विदेशी ऋण का अनुपात	ऋण शोधन अनुपात	कुल ऋण में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात	कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का अनुपात	विदेशी मुद्रा भंडार के प्रति अल्पावधि विदेशी ऋण का अनुपात	कुल ऋण के प्रति अल्पावधि विदेशी ऋण का अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8
2005-06	139.1	16.8	10.1 ^क	109.0	28.4	12.9	14.0
2006-07	172.4	17.5	4.7	115.6	23.0	14.1	16.3
2007-08	224.4	18.0	4.8	138.0	19.7	14.8	20.4
2008-09	224.5	20.3	4.4	112.1	18.7	17.2	19.3
009-10	260.9	18.3	5.8	106.8	16.8	18.8	20.0
2010-11	305.9	17.8	4.3	99.6	15.5	21.3	21.2
2011-12 अं.सं.	345.7	20.0	6.0	85.1	13.8	26.6	22.6
जून अन्त							
2012 त्व.अ.	349.5	-	5.9	82.9	13.5	27.8	23.0

अ.सं.: अंशतः संशोधित; त्व.अ.-त्वरित अनुमान,

क. 7.1 बिलियन अमरीकी डालर के इंडिया मिलेनियम डिपाजिट के समयपूर्व भुगतान तथा 23.5 मिलियन अमरीकी डालर के समयपूर्व भुगतान को छोड़कर 6.3 प्रतिशत बैठता है।

सामाजिक क्षेत्र; विकास और कार्यक्रमों का निष्पादन कम होती बेरोजगारी

1.103 जैसाकि मध्य-वर्षीय विश्लेषण 2011-12 में बताया गया था राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के द्वारा संचालित सर्वेक्षण के 61वें दौर (2004-05) तथा 66वें दौर (2009-10) यह दर्शाते हैं कि विभिन्न बेरोजगारी दरों जैसे सामान्य प्रधान स्थिति (यूपीएस) सामान्य स्थिति (यूएस) वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) तथा चालू दैनिक स्थिति (सीडीएस) में तुलना करने पर 2009-10 की बेरोजगारी दर में 2004-2005 से कमी आयी है। कुल बेरोजगारी दरों में आयी गिरावट इस प्रकार है। 3.1 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत (यूपीएस), 2.3 प्रतिशत से 2.0 प्रतिशत (यूएस), 4.4 प्रतिशत से 3.6 प्रतिशत (सीडब्ल्यूएस) तथा 8.2 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत (सी डीएस) श्रम ब्यूरो जनवरी, 2009 से चुनिन्दा क्षेत्रों हेतु त्रैमासिक त्वरित रोजगार सर्वेक्षण कर रही है। पिछले चार त्रैमासिक सर्वेक्षणों (अर्थात् जुलाई, 2011 से जून, 2012) के परिणामों की तुलना करने पर पता चलता है कि चुनिन्दा क्षेत्रों में जून, 2012 में जुलाई, 2011 से समग्र रोजगार में 6.94 लाख की बढ़ोतरी हुई तथा 4.44 लाख की सर्वाधिक बढ़ोतरी आईटी/बीपीओ में हुई जिसके बाद कपड़ा में 1.70 लाख, परिवहन में 0.45 लाख धातुओं में 0.26 लाख, कीमती पत्थरों तथा आभूषणों में 0.19 लाख तथा आटोमोबाइल्स में 0.11 लाख।

कार्यक्रमों का निष्पादन

विकासात्मक योजनाएं तेजी से चल रही हैं।

1.104 भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार है:

- ◆ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): इस योजना के लिए 2012-13 के बजट में 33,000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। 2012-13 के दौरान (सितंबर 2012 तक) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया गया व्यय 18,148.6 करोड़ रुपए है जो आवंटित निधियों का 55 प्रतिशत बैठता है और 3.55 करोड़ परिवारों को इस अवधि के दौरान रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 54 प्रतिशत है। कुल सृजित व्यक्ति दिवसों में महिलाओं का हिस्सा अधिनियम के अनुसार निर्धारित 1/3 से काफी ऊपर है।
- ◆ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): चालू वित्त वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई को 4,000 बसावटें जोड़ने और 30,000 किलोमीटर सड़कें बनाने के लिए ₹ 24,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। सितंबर, 2012 तक

44 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

- 3,155 बसावटों के संपर्क की व्यवस्था की है; 9,256.41 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हुआ है और कुल ₹ 4,260 करोड़ जारी किए गए हैं। पीएमजीएसवाई के शुरू होने से 87,567 बसावटों (स्वीकृत बसावटों का 73 प्रतिशत) को सभी मौसमों में संपर्क सड़कों की व्यवस्था की गई है (अगस्त, 2012 तक); नए संपर्क हेतु 216,635 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं और राज्यों द्वारा 1,43,123 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया गया है।
- ◆ *इंदिरा आवास योजना (आईएवाई):* चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण आवास के लिए ₹ 11,075 करोड़ आवंटित किए गए हैं जिसमें से ₹ 10,513.2 करोड़ 30.10 लाख मकान बनाने के लिए आईएवाई के अंतर्गत जिला ग्रामीण निवास एजेंसियों को जारी करने के लिए अलग से रखे गए हैं। सितंबर 2012 तक ₹ 4,930.32 करोड़ जारी किए गए हैं और 7.67 लाख मकान बनाए गए हैं जो लक्ष्य का 25.48 प्रतिशत है।
 - ◆ *स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):* एसजीएसवाई/एनआरएलएम एक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य बैंक ऋण का संपर्क आय सृजन से करना है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान एसजीएसवाई/एनआरएलएम का केंद्रीय आवंटन ₹ 3,915 करोड़ है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सब्सिडी ₹ 2,196.7 करोड़ है। एसजीएसवाई और एनआरएलएम के अंतर्गत केंद्रीय निर्मुक्ति क्रमशः ₹ 384.0 करोड़ और ₹ 623.6 करोड़ बैठती है। सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की 127 लाख की कुल संख्या में से 96 लाख स्वरोजगारियों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के अंतर्गत कवर किया गया है और 31 लाख व्यक्तिगत रूप से सहायता प्राप्त स्वरोजगारी हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और विकलांगों का प्रतिशत क्रमशः 30.0 प्रतिशत, 12.6 प्रतिशत, 9.7 प्रतिशत, 54.6 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत है।
 - ◆ *राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम):* वर्ष 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार का बजट परिव्यय 13.1 प्रतिशत

बढ़ाकर ₹ 34,488 करोड़ कर दिया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान एनआरएचएम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं (अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के कार्यकलापों को बढ़ाकर इसमें आयोडीन की कमी के विकार से बचाव को शामिल करना है 100 प्रतिशत प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना और बच्चों के बीच अंतर, ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के समन्वयक के रूप में आशा के लिए अधिक सक्रिय भूमिका और कुपोषण संबंधी पहल की सहायता करना। देश के प्रत्येक कोने में बुनियादी और उन्नत स्तर की एंबूलेसों के जरिए मुफ्त आपातकालीन और रोगी परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत राज्यों को भी सहायता दी गई है। इस संजाल के अंतर्गत देश भर में 15,000 से अधिक एंबूलेसों को एकीकृत किया गया है। एनआरएचएम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए ₹ 20,542 करोड़ रखे गए हैं।

- ◆ *जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके):* संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में पहल के रूप में जेएसएसके 2011 में शुरू किया गया था जो सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव पूर्णतया मुफ्त, यहां तक कि शल्य प्रसव भी मुफ्त, कराने की हकदार हैं। इस कार्यक्रम में मुफ्त दवाइयां, जांच, रक्त और आहार के अतिरिक्त घर से संस्था तक और रेफर किए गए दौरान सभी सुविधाएं और वापस घर छोड़ना निर्धारित किया गया है। मुफ्त दवाइयों के लिए राज्यों को चालू वित्त वर्ष में ₹ 1,301.6 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों को इस उद्देश्य के लिए चलती फिरती चिकित्सा यूनिटों के संचालन हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है ताकि कम सेवा वाले ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में लोगों की दहलीज पर स्वास्थ्य देखभाल को ले जाया जा सके। अब तक देश भर के 464 जिलों में चलती फिरती चिकित्सा यूनिटों के रूप में 2013 वाहन कार्यरत हैं।
- ◆ *प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई):* वहनीय तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अधिक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का स्तरोन्नयन कवर करते हुए वर्ष के दौरान इसका विस्तार किया जा रहा

है। 2012-13 के दौरान पीएमएसएसवाई के लिए ₹ 1,544.2 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है। चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं जिसमें अन्य बातों के अलावा भूमि अधिग्रहण बिस्तरों की संख्या और बिस्तर अधिभोग में रियायत, अधिकतम प्रवेश में वृद्धि, चिकित्सा महाविद्यालय खोलना शामिल हैं। पिछले चार वर्ष में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 36 प्रतिशत बढ़ाई गई है जबकि स्नातकोत्तर की सीटें 60 प्रतिशत बढ़ाई गई हैं। 2012-13 में 6 एम्स जैसी संस्थाओं सहित 26 नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं जिन्होंने प्रत्येक में 50 विद्यार्थियों के दाखिले के साथ सितंबर 2012 में कार्य करना शुरू कर दिया है। परिचारिका (नर्सिंग) क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सहायक परिचारिका (एएनएम) विद्यालयों और सामान्य परिचारिका और प्रसाविका विद्यालयों की स्थापना करने के लिए पहले ही 176 जिलों को सहायता दी गई है।

- ◆ **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई):** आरएसबीवाई के अंतर्गत सितंबर 2012 तक 3.25 करोड़ स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। इस योजना का विस्तार अब निर्माण श्रमिकों, खोमचे वालों, रेलवे के कुलियों व विक्रेताओं, पिछले वर्ष के दौरान पंद्रह दिन तक काम करने वाले मनरेगा श्रमिकों, घरेलू कामगारों और बीड़ी श्रमिकों के लिए किया गया है। सरकार इस योजना के विस्तार का लाभ चरणबद्ध तरीके से असंगठित क्षेत्र में अन्य व्यवसाय समूहों में देने पर विचार कर रही है।
- ◆ **राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन:** राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में सभी परिवारों के लिए पेयजल सुनिश्चित करना है। इसके लिए 2012-13 में आयोजना परिव्यय ₹ 10,500 करोड़ है जिसमें से सितंबर 2012 तक ₹ 4,289.83 करोड़ जारी किए जा चुके हैं और 27,273 अंशतः कवर की गई और 4,036 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर किया गया है जबकि पूरे वर्ष में अंशतः कवर की गई बसावटों के लिए लक्ष्य 75,000 और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का लक्ष्य 25,000 था।

1.105 शिक्षा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम अर्थात् मध्याह्न भोजन योजना द्वारा समर्पित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का आशय 6-14 आयु समूह के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत देश भर में 12.31 लाख विद्यालयों में 10.64 करोड़ बच्चों को गरम पका हुआ खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। 2011-12 के दौरान 11.86 लाख विद्यालयों को रसोई का सामान उपलब्ध कराया गया है और विद्यालयों में बच्चों के लिए खाना तैयार करने और उन्हें मध्याह्न भोजन देने के लिए राज्यों द्वारा 24.70 लाख रसोइए सह-सहायक नियुक्त किए गए हैं। 5.72 लाख रसोइयां-सह-भंडार निर्मित किए गए हैं ताकि खाद्यानों की सुरक्षा और बच्चों के लिए स्वच्छ और पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जा सके। एनआरएचएम के सहयोग से विद्यालयों के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था करने के लिए एक सधन कार्यक्रम शुरू किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम हेतु 11,937 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना को 2009-10 में संशोधित किया है और इसमें उपरी प्राथमिक बच्चों के लिए खाद्य मानदंड को उर्ध्वगामी संशोधित किया गया है, दालों, सब्जियों, तेलों, नमक और मिर्च मसाले व ईंधन की आपूर्ति हेतु पकाने की लागत बढ़ाई गई है और प्रत्येक रसोइए-सह-सहायक का मानदेय 1,000 रुपये प्रति माह करने की अलग व्यवस्था शामिल है। जुलाई 2012 में मध्याह्न भोजन योजना के लिए समर्थकारी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भी शुरू की गई है। यह प्रणाली वास्तविक समय आधार पर इस योजना को मानीटर करने के लिए पारस्परिक आवाज अनुक्रिया प्रणाली से जुड़ जाएगी।

1.106 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 में अन्य बातों के अलावा आरटीई अधिनियम के क्षेत्राधिकार में अशक्त व्यक्ति अधिनियम, 2005 और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में निर्धारित अनुसार अपंगता वाले बच्चों को शामिल करना और उन्हें मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा संस्थाओं को आरटीई अधिनियम से मुक्त रखा गया है और सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत गठित विद्यालय प्रबंधन समितियां सलाहकारी कार्य करेगी और उनसे विद्यालय विकास योजना बनाना अपेक्षित नहीं होगा।

46 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

1.107 व्यावसायिक शिक्षा प्रवाह हेतु उच्चतर शिक्षा के जरिए विद्यालय से स्पष्ट शिक्षा मार्ग की प्रणाली स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता संरचना विकसित की गई है और इसे उद्योग / क्षमता वाले नियोजक की सक्रिय भागीदारी से कार्यान्वित की जाएगी ताकि युवाओं में रोजगार योग्यता बढ़ाई जा सके। "उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण" की केन्द्रीय प्रयोजित योजना 15 सितंबर, 2011 को सरकार ने अनुमोदित की थी। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए संशोधित योजना के अंतर्गत 100 नए विद्यालयों की व्यवस्था की गई थी। इनमें से 40 विद्यालय हरियाणा में और 60 विद्यालय असम में बनाए जा रहे हैं।

1.108 माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण इस तथ्य के आलोक में दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि प्राथमिक शिक्षा में माध्यमिक स्तर की ओर ऊपर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के माध्यम से 2017 तक सार्वभौम पहुंच और 2020 तक सार्वभौम बनाए रखने का लक्ष्य प्राप्त करना है। आरएमएसए 2009-10 से प्रचालनरत है। इस योजना के आरंभ होने से 9,636 नए विद्यालय खोलने, 34,311 विद्यमान माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढीकरण, विद्यमान माध्यमिक विद्यालयों में 40,018 अध्यापक और नए माध्यमिक विद्यालयों के लिए 55,974 अध्यापक स्वीकृत किए गए हैं।

1.109 साक्षर भारत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रम प्रारूप का नया रूपान्तर है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य 2012 तक 15 वर्ष और उससे ऊपर के आयु समूह में 70 मिलियन प्रौढ़ों को काम चलाऊ साक्षरता उपलब्ध कराना है। इस मिशन का पूरक लक्ष्य बुनियादी शिक्षा (समानता) कार्यक्रम के तहत 1.5 मिलियन प्रौढ़ों और इतनी ही संख्या में प्रौढ़ों को व्यावसायिक प्रशिक्षण (कौशल विकास) कार्यक्रम में कवर करना है। 25 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में कुल 372 जिलों को सितंबर, 2012 के अंत तक कवर किया जा चुका है।

1.110 उच्च शिक्षा समग्र आर्थिक विकास और न्यायप्रिय व साम्य समाज बनाने तथा भिन्न राजनीतिक प्रणाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सरकार ने 2020 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 30 प्रतिशत

करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनेक विधायी पहलें की हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक शक्तिप्राप्त विनियामक निकाय शिक्षा के सभी क्षेत्रों/संकायों को कवर करने के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग की स्थापना करना; संस्थाओं के भीतर हितधारकों और संस्थाओं के बीच विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु शैक्षिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करना, अनिवार्य प्रत्यायित प्रणाली बनाना ताकि उच्च शिक्षण संस्थाओं और कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके, राष्ट्रीय प्रत्यायित विनियामक प्राधिकरण का सृजन और शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक के जरिए शिक्षा पुरस्कारों के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस का सृजन करना है। समावेशी उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए सरकार ने गुणवत्ता बढ़ाने हेतु 89 कल्पित प्रयोगशालाएं शुरू की हैं ताकि दुरस्थ शिक्षा प्रणाली व सुदूरवर्ती तथा पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी आईसीटी मोड से गुणवत्तापूर्ण और संगत शिक्षा का लाभ ले सकें। अध्यापक, अध्यापन, अध्यापक तैयार करने और व्यावसायिक विकास से जुड़े सभी मुद्दों को व्यापक रूप से सुदृढ करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक और अध्यापन मिशन चलाने की योजना बनाई है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख ध्यान देने वाले क्षेत्रों में से एक है। विद्यमान महाविद्यालयों/फ्लिटेन्सियों में प्रायोगिक आधार पर 200 महाविद्यालयों में सामुदायिक महाविद्यालय की योजना शुरू की गई है ताकि वे 2013 के शैक्षणिक सत्र से प्रचालन में आ जाएं।

1.111 भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण (यूआईडीए-आई) से अपेक्षा है कि सेवा प्रदायगी तंत्र में दक्षता लाने और भ्रष्टाचार, रिसाव और फुजूलखर्च कम करेगा। 22.7 करोड़ नामांकन पैकेट इस प्रणाली में अपलोड किए गए हैं जिनमें से 30 सितंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार 20.6 करोड़ आधार नंबर सृजित किए गए हैं। आधार प्लेटफार्म में सन्निहित नवीन प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार सब्सिडियों के सीधे नकदी अंतरण को संभव बनाएगा और सुनिश्चित करेगा कि ये लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। जनवरी, 2013 तक 51 जिलें, अप्रैल, 2013 तक 18 राज्य और शेष देश बाद में 2013 में कवर किए जाने के लिए इस प्लेटफार्म के चरणबद्ध प्रयोग हेतु महत्वाकांक्षी समय सीमा निर्धारित की गई है।

अध्याय II

केन्द्र सरकार के वित्त साधन

अप्रैल-सितंबर, 2012 के दौरान प्राप्तियों और व्यय में व्याप्त रुझानों की समीक्षा

2.1 वर्ष 2012-13 का बजट घरेलू तथा वैश्विक कारणों में विकास की मंदी तथा बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2012-13 के बजट में 5,13,590 करोड़ रुपए (वर्ष के लिए अनुमानित, सघउ का 5.1 प्रतिशत) का राजकोषीय घाटा अनुमानित तथा राजस्व घाटा अनुमानित तथा राजस्व घाटा 3,50,424 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 3.4 प्रतिशत) होने का अनुमान था। सितम्बर 2012 तक कुल राजकोषीय घाटा 3,36,904 करोड़ रुपए था। राजस्व घाटा सितम्बर 2012 तक 2,63,284 करोड़ रुपए का था। सितम्बर 2012 तक कुल ऋण भिन्न प्राप्तियां 3,57,115 करोड़ रुपए की थी जबकि कुल व्यय की राशि 6,94,019 करोड़ रुपए थी।

2.2 सं. अ. 2011-12 में स.घ.उ. के 5.9 प्रतिशत के स्तर में राजकोषीय घाटे को कम कर ब.अ. 2012-13 में स.घ.उ. के 5.1 प्रतिशत करना स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल व्यय में अपचयन तथा स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व में सुधार के मिश्र के रूप में अभिकल्पित किया गया था। वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित राजस्व घाटा भी वित्त वर्ष 2011-12 के लिए 4.3 प्रतिशत के राजस्व घाटे से निम्नतर है, "प्रभावी राजस्व घाटा" जो पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त अनुदानों को घटाने के पश्चात राजस्व खाते में असंतुलन का द्योतक है, ब.अ. 2012-13 में स.घ.उ. का 1.8 प्रतिशत होना अनुमानित है। आगे बढ़ते हुए, यह सरकार का प्रयास होगा कि वह मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण 2012-13 के अनुसार 2014-15 तक राजस्व खाते में हम संतुलन को समाप्त कर दें।

2.3 वर्ष 2012-13 की राजकोषीय नीति को दोमुहे उद्देश्यों के साथ अशांकित किया गया था - प्रथमतः वृद्धि

के पुनरुज्जीवन में अर्थव्यवस्था की सहायता करना तथा दूसरे, घाटे को 2011-12 के स्तर से नीचे लाना ताकि निवेश चक्र में तेजी आने के साथ निजी क्षेत्र के क्रेडिट के लिए गुंजायश शेष रहे, 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होने के कारण एक महत्वाकांक्षी योजना परिव्यय, जो सं.अ. 2011-12 में 22.1 प्रतिशत उच्चतर वृद्धि के साथ भी राजकोषीय घाटा समुचित नीतिगत उपायों के साथ कम होने का अनुमान है। यह अनुमान है कि आयोजना भिन्न व्यय को सं. अ. 2011-12 की तुलना में ब.अ. 2012-13 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। यह सं.अ. 2011-12 की तुलना में ब.अ. 2012-13 में 13.1 प्रतिशत के समग्र व्यय में परिगामी होगा। इस प्रकार राजकोषीय घाटे में प्रपुंज सुधार राजस्व वर्धन के जरिए किया जाना लक्षित है।

2.4 वृहद आर्थिक निष्पादन के निम्नतर स्तरों पर जारी रहने में, वित्त वर्ष के प्रथमार्थ में राजकोषीय परिणाम प्रभावित हुए थे, ऋण-भिन्न प्राप्तियों के अर्थ में ब.अ. के न्यूनतम 40 प्रतिशत की तथा ब.अ. के अधिकतम 45 प्रतिशत की राजस्व तथा राजकोषीय, दोनो घाटों में प्राप्ति के एफआरबीएम मध्य वर्षीय बेंचमार्क को चालू वित्तीय वर्ष में हासिल नहीं किया जा सका।

2.5 वर्ष 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर 2012) के अंत में प्राप्तियों तथा व्यय सारणी 2.1 में सारांशित किए गए हैं, उसमें दिए गए आंकड़े अनांकित हैं तथा लेखापरीक्षा के पश्चात उनमें सुधार आ सकता है, प्राप्तियों तथा वसूलियों को, जहां भी वे सीधे व्यय के साथ संबद्ध हैं, घटा दिया गया है।

सारणी 2.1- बजटीय स्थिति - अप्रैल-सितम्बर							
विवरण	(₹ करोड़)			ब.अ. को (प्रतिशत के रूप में)		5 वर्षीय चल औसत	
	ब.अ.	सितम्बर तक वास्तविक आंकड़े		तक 09/2012	काँपी		
	2012-13	2012-13	2011-12				
1	राजस्व प्राप्तियां	935685	350888	305528	37.5	38.7	43.6
2	कर राजस्व (निवल)	771071	293812	254731	38.1	38.3	40.2
3	कर-भिन्न राजस्व	164614	57076	50797	34.7	40.5	56.7
4	पूंजी प्राप्तियां (5+6+7)	555241	343131	293565	61.8	62.7	55.6
	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	41650	6227	12755	15.0	23.2	52.3
5	ऋणों की वसूलियां	11650	4855	10024	41.7	66.7	74.5
6	अन्य प्राप्तियां	30000	1372	2731	4.6	6.8	97.0
7	उधार और अन्य देयताएं	513590	336904	280810	65.6	68.0	56.6
8	जोड़ प्राप्तियां (1+4)	1490925	694019	599093	46.5	47.6	46.7
9	आयोजना-भिन्न व्यय	969900	491279	421270	50.7	51.6	48.8
10	राजस्व खाते पर	865596	446673	376275	51.6	51.3	50.2
11	जिसमें से ब्याज अदायगियां	319759	131165	122499	41.0	45.7	43.3
12	पूंजी खाते पर	104304	44606	44995	42.8	54.5	38.2
13	आयोजना व्यय	521025	202740	177823	38.9	40.3	42.3
14	राजस्व खाते पर	420513	167499	151033	39.8	41.5	42.4
15	पूंजी खाते पर	100512	35241	26790	35.1	34.4	42.1
16	जोड़ व्यय (9+13)	1490925	694019	599093	46.5	47.6	46.7
17	राजस्व व्यय (10+14)	1286109	614172	527308	47.8	48.1	47.7
18	जिसमें से पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान	164672	50656	51411	30.8	35.0	--
19	पूंजी व्यय (12+15)	204816	79847	71785	39.0	44.7	39.1
20	राजस्व घाटा (17-1)	350424	263284	221780	75.1	72.2	77.0
21	प्रभावी राजस्व घाटा# (20-18)	185752	212628	170369	114.5	106.2	--
22	राजकोषीय घाटा {16 - (1+5+6)}	513590	336904	280810	65.6	68.0	56.6
23	प्राथमिक घाटा (22 - 11)	193831	205739	158311	106.1	109.3	12.5

टिप्पणी: 1. रेलवे के आंकड़े बजट अनुमान के अनुसार घटा दिए गए हैं।
 2. सीओपीपीवाई - विगत वर्ष की तदनुसारी अवधि।
 3. # पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को छोड़कर

प्रप्तियां

राजस्व प्रप्तियां

2.6 राजस्व प्रप्तियों में निवल कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व शामिल हैं। राजस्व प्रप्तियां ब.अ. 2012-13 में 9,35,685 करोड़ रुपए अनुमानित थी जो 2011-12

के अनंतिम आंकड़ों की तुलना में 23.7 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक हैं। वर्ष 2012-13 के पूर्वार्ध के दौरान 3,50,888 करोड़ रुपये की राजस्व प्रप्तियां ब.अ. 2012-13 का 37.5 प्रतिशत हैं (सारणी 2.2 तथा चित्र 2.1)। यह संबंधित बी ई के 43.6 प्रतिशत के पंचवर्षीय चल औसत से निम्नतर है। वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान कुल

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि वर्ष 2011-12 की तदनुसूची अवधि की तुलना में 14.8 प्रतिशत है। ब.अ. 2012-13 में सकल कर राजस्व (प्रतिदाय घटाकर) में वृद्धि के वर्ष 2011-12 (अंतिम) की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 21.0 प्रतिशत होना अनुमानित था। तथापि, प्रथमार्ध के दौरान निष्पादन राजस्वों को प्रभावित करने वाली सतत आर्थिक मंदी के कारण ब.अ. के अनुरूप नहीं है।

सकल कर राजस्व

2.7 वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान प्रत्यक्ष कर प्रतिदाय वर्ष 2011-12 की तदनुसूची अवधि के दौरान


62,230 करोड़ रुपए की तुलना में 46,012 करोड़ रुपए के थे। अप्रैल-सितम्बर 2012 में सकल कर राजस्व में समग्र वृद्धि इसी अवधि के पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 15 प्रतिशत आंकी गई है। ब.अ. के प्रतिशत के रूप में सितम्बर तक सकल कर राजस्व लगभग पिछले वर्ष के समस्तर पर ही है। वर्ष 2010-11, 2011-12, तथा 2012-13 के लिए सकल कर के संग्रहण में विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्षानुवर्ष वृद्धि के रुझान नीचे दर्शाए गए हैं (चित्र 2.2)।

प्रत्यक्ष कर

2.8 सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण (प्रतिदाय घटाकर) में

सारणी - 2.2 अप्रैल-सितंबर में राजस्व प्राप्तियां							
(₹ करोड़)							
क्र.सं.	राजस्व प्राप्तियां	अप्रैल-सितंबर					
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	कर राजस्व (निवल)	160500	202247	185669	233415	254731	293812
2	कर-भिन्न राजस्व	37456	42651	58802	164819	50797	57076
3	कुल राजस्व प्राप्तियां	197956	244898	244471	398234	305528	350888
4	संपूर्ण वर्ष हेतु ब.अ.	486422	602935	614497	682212	789892	935685
5	ब.अ. के प्रतिशत के रूप में प्राप्त राजस्व	40.7	40.6	39.8	58.4	38.7	37.5
6	टीआरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	22.6	23.7	-0.2	62.9	-23.3	14.8

चित्र 2.1 निवल कर राजस्व और इस की वृद्धि दर



50 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

16.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो अप्रैल सितम्बर 2011 (1,93,623 करोड़ रुपए) की तुलना में अप्रैल-सितम्बर 2012 के दौरान 2,28,072 करोड़ रुपए के थे। विगत रुझानों के मद्देनजर, राजकोषीय वर्ष का लक्ष्य द्वितीयार्ध में आर्थिक क्रियाकलाप में तेजी के साथ प्राप्य प्रतीत होता है। यह इस अवलोकित लथ्य पर आधारित है कि प्राप्त राजस्व तथा स.घ.उ. की वृद्धि, दोनों में कुछ मौसमीयता होती है। तथापि, वैश्विक तथा घरेलू वृहद आर्थिक परिणाम में प्रवृत्त अनिश्चितता के साथ संबद्ध कुछ अधोमुखी जोखिम अंततः निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। प्रत्यक्ष करों के जो प्रमुख संघटकों पर चर्चा नीचे की गई है। वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए निगम कर तथा निगम-भिन्न प्रत्यक्ष करों के संग्रहण में विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्षानुवर्ष वृद्धि के रुझान नीचे चित्र 2.3 में निर्दिष्ट किए गए हैं।

निगम कर

2.9 1,42,965 करोड़ रुपए पर निगम कर कुल करों का सर्वाधिक बड़ा समूह बना रहना जारी है। वर्ष

2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान, यह 2011-12 में इसी अवधि के दौरान संग्रहणों की तुलना में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस संघटक के लिए ब.अ. 2012-13 में 2011-12 में अनंतिम वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 15.5 प्रतिशत की वर्ष वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्शाता है।

निगम कर को छोड़ कर आयकर

2.10 निगम कर को छोड़कर आय पर कर ब.अ. 2012-13 में 1,89,866 करोड़ रुपए अनुमानित थे जो 2011-12 के दौरान अनंतिम वास्तविक प्राप्तियों से 14.9 प्रतिशत उच्चतर है। वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान 82,598 करोड़ रुपए का वसूल किया गया राजस्व विगत वित्तीय वर्ष में तदनुसूची अवधि के दौरान संग्रहणी की तुलना में 24.7 प्रतिशत की वृद्धि के द्योतक है। पूर्ण संभावना है कि कर के इस संघटक के तहत प्राप्तियों ब.अ. से अधिक होगी।

अप्रत्यक्ष कर


2.11 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान सकल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण 1,96,824 करोड़ रुपए के है। यह अप्रैल-

सारणी 2.3 - सकल कर राजस्व के घटक (₹करोड़)

क्र. सं.	विवरण	ब.अ. 2012-13	सित. 2012 तक वास्तविक प्राप्तियां		सित. 2011 की तुलना में % वृद्धि		सित. 2011 तक वास्तविक प्राप्तियां	
			ब.अ. का प्रतिशत	ब.अ. का प्रतिशत	ब.अ. 2011-12	ब.अ. का प्रतिशत		
1	निगम कर	373227	142965	38.3	12.2	359990	127375	35.4
2	निगम कर से इतर आय पर कर	189866	82598	43.5	24.7	164526	66249	40.3
3	अन्य कर	7165	2509	35.0	-16.3	8135	2999	36.9
	कुल प्रत्यक्ष कर	570258	228072	40.0	16.0	532651	196623	36.9
4	सीमा-शुल्क	186694	78557	42.1	5.0	151700	74808	49.3
5	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	194350	67424	34.7	13.7	164116	59315	36.1
6	सेवा कर	124000	49103	39.6	32.5	82000	37049	45.2
7	अन्य कर	2310	1740	75.3	11.7	1973	1558	79.0
	कुल अप्रत्यक्ष कर	507354	196824	38.8	13.9	399789	172730	43.2
8	कुल सकल कर राजस्व	1077612	424896	39.4	15.0	932440	369353	39.6
कुल सकल कर राजस्व (प्रत्यक्ष कर कर वापसियों समेत)			470908				431583	

1. कर राजस्व में वृद्धि की तुलना करने के लिए प्रत्यक्ष कर, प्रतिदाय को बेहतर रुझान विश्लेषण के लिए जोड़ा गया है।

चित्र 2.2 त्रैमासिक सकल कर राजस्व प्राप्तियां और उनकी वृद्धि




सितम्बर 2011 के दौरान संग्रहणों की तुलना में, 13.9 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है, तथापि 2011-12 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में ब.अ. 2012-13 में 28.2 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि में यह काफी कम है। विगत 10 तिमाहियों में अप्रत्यक्ष करों की तुलनात्मक वृद्धि चित्र 2.4 में निर्दिष्ट की गई है।

सीमा शुल्क

2.12 वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान सीमा शुल्क

संग्रहण कम रही। इस संघटक के लिए ब.अ.2012-13 में 1,86,694 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान लगाया गया था जो 2011-12 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 24.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस संघटक के तहत प्राप्तियों में 2012-13 के प्रथमार्ध में 2011-12 की तदनुसूची अवधि की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए सीमाशुल्क संग्रहण में विभिन्न क्षेत्रों के लिए वर्षानुवर्ष वृद्धि के रुझान नीचे चित्र 2.4 में निर्दिष्ट किए गए हैं।

चित्र 2.3 प्रत्यक्ष करों की वृद्धि दर



52 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध में संग्रहण ब.अ. 2012-13 का 42.1 प्रतिशत है। जैसाकि चार्ट में देखा जा सकता है, इस वर्ष में रुझानों में दूसरी तिमाही के दौरान पूर्ववर्ती तिमाही की तुलना में सुधार आया है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

2.13 केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों से राजस्व ब.अ. 2012-13 1,94,350 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था जो 2011-12 के अनंतिम वास्तविक संग्रहण की तुलना में 33.8 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। वृद्धि का यह स्तर विनिर्माण क्षेत्र के सापेक्षतया बेहतर निष्पादन तथा अर्थव्यवस्था में संभावित मांग के आधार पर अनुमानित किया गया था। वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध में, संघ उत्पाद शुल्क के तहत प्राप्तियां 67,424 करोड़ रुपए की है जो 2011-12 की तदनुसूची अवधि (59,315 करोड़ रुपए) में संग्रहणों की तुलना में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है तथा ब.अ. 2012-13 की 34.7 प्रतिशत है। अनुमानित वृद्धि से कम वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के कम होने के कारण भी है।


सेवा कर

2.14 ब.अ. 2012-13 में सेवाकर 1,24,000 करोड़ रुपए अनुमानित है जो 2011-12 में अनंतिम वास्तविक

प्राप्तियों की तुलना में 27.1 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। चालू राजकोषीय वर्ष के प्रथमार्ध में, 2011-12 की तदनुसूची अवधि (37,049 करोड़ रुपए) में किए गए संग्रहणों की तुलना में 32.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए प्राप्तियां 49,103 करोड़ रुपए है। अप्रैल-सितम्बर 2012 के दौरान संग्रहित राशि ब.अ. 2012-13 के 39.6 प्रतिशत का संघटन करती है। व्यापक किया गया आधार तथा उच्चतर दर के परिणामस्वरूप बजट अनुमानों से अधिक संग्रहण होने की आशा है।

2.15 कर राजस्व के पक्ष पर, मध्य वर्ष में वृद्धि का रुझान अनुमान से कम है। हालांकि, निगम कर तक सेवा कर को छोड़ कर अन्य आय पर करों में लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, प्रत्यक्ष कर पक्ष पर निगम कर में तथा अप्रत्यक्ष कर पक्ष में सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में लक्ष्य हासिल कार्य अंत तक के रुझान को देखकर कुछ कठिन प्रतीत होता है। लक्ष्य से कम प्राप्ति वृहद आर्थिक माहौल के दबावाधीन होने के कारण है। स.घ.उ. वृद्धि की अपेक्षाकृत धीमी गति ने विनिर्माण तथा व्यापार क्षेत्रों को प्रभावित किया है जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित उत्पाद शुल्क संग्रहणों से कम संग्रहण हुए है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक आर्थिक कार्य तथा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव ने भी तेल को छोड़कर अन्य आयातों को प्रभावित किया

चित्र 2.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि दर



है। जिससे सीमाशुल्क संग्रहण प्रभावित हुए हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास में सेन्ट्रल बैंक की उच्चतर नीतिगत दरों के परिणामस्वरूप निवेश में अधोमुखी रुझान आया है तथा कारपोरेट लाभ प्रदत्ता, प्रभावित हुई है। इस प्रकार, निगम कर भी अनुमान से कम है। तथापि, अप्रैल-सितम्बर 2012 में वसूल राजस्व के अनुपात के आधार पर तथा राजस्व को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के साथ पूर्ण वर्ष के लिए वसूल किए गए कुल राजस्व के प्रति प्रथमार्ध में राजस्व के अनुपात के संबन्ध में अवलोकित विगत मामलो को देखते हुए समग्र सकल कर राजस्व के तहत कमी न्यूनतम होगी।

कर-भिन्न राजस्व

2.16 अप्रैल-सितम्बर 2012 तक कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां 57,076 करोड़ रुपए आंकी गई है जो विगत वित्त वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान प्राप्तियों की तुलना में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ब.अ. 2012-13 का 34.7 प्रतिशत है। 2 जी दूरसंचार स्पेक्ट्रम प्राप्तियां के बजटीय व्यवस्था की तुलना में काफी कम होने की संभावना है क्योंकि नवम्बर 2012 में आयोजित नीलामी के प्रति अनुक्रिया अवमंदित थी तथा इस खाते में प्राप्तियों के अर्थ में कमी होने की संभावना है क्योंकि इसे पुनः नए सिरे से नीलाम करने की प्रक्रिया में प्रारक्षित मूल्य को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां

2.17 चालू राजकोषीय वर्ष में ऋणों की वसूली के संबंध में प्राप्तियां सितम्बर 2012 तक 4,855 करोड़ रुपए की थी जो विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 10,024 करोड़ रुपए की तुलना में है। यह बजट अनुमान 2012-13 का 41.7 प्रतिशत है। पिछले वित्तीय वर्ष की समनुरूप अवधि के दौरान चालू वर्ष की विनिवेश तथा विविध प्राप्तियां 2,731 करोड़ से मुकाबले 1,372 करोड़ रही। पूंजी बाजार में अभिभावी परिदृश्य तथा मौजूदा रुझान के साथ-साथ तीव्र विनिवेश के लिए प्रयास जारी है फिर भी 2012-13 की शेष अवधि के दौरान 30,000 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर पाना एक चुनौती भरा काम होगा।

व्यय

कुल व्यय

2.18 2012-13 के लिए बज.अनु.2012-13 में 14,90,925 करोड़ रुपए का कुल व्यय अनुमानित किया गया है(स.घ.उ. का 14.7 प्रतिशत)। जोकि 2011-12 में 12,98,444 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय पर 14.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 2011-12 में पिछले वास्तविक आंकड़ों की तुलना में योजना व्यय में 26 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। तथापि 2011-12 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में गैर-योजना व्यय में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। अप्रैल-सितम्बर, 2012 6,94,019 करोड़ का कुल व्यय रहा जबकि पिछले वर्ष समनुरूपी अवधि के दौरान यही व्यय 5,99,093 करोड़ रहा था। ब.अ. के समानुपात के रूप में अप्रैल-सितम्बर 2012 में कुल व्यय 46.5 प्रतिशत था जोकि लगभग पांच वर्षों के औसत 46.7 प्रतिशत के आस-पास ही है (सारणी 2.4)। 2012-13 के प्रथमार्ध में व्यय में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है जो कि ब.अ. में यथा परिलक्षित वृद्धि से एक प्रतिशत अधिक है।

2.19 2012-13 के लिए 12,86,109 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय अनुमानित है (स.घ.अ का 12.7 प्रतिशत)। यह 2011-12 में 11,40,915 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान यह 2011-12 में 5,27,308 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,14,172 करोड़ रुपए हो गया, जो कि वर्षानुवर्ष 16.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। ब.अ. के अनुपात के रूप में 2012-13 के दौरान सितम्बर 2012 तक राजस्व व्यय 47.8 प्रतिशत रहा था जोकि पांच वर्ष के सचल औसत 47.7 प्रतिशत के करीब ही है।

2.20 वर्ष 2012-13 में पूंजी व्यय 2,04,816 करोड़ रुपए (स.घ.उ. का 2.0 प्रतिशत) अनुमानित है, जोकि 2011-12 में 1,57,529 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय के मुकाबले 30 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल-सितम्बर 2012 के दौरान पूंजी व्यय 79,847 करोड़ रुपए रहा जबकि 2011-12 की समनुरूपी अवधि के दौरान यह व्यय 71,785 करोड़ रुपए रहा था। यह 11.2 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। बजट अनुमान के अनुपात के रूप में 2012-13 के प्रथमार्ध में पूंजी व्यय 39 प्रतिशत रहा जोकि पांच वर्ष के चल औसत 39.1 प्रतिशत के आस-

क्र.सं.	कुल व्यय	अप्रैल-सितम्बर					
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	राजस्व व्यय	259080	323211	409454	473155	527308	614172
2	पूंजी व्यय	58812*	25870	39394	64822	71785	79847
3	कुल व्यय	317892	349081	448848	537977	599093	694019
4	पूरे वर्ष के लिए बजट अनुमान	680521	750884	1020838	1108749	1257729	1490925
5	ब.अ. के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय	46.7	46.5	44.0	48.5	47.6	46.5
6	कुल व्यय की वृद्धि दर	26.2	9.8	28.6	19.9	11.4	15.8

* इसमें एसबीआई में इसकी धारिता के अधिग्रहण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को की गई अदायगी के कारण ₹35,531 करोड़ का एक-कालिक व्यय शामिल है।

पास ही है।

योजना व्यय

2.21 2012-13 के दौरान 5,21,025 करोड़ रुपए के योजना व्यय का अनुमान है जोकि 2011-12 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 26.0 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान योजना व्यय 2,02,740 करोड़ रुपए रहा, जो कि 2011-12 के दौरान समानरूपी अवधि में (1,77,823 करोड़ रुपए) 14 प्रतिशत की मामूली वृद्धि तथा ब.अ. 2012-13 पर 38.9 प्रतिशत की वृद्धि थी। यह सम्बद्ध ब.अ. के पांच वर्षों के संचल औसत 42.3 प्रतिशत की तुलना में योजना व्यय की मंद गति को दर्शाता है। मंत्रालयों/विभागों के लिए राजकोष 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान आयोजना व्यय में पूर्ववर्ती

वर्षों, के निष्पादन में होने वाली विविधताओं को अनुबंध 8 में दिखाया गया है। सम्बद्ध वित्तीय वर्षों की दूसरी तिमाही के अंत में बजट अनुमान की प्रतिशतता के रूप में योजना व्यय में प्रवृत्तियों को सारणी 2.5 में दर्शाया गया है।

आयोजना-भिन्न व्यय

2.22 ब.अ. 2012-13 में 9,69,900 करोड़ रुपए के आयोजना-भिन्न व्यय का अनुमान है, जोकि 2011-12 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों पर 9.6 प्रतिशत की और ब.अ.2012-13 में कुल व्यय लेखों में 65.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान आयोजना-भिन्न व्यय 4,91,279 करोड़ रुपए रहा जोकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इसी अवधि में 4,21,270 करोड़ रुपए पर 16.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

सारणी 2.5 : आयोजना व्यय की प्रवृत्तियां - अप्रैल-सितंबर

क्र.सं.	योजना व्यय	अप्रैल-सितम्बर					
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	राजस्व व्यय	71571	93727	108163	144847	151033	167499
2	पूंजी व्यय	15187	14725	18615	24860	26790	35241
3	कुल आयोजना व्यय	86758	108452	126778	169707	177823	202740
4	पूरे वर्ष के लिए बजट अनुमान	205100	243386	325149	373092	441547	521025
5	ब.अ. के प्रतिशत के रूप में आयोजना व्यय	42.3	44.6	39.0	45.5	40.3	38.9
6	आयोजना व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	26.0	25.0	16.9	33.9	4.8	14.0

सारणी 2.6: प्रमुख मदों पर आयोजना भिन्न व्यय तथा विकास दरें

आयोजना भिन्न मदें	पूर्वार्ध के		2011-12 की तुलना में
	दौरान व्यय (₹ करोड़)		
	2012-13	2011-12	2012-13 के दौरान विकास
प्रमुख सब्सिडी	141903	95190	49%
रक्षा	84925	75097	13%
ब्याज भुगतान	131165	122499	7%
कुल	357993	292787	22%

पांच वर्षों के औसत 48.8 प्रतिशत की तुलना में ब. अ. के अनुपात के रूप में प्रथमार्ध में आयोजना-भिन्न व्यय में 2012-13 के दौरान 50.7 प्रतिशत रहा था। समग्र संदर्भों में देखें तो 2011-12 की समनुरूपी अवधि की तुलना में 2012-13 की पहली छमाही के दौरान आयोजना भिन्न व्यय में 70,009 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। उक्त वृद्धि मुख्यरूप से तीन मदों नामतः ब्याज भुगतान (जोकि बढ़कर 8,666 रुपए हो गया है); प्रमुख सब्सिडियों (जिसमें 46,713 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है) तथा रक्षा व्यय, (जोकि 9,828 करोड़ रुपए हो गया है) पर बड़े हुए व्यय के कारण हुई है। सारणी 2.6 में उपर्युक्त तीन मदों में होने वाली प्रतिशत वृद्धि को दिखाया गया है।

2.23 उपर्युक्त तीनों मदों पर व्यय में वृद्धि सरकारी

वित्तीय व्यवस्था में संरचनात्मक समस्या की ओर इशारा करती है नीतीगत पहल खामियों के जरिए जिसका समाधान किया जाना जरूरी है। वित्तीय वर्षों के दूसरी तिमाही की समाप्ति की दौरान बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में आयोजना-भिन्न व्यय की प्रवृत्तियों को सारणी 2.7 में दर्शाया गया है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अंतरित संसाधन

2.24 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को अंतरित किए जाने के लिए 5,21,294 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 2012-13 की पहली छमाही के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 2,10,318 करोड़ रुपए के वास्तविक संसाधन अंतर्गत दिए गए। यह पिछले वित्तीय वर्ष में समनुरूपी अवधि के दौरान अंतरित 1,88,198 करोड़

सारणी 2.7 : अप्रैल-सितम्बर में आयोजना-भिन्न व्यय की प्रवृत्तियां

क्र.सं.	आयोजन-भिन्न व्यय	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	राजस्व खाता जिसमें	187509	229484	301291	328308	376275	446673
	ब्याज अदायगियां	72820	86061	86669	102779	122499	131165
2	पूंजी व्यय	43625*	11145	20779	39962	44995	44606
3	कुल व्यय	231134	240629	322070	368270	421270	491279
4	पूरे वर्ष के लिए ब.अ.	475421	507498	695689	735657	816182	969900
5	ब.अ. के प्रतिशत के रूप में आयोजना-भिन्न व्यय	48.6	47.4	46.3	50.1	51.6	50.7
6	आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	26.3	4.1	33.8	14.3	14.4	16.6

* इसमें एसबीआई में इसकी धारिता के अधिग्रहण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को की गई अदायगी के कारण ₹35,531 करोड़ का एक-कालिक व्यय शामिल है।

56 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

रुपए में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2012-13 की पहली छमाही के दौरान सकल कर प्राप्तियों के अनुपात के रूप में केंद्रीय करों में राज्यों की सहभागिता 30.5 प्रतिशत रही जोकि 2011-12 की समनुरूपी अवधि में अंतरित 30.6 प्रतिशत के लगभग बराबर रही।

घाटा

2.25 बजट 2012-13 में 5,13,590 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित था जोकि स.घ.अ. का 5.1 प्रतिशत था। अप्रैल-सितम्बर 2012 में राजकोषीय घाटा 3,36,904 करोड़ रुपए रहा, जोकि बजट अनुमान 2012-13 का 65.6 प्रतिशत है। 2012-13 की पहली छमाही के दौरान ब.अ. के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे के बढ़ते हुए स्तर की तुलना पिछले पांच वर्षों के औसत 56.6 प्रतिशत से करे तो यह कई गहन चिन्ताओं को जन्म देता है। कर राजस्व में कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्तिगत विचलन नहीं दीखता। पहली छमाही के दौरान व्यय बजट अनुमानों के अनुरूप ही रहा। तथापि, विनिवेश प्राप्तियों और संभावित उच्चतर सब्सिडी सम्बन्धी अपेक्षाओं की अनिश्चतताओं ने 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने के काम से ज्यादा मुश्किल और चुनौती पूर्ण बना दिया है।

2.26 बजट में 2012-13 के लिए 3,50,424 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान किया गया था। जोकि स.घ.अ का 3.4 प्रतिशत था। बजट अनुमान 2012-13

के 75.1 प्रतिशत के रूप में अप्रैल-सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान राजस्व घाटा 2,63,284 करोड़ रुपए रहा। बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में पहली छमाही के दौरान पांच वर्षों का सचल औसत 77.0 प्रतिशत रहा। चालू वर्ष में पहली छमाही के दौरान प्रत्यक्ष करों में रिफन्ड (46,012 करोड़ रुपए) पिछले वर्ष की पहली छमाही के रिफन्ड (2011-12 में 62230 करोड़ रुपए) से कमतर रही। इसका नतीजा यह हुआ कि चालू वर्ष में केंद्र अपने घाटे को पूरा करने के लिए निवल कर संसाधनों (पोस्ट राज्यों के फंड तथा पोस्ट हस्तांतरण) ज्यादा उपलब्ध करा सका।

2.27 सम्बद्ध वित्तीय वर्षों की इसी छमाही में बजट अनु. के प्रतिशत के रूप में तथा समग्र: दोनो ही सदर्भों में विभिन्न घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को सारणी 2.8 में दर्शाया गया है।

घाटे का वित्तपोषण

2.28 भारत की संचित निधि में 3,36,409 करोड़ रुपए के घाटे को 3,03,185 करोड़ रुपए के निवल आंतरिक ऋण (-) 765 करोड़ रुपए की निवल विदेशी सहायता, 18,410 करोड़ रुपए अर्थोपाय अग्रिम/नकदी द्वारा आहरण में कमी और 1,486 करोड़ रुपए लोक लेखा निवल द्वारा जुटाया गया था जैसा कि नीचे सारणी 2.9 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.8 : अप्रैल-सितम्बर में घाटे में प्रवृत्तियां

क्र.सं.	घाटा	अप्रैल - सितम्बर					
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	राजस्व घाटा (आरडी) (अप्रैल-सितम्बर)	61124	78313	164983	74921	221780	263284
2	राजस्व घाटा (ब.अ.)	71478	55184	282735	276512	307270	350424
3	रा.घा. ब.अ. का प्रतिशत	85.5	141.9	58.4	27.1	72.2	75.1
4	राजकोषीय घाटा (अप्रैल-सितम्बर)	81200	102654	197775	133252	280810	336904
5	राजकोषीय घाटा (एफडी) (ब.अ.)	150948	133287	400996	381408	412817	513590
6	ब.अ. का प्रतिशत राजकोषीय घाटा	53.8	77.0	49.3	34.9	68.0	65.6
7	प्राथमिक घाटा (प्रा.घा.) (अप्रैल-सितम्बर)	8380	16593	111106	30473	158311	205739
8	प्राथमिक घाटा (ब. अ.)	-8047	-57520	175485	132744	144831	193831
9	ब.अ. के पी.डी. प्रतिशतता	-104.1	-28.8	63.3	23.0	109.3	106.1

सारणी 2.9 : घाटे का वित्तपोषण

		अप्रैल-सितम्बर 2012	अप्रैल-सितम्बर 2011
	राजकोषीय घाटा	336904	280810
	वित्तपोषण के स्रोत		
1	आंतरिक ऋण	303185	235399
क.	बाजार ऋण तथा अल्पावधिक उधार	331839	277074
ख.	राजकोषीय हुण्डियां (14 दिन)	-27549	-35733
ग.	क्षतिपूर्ति तथा अन्य बाण्ड	-3516	-6803
घ.	अन्य	2411	861
2	परिक्रामी निधि सहित विदेशी सहायता	-765	2368
3	नकदी में आहरण द्वारा कमी (+) वृद्धि (-)	18410	1833
4	लोक लेखा से उधार (-) / अधिशेष (+)	1486	407

* उच्चत और प्रेषण शामिल

2.29 2012-13 के पूर्वार्ध के दौरान सकल तथा निवल बाजार उधार क्रमशः 3,55,000 करोड़ रुपए तथा 2,84,384 करोड़ रुपए हो गए तथा ये वर्ष हेतु अनुमानित बाजार उधारों के 62.3 प्रतिशत तथा 59.4 प्रतिशत थे। पिछले वित्तीय वर्ष की उसी अवधि के दौरान सकल तथा निवल उधार बजट अनुमानों के क्रमशः 59.9 प्रतिशत तथा 55.6 प्रतिशत थे। राजकोषीय वर्ष 2012-13 के पूर्वार्ध (अप्रैल-सितम्बर) के अंत तक जारी प्रतिभूतियों के दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता 13.55 वर्षों पर पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 12.19 वर्षों से उच्चतर थी। उसी अवधि के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत आमदनी वर्ष 2011-12 के पूर्वार्ध की उसी अवधि के दौरान 8.40 प्रतिशत से बढ़कर 8.46 प्रतिशत हो गई। आसदनी के बढ़ने को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा उस दौरान अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीतिक अनुमान को रोकने हेतु आर बी आई की मौद्रिक नीति के रवैय्ये में परिवर्तन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

नकदी प्रबंधन

2.30 वर्ष 2012-13 का प्रारम्भ 26,022 करोड़ रुपए की अधिशेष नकदी तथा 50,000 करोड़ रुपए के निवेश अधिशेष की स्थिति से हुआ। दूसरी तिमाही के अंत में सरकार के पास 10 करोड़ नकद बचत तथा 35,412 करोड़ रुपए का निवेश था। अप्रैल-सितम्बर, 2012 के दौरान राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अंतर्गत निवल संग्रहण

ऋणात्मक ही बना रहा; यह पिछले वर्ष के पूर्वार्ध के दौरान (-) 6,549 करोड़ रुपए के मुकाबले (-) 13,593 करोड़ रुपए है।

एफआरबीएम के मध्यवर्षीय बैंचमार्को के संदर्भ में मूल्यांकन

2.31 एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 7 के अंतर्गत सरकार द्वारा उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करना अपेक्षित होगा यदि दूसरी तिमाही की समीक्षा के परिणाम यह प्रदर्शित करें कि:

- I. गैर-ऋण प्राप्तियों की कुल राशि उस वर्ष हेतु बजट अनुमानों के 40 प्रतिशत से कम हों; अथवा
- II. राजकोषीय घाटा उस वर्ष हेतु बजट अनुमानों से 45 प्रतिशत अधिक हो; अथवा
- III. राजस्व घाटा उस वर्ष हेतु बजट अनुमानों से 45 प्रतिशत से अधिक।

राजकोषीय वर्ष 2012-13 के पहले भाग का निष्पादन गैर ऋण प्राप्तियों, राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे के सम्बंध में किसी भी लक्ष्य के बैंच मार्क से मेल नहीं खाता। सारणी 2.10 से यह देखा जा सकता है कि केनल 2010-11 में सभी तीन एफ.आर.बी.एम. मध्यवर्षीय बैंच मार्क हासिल किये गये थे तथा यह 3 जी ब्रांड बैंड वायरलैस एक्सेस स्पैकट्रम नीलामी से प्राप्ति बजट अनुमानों से अधिक थी सारणी 2.10 ।

58 | मध्य-वर्षीय आर्थिक विश्लेषण

2.32 2004.05 के स्थिर मूल्यों की कारक लगत पर स.घ.उ. के अनुरूप वर्ष 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 6.9% की दर से विकास होने का अनुमान था, तथापि विनिर्माण और ट्रेड होटलों, परिवहन तथा संचार में प्रत्याशा से कम निष्पादन के मुख्याकारण हेतु इसे 6.5% तक संशोधित कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था में मंदी, कारपोरेट क्षेत्र में बढ़ती हुई लागतों के साथ कम होते हुए लाभ मार्जन ने सरकारी राजस्व में बजटीय वृद्धि से कमी हुई। दूसरी ओर तीन मुख्य सब्सिडियों अर्थात: खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम के बढ़ते हुए बिलों ने आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि की। वर्ष 2012-13 का बजट प्रस्तुत करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि विकास विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में बहाल हो जायेगा। वर्तमान वर्ष की दूसरी तिमाही में चल रही मंदी ने भी मध्य वर्षीय एफ.आर.बी.एम बैंच मार्क के अनुरूप गिरावट दर्ज की है। दूसरी तिमाही की संभावना अक्टूबर 2012 में आईआईपी में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि बेहतर कारपोरेट लाभ मार्जिन, मुद्रास्फीति में गिरावट और तीसरी तिमाही में बेहतर व्यवसाय संभावनाओं के चलते काफी बेहतर दिखाई देती है (अध्याय 3 के दृष्टिकोण भाग में ज्यादा ब्यौरा दिया गया है)।

2.33 सरकार निरंतर उभरती हुई आर्थिक घटबढ़ और राजकोषीय स्थिति की मानीटरिंग कर रही है। सरकार ने राजकोषीय सुदृढीकरण हेतु कार्ययोजना सुझाने के लिए डॉ विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है (ब्यौरे के लिए अध्याय 3 देखें)। सरकार ने लक्ष्यों की प्राप्ति के ब्यौरों पर कतिपय शर्तों के चलते इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इसकी कई सिफारिशों पर कार्रवाई आरंभ कर दी है।

- सरकार ने चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए सकल घरेलू उत्पाद के 5.3 प्रतिशत से घटाकर अगले वर्ष 4.8 प्रतिशत करके राजकोषीय सुदृढीकरण हेतु कार्ययोजना की घोषणा की है। तत्पश्चात राजकोषीय घाटे को प्रतिवर्ष 0.6 प्रतिशत घटाकर (2016-17 तक) 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः 4.2%, 3.6 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत पर लाना है।
- बढ़ते हुए सब्सिडी के भार को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने डीजल के मूल्य संशोधित

सारणी 2.10 : एफआरबीएम नियमावली के अंतर्गत मध्य वर्षीय बैंचमार्क बनाम परिणाम

एफआरबीएम नियमावली के अंतर्गत मध्य वर्षीय बैंचमार्क बनाम परिणाम							
क्र.सं.	वैरिएबल	एफआरबीएम नियमावली के अंतर्गत निष्पादन बैंचमार्क	अप्रैल - सितम्बर				
			2012	2011	2010	2009	2008
1.	कुल गैस-ऋण प्राप्तियां	40 प्रतिशत से कम नहीं	36.5	37.7	55.6	40.5	39.9
2.	राजकोषीय घाटा	45 प्रतिशत से अधिक नहीं	65.6	68.0	34.9	49.3	77.0
3.	राजस्व घाटा	45 प्रतिशत से अधिक नहीं	75.1	72.2	27.1	58.4	141.9

किए है और उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाले सिलिंडरों की सीमा तय की है। सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए सुधार भी शुरू किए हैं।

- सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है और जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है 2जी टेलीकाम स्पैक्ट्रम नीलामी का प्रारक्षित मूल्य संशोधित कर दिया गया है और जल्दी ही नए सिरे से नीलामी की जाएगी और विनिवेश हेतु इस योजना को शीघ्रता से निष्पादित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- सरकार ने वृहत आर्थिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और व्यय के यौक्तिकीकरण जैसे आर्थिक उपाय किए हैं। इसमें चालू वित्त वर्ष में योजना-भिन्न व्यय में 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती योजना और योजना-भिन्न पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध, विदेश मात्रा पर रोक, निधियों के पुनर्विनियोजन

पर प्रतिबन्ध, राज्यों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि को किए जाने वाले राजकोषीय अन्तरण का नियमबद्धता के साथ कड़ा अनुपालन आदि शामिल है।

- व्यय के संबंध में किए गए उपाय आंशिक तौर पर सब्सिडियों पर बजटीय व्ययों से अधिक व्यय को पूरा कर पाएंगे।

2.34 जहां चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में राजकोषीय निष्पादन इस वर्ष संभावित राजकोषीय संकेतों पर चिन्ता पैदा करते हैं। यह जानना शिक्षाप्रद होगा कि 2005-06 में भी ऐसी ही स्थिति आई थी। लेकिन वास्तविक राजकोषीय निष्पादन, ऋण भिन्न प्राप्तियों के लिए बजट अनुमानों के अनुरूप वपक था और घाटा संकेतकों के सन्दर्भ में निष्पादन बजट से कहीं अधिक था। अर्थव्यवस्था से होने वाली समुत्थानशीलता और पहले ही किए गए उपाय और जो संभव है से इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत रहेगा।

अध्याय III

विश्लेषण और संभावनाएं


विकास और निवेश

वर्ष 2008-09 के वैश्विक संकट, जिसने 2008-09 की चौथी तिमाही में कारक लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को घटाकर 3.5 प्रतिशत पर ला दिया था, के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ। वृद्धि सुधरकर 2009-10 की चौथी तिमाही में 11.2 प्रतिशत हो गई। तथापि, यूरोक्षेत्र में संकट के अनुसरण में और अन्य अनेक देशों में मंद सुधारों के साथ ही कतिपय घरेलू कारकों से तत्पश्चात आर्थिक विकास मंदा होना शुरू हो गया और पिछली पांच तिमाहियों में यह औसतन 5.8 प्रतिशत है। समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में औद्योगिक क्षेत्र के अंशदान में गिरावट जो 2009-10 की चौथी तिमाही में 36.9 प्रतिशत से 2011-12 की चौथी तिमाही में 9.8 प्रतिशत पर आ गई है, इस मंदी का मुख्य कारक रही है। वृद्धि में मंदी के अतिरिक्त, मुद्रास्फीति के उच्च स्तरों, उच्च राजकोषीय घाटे और चालू खाता घाटा बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था दबाव में रही हैं।

विनिर्माण वृद्धि में मंदी-संभावनाएं और ब्याज लागतें

3.2 हालांकि वैश्विक आर्थिक मंदी ने निर्यात पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, व्यवसाय का माहौल दबाव में होने के साथ ही उच्च ब्याज दरों और क्रेडिट वृद्धि में गिरावट के कारण निवेश वृद्धि में कमी हुई और उपभोग मांग में कुछ गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप समग्र वृद्धि में मंदी रही है। भारतीय रिजर्व बैंक का त्रैमासिक व्यवसाय संभावना सूचकांक (बीईआई) 2008-09 की पहली तिमाही में 96.4 के निम्न से सुधरकर 2010-11 की तीसरी तिमाही में 126.5 पर आ गया, तत्पश्चात निरंतर गिरा है। हालांकि, यह सूचकांक अभी भी वृद्धि क्षेत्र (अर्थात् 100 से ऊपर, जो वह दहलीज है जो सिकुड़न को विस्तार से अलग करती है)¹ लगभग आधी कंपनियों ने सूचित किया है कि जुलाई-सितंबर 2012 के दौरान उत्पादन में अवरोध उन्हें अपने सामान्य उत्पादन के स्तर प्राप्त करने से रोकते रहे हैं उन्होंने घरेलू मांग में कमी, आर्थिक वातावरण में अनिश्चितता, बिजली की कमी, निर्यात मांग में कमी और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की कमी का जिक्र किया है। अमौसमीकृत आईआईपी वृद्धि ने सामान्य व्यवसाय संभावना सूचकांक को प्रतिबिंबित किया है (चित्र 3.1)।

चित्र 3.1: व्यवसाय संभावना सूचकांक और आईआईपी वृद्धि (अमौसमीकृत वार्षिकीकृत तिमाही दर तिमाही)



¹ व्यवसाय संभावना सूचकांक प्रत्येक तिमाही में औद्योगिक संभावना का एकल स्नैपशाट दर्शाता है। यह सूचकांक उन नौ चुनिंदा निष्पादन मानदंडों, जहां भारांश सकल मूल्य वर्धन में उद्योग का हिस्सा है, में सभी उद्योगों से निवल अनुक्रियाओं के भारित औसत के रूप में संगणित किया जाता है। ये चुनिंदा मानदंड हैं 'समग्र व्यवसाय स्थिति', 'उत्पादन', 'आदेश बहियां', 'कच्चे माल का बीजक', 'तैयार माल का बीजक', 'लाभ कर मार्जिन', 'रोजगार', 'निर्यात' और क्षमता का उपयोग।


3.3 हालांकि मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए उच्च ब्याज दरें आवश्यक हो सकती हैं परन्तु उन्होंने विनिर्माण उद्योगों की ब्याज लागत बढ़ा दी है। इन कंपनियों के प्रचालन लाभों के प्रतिशत के रूप में ब्याज (गैर-सरकारी वित्तीय-भिन्न) 2009-10 की चौथी तिमाही में 15.2 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 की पहली तिमाही में 30.3 प्रतिशत हो गया है। सीएमआईई केपक्स में नई परियोजनाओं द्वारा यथा मापित निवेश इसी अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के 28.5 प्रतिशत से गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का 9.7 प्रतिशत रह गया है (चित्र 3.2)। वास्तव में, नई परियोजनाओं में मंदी का बड़ा भाग ब्याज खर्च में भारी बढ़ोतरी से पहले हुआ जो संकेत देता है कि अन्य कारक जैसे विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृतियां अथवा भूमि अधिग्रहण में मुश्किल ने भी भूमिका अदा की है। 1000 करोड़ रुपये से अधिक वाली परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय निवेश बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव एक ऐसा प्रयास है जो ऐसी स्वीकृतियां प्रदान करने में होने वाली अनावश्यक देरियों को कम करेगा क्योंकि देरियां विकास

को मंदा ही नहीं करती बल्कि परियोजनाओं को अव्यवहारिक भी बना देती हैं और उन्हें बैंकिंग प्रणाली के लिए एनपीए में बदल देती हैं।


3.4 निवेश में गिरावट ने पूंजीगत सामान के उत्पादन को प्रभावित किया। 2011-12 में पूंजीगत सामान के आयातों में उच्च वृद्धि (अध्याय 1 का पैरा 1.27) ने भी घरेलू उत्पादन की वृद्धि में गिरावट होने में योगदान किया है। विनिर्मित सामान उद्योगों के उत्पादन और आयातों के बीच विश्लेषण के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बिजली की मशीनरी (जिसकी पिछली 5 तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि थी) के मामले में उत्पादन और आयातों के बीच नकारात्मक संबंध अवलोकित किया जिसके परिणामस्वरूप निर्यातों द्वारा घरेलू उत्पादन का प्रतिस्थापन हुआ है।

3.5 कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में उच्च ब्याज दरों से काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। पूंजीगत सामान और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे ब्याज संवेदनशील क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि और बढ़ती रेपो दरों के बीच सुदृढ़ नकारात्मक सहसंबंध प्रतीत होता है (चित्र 3.3)। हालांकि

चित्र 3.2: कंपनियों की ब्याज लागत और औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश



चित्र 3.3: पूंजीगत वस्तुओं की संवृद्धि और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और रेपो दरें



यहां एक बार फिर उच्च ब्याज दरों को विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से सिर्फ एक कारक के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

मंदी का संभावनाओं के चक्र का निम्नतम होना

3.6 हालांकि ऐसे संकेत हैं कि मंदी की संभावनाओं का चक्र निम्नतम हो गया है। सरकार द्वारा सितम्बर और अक्टूबर 2012 में घोषित क्षमता निर्माण उपाय जिसमें विदेशी निवेश को लुभाने के लिए मल्टीब्रांड खुदरा, विमानन, विद्युत और प्रसारण जैसे क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष विदेश नीति का उदार बनाना, राजकोषीय समेकन हासिल करने के लिए रोड-मैप की घोषणा करना, डीजल आदि पर सब्सिडी को परिभेयकरण शामिल है, धीरे-धीरे कारोबार संभावनाओं को बेहतर कर रहे हैं, यद्यपि सुझाए गए राष्ट्रीय निवेश बोर्ड का प्रस्ताव करना जैसे कई उपायों के कार्यान्वयन में ठोस बदलाव लाने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का कारोबार संभावना सूचकांक लगातार 7 तिमाहियों में गिरावट की प्रवृत्ति के बाद अक्टूबर-दिसम्बर 2012 तिमाही में बढ़ा है। एचएसबीसी के क्रम प्रबन्धक सूचकांक (पीएमआई) ने विगत पांच महीनों में नवम्बर में तेजी से बढ़ी दरों को इंगित करते हुए नवम्बर माह में गति पकड़ी है। कम्पनियों ने आदेश बही प्रमात्रा में बढ़त दर्ज की और माल सूची में कमी के साथ, यह उच्चतर उत्पादन वृद्धि का स्तर तय कर सकता था।


निवेश योग्य निधियों की बेहतर उपलब्धता के कुछ शुरुआती संकेत

3.7 निवेश में आई कमी कुछ हद तक वित्तीय बाधाओं के कारण थी। जैसाकि अध्याय 1 में इंगित किया गया है समग्र जमाराशियों की वृद्धि में अत्याधिक कमी आई है। ये अप्रैल-सितम्बर 2011 में औसत 17.8 प्रतिशत से कम होकर अप्रैल-सितम्बर 2012 में 14.2 प्रतिशत रह गई। कारपोरेट लाभप्रदता जैसाकि कारपोरेट आन्तरिक संग्रहण के परिलक्षित किया गया है (करोपरान्त लाभ और अवमूल्यन) में भी तेजी से गिरावट आई है, ये 2009-10 की पहली तिमाही में बिक्री 14.3 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 की तीसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत रह गई है। राष्ट्रीय बचतों खासतौर से 2007-08 से वित्तीय बचतों (2007-08 में स.घ.उ. के 26.0 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 में स.घ.उ. के 19.6 प्रतिशत) में भी कमी आई है जो जनता द्वारा बचत न करे ने कारपोरेट बचत कम होने और


परिवारिक बचतों के वित्तीय पारिसम्पत्तियों (यहां तक कि हम सोने के क्रम को शामिल नहीं करते) से अलग स्थावर संपदा में बदलने के कारण है। पारिवारिक बचतों के घटक इंगित करते हैं कि पेंशन और भविष्य निधियों के शेयर में धीमी गिरावट आई है क्योंकि वास्तविक ब्याज दरे कम हुई है और स्थावर संपदा के रूप में, शेयर और डिबेन्चरों के निवेश कम हुए हैं और सोना और अधिक आकर्षित विकल्पों के रूप में अधिक मंहगा हो गया है। इसके अलावा सोने की मांग को घटाने के लिए सीमा शुल्क बढ़ाना-तस्करी को बढ़ावा दिए बिना ये कैसे किया जाए, इसकी भी एक सीमा है:-वास्तविक प्राप्ति से जुड़े बॉण्डों के साथ-साथ सोने से जुड़ी बचतों की पेशकश के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। आखिर कारपोरेट लाभप्रदता अपनी गिरावट की प्रकृति पर वापस लौटती दिखाई देती है (चित्र 3.4) जो सुझाव देती है कि निवेश के लिए घरेलू निधियों की उपलब्धता से बाद की तिमाहियों में वृद्धि देखी जा सकती है।

3.8 मंदी और लेब्रज के उच्च स्तर के कारण कुछ उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि का अनुभव हो रहा है बैंकिंग क्षेत्र की समग्र एनपीए मार्च 2011 में कुछ अग्रिम ऋणों के 2.36 प्रतिशत से बढ़कर सितम्बर 2012 (चित्र 3.5) के कुल अग्रिम ऋण का 3.57 प्रतिशत हो गई है। जहां एनपीए में समान रूप से वृद्धि हुई है एनपीए के अग्रिम ऋण मार्च 2011 में 1.91 प्रतिशत से बढ़ते हुए सितम्बर 2012 में 3.44 प्रतिशत होने के साथ यह वृद्धि खासतौर से उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्र में काफी तेज है। वे क्षेत्र जो विशेष रूप से दबाव में हैं उनमें शामिल हैं, वस्त्र, रसायन, लोह एवं इस्पात, खाद्य प्रसस्करण, निर्माण और दूर संचार। गैर-निष्पादित बैंक ऋण में तीव्र वृद्धि एक बार फिर परियोजनाओं को पूरा करने में हो रहे अनावश्यक विलम्ब को दूर करने के लिए सभी पणधारकों को एक दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता की सलाह देती है। इसके अलावा असफल परियोजनाओं को फिर से तेजी से तैयार करने, नए पैरामीटर अगर पुराने पैरामीटर समर्थता लाने में असमर्थ हैं बनाने और नई इक्विटी और बफर बैंक दावों के लिए बड़े इक्विटी धारकों सहित भावी वित्तपोषण में अपेक्षाकृत अधिक जोखिम पूंजी अग्रिमों की आवश्यकता है।

चित्र 3.4: कारपोरेट लाभप्रदता और सकल नियत पूंजी संरचना



चित्र 3.5: बैंकिंग क्षेत्र की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां



मुद्रास्फीति


3.9 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संदर्भ में मापित हेडलाइन मुद्रास्फीति अभी भी असन्तोषजनक रूप से अधिक बनी हुई है, यद्यपि यह 2010-12 में देखी गई मुद्रास्फीति से कम स्तर पर है। डब्ल्यूपीआई सूचकांकों में निरंतर रूप से शामिल की गई वस्तुओं का संवितरण इंगित करता है कि एक अंक में मुद्रास्फीति के साथ वस्तुओं की संख्या और भारांश में तदनु रूप वृद्धि के साथ 2012-13 (सारणी 3.1) के पूर्वोद्ध में दो अंकों में हुई मुद्रास्फीति का अनुभव लेते हुए वस्तुओं की संख्या में तेजी से कमी आई है। इस संवितरणीय बदलाव से न केवल मुद्रास्फीति कम हुई है बल्कि मुद्रास्फीति के नियंत्रित करने के लिए वस्तु आधारित कार्यनीतियों को अपनाने के लिए और अधिक जगह बनी है।

मुद्रास्फीति गति

3.10 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, लिए गए नीतिगत निर्णयों के लिए इसके वर्तमान स्तर के साथ मुद्रास्फीति की गति को समझना जरूरी है। हेडलाइन डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति के अलावा आरबीआई खाद्य भिन्न विनिर्माण मुद्रास्फीति को मॉनीटर कर रहा है। चूंकि यह प्रमुख मुद्रास्फीति का अहम घटक है जो इसके नीतिगत दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा। इस बात पर जोर देने का आंशिक तौर पर यह कारण है कि मांग स्थितियां जिन पर आरबीआई की ब्याज दर नीतियों का प्रभाव पड़ सकता है को बेहतर ढंग से एनएफएम द्वारा मापा जा सकता है और एनएफएम मुद्रास्फीति पूर्णतया विकट है। मुद्रास्फीति की मौसमी समायोजित वार्षिक दर दर्शाती है कि इस समय एनएफएम मुद्रास्फीति कम हो रही है।

सारणी 3.1: डब्ल्यूपीआई का बांरबारता संवितरण मुद्रास्फीति के दायरे में आने वाली वस्तुएं							
	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
	अप्रैल-सितंबर	अक्टूबर-मार्च	अप्रैल-सितंबर	अक्टूबर-मार्च	अप्रैल-सितंबर	अक्टूबर-मार्च	अप्रैल-सितंबर
हैडलाइन मुद्रास्फीति	0.64	7.01	9.90	9.24	9.66	8.24	7.66
मुद्रास्फीति के दायरे में आने वाली वस्तुओं का बांरबार संवितरण (वस्तुओं की संख्या)							
5 तक	492	459	389	394	340	397	449
6-10	81	88	112	113	149	124	137
10 से अधिक	103	129	175	169	187	155	95
वस्तुओं की भारांश (प्रतिशत)							
5 तक	75.25	63.66	40.50	47.17	39.37	47.86	49.21
6-10	8.69	12.82	22.81	17.79	30.81	20.94	31.21
10 से अधिक	16.06	23.52	36.69	35.04	29.82	31.20	19.58

चित्र 3.6: डब्ल्यूपीआई प्रमुख मुद्रास्फीति की गति




3.11 हाल ही में प्रमुख मुद्रास्फीति के अन्तर्गत जहां पूंजीगत वस्तुओं में मुद्रास्फीति मन्द पड़ी हुई है, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में मुद्रास्फीति सामान्य दिख रही है (चित्र 3.7) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में मुद्रास्फीति सामान्यतः प्रमुख मुद्रास्फीति से ऊपर रही है और इसमें आई गिरावट मौद्रिक नीति के प्रभाव को दर्शाती है।

3.12 अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2012 की अवधि के दौरान डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में उसके आरंभिक उच्च स्तर के कारण तीव्र गिरावट देखी गई है। खाद्य मुद्रास्फीति हालांकि अधिक संरचनागत है और मौद्रिक नीति परिवर्तनों पर इसकी प्रतिक्रिया धीमी है तथापि खाद्य मुद्रास्फीति की गति भी इनके कम होने की तरफ इशारा कर रही है। (चित्र 3.8)


3.13 कुछ अर्थशास्त्री एनएफएम मुद्रास्फीति के बजाय उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए केन्द्रीय बैंक को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि पहली मुद्रास्फीति वह मुद्रास्फीति है जो कठिन गली में भी अनुभव कर लेता है। इसके अलावा व्यापक और निरंतर सीपीआई मुद्रास्फीति

जनता के बीच उच्च स्फीतिकारी संभावनाओं को मजबूत कर सकती है। हालांकि जनवरी 2010 में सीपीआई की नई श्रृंखला जारी करने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के समक्ष तीन उपभोक्ता सूचकांक हैं, में सभी सूचकांक उपभोक्ताओं की एक विशिष्ट श्रेणी के होते हैं। औद्योगिक कामगारों के लिए सीपीआई मुख्यतः मजदूरी को क्रमबद्ध रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है हालांकि कई अर्थशास्त्रियों द्वारा सीपीआई सूचकांक को प्राथमिकता दी गई है। अगस्त 2010 से मार्च 2012 के दौरान मुद्रास्फीति कमोवेश एक ही तरह का रुख अपनाते हुए दिखाई दी है चाहे वह डब्ल्यूपीआई के सन्दर्भ में मापित हो अथवा सीपीआई-आई डब्ल्यू के। हाल के महीनों में इन दो पद्धतियों में लगभग 2 प्रतिशत का बिन्दु अन्तराल उभरा है। सीपीआई-आई डब्ल्यू द्वारा इसकी गैर-मौसमी श्रृंखलाओं में मापित इसकी गति हालांकि हाल के महीनों में डब्ल्यूपीआई-कोर और डब्ल्यूपीआई खाद्य (चित्र 3.9) दोनों में मुद्रास्फीति में आई कमी को इंगित करती है।


चित्र 3.7: उपभोक्ता टिकारु वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में मुद्रास्फीति



चित्र 3.8: खाद्य मुद्रास्फीति की गति



चित्र 3.9: सीपीआई-आईडब्ल्यू मुद्रास्फीति की गति



मुद्रास्फीति क्यों बनी हुई है ?


3.14 प्रोटीन युक्त भोजन खासकर मांस, मछली और अंडों, दूध और दुग्ध-उत्पादों और सब्जियों व फलों में आहार संबंधी आदतों में परिवर्तन तथा आपूर्ति में बाधाओं के कारण मुद्रास्फीति निरंतर बनी है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आंकड़े इंगित करते हैं कि हालांकि कुल निजी अंतिम उपभोग व्यय में भोजन के हिस्से में निरंतर गिरावट दर्शायी है, प्रोटीन युक्त भोजन पर व्यय 1980-81 में कुल खाद्य व्यय 18.6 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 29.6 प्रतिशत हो गया है। आय में वृद्धि ने उपभोग में इस वांछनीय परिवर्तन को व्यावहारिक बना दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति हेतु समंजित प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ती रही है। ग्रामीण पारिश्रमिकों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। सांकेतिक अर्थों में ग्रामीण पारिश्रमिक भी 2008-09 से 18 प्रतिशत से अधिक की औसत से बढ़े हैं इस अवधि के दौरान मुद्रास्फीति समंजित ग्रामीण पारिश्रमिक भी 7.5

प्रतिशत बढ़े हैं (चित्र 3.10)। भोजन, पशुचारा और अन्य निविष्टियों के मूल्यों में यथा प्रतिबिंबित खाद्य और खाद्य-भिन्न सघटकों में उत्पादकों की निविष्टि लागतें भी बढ़ी है। हालांकि किसानों को लाभकारी आमदनी सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूरी है परन्तु इसमें न्यूनतम मूल्यों को बढ़ा दिया और निविष्ट मूल्यों को बढ़ाने में भी योगदान किया है।

कीमतों के दबाव में वस्तुएं और नीतिगत पहलें

3.15 जैसाकि पूर्व में इंगित किया गया है कुछेक वस्तुओं ने मुद्रास्फीति में अननुपातिक रूप से योगदान किया है। 2012-13 की दूसरी तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक में 28.5 प्रतिशत के भारांश वाली 19 वस्तुओं (वस्तु समूह) ने कुल मुद्रास्फीति में 67.8 प्रतिशत का योगदान किया है (सारणी 3.2)। 2012-13 की दूसरी तिमाही में इन वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु का योगदान उनके भारांश से 1.5 गुणा (दूध को छोड़कर) अधिक था।

चित्र 3.10 : प्रति व्यक्ति आय, ग्रामीण पारिश्रमिक और सीपीआई-आईडब्ल्यू का सूचकांक



सारणी 3.2 : मुद्रास्फीति में योगदान (प्रतिशत) नजर रखे जाने वाली मर्दें

	भारांश	2010-11	2011-12				2012-13	
			ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2
चावल	1.79	1.33	0.66	0.84	0.68	0.68	1.61	2.79
गेहूँ	1.12	0.44	-0.01	-0.14	-0.52	-0.47	1.06	1.97
चना	0.33	-0.06	0.25	0.82	1.77	1.89	2.44	3.01
अरहर	0.14	-0.11	-0.36	-0.29	-0.06	-0.23	-0.12	0.35
टमाटर	0.27	0.79	0	-0.68	0.85	-0.54	0	0.75
आलू	0.20	-1.2	0	0.25	-0.38	-0.08	1.5	1.66
दूध	3.24	7.63	2.84	4.21	4.88	6.78	5.96	3.63
मछली (अंतर्देशीय + समुद्री)	1.30	5.47	2.29	2.96	4.12	6.79	5.64	4.67
काली मिर्च	0.03	0.14	0.33	0.31	0.41	0.41	0.36	0.37
तिलहन + खाद्य तेल + तेल की खली	5.32	2.47	6.27	6.89	5.64	6.26	8.84	11.97
चीनी	1.74	-0.25	1.14	1.2	1.35	0.84	1.32	3.67
खनिज	1.52	6.14	7.07	6.7	7.21	11.72	4.72	5.04
कोयला	2.09	1.49	3.38	3.29	3.48	7.12	4.68	4.46
प्रशासित-भिन्न खनिज तेल	3.04	6.63	10.92	10.2	13.73	13.18	9.01	7.82
बिजली	3.45	1.59	0.08	-0.09	0.8	1.4	2.89	5.37
यूरिया-भिन्न उर्वरक	1.08	0.83	1.01	1.39	2.9	3.41	3.33	4.03
सीमेंट और लाइम	1.39	0.2	0.32	0.08	1.12	1.27	1.37	2.12
स्वर्ण और स्वर्ण आभुषण	0.36	1.75	2.75	3.15	3.66	4.06	3.6	2.78
ग्वार बीज	0.05	0.04	0.25	0.5	0.68	2.4	3.99	1.3

3.16 दो कारकों ने अनाजों में मुद्रास्फीति बढ़ाने में योगदान किया। गेहूँ और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि के अतिरिक्त, खासकर गेहूँ की, खुले बाजार में उपलब्धता व मांग में बेमेलता रही है। भारतीय खाद्य निगम ने अगले तीन महीने में गेहूँ की 65 लाख टन की खुली बाजार बिक्रियों के कार्यक्रम की पहले ही घोषणा कर दी है जिससे बाजार के शांत रहने व मूल्य वृद्धि की संभावना को मंद रखने की प्रत्याशा है। दालों की कीमतों में उछाल मुख्यतया मांग और घरेलू उपलब्धता में विद्यमान बेमेलता के कारण है। दीर्घावधि में दालों में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करने के लिए उन्नत उत्पादकता के जरिए दालों की आपूर्ति में वृद्धि अपेक्षित है।

3.17 विगत हाल में सब्जियों की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं। मांग और आपूर्ति में बेमेलता के अतिरिक्त अकुशल मध्यस्थता और उनके लेनदेन के विभिन्न चरणों के सब्जियों में मूल्यों में हानि ने इनके मूल्यों की वृद्धि और अस्थिरता में योगदान किया है। मूल्यों में स्थानिक अंतरों व अतिकालिक मूल्यों में अस्थिरता को आपूर्ति कड़ी के तंत्र को सुधारकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। किसान और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों की भारी संख्या व पैकिंग, छंटाई, परिवहन और वितरण में देरियों के कारण मध्यस्थता लागतें और मूल्य हानियां बढ़ जाती हैं। संगठित विपणन और बेहतर निजी क्षेत्र की भागीदारी इस स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं परन्तु इसके लिए एपीएमसी कानूनों में सुधार करना अपेक्षित है। मुद्रास्फीति संबंधी अंतर-मंत्रालयीय समूह ने खराब होने वाली चीजों को एपीएमसी के क्षेत्राधिकार से छूट देने, संग्राहकों व प्रसंस्कर्ताओं को सीधी बिक्रियां करने की किसानों को छूट देना, सभी मंडियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफार्म की शुरुआत करना और उत्पादकों को व्यापक विकल्प सुनिश्चित कराने व व्यापारियों के उत्पादक संघ से बचाव के लिए बैंक गारंटियों द्वारा समर्थित खुले पंजीकरण वाले एपीएमसी बाजार के लाईसेंस प्रतिस्थापित किए जाएं। कम अवधि वाली सब्जियों की फसलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन सूचना के प्रवाह में विषमता कम करने और उत्पादकों को समुचित विपणन संकेत उपलब्ध करा सकता है।

3.18 इन संतुत रूपरेखा में कुछ परिवर्तन हुए हैं। समेकित भूतल श्रृंखलाओं को विकसित करने के लिए, सरकार बाजारी फीस की लेवी से सब्जियों को छूट प्रदान करने की जरूरत पर भी जोर देती रही है। मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने हाल ही में फलों व सब्जियों पर बाजारी फीस से छूट प्रदान की है। ऐसी छूटों से अपेक्षा

की जाती है कि वे निजी क्षेत्र द्वारा अंतिम छोर की अवसंरचना के विकास में निवेश का संवर्धन करें। कृषि मंत्रालय अग्रिम बाजार आयोग के सहयोग से विभिन्न राज्यों में लगभग 1700 मंडियों में मूल्य-दर्शाने वाले बोर्डों पर वर्तमान और भविष्य की कीमतों को दर्शाने को सुसाध्य बनाएगा। फिलहाल, सरकार ने मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति प्रदान की है यह उपभोक्ताओं व किसानों को, दोनों को जोड़ने वाली संभार सुविधाएं सुधार कर सहायता प्रदान करेगा।

3.19 दूध तथा पशु उत्पादों में लगातार उच्च मुद्रास्फीति आंशिक रूप से उत्पादन केन्द्रों में क्षेत्रीय सघनता, निवेश लागत में वृद्धि के कारण है जिसने आटे का भाव बढ़ा दिया है और इससे उत्पादकता में कमी आयी है। कुछ मामलों में उपलब्धता में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से यह उच्च लागत पर हुई है। इसके अलावा, सीमित संगठित विपणन के कारण (दूध के मामले में यह कुल दुग्ध उत्पादक का लगभग 15 प्रतिशत है) बैंक एंड अवसंरचना जैसे सीवन दी शीत श्रृंखला स्थापित नहीं हुई है, गुणवत्ता में कमी हुई है और अपव्यय में वृद्धि हुई है। आपूर्ति बढ़ाने और भंडारण में सुधार तथा माल गोदाम सुविधाओं के लिए केन्द्रीय बजट 2012-13 में बहुत से उपायों की घोषणा की गई है। सरकार ने 2011-12 में 300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रोटीन अनुपूरकों के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया था। ताजा जल मत्स्य उत्पादन के अलावा, तटीय मत्स्य उत्पादन में मछली उत्पादन के भविष्य को विस्तृत करने के लिए, 2012-13 में मिशन के लिए परिव्यय 500 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा रहा है।

3.20 रंगराजन समिति ने चीनी उद्योग से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया है। समिति ने चीनी उद्योग का विनियमन न करने तथा लेबी दायित्वों के साथ विनियमित तंत्र को समाप्त करने की सिफारिश की है ये सिफारिशें खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के विचाराधीन है।

3.21 उर्वरकों (यूरिया) को छोड़कर एनएमएम उत्पाद, अनियंत्रित पेट्रोलियम उत्पाद तथा खाद्य तेल पूर्णतः व्यापार योग्य हैं तथा इनमें से कोई भी उत्पाद नियंत्रित मूल्य व्यवस्था के अधीन नहीं है। इन उत्पादों के लिए घरेलू कीमतें वैश्विक वस्तु कीमतों तथा उन उत्पादों की घरेलू उपलब्धता दोनों द्वारा शासित होती हैं। स्थायी रुपया तथा नियंत्रित वैश्विक कीमतें, दोनों तुलनात्मक रूप से दोष मुक्त कारक हैं जो इन उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण संकेत हैं।

3.22 संक्षेप में, भारत मुद्रास्फीति मांग और आपूर्ति के बीच परंपरागत बेमेल से उत्पन्न होती है। विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन की तुलनात्मक मात्रा भिन्न-भिन्न है। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए माँग हाल ही तक उच्च रही है, जबकि पूंजीगत वस्तुओं के लिए मांग निवेश की कमी के कारण अधिक मंदी रही है।

3.23 उपभोग समूह के स्थानांतरण के कारण मुद्रास्फीति की तस्वीर भारत में और भी जटिल है तथा फल व सब्जियों जैसे प्रोटीनों और सूक्ष्म पोषाहारों की आपूर्ति ने तेजी से प्रत्युत्तर नहीं दिया है। लोगों की वरीयता को परिवर्तित करने के लिए ब्याज दर संभवतः अनुपयुक्त साधन है। इस कारण से आरबीआई के लिए यह तर्कसंगत होगा कि वह खाद्य कीमतों में वृद्धि की जाँच करे (जिसे यह एनएफएम मुद्रास्फीति पर ध्यान केन्द्रित करके करता है) जब यह सुनिश्चित करना हो कि खाद्य मुद्रास्फीति वेतनों तथा सामान्यकृत मुद्रास्फीति को न बढ़ाये। दुर्भाग्यवश, खाद्य पदार्थ किसी भी कामगार के खपत समूह का एक

बड़ा हिस्सा होते हैं तथा उच्चतर खाद्य कीमते उच्चतर मजदूरी मांगों का कारण बनती है। क्या किया जा सकता है। अपेक्षाकृत अधिक प्रोटीन आपूर्ति के लिए स्थितियों के सृजन हेतु सरकारी प्रयास (जिनमें से कुछ का वर्णन पहले किया जा चुका है) महत्वपूर्ण है। उत्पदकता वृद्धि से सीधे असंबद्ध मजदूरी मुद्रास्फीति को मंद करने पर भी अन्वेषण किया जा सकता है।

चालू खाता घाटा (सीएडी)

3.24 भारत का चालू खाता घाटा हालिया वर्षों में प्रबंधनीय सीमाओं में रहा है तथा इसका वित्तपोषण अधिकांशतः पूंजीगत प्रवाहों द्वारा होता है। तथापि वर्ष 2011-12 के दौरान, सीएडी बढ़ते व्यापार घाटे के कारण बढ़कर स.घ.उ. का 4.2 प्रतिशत हो गया। इसने भुगतान संतुलन की सुभेद्यता को बढ़ाकर "अकस्मात रोक" तथा पूंजी प्रतिवर्तन पर ला दिया है, विशेषकर जब अधिकांश प्रवाहों में कर्ज तथा अस्थिर पोर्टफोलियो निवेश शामिल है।

भारत में मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान

वर्धित फिलिप्स वक्र ढांचा इस बात को समर्थित करता है कि मांग तथा आपूर्ति कारक मुद्रास्फीति के चालक है। वैश्विक वस्तु कीमतों का सशक्त तथा त्वरित प्रभाव पड़ता है तथा वैश्विक ईंधन भिन्न वस्तु कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि उसी तिमाही में शीर्ष रेखा डब्ल्यू पीआई मुद्रास्फीति को 70-90 आधार बिंदु बढ़ा देती है जबकि दीर्घावधि प्रभाव दोगुना होता है (140-180 आधार बिन्दु)। विनिमय दर पास-थ्रू अल्पावधि में 0.06 होता है तथा दीर्घावधि में 0.12 होता है अर्थात् अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की 10 प्रतिशत वृद्धि (मूल्यहास) उसी तिमाही में मुद्रास्फीति को 60 आधार बिन्दु घटा (बढ़ा) देती है जबकि दीर्घावधिक पास थ्रू 120 आधार बिंदु होता है। जुलाई में वर्षापात में 10 प्रतिशत की कमी तीन तिमाहियों के अंतराल में शीर्ष रेखा मुद्रास्फीति को 60 आधार बिन्दु बढ़ा देती है तथा दीर्घावधिक प्रभाव 120 आधार बिन्दु पड़ता है न्यूनतम समर्थन मूल्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 10 प्रतिशत की वृद्धि एक तिमाही के अंतराल में शीर्ष रेखा डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति में 100 आधार बिन्दु की बढ़ोतरी करती है तथा दीर्घावधिक प्रभाव 200 आधार बिन्दु पड़ता है, साथ ही, यह पाया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों की अनुक्रिया भी शीर्ष रेखा डब्ल्यू भी आर मुद्रास्फीति के प्रति एक अंतराल से होती है, शीर्ष रेखा मुद्रास्फीति की तुलना में एनएफएमपी मुद्रास्फीति पर मांग दशाओं के आपेक्षतया सशक्त प्रभाव का निष्कर्ष अर्थव्यवस्था में मांग दबावों के संकेतक के रूप में एएफएमपी पर भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत संकेन्द्रण को समर्थित करता है। दूसरे, एनएफएमपी मुद्रास्फीति शीर्ष रेखा मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक निरंतर होती है, एएफएमपी का सापेक्षतया विकट स्वरूप भी एनएफएमपी का प्रयोग मुद्रास्फीति के एक केन्द्रीय माप के रूप में या अंतर्हित मुद्रास्फीति कारी दबावों के रूप में किए जाने को समर्थित करता है।

मनीष कपूर - मुद्रास्फीति पूर्वानुमान: भारत में मुद्दे तथा चुनौतियां - भारतीय रिजर्व बैंक, शोधपत्र श्रृंखला (डीईपीआर) : 01/2012

3.25 अतः प्राथमिकता व्यापार संतुलन में सुधारों के जरिए सीएडी को कम करने की रही है। निर्यात वस्तु समुह तथा निर्यात गंतव्यों को विविधीकृत करके निर्यातों को संवर्धित करने के प्रयास किए गए हैं। आयातों को सीमित करने का एक तरीका कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर लाना है ताकि प्रयोक्ता पूर्ण लागत अदा करें। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के विकास हेतु एकीकृत अनुसंधान तथा कार्रवाई द्वारा "डीजल कीमत तथा अल्प वसूलियां : वृहत्त-आर्थिक प्रभाव" संबंधी वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन ने सुझाया है कि डीजल कीमत संशोधन का मध्यावधि में मुद्रास्फीति को रोकने, स.घ.उ. की वृद्धि को बढ़ाने तथा राजकोषीय घाटा कम करने पर

सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा (बाक्स 3.2) ।

3.26 प्रेषणों को और सुकर बनाने तथा साफ्टवेयर निर्यातों को प्रोत्साहन देने पर जोर जारी रहा है जो अदृश्य खाते में अधिशेष के लिए उत्तरदायी रहे हैं। हालिया वर्षों में इस अधिशेष ने बढ़ते व्यापार घाटे के सीएडी पर प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से कम किया है। ये दोनों संघटक मिल कर व्यापार घाटे के लगभग दो-तिहाई के लिए उत्तरदायी है जो 2011-12 में स.घ.उ. के 10 प्रतिशत से अधिक था। प्रेषण विशेष रूप से समुत्थाशीलता प्रदर्शित करते हैं जब देश को बाह्य आघात पहुंचाता है जैसाकि 2008 के वैश्विक संकट के दौरान स्पष्ट था।

बाक्स 3.2 डीजल की कीमत और अल्प वसूलियां : वृहत्त आर्थिक प्रभाव

वित्त मंत्रालय की ओर से आरंभ एकीकृत विकास अनुसंधान और कार्रवाई द्वारा "डीजल की कीमत और अल्प वसूलियां: वृहत्त प्रभाव" विषय पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि डीजल की कीमत की समीक्षा से मुद्रास्फीति को रोकने, सकल घरेलू उत्पाद से वृद्धि को बढ़ाने और राजकोषीय घाटा कम करने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मुद्रास्फीति पर प्रभाव

जैसे-जैसे राजकोषीय घाटा कम किया जाएगा वैसे वैसे डीजल की कीमत में किसी प्रकार की बढ़त से कीमतें तत्काल बढ़ जाएंगी, परंतु दीर्घकाल में कीमत में अल्पतर वृद्धि होगी। नीतिगत बदलाव न किए जाने से मुद्रास्फीति 2011-15 में 7.13 प्रतिशत होगी जबकि डीजल की कीमत में एक बारगी 30 प्रतिशत की बढ़त से औसत मुद्रास्फीति की दर घटकर 5.68 हो जाएगी। डीजल की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि से भी मुद्रास्फीति दर में 2011-15 के दौरान घटकर औसतन 6.66 प्रतिशत होने की प्रत्याक्षा है।


सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव

डीजल की कीमत संबंधी नीति भी सकल घरेलू उत्पाद पर असर डालती है। अध्ययन किए गए विविध परिदृश्यों के अंतर्गत प्रोग्राम की कीमत बढ़ाने के बाद से आसन्न तिमाहियों में सघउ पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है तथापि जैसे-जैसे कीमत वृद्धि का असर पड़ता है और मुद्रास्फीति में गिरावट आती है ("बदलाव रहित" परिदृश्य का तुलना में) वैसे-वैसे सधनि में तेज वृद्धि होती जाती है। व्यव लाभ के सामान्य रहने, डीजल की कीमतों में एकबारगी 30 प्रतिशत की बढ़त करने और कीमतों में आंशिक 10 प्रतिशत की बढ़त होने से 2011-15 के दौरान सघउ की संवृद्धि क्रमशः 8.23 प्रतिशत 8.92 प्रतिशत और 8.46 प्रतिशत के औसत के होने का अनुमान है।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

विश्लेषण से संकेत मिलता है कि व्यवसाय के सामान्य रहने, डीजल की कीमतों में एकबारगी 30 प्रतिशत की बढ़त करने तथा कीमतों में आंशिक 10 प्रतिशत की बढ़त होने के डीजलता की खपत क्रमशः 26.81 करोड़ लीटर, 2445 करोड़ लीटर और 2549 करोड़ लीटर तक पहुंच जाएगी।

चित्र 3.11 भुगतान शेष मापदंडों की त्रैमासिक घट-बढ़



3.27 स्वर्ण आयात सीएडी के ह्रास का एक मुख्य कारक रहे हैं, स्वर्ण ऋण कम्पनियों की वृद्धि में तीव्र बढ़ोत्तरी से चिंतित होकर, भा.रि.बैंक एनबीएफसी द्वारा स्वर्ण के बढ़ते उधार देने के मानदंडों को कठोर करता रहा है तथा इसने उन ऋणों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के टैग को फरवरी, 2011 में हटा दिया है जिन्हें बैंक एनबीएफसी को आगे उधार देने के लिए देते थे जिसमें ऐसी कम्पनियों के लिए मुद्रा की लागत में वृद्धि हुई है। मार्च 2012 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने उस राशि पर 60 प्रतिशत की सीमा लगाई जो एनबीएफसी स्वर्ण के बदले उधार पर दे सकते हैं। इसके बाद बैंकों के उद्भाषण को एकल स्वर्ण ऋण को एनबीएफसी के पूंजी आधार के 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत किया गया था। वाणिज्यिक बैंकों को भी स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी पर समग्र देनदारी के लिए आंतरिक सीमा नियत करने के लिए कहा गया। अक्टूबर में, भा.रि.बैंक ने बैंकों पर कार्यशील पूंजी वित्त से अन्यथा किसी भी रूप में स्वर्ण की खरीद के वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगा दिया ।

3.28 स्वर्ण-संबद्ध खातों तथा बहुमूल्य घातु के साथ संबद्ध पेंशन उत्पाद के अतिरिक्त आरोपित स्वर्ण जमा तथा स्वर्ण संचय योजनाओं के रूप में नवीन स्वर्ण समर्थित वित्तीय प्रपत्र घरेलू बाजार में सर्राफा तथा स्वर्ण में प्रत्यक्ष निवेश के आकर्षण को कम करने तथा आयातों में पर्याप्त वृद्धि पर रोक लगाने के लिए विचारित कुछ उपाय हैं। स्वर्ण समर्थित उत्पाद निवेशकों को जिसमें वस्तुतः निवेश किए बिना उच्च प्रतिफल जिसमें निवेशों का लाभ प्राप्त करने की अनुमति निवेशकों को देंगे। इस प्रकार निवेशकों

को घरेलू बाजार में अधिक विकल्प प्राप्त होंगे वस्तुतः स्वर्ण संबद्ध प्रपत्रों को स्वर्ण की प्रत्यक्ष या व्युत्पाद बाजारों में खरीद के जरिए रक्षित करना होगा। यह देखने के लिए कि क्या सोने की कुल मांग वास्तव में गिरती है निर्गमित किसी भी स्वर्ण संबद्ध प्रपत्र का सावधानी-पूर्वक निरीक्षण करना पड़ेगा। तथापि, साधारणता परिसंपत्तियों में वित्तीय निवेशों के लिए जन-साधारण की मांग जो अपना वास्तविक मूल्य कायम रखती है, पर ध्यान देने की आवश्यकता है निश्चित रूप से इस समस्या का आदर्श समाधान मुद्रास्फीति को कम करना होगा ताकि परिवारों को परंपरागत वित्तीय परिपत्रों से अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो।

3.29 पूंजी प्रवाह दोनों पुल (प्राप्तकर्ताओं के आर्थिक मूलभूत तत्व) और पुश (स्रोत देशों के नीति रुझान) कारकों द्वारा संचालित होते हैं और इनके विनिमय दर प्रबंधन समग्र वृहत आर्थिक स्थिरता के लिए निहितार्थ है। जिनमें नकदी उपलब्धता स्थितियां शामिल हैं। पूंजी खाता प्रबंधन को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संवर्धन को प्रबल करने तथा अस्थिर पोर्टफोलियो प्रवाह पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है। इसमें सुनिश्चित होगा कि जहां तक चालू खाता घाटा पूंजी अधिशेष के माध्यम से कम किया जाता है यह स्थिर तथा वृद्धि संवर्धनकारी निवेश प्रवाहों के माध्यम से किया जाए। प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में, प्रारक्षित भंडार अस्थिर पूंजी प्रवाहों के प्रति रक्षा का प्रथम माध्यम है। हम संदर्भ में, स.घ.उ. के भाग के रूप में प्रारक्षित भंडारों पर सन्निकट नजर रखी जानी आवश्यक है यद्यपि यह चिंता का तात्कालिक कारण नहीं है।

राजकोषीय चिंताएं


3.30 जैसाकि पहले इंगित किया गया है, चालू राजकोषीय वर्ष में तथा विगत वर्ष में संवृद्धि का धीमापन अंशतः घरेलू कारकों के कारण है। ऐसे माहौल में जहां आपूर्ति पक्ष बाधित है, एक उच्च राजकोषीय घाटा आधिक्य मांग में योगदान देता है। उच्चतर सरकारी उधार भी निजी उधार को कम कर सकते हैं तथा यदि इन्हें कायम रखा जाए तो ये ऋण स्थायित्व की चिंताओं में परिणामी हो सकते हैं। अतः राजकोषीय घाटे पर यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संवृद्धि स्थिर तथा सम्पोषणीय हो।

3.31 राजकोषीय स्थिति 2008-09 से बिगड़नी आरम्भ हो गई किन्तु वैश्विक आर्थिक मंदी के पश्चात् यह अवबोधगम्य था कि राजकोषीय स्थान का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्ररित करने के लिए किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2011-12 में उद्योग में तीव्र मंदी, बढ़ती कीमतें तथा कम होते लाभ, निर्निहितीकरण योजनाओं को अवरुद्ध करने वाला कम अनुकूल वित्तीय बाजार तथा सुदृढ़ वैश्विक अपरिष्कृत पेट्रोलियम तथा उर्वरक कीमतों के कारण सतत उच्च आर्थिक सहायता व्यय के कारण 2011-12 में बजटीय राजकोषीय परिणाम से निम्नतर परिणाम प्राप्त होना बताया है। यह प्रक्रिया वर्तमान राजकोषीय वर्ष के प्रथमार्ध में जारी रही है। यह देखते हुए कि निकट भविष्य में इन कारकों के महत्वपूर्ण रूप से प्रतिवर्तित होने की संभावना नहीं है, यह आवश्यक है कि सरकार अधिक युक्तिपूर्ण ढंग में राजकोषीय घाटे का समाधान करे तथा इसने ऐसा करने का अपनी दृढ़ संकल्प इंगित किया है।

3.32 लोक वित्त की चिन्ताओं को मान्यता देते हुए सरकार ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण हेतु मध्यावधिक रोडमैप/ योजना सुझाने हेतु डा. विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। समिति ने संसाधनों की कमी को न्यूनतम करने तथा व्ययों को नियंत्रित करने हेतु तत्काल कदमों का सुझाव दिया। इनमें शामिल हैं : कर नीति तथा प्रशासन हेतु सम्पूर्ण कार्यनीति; विनिवेश के मोर्चे पर दिक्कतों को दूर करने हेतु नई लिखते; डीजल के मूल्य का अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप प्रगामी समन्वय, वर्तमान वित्त वर्ष में डीजल पर आधी सब्सिडी खत्म करना, एलपीजी सब्सिडी के बदले सीधे नकद अंतरण की ओर रुख करने सहित सभी ईंधन सब्सिडियों हेतु मध्यावधिक नीति के साथ यूरिया के दामों में नियमित बढ़ोतरी। समिति ने परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए योजागत व्यय की मॉनीटरिंग में सुधार का भी सुझाव दिया।

3.33 केलकर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से ठीक पहले सरकार को सब्सिडीकृत ईंधन के मूल्यों के गैर संशोधन के कारण तेल विपणन कम्पनियों द्वारा कम वसूलियों के कारण बढ़ते हुए दबाव को कम करने हेतु उपाय करने पड़े। 13 सितम्बर, 2012 को डीजल के दामों को 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया तथा प्रत्येक उपभोक्ता को सब्सिडीकृत एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति हेतु 6 की सीमा लगा दी गयी थी जिनसे वित्त वर्ष के शेष भाग हेतु इन उत्पादों पर हो रही कम-वसूलियों को 20,300 करोड़ रुपए कम करने की आशा थी। केलकर समिति ने केन्द्र सरकार को निम्नलिखित रोडमैप की सिफारिश की (सारणी 3.3)।

चित्र 3.12 : सघट के प्रतिशत के रूप में सकल कर प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा तथा ब्याज व सब्सिडियों पर व्यय



सारणी 3.3 राजकोषीय रोडमैप (सघट के प्रतिशत रूप में)

	2012-13			2013-14	2014-15
	बजट	कोई सुधार नहीं	सुधार	अनुमान	
सकल कर राजस्व	10.6	10.1	10.3	10.6	11.1
केन्द्र का निवल कर राजस्व	7.6	7.2	7.4	7.6	7.9
गैर-कर राजस्व	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3
कुल - राजस्व प्राप्तियां	9.2	8.9	9.0	9.0	9.2
गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3
कुल प्राप्तियां	9.6	9.1	9.4	9.3	9.5
आयोजना-भिन्न व्यय	9.5	10.2	9.8	9.1	8.5
राजस्व खाते पर	8.5	9.3	8.9	8.2	7.6
जिसमें से सब्सिडियां	1.9	2.6	2.2	1.7	1.5
पूंजी खाते पर	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
आयोजना व्यय	5.1	5.0	4.8	4.9	4.9
राजस्व खाते पर	4.1	4.0	3.8	3.6	3.6
पूंजी खाते पर	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3
कुल व्यय	14.7	15.2	14.6	13.9	13.4
राजस्व खाते पर	12.7	13.3	12.7	11.7	11.2
पूंजी व्यय हेतु सहायता अनुदान	1.6	1.6	1.6	1.9	2.0
पूंजी खाते पर	2.0	1.9	1.9	2.2	2.2
घाटे					
राजस्व घाटा	3.4	4.4	3.7	2.8	2.0
प्रभावी राजस्व गाटा	1.8	2.8	2.1	0.9	0.0
राजकोषीय घाटा	5.1	6.1	5.2	4.6	3.9
प्राथमिक घाटा	1.9	2.9	2.0	1.4	0.9
ऋण	45.5	46.7	46.1	44.9	42.9

सारणी 3.4 बारहवीं योजना हेतु राजकोषीय रोडमैप

वर्ष	सघट पर राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)
2012-13	5.3
2013-14	4.8
2014-15	4.2
2015-16	3.6
2016-17	3.0

3.34 केलकर समिति की रिपोर्ट की जांच के उपरान्त केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने दिनांक 29 अक्टूबर, 2012 के प्रेस बयान में वर्तमान वर्ष हेतु जैसा चल रहा है ठीक है रवैया जो कि अर्थव्यवस्था हेतु अपरिहार्य रूप से भंयकर परिणाम लाएगा, के विरुद्ध सही चेतावनी दी थी। इसके अतिरिक्त, कर नीति, कर प्रशासन, व्यय प्रबंधन तथा विनिवेश के नए मॉडलों पर सिफारिशें सराहनीय थीं तथा

सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं। बयान में यह घोषणा भी की गयी थी कि आयोजना तथा आयोजना-भिन्न दोनों ही ओर अपेक्षित राजस्व जुटाने तथा व्यय को नियंत्रित करने की मंशा है। बयान में उठाए गए कदमों, उठाए जा रहे कदमों तथा सन्दान कदमों के आधार पर बारहवीं योजना हेतु राजकोषीय सुदृढीकरण हेतु रोडमैप भी इंगित किया गया था। (सारणी 3.4)।

3.35 अपने 29 अक्टूबर, 2012 के बयान में वित्त मंत्री ने इंगित किया है कि दृढ़ नीतियों तथा संकल्प से लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है तथा जैसे ही राजकोषीय सुदृढीकरण होगा तथा निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा,

अर्थव्यवस्था की फिर से उच्च निवेश, उच्च विकास, निम्न मुद्रास्फीति तथा दीर्घावधिक सम्पोषणीयता के पथ पर लौटने की उम्मीद है।

बाक्स 3.2 राजकोषीय सुदृढीकरण हेतु रोडमैप पर समिति की रिपोर्ट

अपने 6 अगस्त, 2012 के प्रेस बयान में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने आर्थिक बहाली हेतु प्रस्तावित कदम इंगित किए तथा राजकोषीय सुदृढीकरण हेतु मार्ग के अनावरण की मंशा की घोषणा की। इसके लिए डा. विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य डा. इन्द्र राजारमण तथा डा. संजीव मिश्र थे। समिति को वर्तमान वित्त वर्ष हेतु मध्यावधिक सुधारों का प्रारम्भ करने तथा इस संबंध में मध्यावधिक ढांचा तैयार करने का कार्य सौंपा गया।

अपनी रिपोर्ट में समिति ने चेतावनी दी कि राजकोषीय सुदृढीकरण अवश्यम्भावी है तथा यदि सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी तो गम्भीर विपरीत वृहत्-आर्थिक परिणाम सामने आएंगे। समिति ने वर्तमान वित्त वर्ष के केन्द्र लोक वित्त के रुझानों का आकलन किया है तथा देखा है कि जैसा चल रहा है ठीक है रवैय्ये से राजकोषीय घाटा सघउ के 6.1 प्रतिशत तक पहुंच सकता था। समिति ने देखा कि कुछ नीतिगत हस्तक्षेपों से उसे 2011-12 में सघउ के 5.2 प्रतिशत तक तथा मध्यम अवधि में (2014-15) सघउ के 3.9 प्रतिशत तक लाया जा सकता था।

समिति की सिफारिशों का सार निम्न से प्रतीत होता है।

प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 को कानून के रूप लागू करने से पहले इसकी व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान स्थिति में जब कर-सघउ अनुपात कम हो तो राजस्व के किसी भी घाटे को बर्दाश्त (समाहित) करने हेतु काफी अधिक राजकोषीय गुंजाइश नहीं है।

कर विभागों द्वारा एकत्र की गयी व्यापक जानकारियों को उपयोग में लाने की आवश्यकता है। उन्हें आंकड़े खोजने का हुनर का विकास करना है, उचित जोखिम प्रणाली के माध्यम से अनुपालन में सुधार सुनिश्चित करना है, सभी उच्च कीमत वाले सौदों के लिए स्थायी लेखा संख्या का आन लाइन सत्यापन तथा सभी कर दाताओं का सम्पूर्ण विवरण रखा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों तथा सेवाकर की 12 प्रतिशत की मानक दर को प्रगामी रूप से घटाते हुए उसे केन्द्रीय जीएसटी हेतु प्रस्तावित सामान तथा सेवाकर की 8 प्रतिशत की दर के अनुरूप करना।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की 6 प्रतिशत की कम दर को केवल महत्वपूर्ण वस्तुओं तक सीमित करना तथा सेवा कर के अंतर्गत सेवाओं की ऋणात्मक सूची में और छंटाई करना।

सामान तथा यात्रियों (उच्चतर श्रेणी के) के परिवहन हेतु रेलवे को दी गयी छूट को 30-09-2012 के बाद न बढ़ाया जाए।

इनपुट ऋण क्रेडिट के दावों की दोबारा जांच हेतु केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड में एक व्यापक मॉडल बनाया जाए।

सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हित के विनिवेश को सुविधाजनक बनाने हेतु सेबी द्वारा सृजित नयी प्रणाली "बिक्री हेतु प्रस्ताव" का उपयोग करते हुए "काल आपशन" माडल अथवा "एक्सचेंज ट्रेडिड फंड" माडल के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों की गौण बाजार प्रणाली पर विचार करना चाहिए।

व्यय प्रबंधन नेटवर्क की स्थापना के माध्यम से तकनीक का उपयोग करते हुए व्यय प्रबंधन को आगे ले जाने की आवश्यकता है। समिति ने कुछ सब्सिडियों के बदले सीधे नकद अंतरणों के अधिक प्रयोग करने का सुझाव दिया।

प्रमुख राजकोषीय जोखिमों का निराकरण करने हेतु सब्सिडियों को काबू में रखने हेतु कई उत्पादों के प्रशासित मूल्यों को प्रगामी रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है।

अर्थव्यवस्था की संभावनाएं

3.36 हाल ही के समय में आर्थिक विकास में मंदी तथा 2012-13 के पूर्वार्ध में विकास के 5.4 प्रतिशत तक गिरावट यह संकेत देती है कि वर्ष हेतु सम्पूर्ण विकास मार्च 2012 में आर्थिक सर्वेक्षण में की गयी विकास की 7.6 प्रतिशत की अवधारणा से कम रहेगी। तथापि, ऐसा विश्वास करने हेतु, कि मंदी समाप्त हो गयी है तथा 2012-13 के उत्तरार्ध में अर्थव्यवस्था उच्चतर विकास की ओर बढ़ रही है, कई कारण हैं। अक्टूबर-दिसम्बर तिमाही में बिजनेस एक्सपेक्टेड इन्डेक्स में सुधार, नवम्बर, में उच्च पीएमआई, पूंजी बाजारों में दृष्टिगोचर उछाल, जुलाई-सितम्बर, तिमाही में कारपोरेट क्षेत्र में बेहतर आंतरिक ऊर्जाजन तथा विनिर्माण क्षेत्र में पुनरुत्थान सुझाते हैं कि 2012-13 के उत्तरार्ध में अर्थव्यवस्था विकास में मध्यम गति से वृद्धि हेतु तैयार है। आईआईपी में 38 प्रतिशत अंश वाले उद्योग के आठ मूलभूत क्षेत्रों ने 2012-13 के पूर्वार्ध में 3.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि के मुकाबले अक्टूबर, 2012 में 6.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। विनिर्माण क्षेत्र ने भी 2012-13 के पूर्वार्ध में 0.3 प्रतिशत के संकुचन के मुकाबले अक्टूबर, 2012 में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की।

3.37 रबी फसलों को मृदा में उच्च नमी की मात्रा से लाभ मिलने तथा सिंचित गेहूं व चावल की फसलों से बेहतर उम्मीदों से कृषि में भी सुधार होने की संभावना है। अधिकांश सेवाएं विशेष रूप से व्यापार, परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएं इत्यादि सही प्रकार से निष्पादन कर रही हैं तथा उनमें भी बेहतर विकास होगा।

3.38 केन्द्रीय वित्त का आकलन जैसा कि अध्याय 2 में किया गया है वह इंगित करता है कि बजट स्तर पर इंगित किया गया सघट का 5.1% राजकोषीय घाटे के मुकाबले में सघट के 5.3 प्रतिशत तक नियंत्रित हो जाएगा। सरकार द्वारा 29 अक्टूबर, 2012 को घोषित राजकोषीय सुदृढीकरण रोडमैप ने व्यापार संभावनाओं में तथा घरेलू एवं वैश्विक निवेशकों के दृष्टिकोण में व्यापक सुधार किया है। वर्तमान वर्ष की चौथी तिमाही से प्रारम्भ होने वाली मुद्रास्फीति में सम्भावित और गिरावट के साथ मामूली वैश्विक वस्तु मूल्य भी मौद्रिक नीति पर आरबीआई के नरम रवैय्ये हेतु सुविधाजनक होगी। मार्चान्त 2013 पर मुद्रास्फीति के 6.8-7.0 प्रतिशत के स्तर तक गिरने की संभावना है। वर्ष 2012-13 के पहले सात महीनों में व्यापार घाटा पिछले वर्ष की उसी अवधि से कुछ अधिक रहा है। तथापि, वर्तमान संकेतों के चलते यह आशा की जाती है कि वर्तमान वर्ष में व्यापार घाटा पिछले वर्ष की उसकी स्थिति से पर्याप्त अधिक नहीं होगा। परिणामस्वरूप, यह आशा करना वाजिब होगा कि सघट से चालू खाता घाटे का अनुपात उसकी 2011-12 से कम होगा।

3.39 ऐसे उभरते हुए परिदृश्य में अर्थव्यवस्था हेतु यह सम्भव होना चाहिए कि वर्ष 2012-13 हेतु सघट पर समग्र विकास सुधार कर लगभग 5.7 से 5.9 प्रतिशत होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2012-13 के उत्तरार्ध हेतु वृद्धि दर लगभग 6 प्रतिशत के निकट होगी। ऐसा हासिल करने हेतु निवेशक का विश्वास बरकरार रखने के लिए राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति दोनों को समर्थनकारी होने की आवश्यकता होगी। सरकार को भी ढांचागत अड़चनों से संबंधित चिंताओं को दूर करना होगा।

बजट की मुख्य घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1.	20	12वीं पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निधियों की बेहतर पकड़ और उपयोग को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय आयोजना स्कीम मॉनीटरिंग प्रणाली का विस्तार करते समय केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं को सरल एवं कारगर बनाना और उनकी संख्या घटाना।	केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं को सरल तथा उनकी संख्या कम करना एक नीतिगत विषय है तथा इसे 12वीं योजना के क्रियान्वयन की अवधि के दौरान प्रस्तावित नई योजनाओं के मूल्यांकन के समय ध्यान में रखा जाएगा। जहां तक चल रही योजनाओं का संबंध है, "केन्द्रीय प्रयोगिक योजनाओं की पुर्नसंरचना" पर बनी बी.के. चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट पर योजना आयोग में चर्चा की गई। किए गए विचार-विमर्शों के आधार पर, योजना आयोग 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं को सरल बनाने पर उसकी सिफारिशों के बारे में कार्रवाई की है। इन सिफारिशों, जिन पर वी.के. चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट के सुझावों/सिफारिशों पर ध्यान आकर्षित किया गया है को अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय आयोजना स्कीम मॉनीटरिंग प्रणाली का विस्तार करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिस पर व्यय वित्त समिति द्वारा शीघ्र ही विचार किया जाएगा।
2.	22	केन्द्रीय सब्सिडियों पर होने वाले व्यय को वर्ष 2012-13 में 2 प्रतिशत से नीचे रखना, और बेहतर लक्षित प्रणाली एवं दोषरहित सुपुर्दगी व्यवस्था के माध्यम से सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आगामी तीन वर्षों में इसे सकल घरेलू उत्पाद के 1.75 प्रतिशत से नीचे लाना।	राज्य वित्तीय समेकन रूपरेखा तैयार करने के लिए, श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा भारत सरकार के समग्र सब्सिडी व्यय को न्यूनतम संभव स्तर तक रखने के लिए इन सिफारिशों के आधार पर और उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी।
3.	23	वर्ष 2012 के दौरान विनिर्माण कर्ता से लेकर खुदरा क्षेत्र तक उर्वरकों और सब्सिडियों की आवाजाही पर बराबर सूचना उपलब्ध कराने के लिए बनायी गयी मोबाइल आधारित उर्वरकों प्रबंध प्रणाली तैयार करना, और खुदरा व्यापारी, एवं अनुवर्ती चरणों में अंततोगत्वा किसानों को सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण कार्यान्वित करना।	उर्वरक विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की तकनीकी सहायता से मोबाइल एवं वैब अप्लीकेशन नामक मोबाइल उर्वरकों मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित की है जो अंतिम रिटेल प्वाइंट तक उर्वरकों की स्टॉक स्थिति, विक्रय और प्राप्ति के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगी। उर्वरक कम्पनियां खुदरा एवं थोक व्यापारी वैब या मोबाइल का प्रयोग करके इस प्रणाली के पोर्टल पर डाटा को अद्यतन कर सकते हैं। इस प्रणाली की मदद से प्लॉट/पत्तन से खुदरा व्यापारी तक उर्वरकों की आवाजाही का पता लगाना संभव होगा। अब तक केवल खुदरा व्यापारी तक उर्वरकों की आवाजाही का मॉनीटर किया जाता था। किसानों को सीधे सब्सिडी अंतरित करने का यह पहला चरण 1 नवम्बर, 2012 से लागू हुआ है। इसके अतिरिक्त किसानों को सीधे सब्सिडी अंतरित करने की योजना तृतीय चरण में नौ राज्यों के 10 जिलों में

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			<p>प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की जाएगी ताकि खुदरा व्यापारी से किसान तक उर्वरकों की आवाजाही का पता लग सके। यह प्रायोजिक योजना जनवरी, 2013 से लागू होगी। इन प्रायोगिक जिलों में विनिर्माण कर्ताओं को सब्सिडी के अंश को खुदरा व्यापारियों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले उर्वरकों के विक्रय से संबंध किया जाएगा। इसे उर्वरकों के सप्लाय चैन प्रबंध में सयंत्र/पत्तन से सब्सिडीकृत उर्वरकों का हिसाब-किताब रखा जा सकेगा। इन दस प्रायोगिक जिलों में चरण-iii(क) के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात् अगला चरण अर्थात् चरण-iii(ख) 1 अप्रैल 2013 से शुरू होगा। इसमें किसानों को नकद सब्सिडी अंतरित की जाएगी। साथ ही साथ चरण iii(क) सम्पूर्ण देश में लागू हो जाएगा।</p>
4.	24	बाजार कीमत पर एलपीजी के विक्रय के लिए तथा लाभार्थी के बैंक खाते में सब्सिडी सीधे प्रतिपूर्ति करने के लिए मैसूर में चल रही एक प्रायोजिक योजना की तर्ज पर लाभार्थियों के लाभ खातों में कैरोसीन के लिए सब्सिडी सीधे अंतरण करने बारे में राजस्थान के अलवर जिले में एक प्रायोगिक योजना का कार्यान्वयन करना।	<p>यह प्रायोगिक योजना अलवर जिले की कोटकासिम तहसील में शुरू की गयी है। 30 सितम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार, 25,843 कार्ड-धारकों के मुकाबले, कुल 15,020 बैंक खाते खोले गए हैं। उस तारीख तक, सब्सिडी के तौर पर उन खातों में ₹ 52.06 लाख की राशि जमा की गई है। कोटकासिम में 10 महीनों (औसत 80 केएल/माह) के लिए 792 केएल के संचयी कोटा के मुकाबले, केवल 96 केएल (औसत 10.67 केएल/माह) कार्डधारकों ने उठाए हैं। यह कोटकासिम के लिए नियत किए गए कोटा का 12 प्रतिशत है। इस परियोजना को 31.12.12 तक बढ़ा दिया गया है ताकि राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में लास्ट माइल मेकानिज्म लागू कर सके।</p>
5.	25	आगामी छह महीनों के भीतर कम से कम 50 चुनिंदा जिलों में विभिन्न सरकारी स्कीमों हेतु आधार समर्थित भुगतानों में गति प्रदान करना और लागू करना।	<p>51 जिलों की पहचान कर ली गई है और प्रायोगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इन अधिकांश चिन्हित जिलों में सामाजिक सेक्टर स्कीमों का भी चयन कर लिया गया है। पहला कदम के तौर पर, इन चिन्हित जिलों में आधार नामांकन पूरा किए जाने का प्रयास किए गए हैं और अनिवार्य नामांकन व्यापन प्राप्त कर लिया गया है। 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार, 51 जिलों में से 22 जिलों में रिहायशी जनसंख्या के 75 प्रतिशत अथवा अधिक आधार नामांकन कवर किए जा चुके हैं, जबकि 13 अन्य जिलों में, 50 प्रतिशत से अधिक जन-संख्या वाले क्षेत्र में नामांकन कवर किए गए हैं। यूआडीएआई के टेक्नोलॉजी आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) को लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क एवं अवसंरचना क्रियान्वित की गयी है। आधार के साथ समन्वय हेतु, इन 51 चिन्हित जिलों में से अधिकांश में सामाजिक सेक्टर स्कीमों का भी</p>

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			चयन किया गया है। इन जिलों में लाभार्थी डाटाबेस में आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है और सितम्बर, 2012 की समाप्ति तक इन जिलों में विभिन्न सरकारी स्कीमों की लाभार्थी जनसंख्या की लगभग 31 प्रतिशत को आधार के साथ जोड़ दिया गया है। लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार के साथ जोड़ने का कार्य भी प्रगति पर है।
6.	26	प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक को शीघ्र अधिनियमित किया जाना।	प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक 2010 को स्थायी समिति की सिफारिशों की जांच के पश्चात, विचार करने हेतु लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाएगा।
7.	27	संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों की जांच के पश्चात् वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की क्रियान्वयन में प्रारंभिक उपाय के तौर पर संविधान संशोधन विधेयक को अंतिम रूप देना, तथा राज्यों के परामर्श से केन्द्र और राज्य के वस्तु कर के लिए मॉडल विधान का प्रारूप तैयार करना।	संविधान संशोधन विधेयक की जांच स्थायी समिति द्वारा की जा रही है। वस्तु एवं सेवाकर को रेखांकित करते हुए मुख्य अवधारणाओं पर एक परिचर्चा निबंध को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केन्द्र और राज्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर विधान के मॉडल को तैयार करने का कार्य, परिचर्चा निबंध को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।
8.	28	राष्ट्रीयता सूचना उपयोगिता केन्द्र के रूप में वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क अगस्त 2012 तक स्थापित और क्रियाशील करना।	कंपनी के निगममीकरण संबंधी प्रस्ताव राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति द्वारा 13.7.2012 को संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया है। इन संशोधनों की जांच राजस्व विभाग कर रहा है।
9.	30	2012-13 के दौरान विनिवेश के माध्यम से ₹ 30,000 करोड़ जुटाना जबकि सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यम का कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व व प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास होगा।	नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ) को प्राप्त ₹124.97 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियाँ और ब्याज के रूप में ₹ 24.51 लाख 30.9.2012 तक सरकार के खाते में जमा किए गए हैं।
10.	32	मल्टीब्रांड खुदरा व्यापार में राज्यों के परामर्श से 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने के संबंध में व्यापक सहमति बनाना।	2012 का प्रेस नोट 5 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा 20.9.2012 को जारी किया गया है।
11.	33	वित्त विधेयक 2012 में अग्रिम मूल्यांकन करार में शामिल करके इसको कार्यान्वित करना ताकि कर मुकदमेबाजी को प्रर्याप्त रूप से कम किया जा सके और विदेशी निवेशकों को कर निश्चिता प्रदाय हो।	घोषणा कार्यान्वित- अग्रिम मूल्यांकन कर नियमों को अधिसूचना सं.36/2012,एस.ओ. 2005 (ई) तारीख 30 अगस्त, 2012 द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये नियम उसी तारीख से प्रभावी हो गए हैं।
12.	35	नए खुदरा निवेशकों जो इक्विटी में सीधे ₹ 50,000 लगाते हैं और जिनकी आय 10	इस योजना के व्यापक उपबंधों और उसके अधीन आयकर प्रसुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961जैसा कि वित्त

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		लाख से कम है, को 50 प्रतिशत की आयकर कटौती की अनुमति देने के लिए राजीव गाँधी इक्विटी बचत योजना नामक एक नई योजना शुरू करना।	अधिनियम 2012 द्वारा संशोधित किया गया है, की धारा 80गगछ के रूप में शामिल किया गया है। इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और अधिसूचना के लिए राजस्व विभाग के पास और प्रवर्तन के लिए सेबी के पास भेजा गया है।
13.	37	<p>पूंजी बाजार में सुधारों को और तीव्र करना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> अर्हक विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को भारतीय कारपोरेट बाँड बाजार में पहुँच की अनुमति प्रदान करना; प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, उनकी लागत कम करना तथा छोटे कस्बों में अधिक खुदरा निवेशकों तक पहुँच बनाने में कम्पनियों को मदद करना; साथ ही ₹10 करोड़ और उससे अधिक के इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में, स्टॉक एक्सचेंजों के राष्ट्रव्यापी ब्रोकर नेटवर्क के माध्यम से, आईपीओ जारी करने के लिए कम्पनियों के लिए इसे अनिवार्य बनाना। शेयर धारकों की वोटिंग संबंधी मौजूदा प्रक्रिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से कम्पनियों के महत्वपूर्ण निर्णयों में शेयर-धारक की व्यापक भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना, जिसे प्रारंभ में शीर्ष सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा; और 	<p>घोषणा कार्यान्वित -</p> <p>आरबीआई और सेबी न क्रमशः 16 जुलाई, 2012 और 18 जुलाई, 2012 को परिपत्र जारी कर दिए हैं। कॉरपोरेट बांडों एवं म्यूचअल फंड डेब्ट स्कीमों में अर्हक विदेशी निवेशकों के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर की एक पृथक उपसीमा सृजित की गयी है।</p> <p>घोषणा कार्यान्वित -</p> <p>सेबी ने 4 अक्टूबर, 2012 को अपेक्षित परिपत्र जारी कर दिया है।</p> <p>घोषणा कार्यान्वित -</p> <p>स्टाक एक्सचेंज द्वारा इक्विटी सूचीबद्ध करार में किए जाने वाले आवश्यक संशोधन सेबी ने 13 जुलाई, 2012 को लागू कर दिए हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:</p> <p>क. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में माध्यम से किए जाने वाले कारबारों के संबंध में बाजार पूंजीकरण पर आधारित चुनी गई। शीर्ष 500 सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनिवार्य कर दी गयी है।</p> <p>ख. सूचीबद्ध कम्पनियां इनमें से दो एजेंसियों का चुनाव कर सकते हैं (केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लिमिटेड(सीडीएसएल) और राष्ट्रीय प्रतिभूतियां निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) जो, वर्तमान में, ई-वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध करा रही है। ये प्लेटफार्म किसी भी शेयर होल्डर को प्रत्यक्ष अथवा डिमैट प्ररूप में शेयर धारण करने की अनुमति देते हैं जिससे कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट दे सके चाहे वह किसी भी निक्षेपागार के साथ शेयर धारण करता हो।</p>

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			<p>ग. यह शेयर होल्डर की बैठकों के लिए लागू होंगे जिसके लिए नोटिस 01 अक्टूबर, 2012 को या उसके बाद जारी कर दिए गए हैं तथापि, सूचीबद्ध कंपनियां बैठकों में अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कराने के लिए स्वतंत्र है। बैठक की नोटिस, 1 अक्टूबर, 2012 से पहले भेज दिए गए हैं।</p>
		<ul style="list-style-type: none"> उच्चतम सीमा के अधीन भारतीय पूँजी बाजार में अपेक्षाकृत अधिक विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति में दो तरफा समरूपता की अनुमति देना। 	<p>घोषणा कार्यान्वित - आरबीआई और सेबी ने 28 अगस्त, 2012 को भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति (आईडीआर) के दो तरफा समरूपता का क्रियान्वयन किए जाने पर अंतिम परिपत्र पहले ही जारी कर दिए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का निर्गम) संशोधन नियम, 01 अक्टूबर, 2012 के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।</p>
14.	38	स्थायी समिति के सिफारिशों के अनुसरण में बजट सत्र में "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011", "बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011" और "बीमा विधि(संशोधन) विधेयक, 2008" के बारे में अधिकारिक संशोधन प्रस्तुत करना।	"बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011" में अधिकारिक संशोधन संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे, शेष दो विधेयकों के बारे में संशोधन मंत्रिमंडल द्वारा 4.10.2012 को अनुमोदित किए गए हैं।
15.	39	संसद के बजट सत्र में निम्नलिखित विधेयकों को प्रस्तुत करना: <ul style="list-style-type: none"> सूक्ष्म वित्त संस्था (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012; राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012; भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012; राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन), विधेयक, 2012; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(संशोधन) विधेयक,2012 भारतीय स्टॉम्प(संशोधन) विधेयक, 2012; और भारतीय लोक ऋण प्रबंध अभिकरण विधेयक, 2012। 	<p>घोषणा कार्यान्वित - संसद में विधेयक 22.05.2012 को पुरःस्थापित किया गया।</p> <p>घोषणा कार्यान्वित - विधेयक लोक सभा में 30.04.2012 को पुरःस्थापित किया गया।</p> <p>घोषणा कार्यान्वित - विधेयक लोक सभा में 22.05.2012 को पुरःस्थापित किया गया।</p> <p>विधेयक के प्रारूप की विधिक जांच चल रही है।</p> <p>विधेयक का प्रारूप विधायी विभाग को जांच के लिए भेजा गया है।</p> <p>उनके द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, कतिपय विषयों पर विधि कार्य विभाग की और राय के लिए अनुरोध किया जा रहा है।</p> <p>मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी तैयार की जा रही है।</p>

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
16.	41	पब्लिक सेक्टर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय दशा सुधारने के लिए, नाबार्ड सहित पब्लिक सेक्टर बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूंजीकरण हेतु ₹15,888 करोड़ मुहैया कराना और वित्तीय स्वामित्व वाली एक कंपनी जो पब्लिक सेक्टर बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन जुटाएगी, का भी सृजन करना।	<p>क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूंजीकरण घोषणा कार्यान्वित</p> <p>मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। ग्यारह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ₹ 200 करोड़ की राशि 08.07.2012 को और राशि, तजारी कर दी गई है। इसके अलावा, संशोधित अनुमान को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् और संबंधित राज्य सरकारों एवं प्रायोजित बैंकों द्वारा अनुपातिक हिस्सा जारी कर दिए जाने पर जीरी की जाएगी,</p> <p>राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का पूंजीकरण घोषणा कार्यान्वित।</p> <p>₹ 108.20 करोड़ की राशि 08.07.2012 को जारी कर दी गयी है।</p> <p>पब्लिक सेक्टर बैंकों का पूंजीकरण</p> <p>मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी तैयार की जा रही है।</p> <p>वित्तीय स्वामित्व वाली कंपनी का सृजन पब्लिक सेक्टर बैंकों की पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए</p> <p>मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी तैयार की जा रही है।</p>
17.	42	बैंकिंग भुगतान संरचना को वैश्विक मानकों के समरूप लाने के लिए, 2012-13 के दौरान एक व्यापक कार्य योजना तैयार करना, और 2012-13 के दौरान अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) नामक एक केन्द्रीय निक्षेपागार का भी विकास करना ताकि कई पूंजीकरण से बचा जा सके और आंकड़ों को अद्यतन किया जा सके।	<p>बैंकिंग भुगतान संरचना को वैश्विक मानकों के समरूप लाने।</p> <p>इस विषय पर गठित मुख्य परामर्शी समूह ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। तारीख 17.07.2012 के तहत जारी आदेश द्वारा सचिव (वित्तीय सेवा) की अध्यक्षता में गठित समिति अब भुगतान संरचना संबंधी सिफारिशों के क्रियान्वयन से अवगत है।</p> <p>अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) नामक निक्षेपागार</p> <p>केवाईसी निक्षेपागार विकसित किए जाने पर समिति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।</p>
18.	43	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर आधारित स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श किए जाने के पश्चात् प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी करना।	<p>घोषणा कार्यान्वित</p> <p>प्राथमिक क्षेत्र ऋण पर संशोधित दिशा-निर्देश आरबीआई ने 20.07.2012 को जारी कर दिए हैं।</p>
19.	44	31 मार्च, 2012 तक "स्वाभीमान" अभियान के तहत सभी अभिज्ञात बस्तियों को शामिल करना और अगले कदम के तौर पर, इन बस्तियों में अत्यंत लघु (अल्ट्रा स्माल) शाखाएं खोलना, जहां बिजनेस सम्पर्क नकद लेन-देन करेंगे।	<p>स्वाभीमान अभियान के तहत शामिल करने हेतु अभिज्ञात 2000 से अधिक जनसंख्या वाली 74,398 बस्तियों में से 31 मार्च 2012 तक 74194 बस्तियों को बैंकिंग सुविधाएं शाखाओं बिजनेस सम्पर्क अभिकरणों (बीसीए) मोबाइल शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी हैं। 62,000 से अधिक बीसीए नियुक्त किए गए हैं और लगभग 3.16 करोड़ वित्तीय समावेशन खाते खोले गए हैं।</p>

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
20.	45	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों की 1000 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में तथा जनगणना, 2011 के अनुसार, 2000 से अधिक आबादी वाली अन्य बस्तियों के लिए 2012-13 में "स्वाभिमान" अभियान का विस्तार करना।	घोषणा कार्यान्वित चूंकि गांव स्तर पर जनसंख्या 2011 में आंकड़े उपलब्ध नहीं है, 1600-2000 (2001 जनगणना के अनुसार) की आबादी वाले गांवों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। आशा है कि जनगणना 2011 के अनुसार इन गांवों की जनसंख्या 2000 को पार कर गयी होगी। इन गांवों की पहचान, आवंटन और कवरेज हेतु तथा पर्वतीय और पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के 1000-2000 की आबादी वाले गांवों के लिए आवश्यक अनुदेश मई, 2012 में जारी कर दिए गए हैं।
21.	47	कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण की स्कीम को अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाना। ताकि सभी राज्य इसमें अपना योगदान कर सकें।	घोषणा कार्यान्वित कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूंजीकरण की स्कीम को विस्तार प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।
22.	49	इस वर्ष यह निर्णय लिया गया है कि सिंचाई (बांध, चैनलों और तटबंधों) सीमावर्ती बाजारों, कृषि मंडियों में सामान्य अवसंरचना, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं और उर्वरक क्षेत्र में पूंजी निवेश को इस स्कीम के अंतर्गत (वीजीएफ) के लिए पात्र बनाया जाए। तेल एवं गैस/एलएनजी भण्डार सुविधाओं तथा तेल एवं गैस पाइप लाइनों, के लिए स्थायी नेटवर्क और दूरसंचार टावरों को भी वीजीएफ के लिए पात्र सेक्टर बनाए जाएंगे।	अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी सहायता स्कीम के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतराल विधियन हेतु, निम्नलिखित उप-क्षेत्रों को पात्र के रूप में 24.03.2012 को अधिसूचित कर दिया गया है: क. तेल/गैस/लिक्वीफाइड नेचुरल गैस(एलएनजी) भंडारण सुविधा (नगर गैस वितरण नेटवर्क सहित); ख. तेल एवं गैस पाइपलाइन (नगर गैस वितरण नेटवर्क सहित); ग. सिंचाई (बांध, चैनल तटबंध आदि); घ. दूरसंचार (स्थायी नेटवर्क) (ऑप्टिक फाइबर/वायर/केवल नेटवर्क जो ब्रांड बैंड नेटवर्क उपलब्ध करता है। ड. दूर संचार टावरस; च. सीमावर्ती बाजार; छ. कृषि मंडियों में सामान्य अवसंरचना; और ज. मृदापरीक्षण प्रयोगशालाएं। उर्वरक क्षेत्र के संबंध में, उर्वरक विभाग को यह सलाह दी गई है कि उर्वरकक्षेत्र की आवश्यकताओं, और वह व्यवस्था जो देश में उर्वरकों के उत्पादनों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जानी प्रस्तावित है, के बारे में सशक्त समिति के समक्ष एक व्यापक प्रस्तुति प्रस्तुत करे ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
23.	52	एनएचएआई लिए ₹ 10,000 करोड़, आईआरएफसी के लिए ₹ 10,000 करोड़, आईआईएफसीएल के लिए ₹ 10,000 करोड़, हुडको के लिए ₹ 5,000 करोड़, राष्ट्रीय आवास	बजट में प्रस्तावित ₹ 60,000 करोड़ में से, ₹ 53,500 करोड़ की कुल राशि वित्त 2012-13 में कर मुक्त बांड जारी करने के लिए अनुमोदित की गई है। ये बांड, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 6.11.12 को अधिसूचना जारी किए

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		बैंक के लिए ₹ 5,000 करोड़, सिडबी के लिए ₹ 5,000 करोड़, पत्तनों के लिए ₹ 5,000 करोड़ और विद्युत क्षेत्र के लिए ₹ 10,000 करोड़ सहित 2012-13 में अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कर मुक्त बांडों के जरिए ₹ 60,000 करोड़ किया जाना।	जाने के पश्चात् अब बाजार में आने के लिए तैयार है।
24.	53	अवसंरचना सेक्टर की एक सुमेलित सूची अधिसूचित करना ताकि नीतिगत तथा विनियमन व्यवस्था में अस्पष्टता दूर किया जा सके और अवसंरचना क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन दिया जा सके।	घोषणा कार्यान्वित अवसंरचना सेक्टरों की एक सुमेलित सूची के लिए अधिसूचना अब 28.3.12 को जारी कर दी गई है। इस सुमेलित मास्टर सूची को अद्यतन करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की भी स्थापना की गई है।
25.	57	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा उन सभी विद्युत सयंत्रों द्वारा जिन्होंने डिस्कॉम के साथ दीर्घकालिक पावर परचेज करार निष्पादित कर लिए हैं के साथ फ्यूल सप्लाई करारों पर हस्ताक्षर करना तथा आबंटित कोयला खानों की आवधिक समीक्षा करने हेतु अतर मंत्रालयीय समूह का गठन और यदि आवश्यकता हो तो आबंटन रद्द करने के संबंध में सिफारिश करना।	30.09.2012 की स्थिति के अनुसार, 31.7.2012 के बाद चालू किए गए 118 विद्युत प्लांटों में से 30 प्रतिशत प्लांटों के साथ फ्यूल सप्लाई करार सम्पन्न हो गये हैं। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मंत्रालय के परामर्श से, शेष फ्यूल सप्लाई करारों पर विचार चल रहा है। कोयला खानों के आबंटन की जांच करे के लिए एक अंतरमंत्रालयीय ग्रुप 21.6.12 को गठित किया गया था, जिसने 58 प्रकरणों जिनके लिए कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी कर दिए गए थे, और 18 अन्य मामलों, जहां पहले की गई समीक्षाओं के आधार पर बैंक गारंटी वापसी लेने का निर्णय लिया गया था, की समीक्षा के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस ग्रुप ने 29 कम्पनियों को आबंटित किए गए 13 कोयला, खण्डों का आबंटन रद्द करने, 19 कम्पनियों को आबंटित किए गए 14 प्रखण्डों के मामले में बैंक गारंटी वापस लेने तथा कोयला खण्ड के मामले में बैंक गारंटी अधिरोपित करने की सिफारिश की गई है। दो कम्पनियों को आबंटित किए गए 3 कोयला खण्डों के मामले में कोई कार्रवाई न करने की सिफारिश की गई है। इस अंतरमंत्रालयीय ग्रुप की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।
26.	58	मौजूदा परियोजनाओं के अंश निधियन रूपया ऋण को विदेशी वाणिज्यिक उधारों को अनुमति प्रदान करना।	घोषणा कार्यान्वित सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति 18 अप्रैल 2012 को जारी की गई, तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र 20 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया।
27.	59	2012-13 के दौरान एनएचडीपी के अंतर्गत 8,800 कि.मी. की लम्बाई कवर करने वाली परियोजनाएं प्रदान करना।	सितम्बर, 2012 तक प्रदान करने के लिए, कुल 81 परियोजनाएं चिन्हित की गई थीं। इनमें से, कुल 561.31 कि.मी. की सड़क लम्बाई तथा ₹ 5259.56 करोड़ की कुल परियोजना लागतवाली छह परियोजनाएं 30.9.2012 को सौंपी गई है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
28.	60	सड़क और राजमार्गों हेतु पथ-कर प्रणाली का रख-रखाव और संचालित करने पर पूंजीगत व्यय के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति देना ताकि सड़क निर्माण परियोजनाओं में सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।	घोषणा कार्यान्वित सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति 18 अप्रैल 2012 को जारी की गई, तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र 20 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया।
29.	62	1 बिलियन अमरीकी डालर की कुल सीमा के अधीन रहते हुए एक वर्ष की अवधि के लिए एयरलाइन उद्योगों की कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति देना ताकि नागर विमानन क्षेत्र के तात्कालिक वित्तीय सरोकरों का निवारण किया जा सके।	घोषणा कार्यान्वित सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति 18 अप्रैल 2012 को जारी की गई, तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र 20 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया।
30.	63	अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के परिचालन में कार्यरत किसी हवाई परिवहन उपक्रम की इक्विटी में 49 प्रतिशत तक की भागीदारी हेतु विदेशी एयललाइन्स कम्पनियों को अनुमति प्रदान करना।	घोषणा कार्यान्वित औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रेस नोट सं.6(2012श्रृंखला) 20.9.2012 को जारी किया गया।
31.	64	पश्चिमी समर्पित रेल दुलाई कॉरिडोर के साथ-साथ इसके दोनों ओर दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना में पर्याप्त प्रगति हुई है। सितम्बर, 2011 में, 5 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 18,500 करोड़ की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई है। जापान के प्रधान-मंत्री ने डीएमआईसी परियोजना में जापानी सहायता के रूप में 4.5 बिलियन अमरीकी डालर की घोषणा की है।	घोषणा कार्यान्वित दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि का लोक न्यास का विलेख 27.9.2012 को निष्पादित किया गया है और इस न्यास की पहली बैठक भी उसी दिन आयोजित की गई थी। इस परियोजना के लिए बजट अनुमान 2012-13 के अंतर्गत ₹ 411.4 करोड़ की राशि आबंटित की गई है। डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि के सैटलर के रूप में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने इस न्यास की मुख्य संग्रह राशि में प्रारंभिक अंशदान के रूप में ₹ 312.4 करोड़ का अंशदान किया गया है तथा इस न्यास के लिए अतिरिक्त संग्रह राशि के रूप में और ₹ 99 करोड़ की राशि दी गई है।
32.	65	महानगरों और कस्बों में रहने वाले निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवास की कमी को देखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है:- <ul style="list-style-type: none"> • कम लागत वाली किफायती आवास परियोजनाओं के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति देना; • आवासीय ऋणों के लिए संस्थागत ऋण की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ऋण गारंटी ट्रस्ट निधि की स्थापना; 	कार्य प्रगति पर है। फ्रेम वर्क मसौदा दिशा-निर्देशों और मॉनीटरिंग तंत्र के बारे में निर्णय लिया जा रहा है। घोषणा कार्यान्वित आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फन्ड की स्थापना की है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		<ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण आवास निधि के तहत प्रावधान को ₹ 3000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 4000 करोड़ करना; ₹15 लाख तक के आवास ऋण पर 1 प्रतिशत की ब्याज सहायता योजना का एक और वर्ष के लिए विस्तार करना, जहां मकान की लागत ₹ 25 लाख से अधिक न हो; और प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अप्रत्यक्ष वित्त की सीमा को ₹ 5 लाख से बढ़ाकर ₹ 10 लाख करना। 	<p>घोषणा कार्यान्वित निधि राशि जारी कर दी गयी है और मार्च 2012 के अंतिम सूचित शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता सेक्टर उधार लक्ष्यों की कमी के आधार पर आरबीआई द्वारा बैंकों का आवंटन किया गया है।।</p> <p>घोषणा कार्यान्वित राशि जारी करने का आदेश वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 24.09.2012 को जारी किया गया है।</p> <p>घोषणा कार्यान्वित प्राथमिकता सेक्टर उधार के बारे में अधिसूचना आरबीआई द्वारा 20.7.2012 को जारी की गयी थी तथा लक्ष्यों पर स्पष्टीकरण और वर्गीकरण 17.10.2012 को जारी किए गए थे।</p>
33.	66	यूरिया में भारत की आयात-निर्भरता को कम करना और सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के प्रयोग को बेहतर विस्तार देना, जो पूरे देश में विनिर्मित होता है, जिसे कि पोटासियम-फॉस्फेटिम (पीएंडके) उर्वरक पर निर्भरता कम की जा सके।	<p>देश में यूरिया का देशी उत्पादन बढ़ाने और यूरिया का आयात कम करने के लिए, नई निवेश नीति 2012 के बारे में आर्थिक कार्य संबन्धी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ टिप्पणी के संशोधित प्रारूप पर अंतर-मंत्रालयीय परामर्श पूरे कर लिए गए हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) का प्रयोग बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:</p> <p>(i) एसएसपी को पोषण आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसमें एसएसपी पर सब्सिडी इसके पोषण तत्वों के आधार पर दी गयी है तथा एमआरपी को खुला छोड़ दिया गया है।</p> <p>(ii) रॉक फॉस्फेट के देशी स्रोत के अलावा, एसएसपी के उत्पादन के लिए एसएसपी यूनिटों द्वारा प्रयोग करने के लिए राक फॉस्फेट के अनेक ग्रेड और उनके मिश्रीत तत्व अधिसूचित किए गए हैं।।</p> <p>(iii) एफसीओ मानक के अनुसार एसएसपी उत्पादित करने के लिए लाभान्वित रॉक फॉस्फेट हेतु, लो ग्रेड रॉक फॉस्फेट की भी अनुमति दी गयी है।</p> <p>(iv) एसएसपी का उत्पादन बढ़ाने के लिए, नए एसएसपी संयंत्रों को एनबीएस नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है।</p> <p>आज की तारीख तक, 85 एसएसपी यूनिटें एनबीएस नीति के अंतर्गत पंजीकृत हैं। चार नई एसएसपी यूनिटों को एनबीएस नीति के अंतर्गत शामिल करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। यह देखा गया है कि एसएसपी का उत्पादन, एनबीएस व्यवस्था के पूर्व एसएसपी के उत्पादन की तुलना में, बढ़ गया है।</p>

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
34.	67	हथकरघा बुनकरों और उनकी सरकारी समितियों के ऋणों की माफी के लिए ₹ 3,884 करोड़ के वित्तीय पैकेज का क्रियान्वयन।	यह एक केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना स्कीम है जिसमें भारत सरकार का हिस्सा ₹ 3,137 करोड़ और राज्य सरकारों का हिस्सा ₹ 747 करोड़ है। राष्ट्रीय कार्यान्वयन, मानीटरिंग एवं समीक्षा समिति की बैठकें समय-समय पर होती रही हैं। 30.9.2012 की स्थिति के अनुसार, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने, और राज्य हिस्सा प्रदान करने के लिए 27 राज्यों को वचनबंध पत्र दिए गए हैं; तथा 20 राज्यों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
35.	68	दो और मेगा हथकरघा कलस्टर्स की स्थापना करना, एक आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और गुंटुर जिलों को और दूसरा झारखंड के गोड्डा एवं पड़ोसी जिलों को शामिल करने के लिए और हथकरघा पावरलूम और चर्म क्षेत्रों संबंधित 5 मेगा कलस्टर्स में महिला कामगारों के लिए शायनगारों (डॉरमिट्रियों) की स्थापना में सहायता प्रदान करना।	आंध्र प्रदेश के प्रकाशम एवं गुंटुर जिलों और झारखंड के गोड्डा एवं पड़ोसी जिलों के लिए क्लस्टर प्रबंध और तकनीकी एजेंसी की नियुक्ति के लिए, हित-अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन 6 जून, 2012 को प्रकाशित किया गया था। तकनीकी बोलियां 13.7.2012 को खोली गयी थीं तथा तकनीकी मूल्यांकन के चरण II का कार्य इस समय चल रहा है। जहां तक हथकरघा, पावरलूम और चर्म क्षेत्र से संबंधित 5 मेगा कलस्टर्स में महिला कामगारों के लिए शयनागारों की स्थापना का संबंध है, वस्त्र मंत्रालय ने एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं में शयनागारों की स्थापना के लिए नग्यता हेतु अनुरोध किया है। इसकी जांच की जा रही है। जहाँ तक चर्म क्षेत्र में शयनागारों का संबंध है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने सूचित किया है कि इसके लिए विद्यमान 'मेगा लेदर कलस्टर' स्कीम में संशोधन करने होंगे और इसलिए व्यय वित्त समिति का मूल्यांकन और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति का फिर से अनुमोदन अपेक्षित है।
36.	69	तीन बुनकर सेवा केंद्रों की स्थापना करना, जिनमें से एक-एक केंद्र मिजोरम, नागालैंड और झारखण्ड में स्थापित किया जाएगा, और पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य में जियो-टेक्सटाइल्स के संवर्धन और प्रयोग हेतु, बारहवीं योजना में प्रयोगिक योजना की भी शुरूआत करना।	मिजोरम, नागालैंड और झारखंड राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य में नए बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है। साथ ही, बुनकर सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए एसएफसी/इएफसी प्रस्ताव तथा जियो टेक्सटाइल योजनाएं तैयार की गयी हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो टेक्सटाइल के संवर्धन एवं प्रयोग की प्रायोगिक योजना के बारे में, इस योजना के लिए एक बजट लाइन सृजित की गयी है। ईएफसी टिप्पण का प्रारूप भी योजना आयोग को परिचालित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्टेकहोल्डरों के साथ कई दौर के परामर्श किए गए हैं।
37.	70	स्थानीय हस्तकारों और बुनकरों को आवश्यकता की पूर्ति के लिए, महाराष्ट्र के इचलकरन्जी में	महाराष्ट्र के इचलकरन्जी में एक पावरलूम मेगा कलस्टर की स्थापना के लिए कलस्टर एवं तकनीकी एजेंसी की नियुक्ति

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		₹ 70 करोड़ के बजट आबंटन से एक विद्युतकरघा मेगा कलस्टर की स्थापना करना।	हेतु, हित अभिव्यक्ति का विज्ञापन 23.08.2012 को प्रकाशित किया गया था। हित अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24.09.2012 थी, तथा तकनीकी मूल्यांकन के चरण I पर, इस समय, कार्रवाई की जा रही है।
38.	71	सिडबी के साथ ₹ 5000 करोड़ के इंडिया ऑपरच्युनिटीज वेंचर फंड की स्थापना करना।	घोषणा कार्यान्वित। इंडिया आपरच्युनिटीज वेंचर फंड की स्थापना अगस्त 2012 में कर दी गयी है।
39.	76	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विदर्भ सघन सिंचाई विकास कार्यक्रम को ₹ 300 करोड़ का आबंटन करना। इस योजना का उद्देश्य संरचनात्मक सिंचाई के तहत अधिक कृषि क्षेत्रों को लाना है।	योजना के संचालनात्मक दिशानिर्देश अनुमोदित किए गए हैं और महाराष्ट्र राज्य सरकार को भेजे गए हैं। महाराष्ट्र की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने इस योजना के लिए ₹ 300 करोड़ की कार्य योजनाएं अनुमोदित कर दी है और प्रथम किस्त के रूप में ₹ 150 करोड़ की राशि पहले ही जारी कर दी गयी है।
40.	77	कुछ मिशनों का शेष कार्यकलापों में विलय करना ताकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य धान, गेहूं, दलहन, ज्वार, बाजारा आदि और चारे के संबंध में उपज के अंतर को पाटना है। चल रहे एकीकृत दलहन ग्राम विकास, पोषण अनाजों का संवर्धन और त्वरित चारा विकास कार्यक्रम अब इस मिशन का भाग बन जाएंगे; (ii) अति लघु सिंचाई सहित राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के भाग के रूप में शुरू किया जा रहा है। वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को इस मिशन के साथ मिला दिया जाएगा; (iii) राष्ट्रीय तिलहन और पाम तेल मिशन का उद्देश्य तिलहनों और पाम तेल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। (iv) राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य कृषि कार्य में उत्पादकता और दक्षता में सुधार हेतु किसानों द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर देना है; और (v) राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी में विविधता लाना है। इसमें केसर संबंधी कार्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा।	सभी पांच मिशनों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन योजना आयोग से प्राप्त हो गया है तथा व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
41.	79	2012-13 में कृषि ऋण के लिए लक्ष्य बढ़ाकर ₹ 5,75,000 करोड़ करना।	घोषणा कार्यान्वित। कृषि ऋण के लिए ₹ 5,75,000 करोड़ का वर्धित लक्ष्य बैंकों/नाबार्ड को सूचित कर दिया गया है।
42.	80	किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने हेतु ब्याज सहायता योजना जो 2012-13 में जारी रहेगी, के अंतर्गत शीघ्र ऋण अदा कर रहे किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।	घोषणा कार्यान्वित। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो गया है और बैंकों को अनुदेश 18.09.2012 को भेज दिया गया है।
43.	81	छोटे और सीमांत किसानों को अल्पावधि फसल ऋणों के संवितरण हेतु आरबीआई ऋण पुनर्वित्त निधि के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्तपोषण हेतु नाबार्ड को ₹ 10,000 करोड़ आबंटन करना।	घोषणा कार्यान्वित। नाबार्ड को आवश्यक आबंटन किया गया है। आरबीआई ने 24.07.2012 को निधियां आबंटित कर दी हैं।
44.	82	किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को संशोधित करना, केसीसी एक स्मार्ट कार्ड बने जिसे कि इसका उपयोग एटीएम पर किया जा सके।	घोषणा कार्यान्वित। आरबीआई ने संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिशा-निर्देश 11.05.2012 को जारी किए हैं।
45.	83	विकासशील प्लांट और बीज प्रजातियों जो अधिक पैदावार देती हैं और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकती हैं, जैसी वैज्ञानिक सफलताओं के लिए उत्तरदायी संस्थाओं और अनुसंधान दल दोनों के लिए ईनाम सहित अनुसंधान प्रोत्साहित करने के ₹ 200 करोड़ की राशि निर्धारित करना।	अनुसंधान प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित सात उच्च प्राथमिकता अनुसंधान परियोजनाएं अभिज्ञात की गयी हैं: <ul style="list-style-type: none"> • चावल में प्रभावा फोटोसिंथेसिस और पैदावार में सुधार • सी₄ चावल का विकास • अनाजों में जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण • चावल, गेहूँ, सरसों और चना में बहु-स्ट्रेस प्रतिरोध के लिए मोलेक्यूलर ब्रीडिंग प्लेटफार्म • हिल्सा मछली का प्रजनन और उसकी कृषि • मवेशियों एवं भैंस में वीर्य गर्भाधान सीमेन सेक्सिंग • ऊंट प्रतिरक्षण-विज्ञान कार्यान्वयन की प्रक्रिया सहित आवधारणा टिप्पण तैयार किया जा रहा है।
46.	84	सिंचाई परियोजनाओं में किए गए निवेशों से लगातार अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम को संशोधित करना।	12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास और कचरा (वेस्ट) प्रबंध (सीएडीडब्ल्यूएम) सहित त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम की पुनर्संरचना के लिए मंत्रिमंडल टिप्पण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, 2012-13 के दौरान, त्वरित सिंचाई प्रसुविधा सुविधा कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी और लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण करने के लिए राज्यों को सितम्बर, 2012 तक ₹ 850.45 करोड़ का कुल अनुदान जारी किया गया है। प्रत्येक सीएडीडब्ल्यूएम परियोजना

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			का कम से कम 10 प्रतिशत कृष्य कमान क्षेत्र शामिल करने के लिए एक संघटक माइक्रो सिंचाई को 12वीं योजना में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।
47.	85	सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाने हेतु 2012-13 में सरकार के स्वामित्वाधीन सिंचाई और जलसंसाधन वित्त कंपनी को क्रियाशील बनाना।	घोषणा कार्यान्वित। सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड ने काम करना शुरू कर दिया है। इसने ₹ 28 करोड़ की लागत की क परियोजना स्वीकृत की है तथा ₹ 8 करोड़ की राशि संवितरित की है।
48.	86	बाढ़ प्रबंध नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा मुर्शिदाबाद जिले के कांडी सबडिविजन के लिए बाढ़ प्रबंध परियोजना का वित्तपोषण करना।	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के मूल्यांकन के पश्चात, ₹ 438.94 करोड़ की अनुमानित लागत से "पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कांडी और आसपास के क्षेत्रों में तटबंधों का सुधार एवं सहायक कार्य" नामक स्कीम की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी समिति द्वारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के लिए मार्च, 2012 में स्वीकार की गयी थी। योजना आयोग ने इस योजना को जून, 2012 के निवेश अनुमोदन प्रदान किया। बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत उपर्युक्त परियोजना के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार के औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा है। 12वीं योजना में, "बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम" नामक राज्य सेक्टर की योजना के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने का कार्य भी चल रहा है। 12वीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम के अनुमोदन पर तथा राज्य सरकार से अनिवार्य दस्तावेजों सहित अनुरोध प्राप्त होने पर, उक्त परियोजना को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि 12वीं योजना में "बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम" के अंतर्गत निधियों के लिए उसे शामिल करने पर विचार किया जा सके।
49.	87	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन राज्य सरकारों के सहयोग से "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" नामक एक नई केंद्रीय प्रयोजित योजना को 2012-13 में शुरू करना।	घोषणा कार्यान्वित। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 23.08.2012 को हुई अपनी बैठक में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" नामक एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को शुरू करने का अनुमोदन प्रदान किया है। इस समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ने भी अपने तारीख 28.08.2012 के पत्र द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन को कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए थे। इस "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" स्कीम के तैयारी कार्यों और उसके क्रियान्वयन को शुरू करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹ 179.39 करोड़ की राशि जारी की गई है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
50.	88	आधुनिक साइलों के रूप में 2 मिलियन टन भंडारण क्षमता के सृजन को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अंतर्गत लगभग 15 मिलियन टन क्षमता सृजित की जा रही है, जिसमें से 3 मिलियन टन भंडारण क्षमता 2011-12 के अंत तक जुड़ जाएगी और 5 मिलियन टन अगले वर्ष जोड़ी जाएगी।	<p>निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अंतर्गत, निजी उद्यमों, तथा केन्द्र तथा राज्य गोदाम सहकारिता के माध्यम से 19 राज्यों में लगभग 181.08 लाख टन की क्षमता का सृजन होना है। 128 लाख टन की भंडारण क्षमता के सृजन के अनुमोदन पहले ही दिये जा चुके हैं। पी.ई.जी. के अंतर्गत कुल 31 लाख टन पूरा हो चुका है जिसमें से 20.55 लाख टन 30.09.2012 को ले लिया गया है तथा शेष शीघ्र ले लेने अनुमानित है। यह अनुमानित है कि मार्च 2013 तक 73 लाख टन की संचयी क्षमता पूरी कर ली जाएगी तथा योजना के अंतर्गत ले ली जाएगी।</p> <p>ई.जी.ओ.एम. ने दिनांक 07.02.2012 को आयोजित अपनी मिटिंग में, एफ.सी.आई. की कुल भंडारण आवश्यकताओं के अंतर्गत, पी.पी.पी. तरीके के माध्यम से साइलो के रूप में 2 मिलियन टन की भंडारण क्षमता के निर्माण के अनुमोदन को स्वीकृत कर दिया था। विभिन्न राज्यों में सृजित होने वाली क्षमतायें परिपूर्ण हो चुकी हैं, तथा स्थापन स्थान राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके निर्णीत हो चुके हैं। एक अंतः मंत्रालयीय समूह भी परियोजना के सभी पहलुओं पर अपनी अनुशंसाएँ देने के लिए गठित किया गया है। योजना आयोग व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मार्ग के माध्यम से मॉडल रियायत करारों का प्रारूप तैयार कर रहा है। एफ.सी.आई. ने लेन-देन सलाहाकार की नियुक्ति के लिए निविदायें आमंत्रित की है।</p>
51.	91	पीडीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना सुविधा का सृजन और इसे दिसंबर 2012 तक कार्यचालन में लाना है।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता अर्थात् पी.डी.एस. नेटवर्क तैयार करने के लिए आवश्यक उपायें खाद्य तथा जन वितरण विभाग द्वारा यथासमय किये जाएंगे।
52.	92	वर्ष 2012-13 के दौरान चुनिंदा 200 उच्च समस्या ग्रस्त जिलों में मातृत्व और बाल कुपोषण से निदान हेतु बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू करना।	जैसाकि योजना आयोग द्वारा सुझाया गया है, 200 उच्च समस्याग्रस्त जिलों में मातृत्व और बाल कुपोषण से निदान हेतु बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम के लिए रूपरेखा समिति के विचाराधीन है। ई.एफ.सी. ज्ञापन भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में निर्माणाधीन है।
53.	93	एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना को सुदृढ़ तथा पुनर्गठित करना।	<p>घोषणा कार्यान्वित हो गयी है।</p> <p>एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना को सुदृढ़ और नए सिरे से तैयार करने का प्रस्ताव कैबिनेट समिति द्वारा आर्थिक मामलों पर 24.9.2012 को आयोजित अपनी मीटिंग में स्वीकृत कर दिया गया है। योजना हेतु प्रशासनिक अनुमोदन 22.10.2012 को जारी कर दिया गया है।</p>

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
54.	98	पंचायत क्षमता निर्माण हेतु विद्यमान योजनाओं का विस्तार करके राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से देश भर में पंचायतों को सदृढ़ करना।	प्रस्तावित नई योजना, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के प्रारूप दिशा-निदेश तैयार किए जा चुके हैं तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ आदान-प्रदान किए जा चुके हैं। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारियों तथा योजना आयोग के साथ हुए परामर्श पर भी आधारित दिशा-निदेश परिपूर्ण किए जा रहे हैं। इसके अलावा, इस नई प्रस्तावित योजना पर ई.एस.सी. ज्ञापन प्रारूप संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है क्योंकि नई योजना को कैबिनेट के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
55.	99	2012-13 में ₹ 12,040 करोड़ के वर्धित आबंटन से बारहवीं योजना में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इसमें राज्य घटक शामिल है जो, चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों में विकास की गति को त्रिव करने के लिए, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कालाहांडी-बोलागीर-कोरापुट क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा प्रभाव कम करने की विकास परियोजनाएं और एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को कवर करेगी।	बारहवीं पंच-वर्षीय में बी.आर.जी.एफ. का पुनर्गठन प्रस्तावित है। इसके पूरा होने तक, 2012-13 में बी.आर.जी.एफ. को इसके वर्तमान रूप में कार्यान्वित करना प्रस्तावित है। बी.आर.जी.एफ. के प्रत्यक्ष घटक के अलावा पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना और एकीकृत कार्य योजना 2012-13 में कार्यान्वयन हेतु पहले ही अनुमोदित है। 2012-13 में बिहार के लिए विशेष योजना ओडिशा के कालाहांडी-बोलागीर-कोरापुट जिलों तथा बुंदेलखंड पैकेज को जारी रखने के अनुमोदन से समाविष्ट सी.सी.ई.ए. लेख विवेचन हेतु सी.सी.ई.ए. द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। बी.आर.जी.एफ. जिला घटक में सम्मिलित 22 अतिरिक्त जिलों को समाविष्ट करने हेतु ₹ 300 करोड़ अतिरिक्त आवंटन के रूप में अनुमोदित किए गए हैं।
56.	100	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत आबंटन को बढ़ाकर ₹ 20,000 करोड़ करना, उपर्युक्त आबंटन में से ₹ 5,000 करोड़ की राशि भांडागारण सुविधाएं सृजित करने के लिए अलग से निर्धारित करना।	घोषणा कार्यान्वित हो गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 24.07.2012 को आवश्यक निधियों का आवंटन कर दिया है। भांडागारण सुविधाओं के लिए आवश्यक विनिश्चयन भी किया जा चुका है।
57.	104	सुपात्र विधार्थियों को ऋण निर्बाध रूप से मिलना सुनिश्चित करने के लिए एक ऋण गारंटी निधि स्थापित करना।	इस उद्देश्य हेतु एक प्रारूप कैबिनेट लेख अंतः मंत्रालयीय परामर्श स्तर पर है।
58.	105	विद्यमान टीका विनिर्माण तथा अनुसंधान सुविधाओं का आधुनिकीकरण और चेन्नई के निकट एक नई एकीकृत टीका यूनिट की स्थापना।	विद्यमान यूनिटों का आधुनिकीकरण (i) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आई.) कसौली में टीका विनिर्माण सुविधा के डी.पी.टी. समूह का उन्नतीकरण पूरा कर लिया गया है और आधुनिकृत सुविधा अगस्त 2012 में अनंतिम आधार पर, सी.आर.आई. कसौली द्वारा ले ली गयी है। (ii) पी.आई.आई., कूनूर में डी.पी.टी. विनिर्माण सुविधा के उन्नतिकरण के लिए व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) की

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			<p>सिफारिशें अनुमोदित कर दी गयी है और पहाड़ी क्षेत्र संरक्षण प्राधिकरण समिति (एच.ए.सी.ए.) चेन्नई ने भी पहाड़ी क्षेत्र संरक्षण के पहलू पर नये ढाँचे के निर्माण को अनुमति दे दी है। अनुमोदन अब भवन ऊँचाई को 12 मीटर तक करने की छूट के लिए प्रेषित किया गया है जो कि तमिलनाडु जिला नगर पालिका (हिल स्टेशन) भवन निर्माण नियम, 1993 में अनुमेय 7.00 मीटर की ऊँचाई से ऊपर है।</p> <p>(iii) जहाँ तक बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, गिंडी का संबंध है चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण से आपेक्षित सभी अनुमोदनों की प्राप्ति के पश्चात् सिविल कार्य शुरू कर दिए है।</p> <p>नई टीका इकाई की स्थापना</p> <p>आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने मैसर्स एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा सरकारी क्षेत्र में चेंगलपट्टु, तमिलनाडु में एकीकृत टीका परिसर (आईवीसी) की स्थापना करने का अनुमोदन किया है। सिविल टेंडर की वित्तीय बोलियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और शीघ्र ही कार्य आदेश रखा जाएगा।</p>
59.	106	<p>आयोडीन की कमी संबंधी गड़बड़ियों से बचाव, बेहतर टीकाकरण और बच्चों के जन्म के बीच बेहतर अंतराल और ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति के संयोजक के रूप में समुदाय स्तर पर आशा के लिए अधिक सक्रिय भूमिका परिकल्पित करने सहित आशा के कार्यकलापों क्षेत्र का विस्तार करना।</p>	<p>घोषणा कार्यान्वित।</p> <p>प्रत्याचित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता-‘आशा’ एक सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक है जो समुदाय और स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच कड़ी का काम करता है। यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हुए आशा के कार्यकलापों का क्षेत्र बढ़ाया जाए:</p> <p>प्रतिरक्षण</p> <ul style="list-style-type: none"> • संपूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज के अंतर्गत 1 वर्ष तक सारे टीकाकरण पूरा करने के लिए प्रत्येक आशा के लिए प्रत्येक बच्चे पर ₹ 100/-। • एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक के बच्चे के लिए संपूर्ण प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आशा को अतिरिक्त ₹ 50/-। <p>राष्ट्रीय आयोडीन कमी गड़बड़ी (आईडीडी) नियंत्रण कार्यक्रम</p> <p>उन 303 स्थानीय जिलों जहां कुल आईडीडी देश में 10% से अधिक है, प्रतिमाह कम से कम 50 साल्ट के नमूनों के परीक्षण करने पर प्रत्येक आशा को 25 रुपये महीना।</p> <p>परिवार नियोजन</p> <p>प्रत्येक आशा को निम्न वित्तीय प्रोत्साहन:</p> <ul style="list-style-type: none"> • विवाह के पश्चात 2 वर्ष का अंतराल सुनिश्चित करने के लिए ₹ 500/-। • पहले बच्चे के जन्म के पश्चात 3 वर्ष का अंतराल सुनिश्चित करने के लिए ₹ 500/-।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			<p>ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पौषाहार समिति (वीएचएसएनसी): प्रति माह महिलाओं और किशोरियों की बैठकों के बाद वीएचएसएनसी की बैठक सुसाध्य बनाने के लिए आशा को प्रोत्साहन के रूप में ₹ 150/-। उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।</p>
60.	107	किफायती तृतीयक देखभाल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 7 और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन कवर करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू करना और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का विस्तार करना।	<p>राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) व्यय वित्त समिति ने 9.10.2012 को इस प्रस्ताव पर विचार किया है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन शीघ्र लिया जा रहा है। 7 विद्यमान सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन केंद्रीय दल ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोझीकोड, झांसी चिकित्सा महाविद्यालय और गोरखपुर चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन करने के लिए अंतराल विश्लेषण करने हेतु दौरा किया है। इस केंद्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी प्रस्तुत की जानी हैं। उन्नयन हेतु चिन्हित शेष चार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय ये हैं: राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा; राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय दरभंगा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर और विजय चिकित्सा सेवा संस्थान, बेल्लारी, कर्नाटक। इन चिकित्सा महाविद्यालयों का अंतराल विश्लेषण करने के लिए स्थल पर जाकर अभी निरीक्षण किया जाना है।</p>
61.	110	नाबार्ड स्थित महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के संग्रह को ₹ 200 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 300 करोड़ करना और महिला एसएचजी द्वारा लिए गए ₹ 3 लाख तक के ऋणों पर 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहायता और वे महिला स्वसहायता समूह जो समय पर ऋण की अदायगी करेंगे उन्हें अतिरिक्त 3 प्रतिशत आर्थिक सहायता मुहैया कराना। पहले चरण में यह 150 जिलों के 600 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाएगा।	<p>नाबार्ड की ओर से पिछले वर्ष महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि को जारी किए गए ₹ 100 करोड़ के उपभोग प्रमाण पत्र जारी करने के बाद महिला एसएचजी विकास निधि को अतिरिक्त ₹ 200 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर ₹ 3 लाख तक के ऋणों पर महिला एसएचजी को ब्याज सहायता देने और 150 जिलों के 600 चुनिंदा ब्लॉकों में जिसमें वामपंथी आतंक प्रभावित जिले भी शामिल हैं में ऋण की समय पर अदायगी करने के लिए 3 प्रतिशत की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के लिए एक इएफसी नोट अंतिम चरण में है।</p>
62.	111	आजीविका के माध्यम से लिवलीहुड्स फाउंडेशन आफ इण्डिया का गठन करना जो खासकर जनजातीय क्षेत्रों में लगभग 170 जिलों को कवर करते हुए सिविल सोसाइटी के कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों में सहायता करेगा और उनका विस्तार करेगा।	व्यय संबंधी वित्त समिति के विचारार्थ यह टिप्पणी अन्तर मंत्रालयी परामर्श के चरण पर है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
63.	114	राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) को ₹ 1000 करोड़ आबंटित करना।	कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। एनएसडीएफ की वर्तमान निधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष में एनएसडीएफ को और अन्य कोई अतिरिक्त निधि का आबंटन न करने का निर्णय लिया गया है।
64.	115	कौशल विकास हेतु संस्थागत ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए पृथक ऋण गारण्टी निधि स्थापित करना।	इस प्रयोजनार्थ एक मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी अन्तर मंत्रालययी परामर्शों के ऋण पर है।
65.	117	क्रियान्वित की जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और बीपीएल लाभार्थियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के तहत प्रति व्यक्ति मासिक पेंशन ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 300 करना।	कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। मंत्रिमंडल ने 18/10/2012 को प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है और राज्यों/संघ राज्यों को 8/11/2012 को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
66.	118	बीपीएल परिवार के प्रमुख रोजी कमाने वाले 18 से 64 वर्ष आयु वर्ग के सदस्य की मृत्यु होने पर राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत इस समय ₹ 10,000 की एक मुश्त अनुग्रह राशि को दुगुना करके ₹ 20,000 करना।	कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव 18/10/2012 को मंजूर कर दिया है और राज्यों/संघ राज्यों को 8/11/2012 को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
67.	120	<i>संस्थान जिन्हें अनुदान दिया जा रहा है।</i> अनुसंधान और नए ज्ञान का सृजन किसी आधुनिक राष्ट्र की प्रेरक शक्ति होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं निम्नलिखित प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ: <ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद को ₹ 25 करोड़; कोलकाता में आर्सेनिक संदूषण पर केंद्रित करते हुए जल गुणवत्ता हेतु विश्वस्तरीय केंद्र स्थापित करने के लिए ₹ 50 करोड़; केरल कृषि विश्वविद्यालय को ₹ 100 करोड़; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड, कर्नाटक को ₹ 50 करोड़; 	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद को ₹ 25 करोड़ स्वीकृत करने के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इस राशि को जारी करने के लिए नए बजट शीर्ष सृजित किए जा रहे हैं। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन कराने और तत्पश्चात सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया तैयार की जा रही है। 2012-13 की अनुदान मांगों के जरिए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था की जाएगी। इएफसी के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर लिया गया है और इसे शीघ्र ही अन्तर मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित कर दिया जाएगा। इएफसी के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर लिया गया है और इसे शीघ्र ही अन्तर मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		<ul style="list-style-type: none"> चौधरी चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार हरियाणा को ₹ 50 करोड़; ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ₹ 50 करोड़; हैदराबाद में आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय को ₹ 100 करोड़; राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को ₹ 15 करोड़; राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग, ईटानगर को ₹ 10 करोड़; और सिद्धार्थ विहार न्यास, गुलबर्गी को पालि भाषा-अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए ₹ 10 करोड़। 	<p>इएफसी के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर लिया गया है और इसे शीघ्र ही अन्तर मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित कर दिया जाएगा।</p> <p>इएफसी के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर लिया गया है और इसे शीघ्र ही अन्तर मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित कर दिया जाएगा।</p> <p>इएफसी के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर लिया गया है और इसे शीघ्र ही अन्तर मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित कर दिया जाएगा।</p> <p>प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अनुपूरक मांगों के जरिए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था किए जाने के बाद ही अनुदान जारी किए जाएंगे।</p> <p>प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अनुपूरक मांगों के जरिए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था किए जाने के बाद ही अनुदान जारी किए जाएंगे।</p> <p>राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (आरएसकेएस) जिसे पाली भाषा को प्रोत्साहित करने का कार्य सौंपा गया है ने गुलबर्गी के एक टीम जो सिद्धार्थ विहार न्यास गुलबर्गी के साथ विचार-विमर्श करके पालीभाषा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के प्रतिमानों पर कार्य करेगी। आरएसकेएस इस न्यास के साथ विचार-विमर्श करके प्रतिमानो को अंतिमरूप देने की प्रक्रिया में है।</p> <p>इसी के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालयों उपयुक्त शीर्ष के तहत अनुपूरक/संशोधित अनुमान के जरिए आरएसकेएस को 10.00 करोड़ का अनुदान देने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है।</p>
68.	122	2012-13 में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए लगभग 4000 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण और 27000 कार्मिकों के रहने के लिए बैठक शामिल है।	आवासीय क्वार्टरों और बैरकों के लक्ष्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल से प्राप्त सूचना के आधार पर संशोधित कर दिए गए हैं और लगभग 20,259 कार्मिकों के लिए 6665 आवासीय क्वार्टर और 149 बैरकों का निर्माण और कार्यालय भवनों का निर्माण जिसमें भूमि अधिग्रहण निर्धारित किया गया है। सितम्बर, 2012 तक वास्तविक उपलब्धि आवासीय भवनों को 1871 तथा बैरकों के लिए 71 है।
69.	123	दो वर्षों के भीतर राष्ट्रीय जनसंख्या पूंजी तैयार करना तथा 18 वर्ष या अधिक आयु वाले सभी निवासियों को आधार नंबर के साथ निवासी	राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (एनपीआर) एनपीआर के लिए (कागजी प्रपत्र में) देशभर में जनसांख्यिकीय आकड़े एकत्रित कर लिए गए हैं। (लगभग 1.2 बिलियन

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		पहचान पत्र जारी करना जिससे ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों में मदद मिल सके।	जनसंख्या)। भरी हुई एनपीआर अनुसूचियाँ (लगभग 27 करोड़) स्कैन कर ली गई है। (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा) से स्कैन की गई प्रतिकृतियों को 92.17 करोड़ अभिलेखों से अधिक पूरा कर लिया गया है। एनपीआर बायोमीट्रिक नामांकन स्थानीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित करते हुए प्रगति पर है और 7.18 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के बायोमीट्रिक प्राप्त कर लिए गए हैं। आवासी पहचान पत्र (आरआईसी) देश में एनपीआर योजना के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु के सभी सामान्य आवासियों को आवासी पहचान पत्र जारी करने के प्रस्ताव का व्यय वित्त आयोग ने मूल्यांकन किया है। व्यय वित्त आयोग ने ₹ 552.5 करोड़ की अनुमानित लागत से इस योजना की सिफारिश की है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेने की कार्रवाई नजदीक ही है।
70.	126	संसद के बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर काले धन संबंधी श्वेत पत्र रखना।	घोषणा कार्यान्वित। 'काले धन संबंधी श्वेत पत्र' 21 मई 2012 को संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।
71.	127	सरकारी अधिप्राप्ति में विश्वास बढ़ाने और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए संसद के बजट सत्र में सरकारी अधिप्राप्ति कानून संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।	घोषणा कार्यान्वित। सरकारी अधिप्राप्ति विधेयक, 2012 दिनांक 14.5.2012 को संसद में पेश किया गया।
72.	142	विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज भुगतान पर रोक कर (विदहोल्लिंग टैक्स) की दर निम्नलिखित क्षेत्रों में तीन वर्ष के लिए 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना; विद्युत; एयरलाइन; सड़के व पुल; पत्तन और बंदरगाह; सस्ते आवास; उर्वरक और बांध।	घोषणा कार्यान्वित। वित्त विधेयक, 2012 पारित होने से ये प्रावधान लागू हो गए हैं।
73.	152	पूंजी बाजारों में लेनदेन लागतों को कम करने के लिए नकद सुपुर्दगी लेनदेनों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) 20 प्रतिशत (0.125 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत) कम करना।	घोषणा कार्यान्वित। एसटीटी में कमी करने संबंधी प्रावधान जुलाई 2012 से प्रभावी हो गया है।
74.	154	आक्रामक कर परिवर्जन योजनाओं के विरुद्ध एक सामान्य परिवर्जन रोधी नियम लागू करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका प्रयोग समुचित मामलों में ही जीएएआर पैनल द्वारा समीक्षा करके किया जाए।	वित्त अधिनियम 2012 के जरिए आय कर अधिनियम में सामान्य परिवर्जन रोधी नियम समिलित किया गया है। इन प्रावधानों को सरकारी संशोधन के जरिए एक वर्ष के लिए आस्थगित कर दिया गया था और अब ये 1.4.2013 को या उसके बाद उपचित अथवा सृजित आय के संबंध में ही लागू होंगे। जीएएआर के कार्यान्वयन संबंधी जीएएआर चैनल की सिफारिशें अंतिम रूप देने से पहले हित धारकों के साथ सक्रिय विचार विमर्श के अंतर्गत हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
75.	155	<ul style="list-style-type: none"> विदेश में धारित आस्तियों के मामले में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता लागू करना। विदेश में धारित आस्तियों के मद्दे मूल्यांकन के संबंध में आकलन को 16 वर्ष तक पुनः खोलने की अनुमति प्रदान करना। 2 लाख से अधिक राशि की बुलियन अथवा आभूषण की नकद खरीद पर स्रोत पर कर संग्रहण। विनिर्दिष्ट प्रारंभिक सीमा से ऊपर की स्थावर सम्पत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण पर स्रोत पर कर कटौती। कोयला, लिग्नाइट और लौह अयस्क में व्यापार पर स्रोत पर कर संग्रहण। शेयरधारकों से प्राप्त निधियों के लिए एकाधिकार वाली कम्पनियों पर प्रमाण का दायित्व बढ़ाना तथा उचित बाजार मूल्य से अधिक के शेयर प्रीमियमों पर कर लगाना। आय की स्लैब पर ध्यान दिए बिना, अस्पष्टीकृत धन, ऋणों, निवेश, व्यय आदि पर 30 प्रतिशत की उच्चतम दर पर कराधान। 	<p>घोषणा कार्यान्वित।</p> <p>उपायों की ये श्रृंखलाएं वित्त विधेयक, 2012 में पेश की गई थीं और अंततः वित्त विधेयक 2012 का हिस्सा हैं सिवाय अचल संपत्ति संबंधी स्रोत पर कर कटौती के प्रावधान जिसे वित्त अधिनियम, 2012 के रूप में विधेयक पारित करते समय सरकारी संशोधनों के दौरान वित्त विधेयक से हटा दिया गया है।</p>
76.	168	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के बीच सामंजस्य बैठाने के उपाय के तौर पर ईएसटी-1 नामक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर हेतु सामान्य सरलीकृत पंजीकरण प्रपत्र और सामान्य विवरणी लागू करना। यह सामान्य विवरणी सिर्फ एक पृष्ठ की होगी, जो वर्तमान में दो विवरणियों की 15 पृष्ठ से काफी कम होगी।	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लिए एक सामान्य पंजीकरण प्रपत्र और सामान्य विवरणी सरकारी क्षेत्राधिकार में रखी गई है। सरकारी और विभागीय अधिकारियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के महानिदेशक, सेवा कर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो इस मुद्दे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। इस समिति की रिपोर्ट आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
77.	169	ज्यादा आसानी से विवादों के निपटान करने में सहायता करने के लिए संशोधन प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण और निपटान आयोग की शुरुआत करना।	<p>घोषणा कार्यान्वित।</p> <p>ये बजट परिवर्तन हैं। संशोधन प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण से जुड़े वैधानिक प्रावधान वित्त विधेयक, 2012 के अधिनियम की तारीख 28 मई 2012 से प्रभावी हैं। निपटान आयोग के लिए नियम निर्दिष्ट करते हुए 29.05.2012 की अधिसूचना संख्या 16/2012..एसटी जारी कर दी गई है।</p>
78.	171	आपूर्ति नियमों के स्थान, जो उस स्थान को निर्धारित करेंगे जहां कोई सेवा उपलब्ध करायी जाएगी, को अधिसूचित करना। ये नियम उन सभी मुद्दों, जो जीएसटी के अंततोगत्वा शुरू	<p>घोषणा कार्यान्वित।</p> <p>दिनांक 20/06/2012 को अधिसूचना संख्या 28/2012-</p>

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		होने के लिए अंतर-राज्य सेवाओं के कराधान से उत्पन्न हो सकते हैं, के मूल्यांकन हेतु संसूचित चर्चा आरंभ करने के लिए संभावित पृष्ठभूमि भी प्रदान करेंगे।	एसटी जारी की जा चुकी है। सेवा नियमों के स्थान का प्रावधान 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी हो गया है।
79.	172	सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए सामान्य कर संहिता की संभावना की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन करना। (नोडल मंत्रालय/विभाग:राजस्व विभाग)	घोषणा कार्यान्वित। सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए सामान्य कर संहिता की संभावना की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल गठित कर दिया गया है।
80.	173	भारी भरकम प्रलेखन अथवा साक्ष्यांकन का सहारा लिए बगैर वस्तुओं के निर्यातकों को करों की वापसी सरल बनाने हेतु एक नई योजना कार्यान्वित करना। ऐसी वापसियां उन कर योग्य सेवाओं पर करों हेतु भी अनुज्ञेय होंगी।	घोषणा कार्यान्वित। यह योजना वापसी दावों की सुरक्षा, शर्तों; नियंत्रणों और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हुए 18.06.2012 की अधिसूचना संख्या 27/2012-सीई(एनटी) के जरिए प्रचालनरत की गई थी।
81.	174.	कराधान बिंदु से संबंधित नियमों को अधिक स्पष्टता प्रदान करने तथा बाधाओं को दूर करने और अनेक क्षेत्रों में सेनवैट क्रेडिटों की पुनर्बहाली को युक्तिसंगत बनाना।	घोषणा कार्यान्वित। कराधान बिंदु से संबंधित नियमों के बारे में 17.03.2012 की अधिसूचना 04/2012-एसटी और 20.06.2012 की अधिसूचना 37/2012-एसटी जारी की गई। सेनवैट क्रेडिट नियमों के संबंध में 17.03.2012 की अधिसूचना 18/2012-एसटी और 20.06.2012 की अधिसूचना 28/2012 सीई (एनटी) जारी की जा चुकी हैं। कतिपय सेवाओं के मामले में कटौतियों के संबंध में 20.06.2012 की अधिसूचना 26/2012-एसटी जारी की जा चुकी है।

1. मुख्य आर्थिक संकेतक

महें	2010-11	2011-12	प्रतिशत परिवर्तन 2010-11	प्रतिशत परिवर्तन 2011-12	2011-12	2012-13	अवधि	प्रतिशत परिवर्तन 2011-12	प्रतिशत परिवर्तन 2012-13
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1क वर्तमान कीमतों पर उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ₹ '000 करोड़	7157 ^ब	8233 ^ब	17.5	15.0	3842	4363	अप्रैल-सित.	17.0	13.5
1ख अंतर्निहित मूल्य अपस्फीतिकारक	146.5	158.2	8.4	8.0	155.7	167.8	अप्रैल-सित.	9.0	7.8
1ग 2004-05 की कीमतों पर उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ₹ '000 करोड़	4886 ^ब	5203 ^ब	8.4	6.5	2468	2600	अप्रैल-सित.	7.3	5.4
2 कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र 2004-05 की कीमतों पर - ₹ '000 करोड़	709 ^ब	729 ^ब	7.0	2.8	304	311	अप्रैल-सित.	3.4	2.1
3 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)	165.5	170.3	8.2	2.9	166.1	166.3	अप्रैल-सित. छ-1	5.1	0.1
4 उत्पादित बिजली (बिलियन के डब्ल्यू एच)	811.1	876.9	5.7	8.1	435.1	455.5	अप्रैल-सित. छ-1	9.5	4.7
5 थोक मूल्य सूचकांक (बिंदु-दर-बिंदु) 2004-05=100	143.3	156.1	9.6	8.9	153.8	165.6	अप्रैल-सित. ^अ	9.7	7.7
6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगारों के लिए) 2001=100	179.8	194.8	10.4	8.4	191.0	210.0	अप्रैल-सित.	9.0	9.9
7 मुद्रा आपूर्ति (एम 3) (₹ '000 करोड़) 1,2	6,504	7,359	16.1	13.1	7,034	7,965	मध्य-नवम्बर	15.5	13.2
8 वर्तमान कीमतों पर आयात 3 (₹ करोड़) (मिलियन अमरीकी डालर)	16,83,467	23,44,772	23.4	39.3	11,01,683	12,82,774	अप्रैल-सित. ^अ	35.7	16.4
9 वर्तमान कीमतों पर निर्यात 3 (₹ करोड़) (मिलियन अमरीकी डालर)	3,69,769	4,89,181	28.2	32.3	2,43,517	2,34,706	अप्रैल-सित. ^अ	38.1	-3.6
10 विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (₹ करोड़) (मिलियन अमरीकी डालर)	11,42,922	14,59,281	35.2	27.7	6,97,873	7,76,480	अप्रैल-सित. ^अ	38.0	11.3
11 विनिमय दर (₹/अमरीकी डालर) 4 और 5	2,51,136	3,04,624	40.5	21.3	1,54,185	1,42,066	अप्रैल-सित. ^अ	40.4	-7.9
	1225999	1333954	6.5	8.8	1350855	1374066	अप्रैल-सित.	13.3	1.7
	274580	260742	7.7	-5.0	276079	260748	अप्रैल-सित.	4.0	-5.6
	45.56	47.92	4.1	-4.9	45.23	54.66	अप्रैल-सित.	1.8	-17.3

(त्व) त्वरित अनुमान, सं. अ. संशोधित अनुमान; (अ): अन्तिम आंकड़े, 1. इकाइयां केवल कॉलम 2,3,6 और 7 के लिए हैं; 2. कॉलम 2 और 3 के आंकड़े संबंधित वित्त वर्ष के मार्च-अंत के लिए हैं; 3. डीजीसीआईएण्डएस के अनुसार 1.4. अमरीकी डालर के संदर्भ में रुपए के मूल्य में वृद्धि (+)/कमी (-) को दर्शाता है। 5. वार्षिक/अर्धवार्षिक औसत विनिमय दर (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफडीएआई) द्वारा खरीद और बिक्री का औसत)। मई 2012 से बाद की विनिमय दर भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दरें हैं।

2. भुगतान शेष : सारांश

(बिलियन अमरीकी डालर)

मर्दे	2010-2011	2011-2012	2011-2012	2012-2013
	(अं.सं.)	(अ.)	(अं.सं.)	(अ.)
	पूरा वर्ष	पूरा वर्ष	ति.1 अप्रैल-जून	ति.1 अप्रैल-जून
1 निर्यात	250.5	309.8	78.6	76.7
2 आयात	381.1	499.5	123.7	119.2
3 व्यापार शेष	-130.6	-189.8	-45.0	-42.5
4 अदृश्य मर्दे (निवल)	84.6	111.6	27.5	25.9
5 वस्तु एवं सेवा शेष	-81.8	-125.7	-28.6	-28.3
6 चालू खाता शेष	-45.9	-78.2	-17.5	-16.6
7 विदेशी सहायता (निवल)	4.9	2.3	0.3	-0.2
8 वाणिज्यिक उधार (निवल)	12.5	10.3	3.1	1.0
9 एफडीआई (निवल)	9.4	22.1	9.3	4.2
10 पोर्टफोलियो	30.3	17.2	2.5	-1.9
11 पूंजी खाता शेष	62.0	67.8	23.9	17.0
12 भूल-चूक	-3.0	-2.4	-0.9	0.1
13 समग्र शेष	13.1	-12.8	5.4	0.5
14 प्रारक्षित निधि में घट-बढ़ (वृद्धि - / कमी + दर्शाता है) (भुगतान शेष आधार पर)	-13.1	12.8	-5.4	-0.5
ज्ञापन मर्दे/पूर्वानुमान				
1 व्यापार शेष/सं.घ.उ. (%)	-7.8	-10.3		
2 वस्तु और सेवा शेष/सं.घ.उ. (%)	-4.9	-6.8		
3 अदृश्य शेष/सं.घ.उ. (%)	4.9	6.0		
4 चालू खाता शेष/सं.घ.उ. (%)	-2.7	-4.2		
5 निवल पूंजी प्रवाह/सं.घ.उ. (%)	3.7	3.7		

3. मौद्रिक समीक्षा

मदें	वकाया शेष			प्रतिशत परिवर्तन			
	2010-11 (₹ करोड़)	2011-12 (₹ करोड़)	नवम्बर 18, 2011 (₹ करोड़)	नवम्बर 16, 2012 (₹ करोड़)	पूरा वर्ष 2010-11	पूरा वर्ष 2011-12	वर्षानुवर्ष नवम्बर 18, 2011 नवम्बर 16, 2012
I स्थूल मुद्रा	65,04,116	73,59,200	70,34,363	79,65,064	16.1	13.1	15.5
मुद्रा स्टाक के संघटक							
1) जनता के पास मुद्रा	9,11,836	10,26,500	9,77,878	11,08,116	18.8	12.6	12.2
2) बैंकों में कुल जमा राशि	55,88,627	63,29,878	60,55,326	68,55,566	15.7	13.3	16.1
3) रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशियां	3,653	2,822	1,159	1,382	-4.0	-22.7	-67.2
एम3 के स्रोत							
I. सरकार के निवल बैंक ऋण (1+2)	19,83,896	23,69,547	22,23,555	26,52,974	18.9	19.4	22.1
1) सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक ऋण	3,96,555	5,35,738	4,16,903	5,77,798	-	-	-
2) सरकार को अन्य बैंक ऋण	15,87,341	18,33,809	18,06,652	20,75,176	8.9	15.5	15.7
II. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (1 + 2)	42,36,676	49,59,426	45,14,980	52,58,116	21.3	17.1	17.6
1) वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक ऋण	2,164	3,960	1,908	4,178	-	-	-
2) वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण	42,34,512	49,55,467	45,13,072	52,53,939	21.3	17.0	17.6
III. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	13,93,343	15,43,780	15,89,439	16,30,376	8.7	10.8	15.2
IV. जनता के प्रति सरकार की निवल मुद्रा देनदारी	12,724	14,273	13,716	15,046	12.9	12.2	11.9
V. अन्य मदें (निवल)	11,22,523	15,27,826	13,07,326	15,91,449	32.0	36.1	36.2
ज्ञापन मदें							
1) निवल धरेलू परिसंपत्तियां	51,10,773	58,15,420	54,44,924	63,34,688	18.3	13.8	15.6
2) प्रारक्षित मुद्रा (एम0)	13,76,821	14,27,172	14,01,667	14,78,997	19.1	3.7	13.8

कृपया नोट करें कि स्रोत पक्ष में मद V बैंकिंग क्षेत्र की निवल मौद्रिक-भिन्न देनदारियां हैं। स्रोत पक्ष में एम3 मद I, II, III और IV जोड़कर व मद V घटाकर प्राप्त किया गया है।

4. अवसंरचना क्षेत्र की वृद्धि दरों की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

उद्योग	भारांश	अप्रैल-सितम्बर				
		2009-10	2010-11	2011-12	2011-2012	2012-13
I. मुख्य अवसंरचना उद्योग						
i बिजली उत्पादन	10.3	6.2	5.5	8.1	9.3	4.7
ii कोयला	4.4	8.1	-0.3	1.2	-4.8	8.3
iii इस्पात	6.7	6.0	8.9	7.0	9.5	2.6
iv कच्चा तेल	5.2	0.5	11.9	1.0	5.1	-0.8
v शोधनशाला उत्पाद	5.9	-0.4	3.0	3.2	4.6	5.4
vi सीमेंट	2.4	10.5	4.5	6.7	3.8	7.4
vii प्राकृतिक गैस	1.7	44.6	10.0	-8.9	-8.5	-12.5
viii उर्वरक	1.3	12.7	0.0	0.4	0.6	-5.6
समग्र सूचकांक	37.9	6.6	5.7	4.4	5.0	3.2
II. परिवहन एवं संचार						
1. मुख्य पत्तनों पर लादा-उतारा गया माल		5.8	1.6	-1.7	3.1	-3.3
2. रेल का राजस्व अर्जक माल मालवहन यातायात		6.6	3.8	5.2	4.8	4.8
3. नागर विमानन						
क. लादा-उतारा गया निर्यात माल		11.4	13.4	-2.2	-0.7	-1.6
ख. लादा-उतारा गया आयात माल		8.1	20.6	-1.6	4.1	-9.2
ग. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर संचलित यात्री		5.7	11.5	7.6	7.8	2.6
घ. घरेलू हवाई हड्डों पर संचलित यात्री		14.5	16.1	15.0	18.8	-3.1
4. दूरसंचार						
क. सेलुलर मोबाइल फोन		47.4	18.0	-52.7	-40.0	0.0

स्रोत : (i) आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
(ii) सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अनुबंध जारी

5. कर राजस्व

(₹ करोड़)

विवरण	2012-2013			2011-2012		
	ब.अ.	वास्तविक 09/2012 तक	%	ब.अ.	वास्तविक 09/2011 तक	%
1 निगम कर	373227.00	142965.05	38%	359990.00	127374.70	35%
2 आय पर कर	195786.00	84611.46	43%	172026.00	68861.95	40%
(क) निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	189866.00	82597.68	44%	164526.00	66249.04	40%
(ख) अनुषंगी लाभकर	0.00	-62.05		0.00	109.04	
(ग) प्रतिभूति लेनदेन कर	5920.00	2075.83	35%	7500.00	2503.81	33%
(घ) बैंकिंग नकद लेनदेन कर	0.00	0.00		0.00	0.06	
3 धन कर	1244.00	483.84	39%	635.00	379.52	60%
4 सीमा शुल्क	186694.00	78556.73	42%	151700.00	74808.21	49%
5 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	194350.34	67423.60	35%	164115.66	59314.62	36%
6 सेवा कर	124000.00	49102.88	40%	82000.00	37049.46	45%
7 अन्य कर	2310.45	1752.44	76%	1973.22	1564.18	79%
(क) प्रत्यक्ष कर		11.90			6.23	
(ख) अप्रत्यक्ष कर		1740.54			1557.95	
सकल कर राजस्व	1077611.79	424896.00	39%	932439.88	369352.64	40%
जिसमें से व्यय को घटा कर (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के लिए वित्तीय प्रबंध हेतु अधिभार)	4620.00	1689.53	37%	4525.00	1447.89	32%
शेष सकल कर राजस्व	1072991.79	423206.47	39%	927914.88	367904.75	40%
घटाइये राज्यों को सुपुर्दगी	301920.76	129394.64	43%	263457.74	113174.03	43%
निवल कर राजस्व	771071.03	293811.83	38%	664457.14	254730.72	38%

6. कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़)

विवरण	2012-2013			2011-2012		
	ब.अ.	वास्तविक 09/2012 तक	%	ब.अ.	वास्तविक 09/2011 तक	%
क. ब्याज प्राप्तियाँ	25230.68	16972.87	67%	29821.89	19374.86	65%
घटाएं- - i) उधार की लागत में कमी होने पर लिए गए बाजार उधार से प्रासंगिक हुई प्राप्तियाँ	5010.00	9698.27	194%	4344.11	5537.70	127%
ii) ब्याज माफी	990.00	0.00		5900.00	5900.00	100%
निवल ब्याज प्राप्तियाँ	19230.68	7274.60	38%	19577.78	7937.16	41%
ख. लाभांश एवं लाभ	50152.55	27525.75	55%	42623.68	22867.27	54%
ग. संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व	1135.78	515.02	45%	1169.35	410.85	35%
घ. अन्य कर-भिन्न राजस्व						
राजकोषीय सेवाएं	119.32	18.09	15%	127.82	41.44	32%
अन्य सामान्य सेवाएं	22988.94	8656.80	38%	22001.31	7928.29	36%
घटाएं- ऋणों को बट्टे खाते में डालने हेतु उपयोग में लाई गई अन्य प्राप्तियाँ आदि	1106.60	5.18	0%	1506.95	6.95	0%
निवल-अन्य सामान्य सेवाएं	21882.34	8651.62	40%	20494.36	7921.34	39%
सामाजिक सेवाएं	1371.55	756.11	55%	2353.90	529.28	22%
आर्थिक सेवाएँ	91147.49	18356.78	20%	57606.69	17229.72	30%
घटाएं- (I) ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए उपयोग में लाई गई प्राप्तियाँ	3.00	0.00		0.00	0.00	
निवल आर्थिक सेवाएं	91144.49	18356.78	20%	57606.69	17229.72	30%
सहायता अनुदान एवं अंशदान	2887.20	254.31	9%	2172.96	451.77	21%
कुल अन्य कर-भिन्न राजस्व	117404.90	28036.91	24%	82755.73	26173.55	32%
घटाएं: वाणिज्यिक विभाग	23310.30	6276.25	27%	20691.42	6592.00	32%
निवल अन्य कर-भिन्न राजस्व	94094.60	21760.66	23%	62064.31	19581.55	32%
निवल कर-भिन्न राजस्व (क+ख+ग+घ)	164613.61	57076.03	35%	125435.12	50796.83	40%

अनुबंध जारी

7. पूंजी प्राप्तियाँ

(₹ करोड़)

विवरण	2012-2013			2011-2012		
	ब.अ.	वास्तविक 09/2012 तक	%	ब.अ.	वास्तविक 09/2011 तक	%
1 (क) अल्पावधिक उधार सहित बाजार ऋण	488000.00	331839.22	68%	358000.00	277074.39	77%
(ख) एमएसएस के अंतर्गत प्राप्तियां (निवल)	20000.00	0.00	0%	20000.00	0.00	0%
(ग) राजकोषीय हुंडियां (14 दिन)	0.00	-27549.47		0.00	-35732.91	
2 लघु बचत के एवज में प्रतिभूतियां	1197.52	-545.04	-46%	24182.46	-621.61	-3%
3 (i) विदेशी ऋण						
सकल उधार	26047.94	7369.09	28%	26820.13	8749.25	33%
घटाएँ-अदायगियाँ	15899.74	8126.10	51%	12320.13	6368.19	52%
निवल उधार	10148.20	-757.01	-7%	14500.00	2381.06	16%
(ii) परिक्रामी निधि		-8.45			-12.87	
ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां (4 और 5)						
4 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ						
सकल वसूलियाँ	23095.20	5053.93	22%	26510.00	10245.59	39%
घटाएँ-सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों तथा ऋण की वसूलियाँ	11445.00	198.75	2%	11490.00	221.26	2%
ऋणों एवं अग्रिमों की निवल वसूलियाँ	11650.20	4855.18	42%	15020.00	10024.33	67%
5 विविध पूंजी प्राप्तियाँ	30000.00	1371.82	5%	40000.00	1144.55	3%
(i) सरकार की इक्विटी धारिताओं का विनिवेश	30000.00	1371.82	5%	40000.00	1144.55	3%
(ii) बोनस शेयरों का निर्गम	0.00	0.00		0.00	1585.74	
(iii) अन्य विविध प्राप्तियाँ	0.00	0.00		0.00	0.00	
6 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	5005.48	13593.00	272%	94.21	8598.10	
(क) लघु बचत, लोक भविष्य निधियां	0.00	-1267.23		65000.00	-6548.24	-10%
(ख) प्रतिभूतियों में निवेश	12122.24	11669.84	96%	-58350.00	2304.77	-4%
(ग) एनएसएसएफ की आय और व्यय	-7116.76	3190.39	-45%	-6555.79	12841.57	-196%
7 राज्य भविष्य निधियाँ	12000.00	746.41	6%	10000.00	2161.73	22%
8 सरकारी खाता (एसपीएफ एवं एनएसएसएफ को छोड़कर)	313.57	-12853.00	-4099%	-9783.58	-10353.06	106%
9 अन्य आन्तरिक ऋण प्राप्तियां	-3074.32	-559.94	18%	-4176.52	-5321.01	127%
10 अर्थोपाय अग्रिम		0.00			24387.00	
11 अधिशेष नकद का निवेश (-)/ विनिवेश (+)		14588.00			16416.00	
12 नकद शेष राशि में कमी (भा.रि.बैं. एवं खाते के बीच अंतर सहित)		18410.14		20000.00	1833.46	
13 एमएसएस के अंतर्गत धारित नकद	-20000.00	0.00	0%	-20000.00	0.00	0%
कुल	555240.65	343130.86	62%	467836.57	291979.16	62%

8. आयोजना व्यय

(₹ करोड़)

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	2012-2013			2011-2012		
		ब.अ.	वास्तविक	%	ब.अ.	वास्तविक	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			09/2012 तक			09/2011 तक	
कृषि मंत्रालय		25338.00	12471.38	49%	21522.87	10508.53	49%
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	20208.00	9891.59	49%	17122.87	8602.77	50%
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग						
	सकल	3220.00	1584.24	49%	2808.54	1302.54	46%
	घटाएं: वसूलियां	0.00	0.00		8.54	48.50	568%
	निवल	3220.00	1584.24	49%	2800.00	1254.04	45%
3.	पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग	1910.00	995.55	52%	1600.00	651.72	41%
परमाणु ऊर्जा विभाग		5600.00	872.64	16%	5600.00	1391.58	25%
4.	परमाणु ऊर्जा	4601.73	867.19	19%	3991.00	988.07	25%
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	998.27	5.45	1%	1609.00	403.51	25%
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		2201.00	1595.97	73%	1200.00	821.23	68%
6.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	1757.00	1577.39	90%	800.00	713.62	89%
7.	उर्वरक विभाग	256.00	0.83	0%	225.00	98.91	44%
8.	भेषज विभाग	188.00	17.75	9%	175.00	8.70	5%
नागर विमानन मंत्रालय		4500.00	3718.58	83%	1700.00	1255.97	74%
9.	नागर विमानन मंत्रालय	4500.00	3718.58	83%	1700.00	1255.97	74%
कोयला मंत्रालय		450.00	135.93	30%	420.00	131.16	31%
10.	कोयला मंत्रालय	450.00	135.93	30%	420.00	131.16	31%
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		3465.00	1758.15	51%	3300.00	1634.95	50%
11.	वाणिज्य विभाग	2100.00	1002.13	48%	2000.00	1064.50	53%
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1365.00	756.02	55%	1300.00	570.45	44%
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		8600.00	3131.42	36%	7218.00	2296.41	32%
13.	डाक विभाग	800.00	49.61	6%	800.00	50.32	6%
14.	दूरसंचार विभाग						
	सकल	7800.00	2371.73	30%	5518.00	2829.61	51%
	घटाएं: वसूलियां	3000.00	106.07	4%	2100.00	1322.72	63%
	निवल	4800.00	2265.66	47%	3418.00	1506.89	44%
15.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3000.00	816.15	27%	3000.00	739.20	25%
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		367.00	16.31	4%	345.00	75.88	22%
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	241.00	13.66	6%	225.00	38.63	17%
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	126.00	2.65	2%	120.00	37.25	31%
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		32.00	2.00	6%	28.00	13.03	47%
18.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	32.00	2.00	6%	28.00	13.03	47%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
संस्कृति मंत्रालय		864.00	441.55	51%	785.00	386.21	49%
19. संस्कृति मंत्रालय		864.00	441.55	51%	785.00	386.21	49%
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		1905.00	805.95	42%	1741.00	865.02	50%
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय							
<i>सकल</i>		2075.00	844.46	41%	1911.00	865.02	45%
<i>घटाएं: वसूलियां</i>		170.00	38.51	23%	170.00	0.00	0%
<i>निवल</i>		1905.00	805.95	42%	1741.00	865.02	50%
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		1281.00	451.36	35%	1220.00	364.94	30%
29. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		1281.00	451.36	35%	1220.00	364.94	30%
पर्यावरण और वन मंत्रालय		2430.00	760.00	31%	2300.00	526.87	23%
30. पर्यावरण और वन मंत्रालय							
<i>सकल</i>		2630.00	760.29	29%	2300.00	526.87	23%
<i>घटाएं: वसूलियां</i>		200.00	0.29	0%	0.00	0.00	0%
<i>निवल</i>		2430.00	760.00	31%	2300.00	526.87	23%
विदेश मंत्रालय		1500.00	1052.24	70%	800.00	421.71	53%
31. विदेश मंत्रालय		1500.00	1052.24	70%	800.00	421.71	53%
वित्त मंत्रालय		119675.00	32069.90	27%	90636.61	29654.46	33%
32. आर्थिक कार्य विभाग							
<i>सकल</i>		5142.45	1195.18	23%	3080.63	1114.46	36%
<i>घटाएं: वसूलियां</i>		1102.45	551.22	50%	1040.63	520.30	50%
<i>निवल</i>		4040.00	643.96	16%	2040.00	594.16	29%
33. वित्तीय सेवाएं विभाग		16088.00	1300.00	8%	7850.00	74.42	1%
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण							
<i>सकल</i>		106908.00	30129.01	28%	88473.61	28984.65	33%
<i>घटाएं: वसूलियां</i>		7365.00	4.07	0%	7732.00	0.00	0%
<i>निवल</i>		99543.00	30124.94	30%	80741.61	28984.65	36%
38. व्यय विभाग		4.00	1.00	25%	5.00	1.23	25%
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		660.00	424.90	64%	600.00	108.89	18%
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		660.00	424.90	64%	600.00	108.89	18%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		30477.00	14042.29	46%	26760.00	10044.12	38%
46. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग		27127.00	12643.95	47%	23560.00	8789.06	37%
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)		990.00	294.58	30%	900.00	142.62	16%
48. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग		660.00	291.23	44%	600.00	265.11	44%
49. एडस नियंत्रण विकास		1700.00	812.53	48%	1700.00	847.33	50%
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		566.00	345.85	61%	410.00	362.52	88%
50. भारी उद्योग विभाग		553.00	342.65	62%	399.00	356.10	89%
51. सरकारी लोक उद्यम विभाग		13.00	3.20	25%	11.00	6.42	58%
गृह मंत्रालय		12140.89	3507.35	29%	11562.29	2047.13	18%
52. गृह मंत्रालय		2139.01	671.11	31%	3237.00	165.18	5%
54. पुलिस		8045.99	2064.43	26%	6435.00	1586.68	25%
55. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय		315.00	95.73	30%	328.00	21.29	6%
56. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण		1640.89	676.08	41%	1562.29	273.98	18%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		1155.00	389.50	34%	1100.00	291.76	27%
57. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		1155.00	389.50	34%	1100.00	291.76	27%
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		61407.00	33007.67	54%	52057.00	29153.38	56%
58. प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग							
सकल		64584.08	26545.49	41%	57483.33	23342.66	41%
घटाएं: वसूलियां (प्रारंभिक शिक्षा कोष/राष्ट्रीय निवेश निधि)		18615.08	0.00	0%	18526.33	0.00	0%
निवल		45969.00	26545.49	58%	38957.00	23342.66	60%
59. उच्च शिक्षा विभाग		15438.00	6462.18	42%	13100.00	5810.72	44%
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		905.00	313.59	35%	861.00	336.93	39%
60. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		905.00	313.59	35%	861.00	336.93	39%
श्रम और रोजगार मंत्रालय		2403.88	904.33	38%	1248.25	645.44	52%
61. श्रम और रोजगार मंत्रालय							
सकल		2522.44	904.33	36%	1988.25	645.44	32%
घटाएं: वसूलियां		118.56	0.00	0%	740.00	0.00	0%
निवल		2403.88	904.33	38%	1248.25	645.44	52%
विधि और न्याय मंत्रालय		1050.00	500.51	48%	1000.00	203.00	20%
63. विधि और न्याय		1050.00	500.51	48%	1000.00	203.00	20%
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		2835.00	960.91	34%	2700.00	1053.50	39%
65. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		2835.00	960.91	34%	2700.00	1053.50	39%
खान मंत्रालय		232.00	121.57	52%	214.00	177.65	83%
66. खान मंत्रालय		232.00	121.57	52%	214.00	177.65	83%
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		3135.00	539.92	17%	2850.00	760.56	27%
67. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		3135.00	539.92	17%	2850.00	760.56	27%
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		1383.00	650.26	47%	1198.00	674.56	56%
68. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय							
सकल		1423.43	654.68	46%	1198.00	674.56	56%
घटाएं: वसूलियां		40.43	4.42	11%			
निवल		1383.00	650.26	47%	1198.00	674.56	56%
पंचायती राज मंत्रालय		5350.00	1173.10	22%	5250.00	1183.63	23%
70. पंचायती राज मंत्रालय		5350.00	1173.10	22%	5250.00	1183.63	23%
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		279.00	69.48	25%	260.00	41.83	16%
72. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		279.00	69.48	25%	260.00	41.83	16%
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		43.00	0.00	0%	40.00	0.00	0%
73. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		43.00	0.00	0%	40.00	0.00	0%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
योजना मंत्रालय		2100.00	588.71	28%	1600.00	193.84	12%
74. योजना मंत्रालय		2100.00	588.71	28%	1600.00	193.84	12%
विद्युत मंत्रालय		9642.00	1492.94	15%	9642.00	1415.26	15%
75. विद्युत मंत्रालय							
सकल		1776.00	12%14694.00		1569.21	11%	
घटाएं: वसूलियां		5481.04	283.06	5%	5052.00	153.95	3%
निवल		1492.94	15%9642.00		1415.26	15%	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		25359.91	10964.05	43%	22247.75	10353.06	47%
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय							
सकल		41568.13	13490.86	32%	36400.01	12368.75	34%
घटाएं: वसूलियां (केन्द्रीय सड़क निधि तथा पुल शुल्क निधि)		16208.22	2526.81	16%	14152.26	2015.69	14%
निवल		25359.91	10964.05	43%	22247.75	10353.06	47%
ग्रामीण विकास मंत्रालय		90376.00	35071.18	39%	87800.00	36766.85	42%
82. ग्रामीण विकास विभाग							
सकल		129876.20	27947.40	22%	138418.00	31281.23	23%
घटाएं: (i) वसूलियां (राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि/सीआर निधि)		56701.20	551.22	1%	64318.00	520.36	1%
(ii) प्राप्तियां							
निवल		73175.00	27396.18	37%	74100.00	30760.87	42%
83. भूमि संसाधन विभाग		3201.00	2007.44	63%	2700.00	1419.89	53%
84. पेय जलापूर्ति विभाग		14000.00	5667.56	40%	11000.00	4586.09	42%
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		5975.00	3004.17	50%	5679.00	2651.92	47%
85. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		2477.00	1336.21	54%	2349.00	1059.40	45%
86. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग		2013.00	901.82	45%	1930.00	948.74	49%
87. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग		1485.00	766.14	52%	1400.00	643.78	46%
पोत परिवहन मंत्रालय		812.00	164.11	20%	743.00	52.41	7%
88. पोत परिवहन विभाग		812.00	164.11	20%	743.00	52.41	7%
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		5915.00	1836.14	31%	5375.00	2652.44	49%
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		5915.00	1836.14	31%	5375.00	2652.44	49%
अंतरिक्ष विभाग		5615.00	1271.44	23%	5700.00	1185.75	21%
90. अंतरिक्ष विभाग							
सकल		5615.04	1271.44	23%	5700.04	1185.75	21%
घटाएं: वसूलियां		0.04	0.00	0%	0.04	0.00	0%
निवल		5615.00	1271.44	23%	5700.00	1185.75	21%
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		4586.00	1615.28	35%	2180.00	1096.08	50%
91. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		4586.00	1615.28	35%	2180.00	1096.08	50%
इस्पात मंत्रालय		46.00	10.47	23%	40.00	7.84	20%
92. इस्पात मंत्रालय		46.00	10.47	23%	40.00	7.84	20%
कपड़ा मंत्रालय		7000.00	1554.77	22%	5000.00	1778.85	36%
93. कपड़ा मंत्रालय		7000.00	1554.77	22%	5000.00	1778.85	36%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पर्यटन मंत्रालय		1210.00	432.96	36%	1100.00	516.97	47%
94. पर्यटन मंत्रालय		1210.00	432.96	36%	1100.00	516.97	47%
जनजातीय कार्य मंत्रालय		4090.00	2172.89	53%	3723.01	1980.32	53%
95. जनजातीय कार्य मंत्रालय		4090.00	2172.89	53%	3723.01	1980.32	53%
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		4015.20	1294.47	32%	3140.22	1207.23	38%
96. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		1701.43	575.51	34%	1430.45	472.35	33%
97. चंडीगढ़		737.23	172.10	23%	661.89	335.09	51%
98. दादरा और नगर हवेली		607.68	317.02	52%	334.14	149.67	45%
99. दमन और दीव		568.25	137.84	24%	324.95	107.50	33%
100. लक्षद्वीप		400.61	92.00	23%	388.79	142.62	37%
शहरी विकास मंत्रालय		7012.12	2407.01	34%	6279.75	3120.55	50%
101. शहरी विकास विभाग		6783.25	2331.18	34%	6068.76	3071.36	51%
102. लोक निर्माण		228.87	75.83	33%	210.99	49.19	23%
जल संसाधन मंत्रालय		1500.00	281.96	19%	720.00	239.69	33%
104. जल संसाधन मंत्रालय							
सकल		1512.00	286.77	19%	732.00	244.86	33%
घटाएं: वसूलियां		12.00	4.81	40%	12.00	5.17	43%
निवल		1500.00	281.96	19%	720.00	239.69	33%
महिला और बाल विकास मंत्रालय		18500.00	9777.78	53%	12650.00	6650.33	53%
105. महिला और बाल विकास मंत्रालय		18500.00	9777.78	53%	12650.00	6650.33	53%
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		1041.00	564.81	54%	1000.00	345.08	35%
106. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		1041.00	564.81	54%	1000.00	345.08	35%
रेलवे		24000.00	12000.00	50%	20000.00	8175.27	41%
रेल मंत्रालय							
सकल			12108.59			8188.51	
घटाएं: वसूलियों से पूरा किया गया व्यय			10.87			13.24	
आरक्षित निधियों से पूरा किया गया व्यय			97.72			0.00	
निवल		24000.00	12000.00	50%	20000.00	8175.27	41%
कुल जोड़		521025.00	202739.75	39%	441546.75	177822.59	40%

अनुबंध जारी

9. आयोजना-भिन्न व्यय

(₹ करोड़)

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	2012-2013			2011-2012		
		ब.अ.	वास्तविक	%	ब.अ.	वास्तविक	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		09/2012 तक			09/2011 तक		
कृषि मंत्रालय		2593.59	1413.60	55%	2653.85	1458.32	55%
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	322.22	102.77	32%	400.00	99.58	25%
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2172.00	1256.75	58%	2157.60	1255.55	58%
3.	पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग						
	सकल	451.37	222.11	49%	437.95	252.18	58%
	घटाएं: वसूलियां	352.00	168.03	48%	341.70	148.99	44%
	निवल	99.37	54.08	54%	96.25	103.19	107%
परमाणु ऊर्जा विभाग		3632.00	2939.83	81%	3752.46	2156.74	57%
4.	परमाणु ऊर्जा						
	सकल	4786.60	2819.49	59%	5096.26	2466.58	48%
	घटाएं: वसूलियां	1601.60	649.11	41%	1331.00	690.36	52%
	निवल	136.00	40.28	30%	153.85	31.05	20%
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	3049.00	2130.10	70%	3611.41	1745.17	48%
	सकल	3523.00	931.41	26%	7787.38	6763.57	87%
	घटाएं: वसूलियां	2940.00	121.68	4%	7646.33	6352.00	83%
	निवल	583.00	809.73	139%	141.05	411.57	292%
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		61088.71	45002.40	74%	50080.00	31445.05	63%
6.	रसायन और पैट्रो रसायन विभाग	45.62	34.34	75%	22.00	10.82	49%
7.	उर्वरक विभाग						
	सकल	65618.00	46463.54	71%	53612.00	33016.29	62%
	घटाएं: वसूलियां	4618.00	1515.93	33%	3592.00	1597.22	44%
	निवल	61000.00	44947.61	74%	50020.00	31419.07	63%
8.	भेषज विभाग	43.09	20.45	47%	38.00	15.16	40%
नागर विमानन मंत्रालय		738.80	47.27	6%	693.88	213.20	31%
9.	नागर विमानन मंत्रालय						
	सकल	738.84	47.27	6%	693.92	213.20	31%
	घटाएं: वसूलियां	0.04	0.00	0%	0.04	0.00	0%
	निवल	738.80	47.27	6%	693.88	213.20	31%
कोयला मंत्रालय		48.35	12.61	26%	48.72	-6.67	-14%
10.	कोयला मंत्रालय						
	सकल	78.35	42.51	54%	78.72	22.33	28%
	घटाएं: वसूलियां	30.00	29.90	100%	30.00	29.00	97%
	निवल	48.35	12.61	26%	48.72	-6.67	-14%
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		3125.25	2030.47	65%	4700.58	874.37	19%
11.	वाणिज्य विभाग						
	सकल	2927.50	1948.34	67%	4516.08	795.66	18%
	घटाएं: वसूलियां	4.50	10.35	230%	4.50	6.87	153%
	निवल	2923.00	1937.99	66%	4511.58	788.79	17%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग							
सकल		202.25	92.48	46%	189.01	85.59	45%
घटाएं: वसूलियां		0.00	0.00		0.01	0.01	100%
निवल		202.25	92.48	46%	189.00	85.58	45%
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		11082.16	8200.59	74%	9332.06	7137.35	76%
13. डाक विभाग							
सकल		14195.48	7519.00	53%	13240.48	6675.25	50%
घटाएं: वसूलियां		7793.31	2047.33	26%	7517.70	1725.30	23%
प्राप्तियां		665.05	16.78	3%	695.11	38.88	6%
निवल		5737.12	5454.89	95%	5027.67	4911.07	98%
14. दूरसंचार विभाग		5294.04	2716.97	51%	4255.78	2210.46	52%
15. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		51.00	28.73	56%	48.61	15.82	33%
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		76502.45	67766.50	89%	61841.57	53063.35	86%
16. उपभोक्ता मामले विभाग							
सकल		383.09	233.26	61%	375.36	135.77	36%
घटाएं: वसूलियां		21.80	0.00	0%	19.80	0.00	0%
निवल		361.29	233.26	65%	355.56	135.77	38%
17. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग							
सकल		86835.66	67790.16	78%	72211.32	53102.38	74%
घटाएं: वसूलियां		10000.00	0.00	0%	10000.00	0.00	0%
प्राप्तियां		694.50	256.92	37%	725.31	174.80	24%
निवल		76141.16	67533.24	89%	61486.01	52927.58	86%
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		213.50	98.98	46%	210.94	100.22	48%
18. कारपोरेट कार्य मंत्रालय		213.50	98.98	46%	210.94	100.22	48%
संस्कृति मंत्रालय		583.00	339.26	58%	553.00	325.08	59%
19. संस्कृति मंत्रालय		583.00	339.26	58%	553.00	325.08	59%
रक्षा मंत्रालय		238205.53	104938.64	44%	202572.30	96286.21	48%
20. रक्षा मंत्रालय							
सकल		16598.24	6763.85	41%	13156.81	7152.47	54%
घटाएं: प्राप्तियां		10800.00	3012.98	28%	9000.00	3144.92	35%
निवल		5798.24	3750.87	65%	4156.81	4007.55	96%
21. रक्षा पेंशन		39000.00	16263.15	42%	34000.00	19041.86	56%
रक्षा सेवाएं		193407.29	84924.62	44%	164415.49	73236.80	45%
22. रक्षा सेवाएं-थल सेना							
सकल		80025.82	39749.71	50%	65985.05	34692.64	53%
घटाएं: प्राप्तियां		1869.64	814.40	44%	1695.62	887.18	52%
वसूलियां		41.82	0.00	0%	37.88	0.00	0%
निवल		78114.36	38935.31	50%	64251.55	33805.46	53%
23. रक्षा सेवाएं-नौसेना							
सकल		12748.02	5894.98	46%	10789.06	5434.99	50%
घटाएं: वसूलियां		200.00	82.67	41%	200.00	59.38	30%
निवल		12548.02	5812.31	46%	10589.06	5375.61	51%
24. रक्षा सेवाएं-वायु सेना							
सकल		18325.19	8203.34	45%	16520.87	7158.67	43%
घटाएं: प्राप्तियां		619.38	329.15	53%	592.92	270.43	46%
निवल		17705.81	7874.19	44%	15927.95	6888.24	43%
25. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां							
सकल		1801.68	3070.45	170%	795.88	1905.87	239%
घटाएं: वसूलियां		1836.77	654.87	36%	1647.63	599.66	36%
प्राप्तियां		500.00	0.00	0%	325.00	0.00	0%
निवल		535.09	2415.58	-451%	-1176.75	1306.21	-111%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26. रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास							
सकल		6035.56	2296.75	38%	5659.87	1953.95	35%
घटाएं: प्राप्तियां		40.00	19.63	49%	35.00	54.95	157%
निवल		5995.56	2277.12	38%	5624.87	1899.00	34%
27. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		79578.63	27610.11	35%	69198.81	23962.28	35%
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		24.33	15.09	62%	21.58	12.36	57%
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		24.33	15.09	62%	21.58	12.36	57%
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		387.00	205.70	53%	347.00	188.69	54%
29. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय							
सकल		391.39	207.33	53%	349.22	188.86	54%
घटाएं: प्राप्तियां		4.39	1.63	37%	2.22	0.17	8%
निवल		387.00	205.70	53%	347.00	188.69	54%
पर्यावरण और वन मंत्रालय		199.41	110.14	55%	191.97	94.86	49%
30. पर्यावरण और वन मंत्रालय							
सकल		452.41	136.40	30%	441.97	105.11	24%
घटाएं: वसूलियां		253.00	26.26	10%	250.00	10.25	4%
निवल		199.41	110.14	55%	191.97	94.86	49%
विदेश मंत्रालय		8161.97	3849.45	47%	6306.00	3237.62	51%
31. विदेश मंत्रालय		8161.97	3849.45	47%	6306.00	3237.62	51%
वित्त मंत्रालय		435380.00	171212.84	39%	374130.52	162010.00	43%
32. आर्थिक कार्य विभाग							
सकल		62899.98	5587.54	9%	18551.59	8814.66	48%
घटाएं: वसूलियां		1651.65	0.23	0%	1590.60	0.00	0%
प्राप्तियां		42123.32	0.00	0%	8767.75	0.00	0%
निवल		19125.01	5587.31	29%	8193.24	8814.66	108%
33. वित्तीय सेवाएं विभाग							
सकल		8349.24	3539.36	42%	15855.94	329.27	2%
घटाएं: प्राप्तियां		0.01	259.05		6000.00	24.82	0%
निवल		8349.23	3280.31	39%	9855.94	304.45	3%
34. ब्याज अदायगियां							
सकल		324769.43	140863.02	43%	272330.28	128036.33	47%
घटाएं: प्राप्तियां		5010.00	9698.27	194%	4344.11	5537.70	127%
निवल		319759.43	131164.75	41%	267986.17	122498.63	46%
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण							
सकल		69022.46	19961.52	29%	60173.62	18692.22	31%
घटाएं: वसूलियां		5720.00	1689.53	30%	6025.00	1447.89	24%
प्राप्तियां		4620.00	1002.50	22%	4525.00	455.26	10%
निवल		58682.46	17269.49	29%	49623.62	16789.07	34%
36. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण							
सकल		250.00	79.33	32%	300.00	94.81	32%
घटाएं: प्राप्तियां		445.00	198.75	45%	490.00	221.26	45%
निवल		195.00	-119.42	61%	-190.00	-126.45	67%
37. कर्ज की वापसी अदायगी							
सकल(एमएसएस को छोड़कर)		3786074.35	1679744.89	44%	3155216.93	1767652.94	56%
घटाएं: प्राप्तियां		3786074.35	1679744.89	44%	3155216.93	1767652.94	56%
निवल		0.00	0.00		0.00	0.00	
38. व्यय विभाग		131.25	46.03	35%	96.97	52.71	54%
39. पेंशन							
सकल		19800.00	8970.99	45%	17000.00	8213.15	48%
घटाएं: प्राप्तियां		1000.00	0.00	0%	1000.00	0.00	0%
निवल		18800.00	8970.99	48%	16000.00	8213.15	51%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग							
सकल		2568.49	1407.94	55%	2398.56	1248.37	52%
घटाएं: वसूलियां		152.79	116.12	76%	145.48	87.15	60%
निवल		2415.70	1291.82	53%	2253.08	1161.22	52%
41. राजस्व विभाग							
सकल		1178.59	332.49	28%	13356.90	1169.38	9%
घटाएं: प्राप्तियां		366.73	171.20	47%	312.00	191.26	61%
वसूलियां		42.22	0.00	0%	53.97	0.00	0%
निवल		769.64	161.29	21%	12990.93	978.12	8%
42. प्रत्यक्ष कर							
सकल		3880.46	1699.44	44%	3881.55	1645.36	42%
घटाएं: वसूलियां		2.00	0.64	32%	2.00	5.52	276%
निवल		3878.46	1698.80	44%	3879.55	1639.84	42%
43. अप्रत्यक्ष कर							
सकल		3601.08	1851.54	51%	3378.89	1671.73	49%
घटाएं: वसूलियां		0.50	0.26	52%	0.50	0.22	44%
निवल		3600.58	1851.28	51%	3378.39	1671.51	49%
44. विनिवेश विभाग		63.24	10.19	16%	62.63	13.09	21%
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		10.54	5.01	48%	10.09	4.39	44%
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		10.54	5.01	48%	10.09	4.39	44%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		4011.00	2687.32	67%	3696.00	2294.68	62%
46. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग							
सकल		5853.29	3003.48	51%	5341.33	2622.17	49%
घटाएं: वसूलियां		2278.29	521.91	23%	2004.33	550.76	27%
निवल		3575.00	2481.57	69%	3337.00	2071.41	62%
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)		188.00	117.90	63%	188.00	95.06	51%
48. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग		248.00	87.85	35%	171.00	128.21	75%
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		465.60	200.08	43%	464.34	54.82	12%
50. भारी उद्योग विभाग		456.67	195.92	43%	456.65	50.41	11%
51. लोक उद्यम विभाग		8.93	4.16	47%	7.69	4.41	57%
गृह मंत्रालय		42308.10	23016.83	54%	37357.85	21644.89	58%
52. गृह मंत्रालय		835.69	461.49	55%	1713.39	1257.91	73%
53. मंत्रिमंडल		465.22	63%	434.61	353.79	81%	
54. पुलिस							
सकल		38816.26	21189.63	55%	33584.99	19155.66	57%
घटाएं: वसूलियां		230.00	24.57	11%	360.00	77.49	22%
निवल		38586.26	21165.06	55%	33224.99	19078.17	57%
55. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय		1558.28	632.56	41%	1416.86	672.51	47%
56. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण		586.00	292.50	50%	568.00	282.51	50%
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		8.00	3.63	45%	7.60	4.06	53%
57. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		8.00	3.63	45%	7.60	4.06	53%
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		12649.00	5024.18	40%	11306.00	4935.46	44%
58. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग		2812.00	1339.93	48%	2494.00	1728.16	69%
59. उच्च शिक्षा विभाग		9837.00	3684.25	37%	8812.00	3207.30	36%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		1832.32	919.65	50%	1782.64	1242.33	70%
60. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय							
<i>सकल</i>		1832.39	919.67	50%	1782.71	1242.41	70%
<i>घटाएं: वसूलियां</i>		0.07	0.02	29%	0.07	0.08	114%
<i>निवल</i>		1832.32	919.65	50%	1782.64	1242.33	70%
श्रम और रोजगार मंत्रालय							
61. श्रम और रोजगार मंत्रालय		1929.80	1735.02	90%	1861.00	1643.00	88%
<i>सकल</i>		2120.19	1735.02	82%	2041.39	1643.00	80%
<i>घटाएं: वसूलियां</i>		190.39	0.00	0%	180.39	0.00	0%
<i>निवल</i>		1929.80	1735.02	90%	1861.00	1643.00	88%
विधि और न्याय मंत्रालय		669.54	252.54	38%	553.45	298.96	54%
62. निर्वाचन आयोग		72.17	20.73	29%	25.93	15.26	59%
63. विधि और न्याय		485.62	167.67	35%	432.30	223.04	52%
64. भारत का उच्चतम न्यायालय		111.75	64.14	57%	95.22	60.66	64%
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		320.66	152.30	47%	301.29	138.32	46%
65. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		320.66	152.30	47%	301.29	138.32	46%
खान मंत्रालय		466.44	276.08	59%	440.28	242.92	55%
66. खान मंत्रालय		466.44	276.08	59%	440.28	242.92	55%
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		19.70	7.03	36%	16.00	6.66	42%
67. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		19.70	7.03	36%	16.00	6.66	42%
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		14.79	7.52	51%	14.38	6.05	42%
68. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		14.79	7.52	51%	14.38	6.05	42%
अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		114.77	25.81	22%	81.00	28.70	35%
69. अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		114.77	25.81	22%	81.00	28.70	35%
पंचायती राज मंत्रालय		0.74	0.28	38%	0.65	0.18	28%
70. पंचायती राज मंत्रालय		0.74	0.28	38%	0.65	0.18	28%
संसदीय कार्य मंत्रालय		11.72	5.16	44%	10.48	4.88	47%
71. संसदीय कार्य मंत्रालय		11.72	5.16	44%	10.48	4.88	47%
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		615.67	339.35	55%	506.78	279.76	55%
72. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		615.67	339.35	55%	506.78	279.76	55%
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय							
73. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		43716.85	39935.74	91%	23676.20	22720.93	96%
		43716.85	39935.74	91%	23676.20	22720.93	96%
योजना मंत्रालय		77.03	40.76	53%	76.00	37.51	49%
74. योजना मंत्रालय		77.03	40.76	53%	76.00	37.51	49%
विद्युत मंत्रालय		-122.89	56.71	-46%	-135.01	-91.61	68%
75. विद्युत मंत्रालय							
<i>सकल</i>		168.56	67.57	40%	137.68	50.74	37%
<i>घटाएं: प्राप्तियां</i>		256.66	0.00	0%	272.69	142.35	52%
<i>वसूलियां</i>		34.79	10.86	31%	0.00	0.00	
<i>निवल</i>		122.89	56.71	-46%	-135.01	-91.61	68%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राष्ट्रपति, संसद, संघ							
लोक सेवा आयोग और							
उप-राष्ट्रपति का सचिवालय							
		902.98	453.38	50%	801.59	386.52	48%
76.	राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते	30.24	15.51	51%	27.67	15.34	55%
77.	लोकसभा	435.00	230.75	53%	400.00	195.52	49%
78.	राज्यसभा	284.05	135.33	48%	224.35	100.81	45%
79.	संघ लोक सेवा आयोग	150.57	70.12	47%	146.58	73.46	50%
80.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	3.12	1.67	54%	2.99	1.39	46%
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय							
81.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	5438.21	1272.57	23%	4190.00	673.95	16%
	<i>सकल</i>	5578.22	1294.36	23%	4340.50	704.62	16%
	<i>घटाएं: वसूलियां</i>	140.01	21.79	16%	150.50	30.67	20%
	<i>निवल</i>	5438.21	1272.57	23%	4190.00	673.95	16%
ग्रामीण विकास मंत्रालय							
82.	ग्रामीण विकास विभाग	59.26	32.90	56%	55.16	29.34	53%
83.	भूमि संसाधन विभाग	46.82	25.91	55%	43.72	23.16	53%
84.	पेय जल और स्वच्छता	7.20	4.05	56%	6.20	3.52	57%
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय							
85.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1882.61	955.82	51%	1865.92	923.21	49%
	<i>सकल</i>	405.86	224.15	55%	393.64	181.77	46%
	<i>घटाएं: वसूलियां</i>	9.64	11.92	124%	9.64	3.60	37%
	<i>निवल</i>	396.22	212.23	54%	384.00	178.17	46%
86.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1471.00	734.76	50%	1455.00	726.34	50%
87.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	15.39	8.83	57%	26.92	18.70	69%
पोत परिवहन मंत्रालय							
88.	पोत परिवहन विभाग	867.49	188.06	22%	1063.00	30.88	3%
	<i>सकल</i>	1164.49	300.48	26%	1328.60	130.22	10%
	<i>घटाएं: प्राप्तियां</i>	190.00	105.92	56%	170.00	96.82	57%
	<i>वसूलियां</i>	107.00	6.50	6%	95.60	2.52	3%
	<i>निवल</i>	867.49	188.06	22%	1063.00	30.88	3%
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय							
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	93.30	48.91	52%	78.00	49.02	63%
अंतरिक्ष विभाग							
90.	अंतरिक्ष विभाग	1100.00	603.76	55%	926.00	488.00	53%
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय							
91.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	357.54	190.61	53%	347.36	183.18	53%
इस्पात मंत्रालय							
92.	इस्पात मंत्रालय	69.29	32.35	47%	70.76	33.75	48%
	<i>सकल</i>	75.89	37.53	49%	77.71	40.70	52%
	<i>घटाएं: प्राप्तियां</i>	6.60	5.18	78%	6.95	6.95	100%
	<i>निवल</i>	69.29	32.35	47%	70.76	33.75	48%
कपड़ा मंत्रालय							
93.	कपड़ा मंत्रालय	836.41	412.51	49%	855.75	340.56	40%
पर्यटन मंत्रालय							
94.	पर्यटन मंत्रालय	72.98	32.70	45%	70.76	27.85	39%

अनुबंध जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जनजातीय कार्य मंत्रालय		18.00	8.93	50%	17.00	7.86	46%
95. जनजातीय कार्य मंत्रालय		18.00	8.93	50%	17.00	7.86	46%
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		3706.92	2340.56	63%	3408.89	2182.25	64%
96. अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह							
सकल		1390.74	688.18	49%	1285.31	746.57	58%
घटाएं: वसूलियां		114.13	44.56	39%	111.41	41.25	37%
निवल		1276.61	643.62	50%	1173.90	705.32	60%
97. चंडीगढ़							
सकल		2178.78	1302.23	60%	2068.31	1159.75	56%
घटाएं: वसूलियां		374.00	78.84	21%	421.78	76.18	18%
निवल		1804.78	1223.39	68%	1646.53	1083.57	66%
98. दादरा और नगर हवेली							
सकल		1780.32	679.96	38%	1527.02	774.51	51%
घटाएं: वसूलियां		1673.76	625.91	37%	1429.72	712.95	50%
निवल		106.56	54.05	51%	97.30	61.56	63%
99. दमन और दीव							
सकल		835.80	469.72	56%	708.00	397.89	56%
घटाएं: वसूलियां		722.60	360.94	50%	602.60	333.77	55%
निवल		113.20	108.78	96%	105.40	64.12	61%
100. लक्षद्वीप							
सकल		503.06	317.44	63%	483.05	275.29	57%
घटाएं: वसूलियां		97.29	6.72	7%	97.29	7.61	8%
निवल		405.77	310.72	77%	385.76	267.68	69%
शहरी विकास मंत्रालय		2673.87	1419.49	53%	2261.71	1229.30	54%
101. शहरी विकास विभाग							
सकल		946.17	475.27	50%	786.51	395.05	50%
घटाएं: वसूलियां		0.04	0.00	0%	0.04	0.00	0%
निवल		946.13	475.27	50%	786.47	395.05	50%
102. लोक निर्माण							
सकल		1686.55	915.83	54%	1443.45	789.37	55%
घटाएं: वसूलियां		61.15	11.14	18%	65.44	5.51	8%
निवल		1625.40	904.69	56%	1378.01	783.86	57%
103. लेखन-सामग्री और मुद्रण							
सकल		264.42	116.09	44%	253.24	113.78	45%
घटाएं: वसूलियां		162.08	76.56	47%	156.01	63.39	41%
निवल		102.34	39.53	39%	97.23	50.39	52%
जल संसाधन मंत्रालय		541.00	291.22	54%	502.73	255.77	51%
104. जल संसाधन मंत्रालय							
सकल		555.60	296.85	53%	517.33	261.41	51%
घटाएं: वसूलियां		14.60	5.63	39%	14.60	5.64	39%
निवल		541.00	291.22	54%	502.73	255.77	51%
महिला और बाल विकास मंत्रालय		84.00	40.66	48%	83.00	36.31	44%
105. महिला और बाल विकास मंत्रालय		84.00	40.66	48%	83.00	36.31	44%
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		111.00	80.17	72%	121.00	57.63	48%
106. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		111.00	80.17	72%	121.00	57.63	48%
रेलवे मंत्रालय							
रेलवे मंत्रालय							
सकल		09393.25	60592.26	55%	109393.25	52577.55	48%
घटाएं: प्राप्तियां		09393.25	57882.19	53%	109393.25	47846.52	44%
आरक्षित निधि		0.00	2710.07		0.00	4731.03	
निवल		0.00	0.00		0.00	0.00	
आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय			0.00			240.84	
कुल जोड़		969900.29	491278.97	51%	816182.08	421269.86	52%

10. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरित संसाधन

(₹ करोड़)

विवरण	2012-2013			2011-2012		
	ब.अ.	वास्तविक	%	ब.अ.	वास्तविक	%
	09/2012 तक			09/2011 तक		
1. करों तथा शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	301921	129395	43%	263458	113174	43%
2. आयोजना-भिन्न अनुदान एवं ऋण	64296	20138	31%	66396	20236	30%
अनुदान	64211	20102	31%	66311	20200	30%
ऋण	85	36	42%	85	36	42%
अर्थोपाय अग्रिम (निवल)		0			0	
3. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय सहायता	122014	38561	32%	101292	36070	36%
अनुदान	111014	34735	31%	92292	31756	34%
ऋण	11000	3826	35%	9000	4314	48%
4. केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु सहायता	41592	26041	63%	34045	22139	65%
अनुदान	41592	26041	63%	34025	22139	65%
ऋण				20		
5. कुल अनुदान और ऋण (2+3+4)	227902	84740	37%	201733	78445	39%
अनुदान	216817	80878	37%	192628	74095	38%
ऋण	11085	3862	35%	9105	4350	48%
6. घटाइए- ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	8529	3817	45%	8416	3421	41%
7. राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरित निवल संसाधन (1+5-6)	521294	210318	40%	456775	188198	41%
(i) जिसमें से राज्य सरकारें	518182	209121	40%	453882	187350	41%
(ii) जिसमें से संघ राज्य क्षेत्र सरकारें	3112	1197	38%	2893	848	29%